SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

प्रतिवेदन

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या-1, वर्ष 2025

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	xi
कार्यकारी सार	-	xiii
अध्याय 1 **परिचय**		
अध्याय का सारांश	-	1
परिचय	1.1	1
अपशिष्ट प्रबंधन के लिये विनियामक ढांचा	1.2	2
उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समग्र स्थिति	1.3	3
संगठनात्मक ढांचा	1.4	4
लेखापरीक्षा रूपरेखा	1.5	6
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5.1	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5.2	7
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.5.3	8
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.5.4	9
प्रतिवेदन की संरचना	1.6	9
आभार	1.7	10
अध्याय-II **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना और रणनीति**		
अध्याय का सारांश	-	11
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल संस्थाएं	2.1	11
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राज्य नीति और रणनीति	2.2	13
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का अभाव	2.3	14
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्थिति	2.4	15
उपविधि बनाया जाना	2.5	16
अपशिष्ट का उत्पादन और आंकलन	2.6	17
विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली	2.7	19
अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण न किया जाना	2.8	20

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए जनशक्ति	2.9	21
नगर पालिका परिषद हाथरस में अधिक सफाई कर्मचारियों को नियोजित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय	2.9.1	23
सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियां	2.10	24
क्षमता निर्माण की स्थिति	2.11	29
अध्याय-III **वित्तीय प्रबंधन**		
अध्याय का सारांश	-	33
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निधि का स्रोत और उपयोग	3	34
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिये निधि	3.1	34
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) निधि का उपयोग	3.1.1	36
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये वित्त पोषण	3.2	39
नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान से भिन्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय	3.2.1	40
बिना अनुबंध किये फर्म को निधियां अवमुक्त करना तथा ₹ 15 लाख फर्म द्वारा वापस न किया जाना	3.3	41
गंगा नदी के किनारे स्थित शहरी स्थानीय निकायों के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनायें निष्पादित न किया जाना	3.4	42
राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के कार्यान्वयन में नगर पंचायत सैदपुर, गाजीपुर की विफलता	3.4.1	43
वाह्य सेवा प्रदाता फर्म को वस्तु एवं सेवाकर का अनियमित भुगतान	3.5	44

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
उपयोक्ता प्रभार की वसूली	3.6	45
नगर निगम लखनऊ में अप्राप्त उपयोक्ता प्रभार	3.6.1	46
नगर निगम गाजियाबाद में उपयोक्ता प्रभार की कम प्राप्ति	3.6.2	47
अध्याय-IV **अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन**		
अध्याय का सारांश	-	49
पृथक्करण	4.1	50
अपशिष्ट का पृथक्करण	4.1.1	51
सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के स्थापना की स्थिति	4.1.2	54
संग्रहण	4.2	57
अपशिष्ट संग्रहण की स्थिति	4.2.1	58
धर्मकाँटा का अभाव	4.2.2	59
अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण	4.2.3	60
सामुदायिक/भण्डारण कूड़ेदानो के क्रय में अनियमिततायें	4.2.4	67
परिवहन	4.3	70
नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिये बिना विभाजन के वाहनों/खुले वाहनों का उपयोग	4.3.1	70
प्राधिकार के बिना परिवहन वाहनों का उपयोग	4.3.2	71
परिवहन वाहनों का अनुश्रवण	4.3.3	72
वाहनों के आंकलन के लिए त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण	4.3.4	73
अध्याय-V **ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निस्तारण**		
अध्याय का सारांश	-	77
ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की स्थिति	5.1	78
ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना	5.2	79
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति	5.2.1	80

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	**पृष्ठ**
स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति	5.2.2	82
केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति	5.2.3	83
ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का संचालन और रखरखाव	5.3	88
लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति	5.3.1	88
कानपुर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	5.3.2	92
रायबरेली में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	5.3.3	94
मुजफ्फरनगर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	5.3.4	95
रेवती बलिया में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	5.3.5	96
अपशिष्ट का निस्तारण	5.4	97
भूमि भरण की स्थिति	5.4.1	97
पुराने अपशिष्ट का निस्तारण	5.4.2	107
अध्याय-VI **विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन**		
अध्याय का सारांश	-	113
विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन	6	114
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट	6.1	114
घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का गैर-पृथक्करण	6.1.1	114
अनधिकृत अधिभोक्ता	6.1.2	115
अपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट	6.1.3	115
साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा	6.1.4	116
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट)	6.2	117
ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन की स्थिति	6.2.1	118
प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन	6.3	120
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक का निस्तारण	6.3.1	121

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	6.4	122
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन की स्थिति	6.4.1	123
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए स्थल चिह्नित न किया जाना	6.4.2	124
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की स्थिति	6.4.3	125
अध्याय-VII ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अनुश्रवण		
अध्याय का सारांश	-	127
राज्य स्तर पर अनुश्रवण का अभाव	7.1	127
जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति	7.2	128
सेवा स्तर मानक के सापेक्ष उपलब्धियां	7.3	129
नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मानक	7.4	131
खाद गुणवत्ता की विशिष्टियाँ	7.5	132

परिशिष्टियाँ

विवरण		संदर्भ पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1	अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा	135
परिशिष्ट 1.2	निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये चयनित शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	136
परिशिष्ट 2.1	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अधिसूचित उपविधियाँ और उनके प्रावधानों का विवरण	137

परिशिष्टियाँ		
विवरण		संदर्भ पृष्ठ
परिशिष्ट 2.2	वर्ष 2016-22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति	139
परिशिष्ट-2.3	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का मार्च 2022 तक का विवरण	141
परिशिष्ट-2.4	नगर पालिका परिषद हाथरस में अधिक सफाई कर्मियों को नियोजित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय की स्थिति	144
परिशिष्ट-2.5	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर उपयोग की गई और शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित की गयी निधियों की स्थिति	146
परिशिष्ट-2.6	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 2016-22 के दौरान सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों पर निधि के उपयोग की स्थिति	147
परिशिष्ट-2.7	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2016-22 के दौरान क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय की गयी निधि का विवरण	149
परिशिष्ट-3.1	राज्य मिशन निदेशक को केन्द्रांश के साथ राज्यांश अवमुक्त करने में हुये विलम्ब का विवरण	151
परिशिष्ट 3.2	वाह्य सेवा प्रदाता फर्मों को वस्तु एवं सेवा कर के अनियमित भुगतान का विवरण	152
परिशिष्ट 3.3	नगर निगम लखनऊ में उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली की स्थिति	153

परिशिष्टियाँ		
विवरण		संदर्भ पृष्ठ
परिशिष्ट-3.4	नगर निगम गाजियाबाद में उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली	154
परिशिष्ट 4.1	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र की स्थिति	155
परिशिष्ट-4.2 (ए)	वर्ष 2016-22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट संग्रहण की स्थिति	160
परिशिष्ट-4.2 (बी)	राज्य और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संग्रहित किए गए अपशिष्ट की मात्रा की स्थिति	162
परिशिष्ट-4.3	लखनऊ शहर में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा के अंतर्गत आच्छादित घरों का विवरण	162
परिशिष्ट-4.4(ए)	नगर पालिका परिषद हाथरस में अधिक संख्या में घरों और वाणिज्यिक संपत्तियों के दावे के कारण फर्म को किये गये अधिक भुगतान का विवरण	163
परिशिष्ट-4.4 (बी)	आरएफपी की शर्तों के विपरीत फर्म के बिलों से 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत की कटौती के कारण फर्म को किये गये अधिक भुगतान का विवरण	165
परिशिष्ट-4.5 (ए)	नगर पालिका परिषद लोनी में द्वार-द्वार संग्रहण में लगे टिपर के लिए फर्म को किये गये परिहार्य भुगतान का विवरण	166
परिशिष्ट-4.5 (बी)	नगर पालिका परिषद लोनी में द्वार-द्वार संग्रहण में लगे जनशक्ति के लिए फर्म को किये गये परिहार्य भुगतान का विवरण	167
परिशिष्ट-4.6	नगर पंचायत चितबड़ागांव और नगर पंचायत रेवती में कूड़ेदानों के अधिक क्रय पर हुए व्यय का विवरण	169

परिशिष्टियाँ		
विवरण		संदर्भ पृष्ठ
परिशिष्ट-4.7	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले विभाजित/ढके हुए वाहनों का विवरण	170
परिशिष्ट-4.8	मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्राधिकार के बिना उपयोग किये गये परिवहन वाहनों का विवरण	176
परिशिष्ट-4.9	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट परिवहन वाहनों का वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से अनुश्रवण किये जाने का विवरण	182
परिशिष्ट-4.10	शहरी स्थानीय निकायों में आवश्यक वाहन और ठोस अपशिष्ट के लिए गैप विश्लेषण का विवरण	184
परिशिष्ट-4.11	नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्राथमिक परिवहन के लिए वाहनों की उपलब्धता का विवरण	185
परिशिष्ट-4.12	रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स के क्रय के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत निधियों का विवरण	186
परिशिष्ट-5.1 (ए)	वर्ष 2016-22 के दौरान राज्य एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्कृत अपशिष्ट की स्थिति	187
परिशिष्ट-5.1 (बी)	वर्ष 2016-22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्कृत अपशिष्ट की स्थिति	188
परिशिष्ट-5.2	राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन एवं राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की स्थिति	190

परिशिष्टियाँ		
विवरण		संदर्भ पृष्ठ
परिशिष्ट-5.3	राज्य के 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्गत धनराशि के सापेक्ष अवरुद्ध धनराशि की स्थिति	192
परिशिष्ट-5.4	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण कार्य की स्थिति	194
परिशिष्ट-5.5	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी, लखनऊ में पायी गयीं कमियां	197
परिशिष्ट-5.6	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी, लखनऊ के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम	199
परिशिष्ट-5.7	नगर निगम लखनऊ में फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल और भुगतान किये गये बिल के अंतर का विवरण	200
परिशिष्ट-5.8	ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए फर्म को संदिग्ध भुगतान का विवरण	202
परिशिष्ट 5.9	कानपुर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयीं महत्वपूर्ण कमियाँ	202
परिशिष्ट- 5.10	आवश्यकता के सापेक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अपर्याप्त भूमि का आवंटन	203
परिशिष्ट-5.11	पाँच टन प्रतिदिन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	205
परिशिष्ट-5.12	राज्य के 72 शहरी स्थानीय निकायों की पुराने अपशिष्ट की स्थिति	207
परिशिष्ट-5.13	20 शहरी स्थानीय निकायों में जैव-उपचार की स्थिति	210

परिशिष्टियाँ		
विवरण		संदर्भ पृष्ठ
परिशिष्ट- 6.1	वर्ष 2017-21 के दौरान राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अधिभोक्ता/प्रचालक का विवरण	213
परिशिष्ट-6.2	राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण का विवरण	213
परिशिष्ट-6.3	राज्य में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निर्माता, रिफरबिशर, संग्रहण केंद्रों, विघटनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण	214
परिशिष्ट- 6.4	राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के अनुमानित उत्पादन और पुनर्चक्रण का विवरण	214
परिशिष्ट-6.5	शहरी स्थानीय निकायों में जब्त किये गये प्रतिबंधित थर्मोकॉल/प्लास्टिक/कैरी बैग का विवरण	215
परिशिष्ट-6.6	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की स्थिति	217
परिशिष्ट-7.1	प्रदूषण नियंत्रण मानदंड	218
परिशिष्ट - 8	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 1.4.5.1.2 के अनुसार वृद्धिशील वृद्धि पद्धति को अपनाते हुए नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अनुमानित जनसंख्या	220

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वह प्रकरण उल्लिखित हैं जो 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये और साथ ही वह भी प्रकरण जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में आये थे, लेकिन विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं किये जा सके, इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 के बाद जो प्रकरण प्रकाश में आयें उन्हें भी यथास्थान शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके से ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है जो शहरी क्षेत्रों के भीतर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को जन्म देती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2016 के दौरान बनाये गये विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम अपशिष्ट के निस्तारण और प्रबंधन के लिये एक वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन का उपयोग करके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कमी के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दक्षता और प्रभावशीलता का आँकलन करने के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि को आच्छादित करते हुये शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी प्रस्तरों में सम्मिलित किया गया है:

राज्य नीति, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना (अप्रैल 2016) की तारीख से एक वर्ष के अंदर तैयार किया जाना चाहिए था, वास्तव में जून 2018 में तैयार की गई थी। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की गयी थी। नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 12 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपविधि बनायी गयी थी। इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गयी उपविधियों में एकरूपता का अभाव था। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कई वर्षों में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन से सम्बंधित समान आंकड़े संसूचित किये गये थे, जिससे आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी। राज्य सरकार द्वारा न तो अपशिष्ट बीनने वालों के लिए प्रचलनात्मक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये और न ही उनके पंजीकरण के लिए कोई योजना प्रारम्भ की गयी। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से 35 शहरी स्थानीय निकायों मे सफाई कर्मचारियों की कमी को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से पूरा किया गया, शेष (सात) नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों

में वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवाओं के बाद भी सफाई कर्मचारियों की कमी बनी रही। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की कमी थी।

जागरूकता (सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता) गतिविधियां भित्ति चित्र और विज्ञापन पट के माध्यम से आयोजित की गयीं थीं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक मीडिया और जनसंचार के माध्यम से सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों को नमूना जांच किये गये क्रमशः चार और दो शहरी स्थानीय निकायों में अपनाया गया था। शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन के क्षमता निर्माण हेतु प्रस्तावित 112 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब और अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण मात्र 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

2016-22 के दौरान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की गयी धनराशि का प्रतिशत शून्य से 63 प्रतिशत के मध्य था। अग्रेतर, क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों में यह प्रतिशत क्रमशः शून्य से 20 प्रतिशत और 3 से 62 प्रतिशत था, जिससे राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) स्तर पर लेखापरीक्षा अवधि के सभी वर्षों के दौरान अत्यधिक अप्रयुक्त शेष धनराशि रह गयी । इसके अतिरिक्त, 2017-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय घटकों के अंतर्गत राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को निधियां क्रमशः 55 से 236 दिनों और 11 से 1,098 दिनों के विलंब के साथ निर्गत की गयीं थीं । नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने वर्ष 2016-22 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों के अंतर्गत क्रमशः शून्य से 25 प्रतिशत, 17 से 60 प्रतिशत और 36 से 55 प्रतिशत तक उपभोग किया था।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मिश्रित अपशिष्ट का संग्रहण कर उसका परिवहन संयंत्र, भूमि भरण अथवा क्षेपण स्थल पर किया जा रहा था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों के सार्वजनिक सर्वेक्षण के दौरान स्रोत पृथक्कीकरण का कोई दृष्टांत नहीं पाया

गया। नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र स्थापित नहीं किये गये थे| निधि निर्गत हुये तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद ठोस अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की छंटाई के लिए 38 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। अग्रेतर, 89 प्रतिशत नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के वजन हेतु धर्मकांटा की सुविधा नहीं थी। पृथक्कीकृत अपशिष्ट के संग्रहण हेतु मात्र 67 प्रतिशत टिपर विभाजनयुक्त थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण के अंतर्गत घरों का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य मिशन निदेशक स्तर पर त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण के कारण नमूना जांच किये गये सात शहरी स्थानीय निकायों में तिपहिया साईकिल और हल्के वाणिज्यिक वाहन/छोटे टिपर का अधिक प्रावधान किया गया था।

2016-22 के दौरान राज्य स्तर पर और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों स्तर पर संग्रहीत अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत अपशिष्ट क्रमशः 26 से 71 प्रतिशत और शून्य से 63 प्रतिशत था। 2005-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से मात्र 20 संयंत्र कार्यदायी संस्था द्वारा स्थापित किये गये थे, जिनमें से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे। अग्रेतर, 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 36 प्रसंस्करण संयंत्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इनमें से 19 संयन्त्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। तथापि, मशीनरी क्रय हेतु निधि निर्गत न होने के कारण इन्हें क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। अवशेष 17 संयंत्रों में निर्माण कार्य पूर्ण (जुलाई 2023) नहीं हुआ था । 36 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आबंटित भूमि मानकों के अनुसार अपर्याप्त थी। 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 72 में पुराने अपशिष्ट का आँकलन पूर्ण किया गया था, जिससे कुल 84,57,782 मीट्रिक टन पुराना अपशिष्ट क्षेपित होना पाया गया। तथापि, अवशेष 579 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया गया था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन जनवरी 2017 में किया गया था और 2017-22 के दौरान 10 निर्धारित बैठकों में से मात्र छः बैठकें आयोजित की

गयीं थीं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपर्याप्त विवरणों/सूचनाओं के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की, जिसके परिणामस्वरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अपेक्षित आंकड़ों की श्रेणीवार मात्रा यथा पीला, लाल, सफेद और नीला तथा उपचार और निस्तारण विधियों के विवरण (जैसे भस्मीकरण, आटोक्लेव इत्यादि) की अनुपलब्धता थी । राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करने वाले 17 प्रतिशत से 43 प्रतिशत अधिभोक्ता बिना उचित प्राधिकार के संचालित थे। 2020-21 के दौरान राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के अनुमानित उत्पादन 1,030 टन प्रतिदिन के सापेक्ष प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण की मौजूदा क्षमता 722.50 टन प्रतिदिन थी। 2016-21 के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण का प्रबंधन करने में विफल रहे।

अनुशंसायें

- *राज्य सरकार को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण पर बेहतर सूचना प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपविधि समयबद्ध तरीके से बनायी एवं लागू की जाये।*
- *राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नागरिकों के व्यवहार में प्रभावी रूप से संवेदनशील परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा ,संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।*
- *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि निर्दिष्ट समय के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निधियां राज्य सरकार के पास अवरुद्ध न रहें।*
- *राज्य सरकार को अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली*

तैयार करके अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिये और सख्त अनुश्रवण और कार्यान्वयन व्यवस्था के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक्कीकृत अपशिष्ट को मिश्रित होने से रोकना चाहिये।

- *सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का उपयोग समुचित क्रियाशीलता एवं धर्मकांटा सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की उचित व्यवस्था हो और शहरी स्थानीय निकायों में सभी घर द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं से आच्छादित हों ।*
- *राज्य सरकार को नियमित रूप से उत्पादित ठोस अपशिष्ट और शहरी स्थानीय निकायों में क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट का शीघ्रातिशीघ्र वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये ।*
- *राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करना चाहिये ।*
- *राज्य सरकार को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये। उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिये।*
- *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्धारित अनुश्रवण बैठकें आयोजित की जाये और राज्य/जिला स्तर की बैठकों में उठाये गये प्रकरणों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाये।*

अध्याय- I

परिचय

अध्याय-I: परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचे और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समग्र स्थिति से संबंधित है। इस अध्याय में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी है।

अध्याय का सारांश :

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की एक संगठित प्रक्रिया है।
- उत्तर प्रदेश राज्य में 2018-21 की अवधि के दौरान औसत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एकत्रित ठोस अपशिष्ट का 35 प्रतिशत था, जो कि राष्ट्रीय औसत 46 प्रतिशत से कम था।

1.1 परिचय

भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला एक नगरीय कार्य है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाये गये अलग-अलग नियमों के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियम-धर्मी अपशिष्ट के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट ठोस या घरेलू अर्ध-ठोस अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गयी या एकत्र की गयी तलछट, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट, उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में परिभाषित[1] किया गया है|

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके से ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की एक संगठित प्रक्रिया है। वर्तमान में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में

---

[1] भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित

एक गंभीर समस्या है, जिससे शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है ।

भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या अनुमान[2] के अनुसार, मार्च 2022 तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में 5.58 करोड़ (24 प्रतिशत) आबादी रहती है। स्थानीय शासी निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

1.2 अपशिष्ट प्रबंधन के लिये विनियामक ढांचा

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) फ़्लैगशिप कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना था। स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नीति स्तर पर, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वर्ष 2016 के दौरान विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों[3] को बनाया गया जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा ***परिशिष्ट 1.1*** में वर्णित है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा प्रदान करता है और विभिन्न हितधारको, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकायों और अपशिष्ट उत्पादको की भूमिकाओं और उत्तरदायित्यों को परिभाषित करता है।

---

[2] भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई 2020), राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

[3] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ई-अपशिष्ट(प्रबंधन) नियम, 2016, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वस्थ, स्वच्छ और रहने योग्य वातावरण के लिए उत्तर प्रदेश के कस्बों और शहरों में स्वच्छता के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए जून 2018 में 'उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति' अधिसूचित किया था।

1.3 उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समग्र स्थिति

राष्ट्रीय स्तर के औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण के आँकलन की स्थिति को **तालिका** 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय स्तर की तुलना में उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट की समग्र स्थिति

वर्ष	विवरण	अपशिष्ट की मात्रा मीट्रिक टन प्रतिदिन में	
		उत्तर प्रदेश	रास्ट्रीय औसत
2018-19	उत्पादन	17377	152077
	संग्रहण	17329	149749
	प्रसंस्करण/उपचार	4615	55759
	संग्रहण के सापेक्ष उपचार का प्रतिशत	27	37
2019-20	उत्पादन	14468	150847
	संग्रहण	13955	146054
	प्रसंस्करण/उपचार	5395	70973
	संग्रहण के सापेक्ष उपचार का प्रतिशत	39	49
2020-21	उत्पादन	14710	160039
	संग्रहण	14292	152750
	प्रसंस्करण/उपचार	5520	79956
	संग्रहण के सापेक्ष उपचार का प्रतिशत	39	52
संग्रहण के सापेक्ष उपचार का औसत प्रतिशत		**35**	**46**

(स्रोत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के क्रियान्वयन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट)

तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि 2018-21 के दौरान राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण 35 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय औसत 46 प्रतिशत से कम था। राज्य सरकार द्वारा 2018-21 के दौरान ठोस अपशिष्ट उत्पादन में घटती प्रवृत्ति की रिपोर्ट दी गयी थी । ठोस अपशिष्ट के उत्पादन और आँकलन से संबंधित विषयों पर इस रिपोर्ट के प्रस्तर 2.6 में चर्चा की गयी है।

1.4 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग और निदेशालय स्तर पर, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों के नीति निर्धारण, वित्त पोषण और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, नगर निगम के लिये नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी इन कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में, स्थानीय निकाय के प्रबंधन और नीतिगत निर्णय के लिए विभिन्न निर्वाचित सदस्यों और महापौर/अध्यक्ष के साथ एक बोर्ड का गठन किया जाता है। **चार्ट 1.1** शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना, क्रियान्वयन और अनुश्रवण में सभी स्तरों पर विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका को दर्शाता है।

चार्ट 1.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका

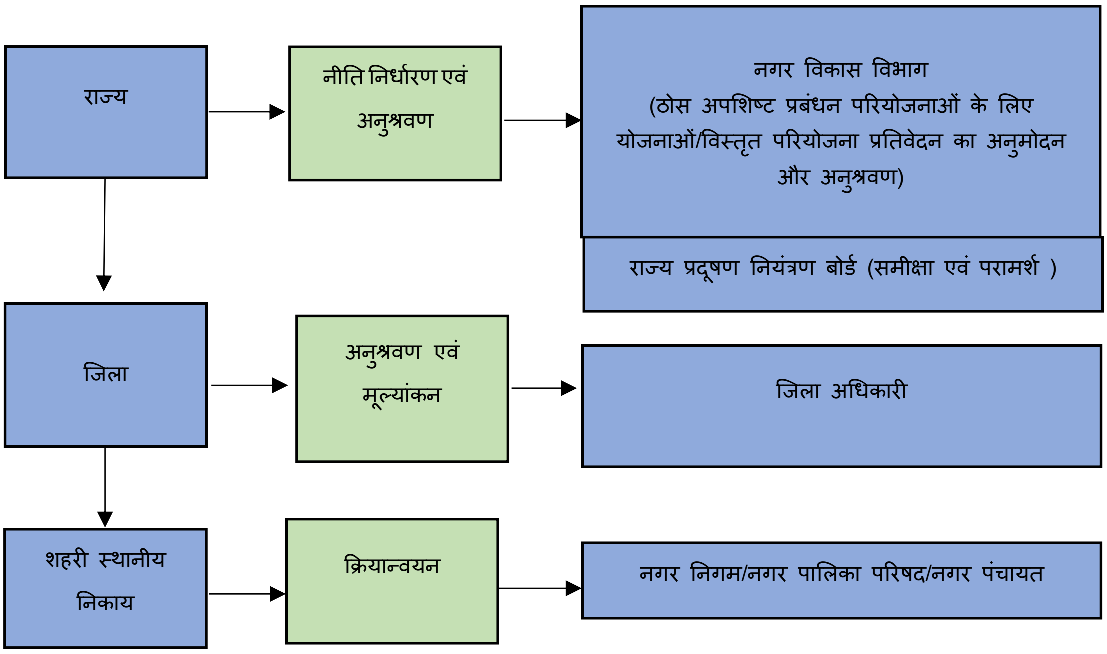

(स्रोतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 एवं उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2018)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचा क्रमशः **चार्ट 1.2** और **चार्ट 1.3** में दिया गया है।

चार्ट 1.2: शहरी स्थानीय निकाय का प्रशासनिक ढांचा

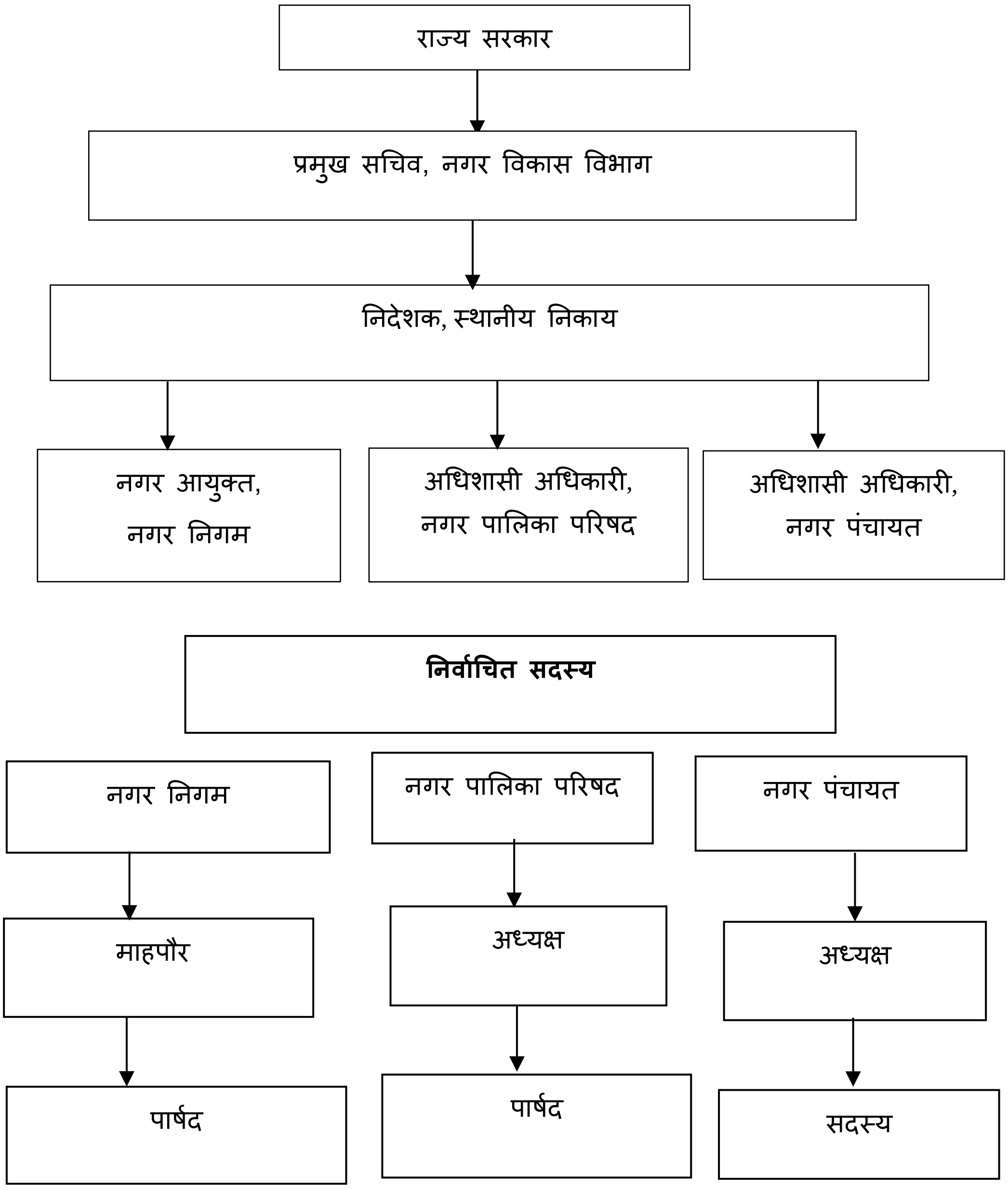

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

चार्ट 1.3: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

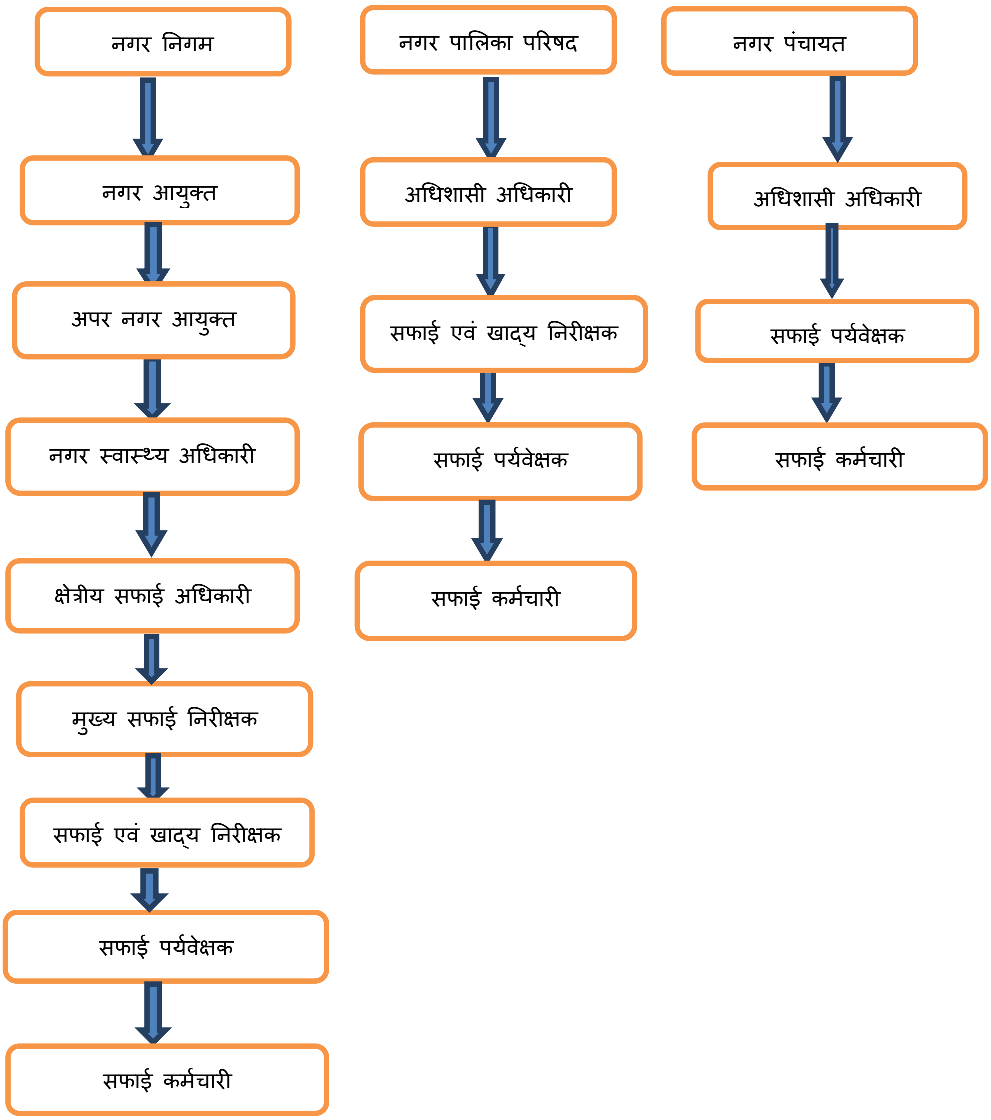

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

1.5 लेखापरीक्षा रूपरेखा

शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

1.5.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति और योजना उत्पन्न अपशिष्ट और प्रचलित वैधानिक ढांचे के अनुरूप था;

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नगरीय कार्य जैसे संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, निस्तारण और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों का सामाजिक समावेशन प्रभावी, दक्ष और मितव्ययी था;
- शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की योजना, निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव प्रभावी, कुशल और वित्तीय रूप से सुदृढ़ था;
- जागरूकता सृजन की पर्याप्तता, प्रभावी व्यवहार परिवर्तन के लिए नागरिकों की सहभागिता, नागरिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, पर्यावरणीय प्रभावों का आँकलन तथा आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र के क्रियान्वयन सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अनुश्रवण और मूल्यांकन पर्याप्त और प्रभावी था।

1.5.2 लेखापरीक्षा मानदंड

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड मुख्य रूप से निम्न से प्राप्त किये गये थे:

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016;
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016;
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), 2014 के लिए दिशानिर्देश (अक्टूबर 2017 में संशोधित)
- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सेवा स्तर मानकों की हस्तपुस्तिका, 2008;
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भारत सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देश, दिशा-निर्देश, नीतियां।

1.5.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

'शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2016 से मार्च 2022 की अवधि तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच की गयी है | इसके अतिरिक्त, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट तथा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण और निस्तारण की सम्पूर्ण स्थिति की भी जांच की गयी थी।

नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और **मानचित्र 1.1** में दर्शाये गये 34 जिलों के 45 चयनित शहरी स्थानीय निकायों[4] के कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों की जांच की गयी है।

मानचित्र 1.1: चयनित शहरी स्थानीय निकायों के जनपद

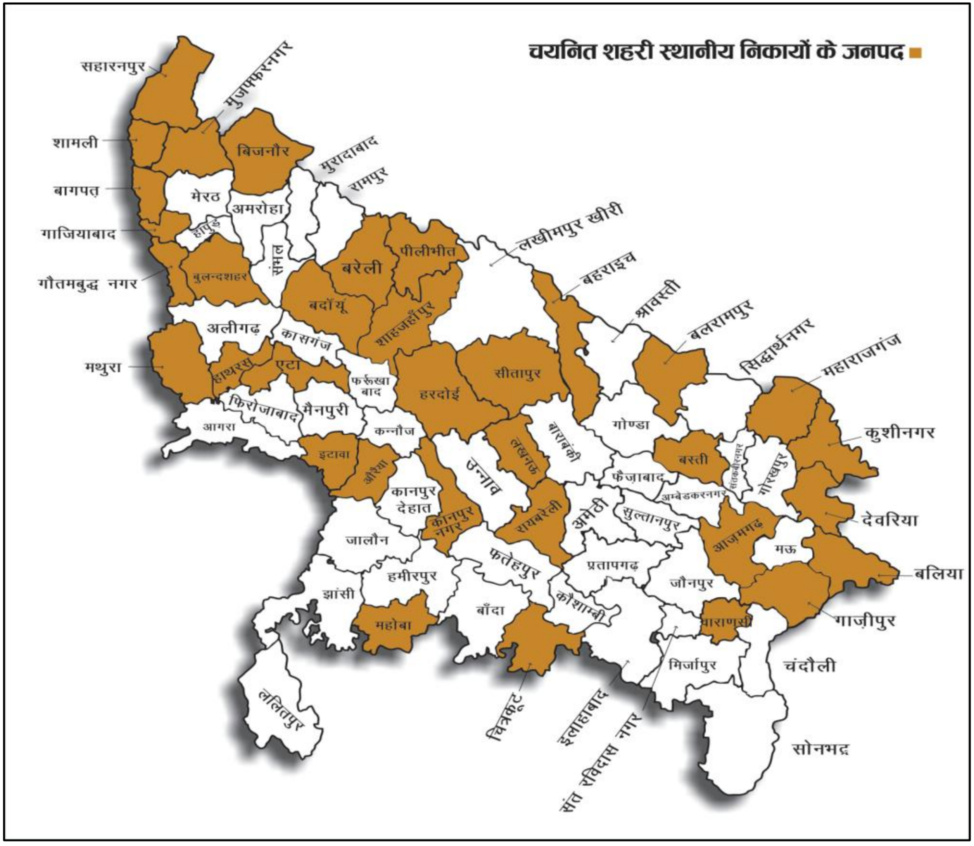

[4] शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर शहरी स्थानीय निकायो के प्रत्येक स्तर से आकार के अनुपात में संभाव्यता के साथ बिना प्रतिस्थापन का उपयोग करके निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए शहरी स्थानीय निकायो का चयन किया गया था।

चयनित शहरी स्थानीय निकायों की सूची ***परिशिष्ट 1.2*** में दी गयी है। चयनित शहरी स्थानीय निकायों में 2016-22 की अवधि के दौरान राज्य में उत्पादित अपशिष्ट का 31 प्रतिशत हिस्सा उत्पादित था। राज्य स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और जनपद स्तर पर, 34 जनपदों जिनमें चयनित शहरी स्थानीय निकाय स्थित थे, के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जिला अधिकारियों और जिला नगरीय विकास अभिकरणों से भी सूचना एकत्र की गयी थी।

1.5.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के साथ प्रारंभिक बैठक 25 नवंबर 2021 को आयोजित की गयी, जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तरो की जांच, नगर निकाय के कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन, सार्वजनिक सर्वेक्षण[5] और फोटोग्राफिक साक्ष्य का संग्रह शामिल था। लेखापरीक्षा नवंबर 2021 से जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान की गयी। समापन बैठक 18 अप्रैल 2023 को आयोजित की गयी जिसमें निदेशक स्थानीय निकाय/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन के साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। राज्य सरकार के उत्तर (जून 2023) को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

एक संशोधित प्रतिवेदन राज्य सरकार को पुनः प्रेषित किया गया (मार्च 2024), तथापि, अनुस्मारक (अप्रैल 2024) के बावजूद राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2024)।

1.6 प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित सात अध्यायों में बनाया गया है:

अध्याय- I: परिचय में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विनियामक ढांचा, उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समग्र स्थिति, लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र और कार्यप्रणाली को सम्मिलित किया गया है।

---

[5] प्रत्येक नगर निगम में पाँच वार्ड, प्रत्येक नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में दो वार्डों को सार्वजनिक सर्वेक्षण में शामिल किये गये थे, जिसमें प्रत्येक वार्ड में पाँच लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

अध्याय II: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना और रणनीति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, मानव संसाधन, सूचना, शिक्षा और संचार से संबंधित है।

अध्याय III: वितीय प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्त पोषण के स्रोतों और उनके उपयोग को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय IV: अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन में स्रोत पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की स्थिति, घर से ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण और भूमि भरण स्थल तक अपशिष्ट के द्वितीयक परिवहन को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय V: ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निस्तारण में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और संचालन तथा भूमि भरण स्थल और पुराने अपशिष्ट की स्थिति को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय VI: विशिष्ट अपशिष्ट का प्रबंधन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट तथा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय VII: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अनुश्रवण मे राज्य स्तर और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुश्रवण हेतु किये गये प्रयासों की स्थिति के अतिरिक्त सेवा स्तर मानक के निर्धारित मानकों के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों की उपलब्धि को सम्मिलित किया गया है।

1.7 आभार

राज्य सरकार, नमूना-जांच किये गये समस्त शहरी स्थानीय निकायों और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा में दिये गये सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

अध्याय- II

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना और रणनीति

अध्याय II: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना और रणनीति

यह अध्याय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना, मानव संसाधनों की उपलब्धता, नागरिकों के बीच व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों हेतु तैनात मानव संसाधनों के प्रशिक्षण से संबंधित है।

अध्याय का सारांश:

- नमूना जांच किये गये 93 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अभाव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उत्पादन से निस्तारण तक सुनियोजित दृष्टिकोण का अभाव था।
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 27 प्रतिशत निकायों ने ही उपविधि बनाया था, बनायी गयी उपविधियों में एकरूपता का भी अभाव था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में उल्लिखित सभी मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयोक्ता प्रभार अधिरोपित करने में असमर्थ थे जिससे उनका राजस्व प्रभावित हुआ।
- स्वीकृत पद, विशेष रूप से पर्यवेक्षी स्तर पर 16 प्रतिशत (सफाई एवं खाद्य निरीक्षक) से 50 प्रतिशत (मुख्य सफाई निरीक्षक) तक रिक्त थे।
- सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों में निधि का कम उपयोग देखा गया क्योंकि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से एक तिहाई निकायों में 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि अप्रयुक्त पडी रही। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटक से निधियों का विचलन भी पाया गया।
- अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मानव संसाधनों का लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

2.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल संस्थाएं

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रशासन और प्रबंधन की रूपरेखा को मोटे तौर पर तीन स्तरों केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय में विभाजित किया गया है। अन्य हितधारक जैसे घर, व्यवसाय, उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय-आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह,

आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों में इन सभी हितधारकों की सहभागिता आवश्यक है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत, भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देश में इन नियमों के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, शहरी विकास मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में सुधार हेतु राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाये गए कदमों की आवधिक समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समन्वय करने और इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की मुख्य भूमिकाओं और उत्तरदायित्यों की सूची **तालिका 2.1** में दी गई है।

तालिका 2.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

प्राधिकरण/ उत्तरदायी संस्था	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं और उत्तरदायित्व
शहरी विकास विभाग	• हितधारकों के परामर्श से राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति तैयार करना। राज्य की नीतियों और रणनीतियों में अनौपचारिक क्षेत्र के अपशिष्ट बीनने वालों के द्वारा निभायी जाने वाली प्राथमिक भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, अपशिष्ट में कमी, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के सर्वोत्तम उपयोग पर जोर देना चाहिए ताकि भूमि भरण में जाने वाले अपशिष्ट को न्यूनतम किया जा सके और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को कम किया जा सके; • स्थानीय निकायों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना; • ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना; • प्रति दिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होने पर प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र अधिसूचित करना; • अपशिष्ट बीनने वालों और अपशिष्ट व्यापारियों के पंजीकरण पर एक योजना शुरू करें; • सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

प्राधिकरण/ उत्तरदायी संस्था	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं और उत्तरदायित्व**
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	• स्थानीय निकायों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी; • पर्यावरणीय मानकों की निगरानी; • घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित हथालन और निस्तारण के लिए स्थानीय निकायों को निर्देश देना;
जिलाधिकारी	• स्थानीय प्राधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन में सहायता प्रदान करना; • त्रैमास में कम से कम एक बार अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निस्तारण के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करना और सुधारात्मक कार्यवाही करना;
स्थानीय प्राधिकारी (शहरी स्थानीय निकाय)	• मुख्य रूप से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान के लिए उत्तरदायी; • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना, द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं की व्यवस्था करना, अपशिष्ट बीनने वालों या अनौपचारिक क्षेत्र के अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं की पहचान करना, उपविधि बनाना, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थापित करना, अपशिष्ट भण्डारण केन्द्रों की स्थापना करना, अपशिष्ट बीनने वालों तथा अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण देना *आदि*;

(स्रोत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 का अनुच्छेद 1.4.1.4)

2.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राज्य नीति और रणनीति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 (ए) में प्राविधानित है कि शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव राज्य के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अपशिष्ट बीनने वालों, स्वयं सहायता समूहों और समान समूहों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से एक राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करेंगे। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य नीति, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना (अप्रैल 2016) की तारीख से एक वर्ष के अंदर तैयार किया जाना चाहिए था, वास्तव में जून 2018 में अर्थात 14 महीने के विलंब से तैयार की गयी थी। तथापि, राज्य नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं

किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों जैसे कि स्रोत पर पृथक्कीकरण, पुनर्चक्रण, निस्तारण, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट से खाद/ऊर्जा का कार्यान्वयन अप्रभावी रहा। इन प्रकरणों पर इस रिपोर्ट में आगामी अध्यायों में चर्चा की गयी है।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रख्यापन के बाद, राज्य में इन्हें तत्काल अपनाया गया और सभी शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न प्रकरणों में तुरंत कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश निर्गत किये गये। राज्य सरकार ने आगे बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति विकसित करने के दृष्टिकोण से हितधारकों के साथ अनेकों बार विचार विमर्श किया गया जो कि विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया थी, जिसके कारण विलम्ब हुआ।

2.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का अभाव

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(ए) में प्राविधानित है कि स्थानीय प्राधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छः महीने के अंदर एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिये। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 में, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए सात चरणों वाला दृष्टिकोण दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों के लिए समग्र लक्ष्यों की पहचान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का आँकलन और गैप विश्लेषण, हितधारकों से परामर्श और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की तैयारी/अनुमोदन शामिल है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तीन शहरी स्थानीय निकायों यथा नगर पालिका परिषद बुलंदशहर[1] (नवंबर 2017), नगर पालिका परिषद देवरिया (दिसंबर 2021) और नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी (मई 2022) द्वारा तैयार की गयी थीं। तथापि, नमूना जांच किये गये शेष 42 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनायें तैयार नहीं की गयी थीं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अभाव में नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, उपचार और निस्तारण के संबंध में सुव्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं अपनाया। पायी गयी कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

---

[1] ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण और परिवहन के लिये।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना तैयार करने के लिये सभी शहरी स्थानीय निकायों को पत्र निर्गत (मई 2019) किये गये थे। सभी शहरी स्थानीय निकायों में गैप विश्लेषण किया गया था जिससे व्यापक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजनाएं तैयार करने में सहयोग मिला। 762 शहरी स्थानीय निकायों में से 536 शहरी स्थानीय निकायों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं और शेष में जून 2023 तक पूर्ण किया जाना प्राविधानित है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 536 शहरी स्थानीय निकायों की कार्य योजनायें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 योजना के अंतर्गत संसाधनों का गैप विश्लेषण है, जबकि अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनायें 20-25 वर्षों के लिये तैयार की जानी अपेक्षित हैं जिनमें कई अल्प अवधि योजनायें (पांच वर्षीय) शामिल होनी चाहिये।

2.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्थिति

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2017) के प्रस्तर 7.2 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को अपने शहरों हेतु राज्य सरकार के परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2018 में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की पांचवीं बैठक के दौरान, 17[2] शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित की गयी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निकट भविष्य में शेष शहरी स्थानीय निकायों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जायेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से, तीन[3] शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत

[2] नगर निगम इलाहाबाद, नगर पालिका परिषद खुर्जा बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद सिकन्दराबाद बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद साइना बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद गुलावटी, बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद मुरादनगर गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद मोदीनगर गाजियाबाद, नगर पंचायत निवाड़ी गाजियाबाद, नगर पंचायत पाटला गाजियाबाद, नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद, नगर पंचायत डासना गाजियाबाद, नगर पंचायत बुगरासी गाजियाबाद, नगर पंचायत किठौर मेरठ, नगर पंचायत खरखौदा मेरठ, नगर पंचायत बाबूगढ़ हापुड़।

[3] नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद शामली और नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर|

परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गयी थी। अन्य नौ[4] शहरी स्थानीय निकायों में, ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गयी थी और एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका परिषद बुलंदशहर) ने ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, द्वितीयक भंडारण और प्रसंस्करण संयंत्र तक परिवहन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था। इस प्रकार, नमूना जांच किये गये 32 शहरी स्थानीय निकायों (71 प्रतिशत) ने अपने शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं की थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नमूना जांच किये गये तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत बल्देव मथुरा, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर और नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर) में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर था।

2.5 उपविधि बनाया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (ई) में उपबंध किया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों को अधिसूचना की तारीख (अप्रैल 2016) से एक वर्ष के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपविधि तैयार करना चाहिये और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल पाँच[5] शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपविधि बनायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, सात[6] अन्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु उपयोक्ता प्रभार एवं कूड़ा फैलाने पर जुर्माने के लिए उपविधि बनायी गयी थी। इस प्रकार, इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनायी गयी उपविधियों में एकरूपता का अभाव था

[4] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ (अपशिष्ट के संग्रहण/परिवहन के लिए भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गयी), नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर, नगर पालिका परिषद देवरिया, नगर पालिका परिषद एटा, नगर पालिका परिषद हाथरस, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पालिका परिषद पीलीभीत।

[5] नगर निगम गाज़ियाबाद, नगर पालिका परिषद मुज़फ्फरनगर, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर एवं नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर

[6] नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद हाथरस, नगर पालिका परिषद देवरिया, नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट, नगर पालिका परिषद बहेडी बरेली और नगर पालिका परिषद रायबरेली।

जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1*** में वर्णित है। शेष 33 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपविधि नहीं बनायी गयी। इन शहरी स्थानीय निकायों में उपविधियों के अभाव में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्दिष्ट प्रावधानों, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाना और ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार का अधिरोपण लागू नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए राजस्व जुटाने में असमर्थ रहे क्योंकि उपविधियों के अभाव में इन शहरी स्थानीय निकायों में उपयोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021 अधिसूचित कर दिया गया है और इसके प्रावधानों को 35 शहरी स्थानीय निकायो में उपविधि के रूप में लागू किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्धृत अधिसूचना (अक्टूबर 2021) शहरी स्थानीय निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपविधि नहीं थी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2021 के प्रारूप पर आपत्तियां/सुझाव मांगने के लिए थी। इसके अतिरिक्त, 35 शहरी स्थानीय निकायों में से 31 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (राज्य सरकार के उत्तर के साथ प्राप्त) में उल्लेख किया गया था कि 15 शहरी स्थानीय निकायो द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपविधि अभी अधिसूचित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान उपविधियों के अधिसूचना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला और न ही उत्तर के साथ साक्ष्य प्रेषित किया गया।

2.6 अपशिष्ट का उत्पादन और आंकलन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 1.4.3.3 में प्राविधानित है कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को अपशिष्ट की मात्रा और संरचना का आँकलन एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में करना चाहिए ताकि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनायी और डिजाइन की जा सके। राज्य में नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायो में 2016 से 2022 तक उत्पादित ठोस अपशिष्ट का विवरण **चार्ट 2.1** और ***परिशिष्ट 2.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायो में उत्पादित ठोस अपशिष्ट

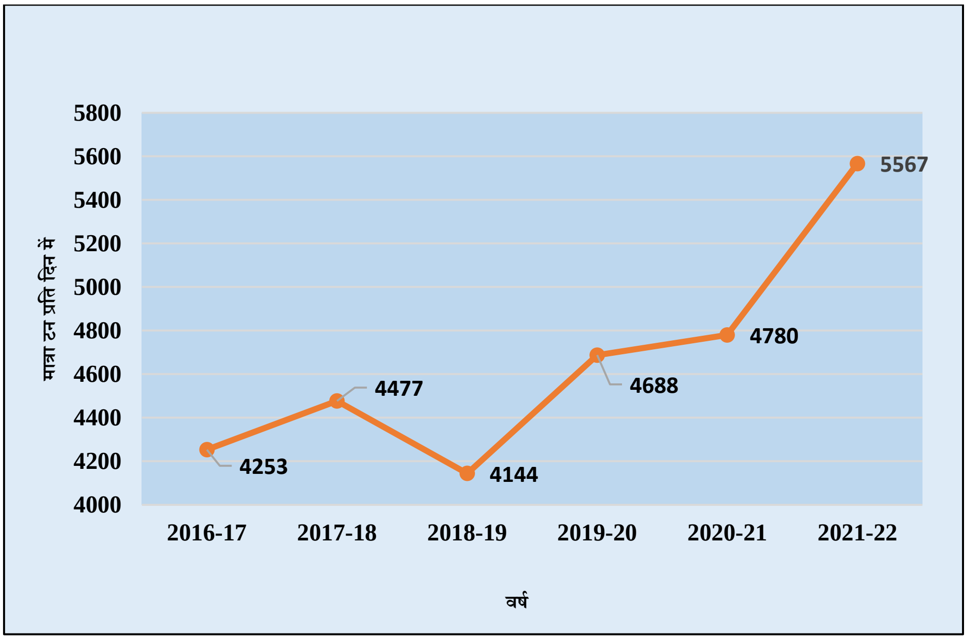

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

चार्ट 2.1 इंगित करता है कि 2016-17 की तुलना में 2021-22 में ठोस अपशिष्ट उत्पादन में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अग्रेतर, 2018-19 के दौरान ठोस अपशिष्ट उत्पादन में 333 टन प्रति दिन की कमी आयी थी, जिसका मुख्य कारण नगर निगम कानपुर द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 586 टन प्रति दिन कम संसूचित किये गये ठोस अपशिष्ट का उत्पादन था। तथापि, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं को माप-तौल अथवा दैनिक आधार पर वाहनों द्वारा लगाये गये फेरों की संख्या के आधार पर आयतनी माप संबंधी अभिलेखों के रखरखाव के अभाव में लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट उत्पादन के समान आँकड़ें विभिन्न वर्षों में दिये थे, जिससे प्रदान किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता विचारणीय थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की योजना के लिए समय की कमी के कारण, सीपीएचईईओ[7] (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) मैनुअल में उल्लिखित प्रमाणित अध्ययनों के आधार पर अपशिष्ट उत्पादन का आँकलन किया गया था। तथापि, एकत्र और प्रसंस्कृत किये जा रहे अपशिष्ट को सही ढंग से मापने के लिए सभी प्रसंस्करण सुविधाओं पर धर्मकांटा स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट को कम करने और पुन: उपयोग में

[7] केन्द्रीय सार्वजानिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनिरिंग संगठन, भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रयालय का एक तकनीकी विभाग है|

लाने संबंधी अभियानों के कारण प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन में भी थोड़ी कमी आयी है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायो ने नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 के प्रावधानों, जिसमें अपशिष्ट उत्पादन दरों के पूर्वानुमान के लिए प्रति वर्ष अपशिष्ट मात्रा में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गयी थी, को नहीं अपनाया था। जिसके कारण कई वर्षों में ठोस अपशिष्ट उत्पादन के समान आंकड़े रिपोर्ट किये गये थे।

2.7 विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (एम) में प्रावधान है कि शहरी स्थानीय निकाय दैनिक आधार पर सब्जी, फल, फूल, मांस, कुक्कुट और मछली बाज़ार से अपशिष्ट एकत्र करेंगे और स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में या बाजारों के आस-पास उपयुक्त स्थानों पर विकेंद्रीकृत खाद संयंत्रों या जैविक मिथेनीकरण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम गाजियाबाद[8] के अतिरिक्त) ने बाजारों से उत्पन्न अपशिष्ट के उचित निस्तारण के लिए विकेन्द्रीकृत खाद संयंत्र या जैविक मिथेनीकरण केंद्र स्थापित नहीं किया। परिणामस्वरूप, सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी और मछली बाजारों से एकत्र किये गये अपशिष्ट को सीधे भूमि भरण में क्षेपित किया गया था, जैसा कि अपशिष्ट क्षेपण स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी पाया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सूखे अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों[9] और गीले अपशिष्ट के निस्तारण के लिए खाद गड्ढों की स्थापना का प्रावधान सभी शहरी स्थानीय निकायों में किया गया था। इसके अतिरिक्त, बड़े शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्करण संयंत्र, जैव-सीएनजी संयंत्र और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के

---

[8] संजय नगर में पाँच टन प्रति दिन पिट कम्पोस्टिंग, साई उपवन संजय नगर में एक टन प्रति दिन फ्लावर कम्पोस्टिंग, नंदी पार्क में एक टन प्रति दिन कृमि कम्पोस्टिंग और जठवारा में एक टन प्रति दिन अपशिष्ट से कम्पोस्ट।

[9] सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा एक ऐसी सुविधा है जहां गैर-कंपोस्टेबल ठोस अपशिष्ट को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है ताकि अपशिष्ट को उसके प्रसंस्करण या निस्तारण हेतु ले जाने से पहले अपशिष्ट के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के पृथक्कीकरण, छंटाई और पुनर्प्राप्ति की सुविधा मिल सके।

प्रयास चल रहे थे, ताकि उत्पादित अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से प्रसंस्कृत किया जा सके।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त) द्वारा सूचित किया गया था कि विकेन्द्रीकृत खाद-संयंत्र या जैविक मिथेनीकरण केन्द्र स्थापित नहीं किये गये।

2.8 अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण न किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 11(एम) में प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा अपशिष्ट बीनने वालों और अपशिष्ट व्यापारियों के पंजीकरण के लिए एक योजना प्रारंभ की जायेगी।

लेखापरीक्षा में यह पाया कि यद्यपि राज्य की नीति का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को जून 2018 तक औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपशिष्ट बीनने वालों के लिए न तो परिचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश निर्गत किये और न ही उनके पंजीकरण के लिए योजना प्रारंभ की गयी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम गाजियाबाद[10] के अतिरिक्त) अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों से जोड़ने में विफल रहे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों को अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों की पहचान करने और उनके पंजीकरण के पश्चात पहचान पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। राज्य सरकार ने नमूना जांच किये गये 31 शहरी स्थानीय निकायों का उत्तर भी अग्रेषित किया था, जिनमें से

[10] नगर निगम गाजियाबाद ने शहर के पाँच जोन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (अपशिष्ट बीनने वालों) की पहचान की और उन्हें अपशिष्ट बीनने वालों (सफाई मित्र के रूप में नामित) को द्वार-द्वार संग्रहण करने वाले वाहनों से जोड़ा।

13 शहरी स्थानीय निकायों[11] ने उल्लेख किया कि अपशिष्ट बीनने वालों की पहचान और पंजीकरण उनके द्वारा किया गया था और पाँच शहरी स्थानीय निकायों ने उल्लेख किया कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर थी। तथापि, इन शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट बीनने वालों की पहचान/पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया।

2.9 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए जनशक्ति

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 1.4.5.4 के अनुसार, एक कुशल और उन्नत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की योजना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों के अतिरिक्त एक कुशल संस्थागत ढांचे की मौजूदगी आवश्यक है। इसमें आगे यह सिफारिश की गयी है कि शहरी स्थानीय निकायों में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ अथवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग होना चाहिए जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशिष्ट तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता वाले कर्मचारी होने चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को संभालने के लिए निर्दिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ नहीं था। मौजूदा कर्मचारियों द्वारा ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता गतिविधियों का प्रबंधन किया जा रहा था। अग्रेतर, 44[12] नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में से 43 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता कार्यकलापों में लगे कार्मिकों के सम्बन्ध में जनशक्ति की कमी पायी गयी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है और **तालिका 2.2** में संक्षेप में दिया गया है।

---

[11] नगर निगम गाजियाबाद, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर, नगर पालिका परिषद देवरिया, नगर पालिका परिषद महोबा, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पालिका परिषद शामली, नगर पालिका परिषद बिठूर कानपुर नगर, नगर पंचायत जरवल बहराइच, नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर और नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा।

[12] नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से, नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-सह-स्वच्छता गतिविधियों के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं था और इस उद्देश्य के लिए 75 सफाई कर्मचारियों को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित किया गया था। अग्रेतर नगर पंचायत उसावाँ बदांयू में स्वीकृत पद के सापेक्ष कोई कमी नहीं थी|

तालिका 2.2: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-सह-स्वच्छता गतिविधियों में लगे कार्मिकों की कमी का विवरण

पदनाम	विवरण	नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
क्षेत्रीय सफाई अधिकारी	स्वीकृत संख्या	9	0	0
	कार्यरत संख्या	5	0	0
	रिक्ति प्रतिशत में	44	0	0
मुख्य सफाई निरीक्षक	स्वीकृत संख्या	20	1	0
	कार्यरत संख्या	10	1	0
	रिक्ति प्रतिशत में	50	0	0
सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	स्वीकृत संख्या	81	24	0
	कार्यरत संख्या	68	18	0
	रिक्ति प्रतिशत में	16	25	0
सफाई पर्यवेक्षक (सफाई नायक)	स्वीकृत संख्या	305	132	16
	कार्यरत संख्या	177	92	10
	रिक्ति प्रतिशत में	42	30	38
सफाई कर्मी	स्वीकृत संख्या	14729	5473	916
	कार्यरत संख्या	9957	3328	564
	रिक्ति प्रतिशत में	32	39	38

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से, 42 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की कमी थी जिन्हें वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित किया गया था, किन्तु सात[13] शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की कमी वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित करने के बाद भी बनी रही। तथापि, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पर्यवेक्षी स्टाफ की कमी को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित नहीं किया गया था।

[13] नगर निगम कानपुर (4,730 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 2,101 वाह्य सेवा से), नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई (119 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 96 वाह्य सेवा से), नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर (54 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 46 वाह्य सेवा से), नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी (90 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 80 वाह्य सेवा से), नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर (12 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 10 वाह्य सेवा से), नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया (24 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 22 वाह्य सेवा से) और नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर (34 सफाई कर्मियों की कमी के सापेक्ष 22 वाह्य सेवा से)।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नमूना जाँच किये गये नौ शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी संस्थागत प्रणाली और कार्यान्वयन के लिए स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था।

2.9.1 नगर पालिका परिषद हाथरस में अधिक सफाई कर्मचारियों को नियोजित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय

2011 की जनगणना के अनुसार, नगर पालिका परिषद हाथरस की आबादी 1.43 लाख थी। वृद्धिशील वृद्धि पद्धति के अनुसार, 2021 के लिए नगर पालिका परिषद हाथरस की अनुमानित जनसंख्या 1.58 लाख थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 8*** में वर्णित है। मानकों[14] के आधार पर स्वच्छता कार्य हेतु, 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः अधिकतम 440[15] और 444[16] सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता वर्तमान जनसँख्या को सेवा प्रदान करने के लिए थी। तथापि, नगर पालिका परिषद हाथरस ने 2020-22[17] की अवधि के दौरान 49 से 280 के बीच अधिक संख्या में वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को तैनात किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में वर्णित है, जिसे टाला जा सकता था यदि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु मानदंडों का पालन किया जाता।

राज्य सरकार ने उत्तर मे बताया (जून 2023) कि 30 अतिरिक्त गांवों के जुड़ने के कारण नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 2021-22 में बढ़कर 2,57,487 हो गयी जिससे वर्तमान जनसँख्या को सेवाएं प्रदान करने के लिए 724 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता थी।

---

14 राज्य सरकार स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुशंसित (जुलाई 1992) मानक के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रति 10,000 जनसंख्या पर 28 सफाई कर्मचारियों को लगाया जाना था।

15 2020-21 में आवश्यक सफाई कर्मचारियों की संख्या:(1,57024 x 28)/10000 = 440.

16 2021-22 में आवश्यक सफाई कर्मचारियों की संख्या:(1,58,461 x 28)/10000 = 444.

17 लेखापरीक्षा में 2018-20 के दौरान वाह्य सेवा से नियोजित किये गये सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में देयकों में अपर्याप्त सूचना जैसे दिवसों/मानव दिवसों की संख्या और प्रति मानव दिवस भुगतान की दर के कारण परिहार्य व्यय का आँकलन नहीं किया जा सका।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नगर पालिका परिषद हाथरस के वार्डों के पुनर्गठन की अधिसूचना[18] नवंबर 2022 में प्रभावी हुयी, जबकि अधिक संख्या में नियोजित किये गये सफाई कर्मचारी 2020-22 की अवधि से संबंधित थे।

2.10 सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियां

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल की धारा 1.4.5.13 में प्राविधानित है कि अपशिष्ट के प्रबंधन में नागरिकों के बीच व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के घटकों में से एक है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं में विज्ञापन पट, पर्चा, दीवार लेखन, विषयगत अभियान, विद्यालयों में कार्यक्रम, रोड शो, नुक्कड़ नाटक *इत्यादि* माध्यमों से सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने का प्रावधान किया गया था। नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किये गये सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के विभिन्न तरीकों की स्थिति **चार्ट 2.2** में दर्शायी गयी है।

[18] शहरी विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 3408/9-1-2022-56 परि./22 दिनांक 04 नवंबर 2022.

चार्ट 2.2: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियां

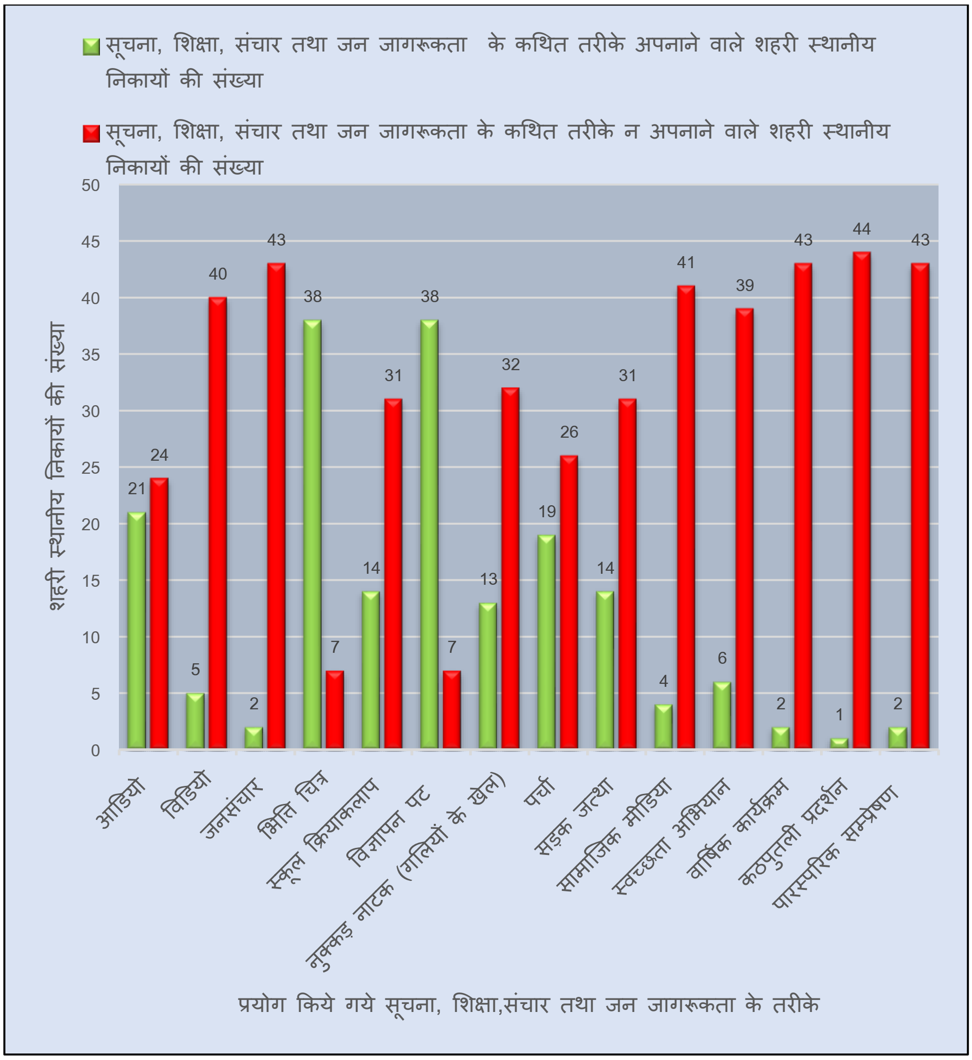

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी सूचना)

चार्ट 2.2 से यह स्पष्ट है कि नमूना जांच किये गये अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों में, सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियाँ भित्ति चित्र और विज्ञापन पट के माध्यम से आयोजित की गयी थीं। इसके अतिरिक्त, सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए सामाजिक मीडिया और जन संचार माध्यमों को नमूना जांच किये गये क्रमशः चार और दो शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियां 2017 से विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो जिंगल, पोस्टर, समाचार पत्रों में विज्ञापन, विज्ञापन पट, भित्ति चित्र आदि से की जा रही थीं| सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान में सभी हितधारकों अर्थात निकायों के

अधिशासी अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, विद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया की भागीदारी सुनिश्चित की गयी। व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना विभिन्न माध्यमों से लगातार दी गई है/दी जा रही है।

तथ्य यह है कि राज्य सरकार अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गये सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों से अभी तक वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुये हैं। नमूना जांच किये गये 34 शहरी स्थानीय निकायों[19] में से 49 प्रतिशत द्वारा अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्करण हेतु घरों को प्रोत्साहित करने के लिए कूड़ेदान वितरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था, नमूना जांच किये गये 98 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण नहीं किया जा रहा था और मिश्रित अपशिष्ट भूमि भरण स्थलों पर क्षेपित किये जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था जिसकी चर्चा आगामी अध्यायों में की गयी है।

- ***सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए निधि का कम उपयोग***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) स्तर पर वर्ष 2016-22 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए ₹ 256.88 करोड़ उपलब्ध थे। इसमें से, ₹ 21.19 करोड़ राज्य मिशन निदेशक स्तर पर उपयोग किया गया और ₹ 212.54 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया गया। शेष ₹ 23.15 करोड़ की धनराशि का मार्च 2022 तक न तो राज्य स्तर पर उपयोग किया गया और न ही शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया गया (***परिशिष्ट 2.5***)।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण मार्च 2022 तक ₹ 23.15 करोड़ अप्रयुक्त रहा। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि शहरी स्थानीय निकायों को उनकी मांगों के आधार पर और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निधियां जारी की गयी थीं।

तथ्य यह है कि कोविड-19 महामारी प्रभावित वर्षों (2019-20 और 2020-21) से पहले या बाद में भी सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए धनराशि का उपयोग न तो राज्य स्तर पर किया गया

[19] 45 शहरी स्थानीय निकायों में से, 11 शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट पृथक्करण के लिये घरों को कूड़ेदान वितरण के बारे में जानकारी नहीं दिया।

और न ही शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि अवमुक्त की गयी, क्योंकि उपलब्ध निधि का 78 प्रतिशत 2016-17 में, 96 प्रतिशत 2017-18 में, 29 प्रतिशत 2018-19 में और 37 प्रतिशत 2021-22 में अप्रयुक्त रहा।

शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर उपभोग प्रमाण पत्रों का लंबित होना

अक्टूबर 2014 (स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के प्रारंभ से) से मार्च 2022 तक, राज्य मिशन निदेशक ने सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 218.19 करोड़ रुपये अवमुक्त किया। जबकि, शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 121.82 करोड़ (55.83 प्रतिशत) का ही उपभोग प्रमाण पत्र राज्य मिशन निदेशक को प्रेषित किया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में 2016-22 के दौरान ₹ 39.93 करोड़ की उपलब्ध निधि में से, मार्च 2022 (***परिशिष्ट 2.6***) तक 44 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 7.87 करोड़ (20 *प्रतिशत*) का उपयोग नहीं किया जा सका। नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 15 में सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के अंतर्गत 2016-22 के दौरान उपलब्ध कुल निधि में से अप्रयुक्त धनराशि 53 से 80 प्रतिशत तक थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि अक्टूबर 2014 से मार्च 2022 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए अवमुक्त निधि में से अधिकांश उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये थे। तथापि, राज्य सरकार ने यह सूचना नहीं दी कि कितनी धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं। उपभोग प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि संवितरित निधियां वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय की गयीं थीं जिसके लिए इन्हें विधायिका द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था।

- ***सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता निधि का विचलन***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा व्यय किये गए ₹ 1.58 करोड़ में से, ₹ 15.98 लाख रुपये का उपयोग सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों जैसे शौचालयों के रखरखाव, उपकरण और अन्य उपभोगीय सामग्रियों की खरीद के लिए किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया (जून 2023) कि साफ़-सफाई और स्वच्छता पर व्यय किया गया था। इस प्रकार, नगर निगम गाजियाबाद ने सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता निधि के ₹ 15.98 लाख का विचलन करते हुए सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के अलावा अन्य कार्यो पर किया था जो स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था।

- ***नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया में ₹ 10.90 लाख का संदिग्ध भुगतान***

अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य मिशन निदेशक ने नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया को सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए ₹ 14.41 लाख (अप्रैल 2018 से नवंबर 2021) अवमुक्त किया। नगर पंचायत ने अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान सभी वार्डों में विज्ञापन पट एवं पोस्टर, भिति चित्र और दीवार लेखन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, नुक्कड़ नाटक और लंच पैकेट के वितरण के लिए 11 अवसरों पर कोटेशन आमंत्रित किये थे। कोटेशन आमंत्रित की जाने वाली सूचनाओं के सापेक्ष, प्रत्येक कोटेशन प्रक्रिया में तीन[20] समान फर्मों ने भाग लिया और सभी अवसरों पर एक ही फर्म (मैसर्स ओम कंप्यूटर्स एंड सप्लायर्स, बलिया) को कार्य सौंपा गया था। अग्रेतर, फर्म मेसर्स ओम कंप्यूटर्स एंड सप्लायर्स, बलिया को अगस्त 2021 के दौरान सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए उक्त कार्यादेशों के सापेक्ष ₹ 10.90 लाख का भुगतान किया गया। फर्म के 11 बीजको में से, चार बीजकों का ₹ 3.97 लाख का भुगतान बिना सत्यापन के और शेष सात बीजकों का ₹ 6.93 लाख का भुगतान अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया के सत्यापन के उपरांत किया गया। तथापि, कार्यादेश, फर्म द्वारा प्रस्तुत बीजक एवं नगर पंचायत के अभिलेखों में विद्यालयों का विवरण जिसमे नुक्कड़ नाटक का आयोजन, लंच पैकेट का वितरण किया गया तथा वह स्थान जहाँ विज्ञापन पट/पोस्टर, भिति चित्र, दीवार लेखन कराया गया; उपलब्ध नहीं था और न ही कराये गये कार्य के फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत चितबाड़ागांव बलिया के अनुसार, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा कार्य की

[20] मेसर्स मां शारदा इंटरप्राइजेज (जीएसटीएन नंबर 09बीवाईएमपी83966ए120-लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह जीएसटीआईएन अमान्य था) और मेसर्स संजय कुमार सिंह बलिया (जीएसटीएन नंबर 09बीक्यूएपीएस7565आरआईजेडक्यू) एवं मेसर्स ओम कंप्यूटर्स एंड सप्लायर्स बलिया (जीएसटीएन नंबर 09एवीडीपीडी5774जी1जेडएच)।

स्वीकृति प्रदान की गयी थी और फर्म मैसर्स ओम कंप्यूटर्स एंड सप्लायर्स बलिया को ₹ 10.90 लाख का भुगतान किया गया था, तथापि, कार्य निष्पादन के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

अप्रयुक्त धनराशि ₹ 51.41 लाख राज्य मिशन निदेशक को वापस न किया जाना

राज्य मिशन निदेशक ने कुंभ मेला 2019 के दौरान 'पेंट माई सिटी अभियान' के अंतर्गत सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण को ₹ 3.75 करोड़ अवमुक्त (नवंबर 2018) किया। इसमें से, ₹ 3.24 करोड़ का उपयोग किया गया। जबकि, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने शेष अप्रयुक्त धनराशि ₹ 51.41 लाख राज्य मिशन निदेशक को वापस नहीं किया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण से ₹ 51.00 लाख राज्य मिशन निदेशक को वापस करने का अनुरोध किया गया था।

2.11 क्षमता निर्माण की स्थिति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 11 (के) और 15 (जेड सी) शहरी विकास विभाग और शहरी स्थानीय निकायों को संविदा श्रमिकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का उपबंध करता है।

लेखापरीक्षा में क्षमता निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में राज्य मिशन निदेशक और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किये गये प्रयासों से सम्बंधित निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये:

- शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए 112 प्रशिक्षण कार्यक्रमों[21] को क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र[22] द्वारा आयोजित करने के प्रस्ताव पर राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की द्वितीय बैठक (अगस्त 2016) में अनुमोदन प्रदान किया गया।

[21] स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: 56 प्रशिक्षण कार्यक्रम; स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास और परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी: 35 प्रशिक्षण कार्यक्रम: स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम।

[22] क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)।

तथापि, क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र ने मात्र 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम[23] आयोजित किये। क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अग्रिम भुगतान में देरी/देयकों का भुगतान न किये जाने को कारण बताया गया (जून 2023)।

- भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन सहित सभी शहरी मिशनों को शामिल करते हुए एक नए एकीकृत क्षमता निर्माण ढांचे के कार्यान्वयन का निर्देश (अक्टूबर 2017) दिया। क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और एक्सपोजर यात्राओं के संचालन के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार और क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित (अगस्त 2018) किया गया। प्रत्येक प्रतिभागी को तीन- तीन दिनों के कुल तीन कैप्सूल के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 के दौरान कैप्सूल-I के मात्र 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जिसमें 300 नामित प्रतिभागियों में से 180 प्रतिभागी थे। क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र ने इन कार्यक्रमों के लिए ₹ 23.36 लाख का व्यय किया, जिसका भुगतान मार्च 2022 तक नहीं किया गया था। क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र ने बताया (जून 2023) कि इन 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान न होने के कारण शेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाया।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निधि जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना को भारत सरकार से निधि प्राप्त न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत निधियां राज्य मिशन निदेशक स्तर पर उपलब्ध थीं।

---

[23] ओडीएफ पर हैंड होल्डिंग कार्यशाला: 11 कार्यक्रम; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन उपकरणों पर हैंड होल्डिंग कार्यशाला: नौ कार्यक्रम; स्वच्छ सर्वेक्षण/ओडीएफ पर हैण्ड होल्डिंग कार्यशाला: 27 कार्यक्रम; अध्ययन यात्रा: छः कार्यक्रम।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-22 की अवधि के दौरान क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के अंतर्गत नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 39 निकायों को ₹ 3.46 करोड़ अवमुक्त किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.7*** में वर्णित है। अवमुक्त निधि में से 32 शहरी स्थानीय निकायों ने ₹ 2.93 करोड़ व्यय किया। तथापि, केवल दो नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों[24] ने अपने स्टाफ को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण दिया है। नौ अन्य शहरी स्थानीय निकायों[25] ने बताया कि उन्होंने प्रशिक्षण प्रदान किया है परंतु इस संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया। छः शहरी स्थानीय निकायों जिन्हें क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के लिए धनराशि प्रदान नहीं की गयी थी, में से एक शहरी स्थानीय निकाय[26] ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल द्वारा तैयार मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर प्रशिक्षण प्रयासों का अभाव रहा।

संक्षेप में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति 2018 में, 14 महीने के विलंब से तैयार की गयी थी। हालांकि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनायें, जिन्हें राज्य की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति की अधिसूचना के छः महीने के भीतर तैयार किया जाना था, नमूना जाँच किये गये 93 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में तैयार नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये 73 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपविधि नहीं बनाया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की तौल से सम्बंधित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जनशक्ति की कमी थी। सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के लिए निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आयोजित नहीं किए गये थे।

[24] नगर निगम गाजियाबाद और नगर पालिका परिषद देवरिया।

[25] नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद पीलीभीत, नगर पालिका परिषद शामली, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा, नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़, नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया और, नगर पंचायत रेवती बलिया।

[26] नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती।

अनुशंसा 1: *राज्य सरकार को अपशिष्ट न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए राज्य नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाना चाहिये।*

अनुशंसा 2: *राज्य सरकार को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण पर बेहतर सूचना प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है।*

अनुशंसा 3: *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपविधि समयबद्ध तरीके से बनायी एवं लागू की जाये।*

अनुशंसा 4: *राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नागरिकों के व्यवहार में प्रभावी रूप से संवेदनशील परिवर्तन के लिए सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये ।*

अध्याय- III

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन

इस अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों एवं उनके उपयोग को शामिल किया गया है। अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण हेतु उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए शहरी स्थानीय निकायों के प्रयास पर भी चर्चा की गयी है।

अध्याय का सारांश:

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय एवं सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों के अंतर्गत 2016-22 की अवधि में अवमुक्त धनराशि क्रमशः शून्य से 63 प्रतिशत, शून्य से 20 प्रतिशत और तीन से 62 प्रतिशत के मध्य थी जबकि राज्य मिशन निदेशक स्तर पर अत्यधिक धनराशि शेष बची थी।

- राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में राज्य मिशन निदेशक को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय घटकों के अंतर्गत 2017-21 की अवधि के दौरान निधियां क्रमशः 55 से 236 दिन और 11 से 1,098 दिन विलम्ब से अवमुक्त की गयी।

- राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत अक्टूबर 2014 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 1,378.83 करोड़ अवमुक्त किये गये, जिसमे से मार्च 2022 तक केवल ₹ 307.17 करोड़ (22 प्रतिशत) के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे ।

- निधि की उपलब्धता के बावजूद, राज्य सरकार, गंगा नदी के तट पर स्थित कस्बों के लिए राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना को लागू नहीं कर सकी।

- नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कम से कम ₹ 71.50 करोड़ के उपयोक्ता प्रभार की वसूली नहीं की गयी ।

3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निधि का स्रोत और उपयोग

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को स्वयं के संसाधनों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त सहायता अनुदान से आच्छादित किया गया था, जबकि राज्य वित्त आयोग अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय के लिए किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और अन्य स्रोतों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वित्त पोषण और उनके उपयोग पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

3.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिये निधि

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) फ्लैगशिप योजना अक्टूबर 2014 में प्रारंभ की जिसके छः घटकों में से एक घटक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन था। अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को स्वच्छ भारत मिशन योजना के दो अन्य घटकों यथा सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता और क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक व कार्यालय व्यय को स्वच्छता[1] के संबंध में क्रमशः जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आच्छादित किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 10.1(ई) के अनुसार, राज्य 75 *प्रतिशत* केन्द्रांश से मेल खाने के लिए योजना के सभी घटकों के लिए न्यूनतम 25 *प्रतिशत* निधि का अंशदान देगा। दिशानिर्देशों के प्रस्तर 10.4.6 में आगे यह भी प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकारों को केन्द्रांश की अवमुक्ति के 30 दिनों के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को राज्यांश सहित निधि अवमुक्त करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत

---

[1] राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार, स्वच्छता को मानव मल के सुरक्षित प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इसके सुरक्षित पृथक उपचार, निस्तारण और स्वच्छता संबंधी प्रथाएं शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि समेकित समाधान हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता के अन्य घटकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, अर्थात., ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; औद्योगिक और अन्य विशेष/खतरनाक अपशिष्ट का जनन; जल निकासी; साथ ही पेयजल आपूर्ति का प्रबंधन।

2016-22 की अवधि में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के लिए निधि की प्राप्ति और उसके उपयोग की स्थिति **तालिका 3.1** में दी गयी है।

तालिका 3.1: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सूचना,शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों में प्राप्त धनराशि और उसके उपयोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

घटक	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	कुल उपलब्ध निधि	74.49	217.27	933.23	828.06	962.81	1650.67
	शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि	0.08	64.04	160.19	522.76	0.06	471.01
	राज्य मिशन निदेशक स्तर पर व्यय	0.00	0.00	169.68	27.95	0.00	2.66
	अंतिम अवशेष	74.41	153.23	603.36	277.35	962.75	1177.00
	कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत	0.10	29	17	63	0.006	29
क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	कुल उपलब्ध निधि	1.87	47.80	40.28	30.05	24.70	26.98
	शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि	0.38	5.25	0.00	3.75	0.42	0.00
	राज्य मिशन निदेशक स्तर पर व्यय	0.25	2.27	10.23	17.12	11.78	11.95
	अंतिम अवशेष	1.24	40.28	30.05	9.18	12.50	15.03
	कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत	20	11	0	12	2	0
सूचना,शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	कुल उपलब्ध निधि	7.48	130.50	125.58	134.45	75.14	62.94
	शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि	1.49	4.15	77.58	81.08	10.72	37.51
	निदेशक राज्य मिशन स्तर पर व्यय	0.18	0.77	11.65	4.81	1.48	2.29
	अंतिम अवशेष	5.81	125.58	36.35	48.56	62.94	23.14
	कुल उपलब्ध निधि के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत	20	3	62	60	14	60

(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार)

तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि 2016-22 की अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय और

सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता घटकों के अंतर्गत उपलब्ध निधि की तुलना में शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त निधि का प्रतिशत क्रमश: शून्य[2] से 63 *प्रतिशत*, शून्य से 20 *प्रतिशत* और तीन से 62 *प्रतिशत* के मध्य था जबकि राज्य मिशन निदेशक स्तर पर अत्यधिक धनराशि अवशेष थी। अग्रेतर, जांच से पता चला कि राज्य सरकार द्वारा 2017-21 की अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक में 55 से 236 दिनों और क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय घटक में 11 से 1,098 दिनों के विलंब से राज्य मिशन निदेशक को निधि (राज्यांश के साथ केन्द्रांश) अवमुक्त किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 10.43 करोड़ से ₹ 245.67 करोड़ तक का केन्द्रांश 172 दिनों तक राज्य सरकार के स्तर पर अवरुद्ध थी। जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण शहरी स्थानीय निकायों को समानुपातिक रूप से धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। राज्य सरकार ने आगे यह भी बताया कि 2019 से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद निधियां हस्तांतरित की गयी थी।

तथ्य यह है कि राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना और विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने का अनुश्रवण करने में विफल रही, जिससे राज्य मिशन निदेशक स्तर पर निधि की उपलब्धता के बावजूद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावित हुआ।

3.1.1 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) निधि का उपयोग

2016-22 की अवधि के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उपलब्ध कुल निधि एवं उसके व्यय का विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

[2] 2020-21 के दौरान 0.006 प्रतिशत।

तालिका 3.2: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना में मार्च 2022 तक कुल उपलब्ध निधि और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	घटक	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय/ उपयोग	अंतिम अवशेष	निधि के उपयोग का प्रतिशत
2016-17	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	-
	क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	0.54	0.20	0.34	37
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	1.34	0.48	0.86	36
2017-18	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5.30	0.00	5.30	0
	क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.97	0.55	1.42	28
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	2.17	1.10	1.07	51
2018-19	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20.16	3.62	16.54	18
	क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.74	1.05	0.69	60
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	10.62	5.82	4.80	55
2019-20	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	81.74	13.34	68.40	16
	क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.50	0.60	0.90	40
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	23.67	11.85	11.82	50
2020-21	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	68.63	17.09	51.54	25
	क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	0.97	0.43	0.54	44
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	14.28	6.59	7.69	46
2021-22	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	98.30	23.86	74.44	24
	क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	0.63	0.11	0.52	17

वर्ष	घटक	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय/ उपयोग	अंतिम अवशेष	निधि के उपयोग का प्रतिशत
	सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता	14.08	6.21	7.87	44

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 3.2 से यह स्पष्ट है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण व प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय और सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता के अंतर्गत निधि का उपयोग क्रमशः शून्य से 25 प्रतिशत, 17 से 60 प्रतिशत और 36 से 55 प्रतिशत के मध्य था। चूंकि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत सहायता-अनुदान मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पूंजीगत व्यय के लिये है, इसलिए 2017-22 के दौरान अत्यधिक अवशेष धनराशि यह इंगित करती है कि शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमी थी|

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि राज्य मिशन निदेशक ने अक्टूबर 2014 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) योजना के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के अंतर्गत राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को ₹1,378.83 करोड़ अवमुक्त किये । इसमें से, राज्य मिशन निदेशक को केवल ₹ 307.17 करोड़ (22 प्रतिशत) के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे और ₹ 1,071.66 करोड़ की अवशेष निधि के उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुये थे (मार्च 2022)।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि नगर पंचायत, चितबड़ागांव, बलिया ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2018 और अगस्त 2019 में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिये उपकरणों एवं वाहनों के क्रय हेतु अवमुक्त ₹ 25.15 लाख[3] का उपयोग नहीं किया था। नगर पंचायत ने आगे (मार्च 2020), 14वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत परिवहन हेतु वाहनों (बिन्स सहित 20 तिपहिया साइकिल और दो टिपर) का क्रय किया था। हालांकि, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का

[3] स्टैंड के साथ जुड़वा कूड़ेदान ₹ 5.25 लाख (अक्टूबर 2018) और अगस्त 2019 में संग्रहण और परिवहन के लिए उपकरण एव वाहन (17 तिपहिया साइकिल हेतु कूड़ेदान सहित, दो छोटे टिपर और 40 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट) ₹ 19.90 लाख के क्रय हेतु।

नगर पंचायत द्वारा न तो उपयोग किया गया था और न ही राज्य मिशन निदेशक को वापस ही किया गया था, परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध रही।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि के संबंध में मार्गदर्शन की कमी के कारण, शहरी स्थानीय निकाय 2016-18 के मध्य समानुपातिक रूप से व्यय नहीं कर सके। राज्य सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया ने ₹ 25.15 लाख का उपयोग ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन के लिये नहीं किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2019-22 की अवधि के दौरान भी उपलब्ध निधि का उपभोग संतोषजनक नहीं था और यह 16 से 25 प्रतिशत के मध्य था।

3.2 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये वित्त पोषण

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से भी वित्त पोषित किया गया था । 2016-22 के दौरान राज्य में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदानों के तहत अवमुक्त निधि का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है|

तालिका 3.3: केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गयी निधि का विवरण

(रु. करोड़ में)

अनुदान का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केंद्रीय वित्त आयोग	1167.42	2213.56	1817.65	2455.99	4338.00	1761.25
राज्य वित्त आयोग	6085.46	6939.92	7312.50	8700.00	8525.00	9900.00

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को केंद्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग अनुदान की कुल अवमुक्त धनराशि से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए निर्गत की गयी धनराशि का विवरण निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.2.1 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान से भिन्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15(एक्स) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को पूंजीगत निवेश के साथ ही साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए निधियों का वार्षिक बजट में पर्याप्त उपबंध करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यों के लिए, इन नियमों द्वारा निर्धारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय निकाय के अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही निधि आवंटित किया जाय।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में 2016-22 की अवधि के दौरान कुल उपलब्ध निधि (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी अनुदान के अतिरिक्त) तथा समग्र व्यय की तुलना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक समग्र व्यय की तुलना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किये गये व्यय का विवरण (स्वच्छ भारत मिशन -शहरी अनुदान के अतिरिक्त)

(रु. करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व सहित कुल उपलब्ध निधि (स्वच्छ भारत मिशन शहरी अनुदानों के अतिरिक्त)	कुल व्यय	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय
2016-17	4006.10	2785.31	574.27	21
2017-18	4374.41	3041.49	660.62	22
2018-19	3874.04	2520.58	784.51	31
2019-20	4253.59	2794.09	789.83	28
2020-21	4976.82	3037.57	886.98	29
2021-22	5064.65	3480.41	1042.84	30
योग	**26549.61**	**17659.45**	**4739.05**	

(स्रोत: नमूना जांच किए गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 3.4 से यह स्पष्ट है कि 2016-22 की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय, निकायों में किये गये समग्र व्यय की तुलना में 21 से 31

प्रतिशत के मध्य था। तथापि, यह व्यय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक संख्या से कम मानव संसाधनों की तैनाती, द्वार-द्वार संग्रहण में कम उपलब्धि तथा अपर्याप्त प्रसंस्करण एवं निस्तारण के कारण अपर्याप्त रहा जैसा कि इस प्रतिवेदन में चर्चा की गयी है।

3.3 बिना अनुबंध किये फर्म को निधियां अवमुक्त करना तथा ₹ 15 लाख फर्म द्वारा वापस न किया जाना

राज्य सरकार ने 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक आयोजित कुंभ मेला 2019 में उत्पन्न 10,000 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए आदेश (मई 2019) निर्गत किया। राज्य मिशन निदेशक ने फर्म मेसर्स हरी भरी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड[4] के साथ अनुबंध किये बिना पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सीधे फर्म को ₹ 95.28 लाख[5] अवमुक्त किया (मई 2019)। अवमुक्त की गयी धनराशि में खाद की पैकेजिंग के लिए फर्म को ऋण के रूप में ₹15.00 लाख शामिल था, जिसकी वापसी फर्म द्वारा खाद की बिक्री के बाद राज्य मिशन निदेशक को करना था। यद्यपि, पूर्व में दिये गये उत्तर (मई 2020)[6] में, राज्य सरकार ने बताया कि कुंभ मेला में उत्पन्न अपशिष्ट के प्रसंस्करण के पश्चात, लगभग 1,345 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 604 मीट्रिक टन फर्म द्वारा ₹ 15.10 लाख में बेचा गया था। जबकि, ₹15 लाख की धनराशि अभी भी वसूल नहीं की गयी थी (जून 2023)। इसके अतिरिक्त, अनुबंध के बिना फर्म को निधि अवमुक्त करना वित्तीय नियमों[7] के प्रतिकूल था।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि फर्म के साथ पत्राचार किया गया था और धनराशि शीघ्र ही वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

---

[4] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयागराज में काम करने वाली एक रियायतग्राही फर्म।

[5] पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए ₹ 35.00 लाख (मई 2019), संयंत्र को कार्यात्मक बनाने के लिए ₹ 40.00 लाख (मई 2019) और खाद पैकिंग के लिए ₹ 15.00 लाख (जून 2019) और वस्तु एवं सेवा कर के लिए ₹ 5.28 लाख (जुलाई 2019)।

[6] वर्ष 2021 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 02 का पैराग्राफ 3.3 - उत्तर प्रदेश सरकार (कुंभ मेला 2019 की लेखापरीक्षा)।

[7] उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल का पैराग्राफ 212 (vii) (4) और वित्तीय हस्तपुस्तिका का पैराग्राफ 455।

3.4 गंगा नदी के किनारे स्थित शहरी स्थानीय निकायों के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनायें निष्पादित न किया जाना

राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने गंगा नदी के किनारे स्थित 18 शहरी स्थानीय निकायों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन[8] के लिए ₹ 164.49 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन (नवंबर 2018) प्रदान किया। कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने दिसंबर 2018 में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को ₹ 164.49 करोड़ हस्तांतरित किये। परियोजनाओं को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 164.49 करोड़[9] में से, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने चार शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 22.14 करोड़ की कुल अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 8.79 करोड़ इन शहरी स्थानीय निकायों[10] को हस्तांतरित (फरवरी 2019) किया। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने कार्य योजना के कार्यान्वयन में विलंब का अनुमान लगाते हुए अवशेष ₹ 155.69 करोड़ राज्य मिशन निदेशक को वापस (अगस्त 2019) कर दिया गया। इस प्रत्याशित विलंब का कारण अभिलेखों में नहीं था। आगे, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (मार्च 2022) के अभिलेखों[11] के अनुसार, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा अर्जित ₹ 4.21 करोड़ ब्याज की धनराशि राज्य मिशन निदेशक को हस्तांतरित नहीं की गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर (जून 2023) में बताया कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन से टिप्पणी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने आगे सूचित (अगस्त 2023) किया कि गंगा नदी के किनारे स्थित 18 शहरी स्थानीय निकायों में से, 14 शहरी स्थानीय

---

[8] पूंजीगत लागत ₹ 80.02 करोड़ (घरेलू कूड़ेदान, तिपहिया साईकिलें, ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र, बायो डाइजेस्टर, निक्षालक शोधन संयंत्र, मलीय कचरा उपचार, डक और डक शेड इकाई) और परिचालन लागत ₹ 84.47 करोड़।

[9] नगर पंचायत हस्तिनापुर मेरठ, नगर पालिका परिषद अनूपशहर बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद गंगाघाट उन्नाव और नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर।

[10] हस्तिनापुर (मेरठ)- अनुमोदित लागत (₹ 3.95 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 1.10 करोड़); अनूपशहर (बुलंदशहर)- अनुमोदित लागत (₹ 4.25 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 1.09 करोड़); गंगाघाट (उन्नाव)- अनुमोदित लागत (₹ 10.02 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 5.59 करोड़); सैदपुर (गाजीपुर)- अनुमोदित लागत (₹ 3.92 करोड़)/ स्थानांतरित (₹ 1.02 करोड़)।

[11] राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बनाये गये लेजर के अनुसार।

निकायों को उनसे प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद धनराशि अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए हस्तांतरित कर दी गयी।

3.4.1 राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के कार्यान्वयन में नगर पंचायत सैदपुर, गाजीपुर की विफलता

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने दो ठोस-तरल संसाधन प्रबंधन केंद्रों की स्थापना और गौशाला/डेयरी के लिए बायो-डाइजेस्टर, कूड़ेदान/तिपहिया साइकिल के क्रय तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तर 3.4 में यथा उल्लिखित नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से एक स्थानीय निकाय नगर पंचायत, सैदपुर को ₹ 1.02 करोड़ हस्तांतरित किया (मार्च 2019)। नगर पंचायत सैदपुर ने ₹ 25.03 लाख की लागत से ठोस-तरल संसाधन प्रबंधन सुविधा के निर्माण के लिए कार्यादेश (अगस्त 2019) निर्गत किया गया। तथापि, नगर पंचायत ने बाद में ठोस-तरल संसाधन प्रबंधन के स्थान पर एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र का निर्माण प्रारंभ किया। इस संदर्भ में, नगर पंचायत ने लेखापरीक्षा को सूचित (जून 2022) किया कि फरवरी 2020 में आयोजित एक बैठक में दिये गये मौखिक निर्देशों[12] के परिप्रेक्ष्य में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा का निर्माण किया जा रहा था। अग्रेतर, नगर पंचायत ने सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक से ₹ 13.34 लाख[13] के अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन के लिए राज्य मिशन निदेशक से अनुरोध (अक्टूबर 2020) किया, जिस पर जून 2022 तक राज्य मिशन निदेशक से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि नगर पंचायत, सैदपुर ने सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के निर्माण पर ₹ 19.39 लाख, दो बिन्स के क्रय पर ₹ 17.40 लाख और तिपहिया साइकिल की खरीद पर ₹ 5.57 लाख का उपयोग किया था। अवमुक्त धनराशि ₹ 101.78 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 67.44 लाख[14] का उपयोग न तो नगर पंचायत द्वारा वांछित उद्देश्यों[15] के लिए किया

---

[12] नगर पंचायत ने यह उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने किसके मौखिक निर्देश पर कार्य किया था।

[13] सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के लिए अनुमानित लागत ₹ 38.37 लाख (-) ठोस तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र के लिए अनुमोदित लागत (₹ 25.03 लाख) = ₹ 13.34 लाख।

[14] उपलब्ध निधि: निर्गत धनराशि ₹ 101.79 लाख (+) बैंक ब्याज ₹ 8.01 लाख (-) उपयोग की गयी निधि ₹ 42.36 लाख = ₹ 67.44 लाख।

[15] ठोस तरल संसाधन प्रबंधन और वार्ड स्तर प्रशिक्षण; ठोस तरल संसाधन प्रबंधन केंद्र और बायो-गैस डाइजेस्टर; टूलकिट।

गया और न ही राज्य मिशन निदेशक को वापस किया गया। इस प्रकार, नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर, गंगा नदी के किनारे स्थित कस्बों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिकोण से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य उच्चाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित (नवंबर 2018) कार्य योजना को लागू करने में विफल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत सैदपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹391.94 लाख की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गयी थी, जिसे राज्य स्वच्छ गंगा मिशन निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा ₹101.78 लाख की धनराशि अप्रैल 2019 में नगर पंचायत को हस्तांतरित कर दी गयी। जबकि, उत्तर में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया।

3.5 वाहय सेवा प्रदाता फर्म को वस्तु एवं सेवा कर का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 12/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जा रही सेवाओं (कार्य अनुबंध सेवा या किसी भी सामान की आपूर्ति से जुड़ी अन्य संयुक्त आपूर्ति के अतिरिक्त) जो संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत किसी भी गतिविधि हेतु नगर निकायों को सौंपे गये किसी भी कार्य के संबंध में हों, वस्तु और सेवा कर से छूट दी गयी है। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य संविधान की 12 वीं अनुसूची के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये कार्यों के अनुसार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गये तीन[16] शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए जनशक्ति की आपूर्ति हेतु वाहय सेवा प्रदाता संस्थायों को भुगतान किया था, जिसमें वस्तु और सेवा कर के रूप में ₹ 60.09 लाख का भुगतान शामिल था, जबकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को वस्तु और सेवा कर से छूट प्रदान की गयी है। इसके परिणामस्वरूप, ठेकेदारों को ₹ 60.09 लाख का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

[16] नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती, नगर पंचायत ज़ेवर गौतम बुद्ध नगर और नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी के संबंध में उत्तर (जून 2024) प्रस्तुत नहीं किया।

3.6 उपयोक्ता प्रभार की वसूली

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 1.4.5.6.4 में प्रावधानित है कि शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण ,परिवहन, प्रसंस्करण और भूमि भरण में अंतिम निस्तारण के लिए सेवा लागत की शत प्रतिशत वसूली हेतु प्रयास 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत के आधार पर उपयोक्ता प्रभार के अधिरोपण के आधार पर करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (एफ) में प्रावधानित है कि शहरी स्थानीय निकायों को उपयुक्त उपयोक्ता प्रभार का निर्धारण जैसा वे उचित समझे करना चाहिए तथा उसकी वसूली अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों से सीधे या अधिकृत एजेंसी के माध्यम से करना चाहिए। अग्रेतर, नियम 15 (जेड एफ) प्रावधानित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपविधि बनायी जायेगी जिसमे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करने की स्थिति में मौके पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड वर्णित किया जायेगा।

उपयोक्ता प्रभार का संग्रहण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की वित्तीय स्थिरिता सुनिश्चित करता है। तथापि, जैसा कि प्रस्तर 2.5 में चर्चा की गयी है, नमूना जाँच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 10 शहरी स्थानीय निकायों[17] (22 प्रतिशत) द्वारा अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली हेतु उपविधि तैयार की गयी थी । अग्रेतर, नगर निगम लखनऊ द्वारा उपविधि न बनाये जाने के बावजूद, कार्यकारी परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर उपयोक्ता प्रभार एकत्रित किया जा रहा था।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के 495 घरों में किये गये सार्वजनिक सर्वेक्षण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि मात्र आठ प्रतिशत उत्तरदाता अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार का भुगतान कर रहे थे जो शहरी स्थानीय निकायों के अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए

[17] नगर निगम गाजियाबाद, नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट, नगर पालिका परिषद देवरिया, नगर पालिका परिषद हाथरस, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई और नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर।

अपर्याप्त प्रयासों का द्योतक है| उपयोक्ता प्रभार की वसूली में पायी गयी कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

3.6.1 नगर निगम लखनऊ में अप्राप्त उपयोक्ता प्रभार

अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए चयनित रियायतग्राही समझौता (मार्च 2017) के अनुसार, रियायतग्राही[18] नगर निगम लखनऊ की ओर से उपयोक्ता प्रभार संग्रहण हेतु उत्तरदायी था। रियायतग्राही को अनुबंध[19] में यथा निर्धारित मासिक आधार पर बिल योग्य उपयोक्ता प्रभार की कुल धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम धनराशि का संग्रहण सुनिश्चित करना था। यदि रियायतग्राही यथा निर्धारित उपयोक्ता प्रभार संग्रह करने में विफल रहता है, तो नगर निगम लखनऊ के पास माह विशेष के लिए रियायतग्राही को देय बख्शीश फीस[20] से कम वसूल की गयी धनराशि को रोकने का अधिकार था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही ने लखनऊ शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अप्रैल 2017 से नगर निगम, लखनऊ को बख्शीश फीस के बिल प्रस्तुत किये। यद्यपि, आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए न्यूनतम दरों[21] के आधार पर 2017-21 की अवधि में कुल वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार ₹ 49.15 करोड़ में से, रियायतग्राही ने मात्र ₹ 32.88 करोड़ की वसूली की जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.3*** में दिया गया है। परिणामस्वरूप, कम से कम ₹ 16.27 करोड़ उपयोक्ता प्रभार अप्राप्त रहा। अग्रेतर, इस अवधि के दौरान अनुबंध के अनुसार कम वसूल किये गये उपयोक्ता प्रभार की धनराशि को रोके बिना रियायतग्राही को बख्शीश फीस का भुगतान किया गया था।

---

[18] इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड।

[19] उपयोक्ता प्रभार की कुल राशि का 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत क्रमशः पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए मासिक आधार पर बिल योग्य था। रियायतग्राही 1 जुलाई 2017 से न्यूनतम उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए उत्तरदायी था।

[20] बख्शीश फीस स्थानीय प्राधिकारियों या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा निर्धारित एक शुल्क या समर्थन मूल्य है जिसका भुगतान रियायतग्राही या अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के संचालक को या भूमि भरण पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए किया जाता है।

[21] लेखापरीक्षा में वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार की गणना 2017-22 की अवधि के दौरान परिवारों (प्रति माह ₹ 40/- प्रति परिवार) और अन्य प्रतिष्ठान (प्रति माह ₹ 100/- प्रति अन्य प्रतिष्ठान) के लिए न्यूनतम दरों के आधार पर की गयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रियायतग्राही उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों को आयोजित करने में विफल रहा, जिसके लिए रियायतग्राही को कई बार नोटिस निर्गत किया गया था और कुछ दंड भी आरोपित किये गये थे। आगे यह भी बताया गया कि रियायतग्राही के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

3.6.2 नगर निगम गाजियाबाद में उपयोक्ता प्रभार की कम प्राप्ति

नगर निगम ने द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं हेतु उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए उपविधि का प्रकाशन (अगस्त 2017) किया। उपविधि में उल्लिखित दरें भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित की गयीं थीं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे पक्के आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम ₹ 30 प्रति माह से लेकर 3-स्टार या अन्य उच्च श्रेणी के 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले होटलों के लिए अधिकतम ₹ 14,000 प्रति माह तक थी। गैर-आवासीय संपत्तियों हेतु उपयोक्ता प्रभार की न्यूनतम दर ₹ 70 प्रति माह छोटी मोहल्ला दुकानों के लिए निर्धारित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम गाजियाबाद क्षेत्र में 2018-22 के दौरान आवासीय भवनों की संख्या 2.93 लाख से 4.20 लाख के मध्य थी, जबकि गैर-आवासीय संपत्तियों की संख्या 26,220 से 32,541 के मध्य थी। आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए उप-विधि में निर्धारित न्यूनतम दरों के आधार पर, ₹ 60 करोड़ के उपयोक्ता प्रभार की वसूली की जा सकती थी, जिसके सापेक्ष केवल ₹ 4.77 करोड़ की वसूली की गयी थी (***परिशिष्ट 3.4***)। इस प्रकार, नगर निगम द्वारा 2018-22 की अवधि के दौरान न्यूनतम ₹ 55.23 करोड़ के उपयोक्ता प्रभार की वसूली कम की गयी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर निगम गाजियाबाद उपयोक्ता प्रभार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था जो वर्ष दर वर्ष संग्रह किये गये उपयोक्ता प्रभार के विवरण से स्पष्ट है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम गाजियाबाद आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए उपविधि में निर्धारित न्यूनतम दरों के सापेक्ष उपयोक्ता प्रभार की वसूली करने में समर्थ नहीं था। इस प्रकार, संबंधित उपविधि के अनुपालन में द्वार-द्वार संग्रहण की लागत की भरपाई हेतु

उपयोक्ता प्रभार वसूलने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत राज्य मिशन निदेशक को 1,098 दिनों तक के विलंब के साथ धनराशि अवमुक्त किया। अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-22 की अवधि के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत निधि का कम उपयोग किया गया जिससे यह प्रतीत होता है की शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमी थी। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अनुदान के अतिरिक्त 2016-22 की अवधि के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया व्यय समग्र व्यय की तुलना में 21 से 31 प्रतिशत के मध्य था। तथापि, यह व्यय द्वार-द्वार संग्रहण, प्रसंस्करण और ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में कम उपलब्धि के कारण अपर्याप्त रहा। अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की वित्तीय स्थिरिता के लिए उपयोक्ता प्रभार की समुचित वसूली सुनिश्चित नहीं की गयी थी। नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 22 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए उपविधि बनाया था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली की गयी थी।

अनुसंशा 5: *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि निर्दिष्ट समय के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निधियां राज्य सरकार के पास अवरुद्ध न रहें।*

अनुसंशा 6: *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर पर्याप्त व्यय करें।*

अध्याय- IV

अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन

अध्याय IV: अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन

इस अध्याय में स्रोत पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, घरों से ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण और अपशिष्ट के भूमि भरण स्थलों तक द्वितीयक परिवहन की स्थिति को शामिल किया गया है।

अध्याय का सारांश:

- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय मिश्रित अपशिष्ट को संग्रहीत कर उसका परिवहन अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, भूमि भरण अथवा क्षेपण स्थल पर कर रहे थे और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में लेखापरीक्षा द्वारा 495 घरों में संपादित सार्वजनिक सर्वेक्षण के दौरान स्रोत पृथक्करण का कोई दृष्टांत नहीं पाया गया।

- नमूना जांच किये गये 38 शहरी स्थानीय निकायों (84 प्रतिशत) में, निधि निर्गत होने के तीन साल से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की छंटाई के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।

- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों के लिए द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में किये गए सार्वजनिक सर्वेक्षण में 61 प्रतिशत उत्तरदाता द्वार-द्वार संग्रहण से संतुष्ट नहीं थे।

- लेखापरीक्षा में दो शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए लगी फर्मों को धनराशि ₹ 4.06 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/ परिहार्य भुगतान भी पाया गया। इसके अतिरिक्त, चार शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के संग्रहण/द्वितीयक भण्डारण के लिए कूड़ेदानों के क्रय पर ₹ 58.75 लाख का अलाभकारी/परिहार्य व्यय किया।

- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से तीन शहरी स्थानीय निकायों को छोड़कर, ठोस अपशिष्ट के परिवहन और निस्तारण का सही तरीके से अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं/भूमि भरण स्थलों पर धर्मकाँटे स्थापित नहीं किये

गये थे।

- शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट के परिवहन के लिए बिना विभाजन वाले वाहनों /खुले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। अग्रेतर, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन और संग्रहण दक्षता में सुधार के लिए अपशिष्ट परिवहन वाहनों के आवागमन का पता लगाने के लिए वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे थे।

4.1 पृथक्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। पृथक्करण ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों, अर्थात् जैवनिम्नीकरणयोग्य अपशिष्ट या गीला अपशिष्ट, गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य अपशिष्ट या सूखा अपशिष्ट (पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, दहनशील अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण निष्क्रिय अपशिष्ट सहित), घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को छांटने और अलग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पृथक्कृत नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण एक आवश्यक चरण है। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं को प्राथमिक और द्वितीयक संग्रहण में विभाजित किया गया है। प्राथमिक संग्रहण से तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को इसके उत्पादन के स्रोत से इकट्ठा करने, उठाने और हटाने की प्रक्रिया से है। द्वितीयक संग्रहण में सामुदायिक कूड़ेदान, अपशिष्ट भंडारण डिपो या अंतरण स्थानो से अपशिष्ट उठाना और इसे परिवहन कर अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों या अंतिम निस्तारण स्थल तक पहुंचाना शामिल है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण **चार्ट 4.1** में दिया गया है:

चार्ट 4.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया

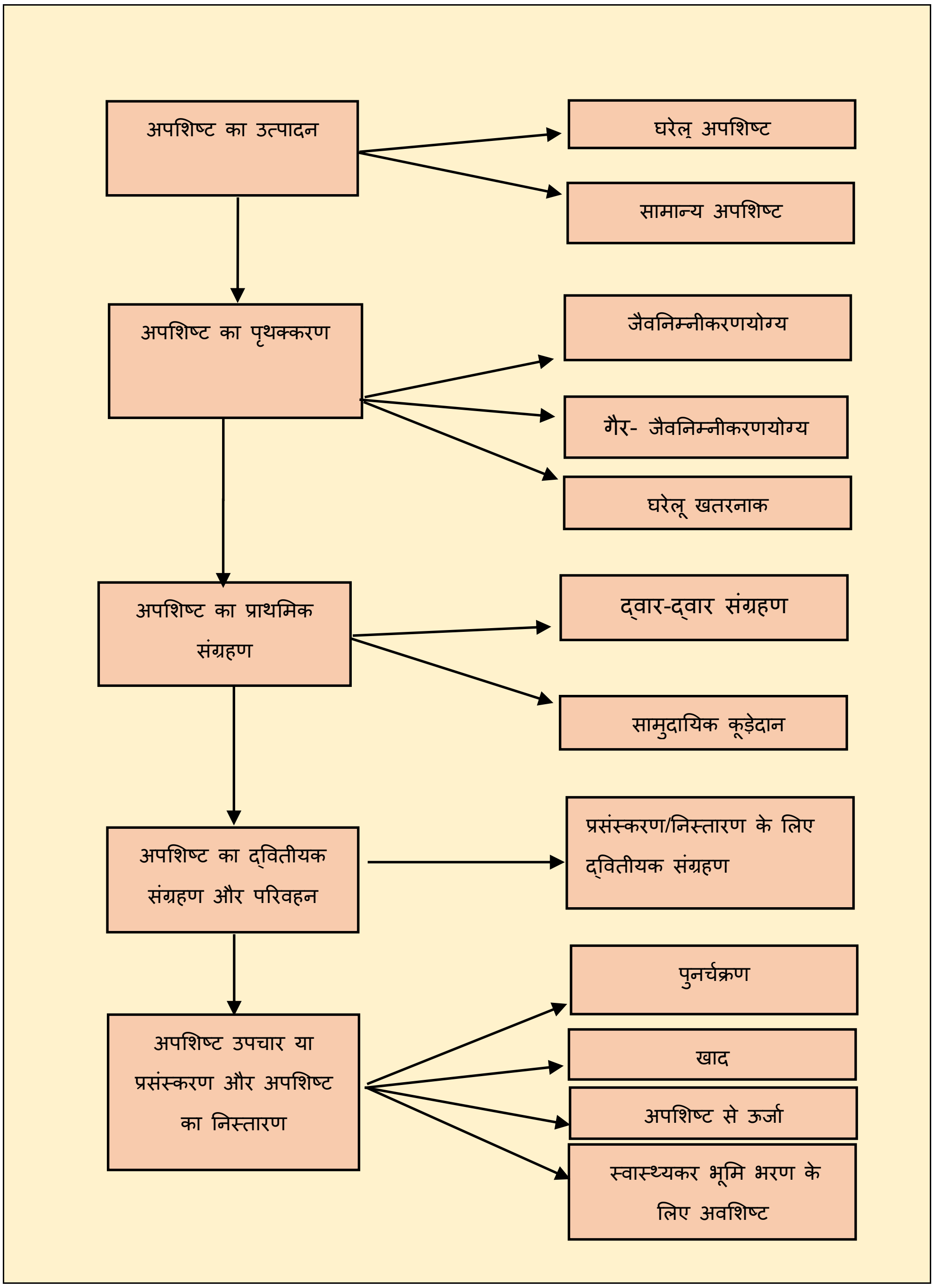

(स्रोत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016)

4.1.1 अपशिष्ट का पृथक्करण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 (ए) के अनुसार प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को उनके द्वारा उत्पन्न किये गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात जैवनिम्नीकरणयोग्य,

गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट[1] के तीन अलग-अलग कूड़ेदानों में भंडारित करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (आई) के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित करेंगे और सुरक्षित निस्तारण के लिए इन केंद्रों पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को जमा करने के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निर्देशित करेंगे।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 44 निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, घरों/ उत्पन्नकर्ताओं द्वारा जैवनिम्नीकरणयोग्य, गैर-जैवनिम्नीकरणयोग्य और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए पृथक कूड़ेदानों में अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक नहीं किया जा रहा था, जबकि एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम लखनऊ) ने सूचित किया था कि अपशिष्ट को स्रोत पर आंशिक रूप से पृथक किया गया था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर यह भी पाया कि 12 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिये घरों को प्रोत्साहित करने के लिए कूड़ेदान वितरित किये थे जबकि 22 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था और शेष 11 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लेखापरीक्षा को संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र स्थापित नहीं किये गये थे।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय घरेलू खतरनाक अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट को संग्रहीत कर उसका परिवहन अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, भूमि भरण या क्षेपण स्थल पर कर रहे थे। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 495 घरों में किये गए सार्वजनिक सर्वेक्षण में लेखापरीक्षा ने पाया कि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान का उपयोग नहीं किया, जबकि स्रोत पृथक्करण का कोई दृष्टांत नहीं पाया गया। इस प्रकार, स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करने

[1] घरेलु खतरनाक अपशिष्ट में घरेलू स्तर पर फेंके गये पेंट ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, इस्तेमाल की गयी बैट्रीज, प्रयुक्त सुईयां, गेज और सीरिंज आदि शामिल हैं।

के लिए कोई अनुश्रवण नहीं किया गया । कुछ दृष्टान्तों को निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

<table>
<tr><th colspan="2">चित्र : 4.1</th></tr>
<tr><td>
</td><td>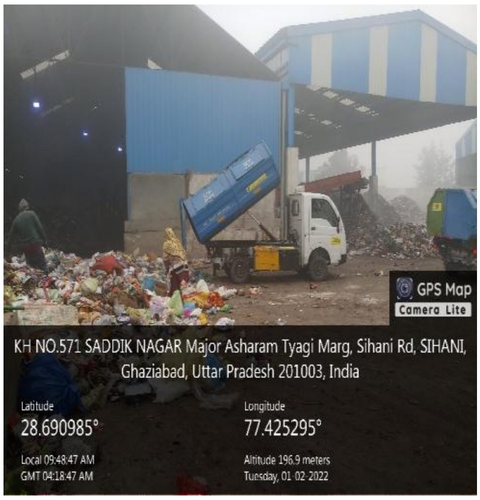
</td></tr>
<tr><td>लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थल पर अपृथक्कृत अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था</td><td>गाजियाबाद के सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र में अपृथक्कृत अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को परिवहन किये गये मिश्रित अपशिष्ट से पृथक किया गया</td><td>नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पर परिवहन किये गये मिश्रित अपशिष्ट से घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक किया गया</td></tr>
</table>

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहीत करने के लिए विभिन्न घटकों से सुसज्जित संग्रहण और परिवहन वाहनों को क्रय के लिए वित्त पोषित किया गया है। अपशिष्ट के शत प्रतिशत पृथक्कृत संग्रहण को सुधारने और सुनिश्चित करने के लिए, अनुनय और दंड के आधार पर एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया

कि नगर निगम गाजियाबाद सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों, स्कूल कार्यक्रमों, राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर रैलियों आदि के माध्यम से अपशिष्ट का स्रोत पृथक्करण के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। इसमें अग्रेतर, बताया गया है कि पृथक्करण एक नागरिक जिम्मेदारी है और यह तब विफल हो जाता है जब कुछ घरों में द्वार-द्वार संग्रहण प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट को पृथक्कृत अपशिष्ट में मिला दिया जाता है। राज्य सरकार ने घरेलु खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में बताया कि दो[2] शहरी स्थानीय निकायों में संग्रहीत घरेलु खतरनाक अपशिष्ट का भंडारण सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पर किया जा रहा था जबकि नगर निगम गाज़ियाबाद में घरेलु खतरनाक अपशिष्ट का संग्रहण द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों में संयोजित अतिरिक्त कूड़ेदान के माध्यम से घरों से सुनिश्चित किया जा रहा था।

तथ्य यह है कि अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार के माध्यम से शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण को सुनिश्चित किया जाय। अग्रेतर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपविधि को तैयार करने और लागू करने में शहरी स्थानीय निकायों की विफलता के कारण भी अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं लगाया गया।

4.1.2 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के स्थापना की स्थिति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 15(एच) के अनुसार, पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को छांटने के लिए पर्याप्त जगह के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र या द्वितीयक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करना स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। इन सुविधाओं को अनौपचारिक या अधिकृत अपशिष्ट बीनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को अलग करने में सक्षम बनाना चाहिए। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को अपशिष्ट बीनने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए उत्पादन के स्रोत से या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र से ही पृथक्कृत पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और कपड़ा संग्रहीत करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

[2] नगर पालिका परिषद बुलंदशहर एवं नगर पंचायत खानपुर (बुलंदशहर)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य मिशन निदेशक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत 734 शहरी स्थानीय निकायों को 735 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों[3] के निर्माण के लिए धनराशि ₹ 247.48 करोड़[4] की अवमुक्त की गयी । इसके अतिरिक्त, मशीनरी क्रय के लिए 491 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 83.35 करोड़ (नवंबर 2021) अवमुक्त किये गये, जैसे वेइंग स्केल मशीन, कन्वेयर बेल्ट, श्रेडर इत्यादि। तथापि, इनमें से 124 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों हेतु सिविल कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था जबकि 127 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र निर्माणाधीन थे। 439 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के प्रकरण में, सिविल कार्य को पूर्ण कर लिया गया था लेकिन ये सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील नहीं थे। अग्रेतर, राज्य मिशन निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, राज्य में मात्र 45 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र ही क्रियाशील[5] थे, जहां मार्च 2022 तक पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट/सामग्री की छंटाई की जा रही थी।

राज्य मिशन निदेशक ने सूचित किया (मार्च 2024) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न उप-घटकों से व्यय को समेकित करने के बाद शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के सिविल निर्माण के लिए उपभोग की गयी धनराशि की सूचना पृथक से देना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, राज्य में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्गत की गयी निधि के उपभोग की स्थिति की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

---

3 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए नगर निगम प्रयागराज और नगर पंचायत झूंसी को धनराशि अवमुक्त की गयी, जबकि बाद में नगर पंचायत झूंसी को नगर निगम प्रयागराज में मिला दिया गया।

4 अगस्त 2019 में 651 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 219.5284 करोड़ और नवंबर 2021 में 83 शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 27.95 करोड़ अवमुक्त किये गये।

5 राज्य मिशन निदेशक द्वारा प्रदान की गयी 45 क्रियाशील सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र की सूची में पांच नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पांच सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र शामिल हैं। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि इन पांच सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र में से मात्र दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम कानपुर और नगर निगम लखनऊ) में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील थे। नगर निगम गाजियाबाद, नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर और नगर पंचायत सैदपुर ग़ाज़ीपुर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को अभी भी क्रियाशील किया जाना शेष था, जैसा कि **परिशिष्ट: 4.1** में दर्शाया गया है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों की अवस्थाओं जैसे भूमि की उपलब्धता, निर्माण की स्थिति, मशीनरी का क्रय एवं स्थापना व क्रियाशील होने की स्थिति आदि का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है तथा सारांश के रूप में **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के स्थापना की स्थिति*

क्रम संख्या	विवरण	शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
1	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के निर्माण के लिये भूमि की अनुपलब्धता	5	नगर पालिका परिषद: चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट, रायबरेली । नगर पंचायत: जरवल (बहराइच), बकेवर (इटावा), चितबड़ागांव (बलिया)
2	भूमि उपलब्ध परंतु सिविल कार्य प्रारंभ नहीं	3	नगर पालिका परिषद: उतरौला (बलरामपुर),रामनगर (वाराणसी)। नगर पंचायत: कटरा (शाहजहांपुर)
3	सिविल कार्य प्रगति पर	8	नगर पालिका परिषद: एटा, शामली, नगर पंचायत : बिठूर (कानपुर नगर), बिलसंडा (पीलीभीत), झालू (बिजनौर), आनंदनगर (महराजगंज), रेवती , (बलिया), राजापुर (चित्रकूट)
4	निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ परंतु रोक दिया गया	3	नगर पालिका परिषद : दातागंज (बदायूं), सिकंदरा राव (हाथरस), लोनी (गाजियाबाद)।
5	सिविल कार्य पूर्ण परंतु मशीनरी क्रय नहीं की गयी	12	नगर निगम : गाजियाबाद; नगर पालिका परिषद: महोबा, हाथरस, पीलीभीत शाहाबाद (हरदोई), बहेड़ी (बरेली), मुजफ्फरनगर, औरैया, नगर पंचायत : सैदपुर (गाजीपुर), रुधौली बाजार (बस्ती), कुलपहाड (महोबा) जहानाबाद (पीलीभीत)।
6	सिविल कार्य पूर्ण और मशीनरी क्रय की गयी परंतु स्थापित नहीं की गयी	2	नगर पालिका परिषद: देवरिया; नगर पंचायत : बल्देव (मथुरा)

क्रम संख्या	विवरण	शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
7	सिविल कार्य पूर्ण एवं मशीनें स्थापित की गयी परंतु सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील नहीं	5	नगर पालिका परिषद: महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पंचायत : खानपुर (बुलंदशहर) जेवर (गौतम बुद्ध नगर), सहसपुर (बिजनौर), टिकरी (बागपत)
8	क्रियाशील सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र	7	नगर निगम : लखनऊ , कानपुर; नगर पालिका परिषद: देवबंद (सहारनपुर), बुलंदशहर नगर पंचायत : कप्तानगंज (कुशीनगर), उसावां (बदायूं), जीयनपुर (आजमगढ़)

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* *राज्य सरकार के उत्तर (जून 2023) और शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना (जुलाई 2024) के अनुसार अद्यतन स्थिति ।*

उत्तर (जून 2023) में, राज्य सरकार ने 14 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्थिति उपलब्ध करायी और शहरी स्थानीय निकायों से अग्रेतर अद्यतन सूचना प्राप्त (जुलाई 2024) हुई, जिसके अनुसार सात सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील थे।

इस प्रकार, निधियां निर्गत किये जाने के तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद नमूना जांच किये गये 38 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।

4.2 संग्रहण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.2 में प्रावधान है कि नगरीय अपशिष्ट का पृथक्कृत संग्रहण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण चरण है। अकुशल अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं का सार्वजनिक स्वास्थ्य, कस्बों और शहरों के सौंदर्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्कृत संग्रहण, पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं की अधिकतम पुनर्प्राप्ति को समर्थ बनाता है। यह ऐसे अपशिष्ट के लागत प्रभावी उपचार की क्षमता को भी बढ़ाता है।

4.2.1 अपशिष्ट संग्रहण की स्थिति

राज्य में 2016-22 की अवधि के दौरान और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा ***परिशिष्ट 4.2(ए)*** और ***4.2(बी)*** में वर्णित है और **चार्ट 4.2** में भी दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.2: 2016-22 के दौरान राज्य एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा

(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त सूचना)

चार्ट 4.2 इंगित करता है कि 2016-22 के बीच के वर्षों में राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के संग्रहण में सुधार हुआ था। तथापि, जैसा कि प्रस्तर 2.6 में चर्चा की गयी है, अपशिष्ट उत्पादन पर आंकड़ा विश्वसनीय नहीं था क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों ने कई वर्षों में अपशिष्ट उत्पादन के समान आंकड़ों का अनुमान लगाया था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2021-22 में, अपशिष्ट उत्पादन और संग्रहण के आंकड़े 45 नमूना जांच किये गये शहरीय स्थानीय निकायों में से 41 में (नगर निगम कानपुर, नगर पालिका परिषद बुलंदशहर, नगर पंचायत कटरा, शाहजहांपुर, और नगर पंचायत बिलसंडा, पीलीभीत के अतिरिक्त) समान थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** और ***परिशिष्ट 4.2(ए)*** में वर्णित है।

अग्रेतर, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान किये गये सार्वजनिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 46 प्रतिशत घरों को द्वार-द्वार अपशिष्ट संग्रहण की सुविधा प्रदान नहीं की गयी थी। इस प्रकार, राज्य सरकार एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के संबंध में उपलब्ध कराये गये आंकड़े वास्तविक नहीं थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को संग्रहण और परिवहन वाहनों को क्रय के लिए वित्त पोषित किया गया था। तथापि, उत्तर में अपशिष्ट संग्रहण पर अविश्वसनीय आकड़ों पर लेखापरीक्षा टिपण्णी को संबोधित नहीं किया गया था।

4.2.2 धर्मकाँटा का अभाव

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 1.4.3.3.1 के अनुसार, घरों, बाजारों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। शहर से संग्रहीत सम्पूर्ण अपशिष्ट को अंतरण स्थानो पर स्थापित धर्मकाँटा या प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के मार्ग पर तौला जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल पाँच[6] शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट का वजन करने के लिए धर्मकाँटा था। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रति दिन वाहनों द्वारा लगाये गये फेरों की संख्या को वाहन के आयतन से गुणा के आधार पर संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा निर्धारित नहीं की गयी। धर्मकाँटा के अभाव के कारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट परिवहन और निस्तारण की मात्रा की प्रामाणिकता का लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सही प्रकार से अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रसंस्करण सुविधाओं पर धर्मकाँटा स्थापित किये जा रहे थे। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि प्रमाणित अध्ययनों के आधार पर प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक

[6] नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर(असंचालित) और नगर पालिका परिषद रायबरेली (असंचालित)

स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मानकों का उपयोग करते हुए फॉर्म IV रिपोर्ट[7] तैयार की गयी थी |

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपशिष्ट संग्रहण के आंकड़े केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन मानकों की बजाय वास्तविक संग्रहण के वजन पर आधारित होने चाहिए।

4.2.3 अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (बी) में प्रावधान है कि स्थानीय प्राधिकरण झुग्गियों और अनौपचारिक बस्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। बहुमंजिला इमारतों या अपार्टमेंट, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवास परिसरों आदि के प्रकरण में, अपशिष्ट प्रवेश द्वार या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से संग्रहीत किया जा सकता है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से दस[8] ने आंशिक रूप से द्वार-द्वार संग्रहण सेवा बाह्य सेवाप्रदाता के माध्यम से किया गया था। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 495 घरों के संपादित सार्वजनिक सर्वेक्षण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 61 प्रतिशत उत्तरदाता नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में द्वार-द्वार संग्रहण से संतुष्ट नहीं थे, जो इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपर्याप्त सेवा का संकेत देते थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गयी है।

4.2.3.1 द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा का अपर्याप्त आच्छादन नगर निगम लखनऊ

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 में, लखनऊ शहर में अपशिष्ट के परिवहन और प्रसंस्करण के लिए नगर निगम लखनऊ, निर्माण और

---

[7] शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

[8] नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, नगर पालिका परिषद बहेड़ी, नगर पालिका परिषद लोनी, नगर पालिका परिषद हाथरस, नगर पालिका परिषद शामली और नगर पालिका परिषद महोबा।

डिजाइन सर्विसेज जल निगम और मैसर्स इको ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया था। फर्म को सेवाओं के लिए ₹ 1,604 प्रति मीट्रिक टन[9] की बख्शीश फीस प्राप्त करना था। तथापि, नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार, शहर के सभी घरों को 2017-22 (***परिशिष्ट 4.3***) के दौरान द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा द्वारा आच्छादित नहीं किया गया था। द्वार-द्वार संग्रहण के तहत घरों का आच्छादन 2017-18 में 47 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 79 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, मार्च 2022 तक शहर के 21 प्रतिशत घर द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा से वंचित थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रियायतग्राही अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही को 100 प्रतिशत घरों को आच्छादित करना था, लेकिन कर्तव्यों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण, रियायतग्राही के खिलाफ विधिक कार्यवाही की गयी है । राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि द्वार-द्वार संग्रहण के लिए नई योजना तैयार है।

तथ्य यह है कि शहर को पूर्णतया द्वार-द्वार संग्रहण से आच्छादित नहीं किया गया था।

नगर निगम कानपुर

नगर निगम कानपुर ने (अक्टूबर 2016) मेसर्स जेटीएन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर का चयन कानपुर शहर के छह क्षेत्रो में 110 वार्डों में 5.22 लाख घरों को द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं के लिए किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि द्वार-द्वार संग्रहण सेवा को 2017 से 2022 की अवधि के दौरान कुछ वार्डों में केवल आंशिक रूप से आच्छादित किया गया था। द्वार-द्वार संग्रहण का आच्छादन 2017-18 के दौरान 75 वार्डों (68 प्रतिशत), 2018-19 के दौरान 74 वार्डों (67 प्रतिशत), 2019-20 के दौरान 77 वार्डों (70 प्रतिशत), 2020-21 के दौरान 66 वार्डों (60 प्रतिशत) और 2021-22 के दौरान 44 वार्डों (40 प्रतिशत) में था। इस प्रकार, फर्म द्वारा 2017 से 2022 की अवधि के दौरान 30 से 60 प्रतिशत वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सेवाएं प्रदान नहीं की गयी।

---

[9] द्वार-द्वार संग्रहण के लिए ₹ 1,439 प्रति मीट्रिक टन और अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए ₹ 165 प्रति मीट्रिक टन।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि वर्तमान में वर्ष 2022-23 के लिए द्वार-द्वार संग्रहण 100 प्रतिशत वार्डों में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि नगर निगम कानपुर ने पिछले वर्षों में आंशिक द्वार-द्वार संग्रहण के लिए फर्म को नोटिस निर्गत किये थे।

नगर पालिका परिषद रायबरेली

नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, शहर में अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण 2016-21[10] के दौरान तीन फर्मों[11] द्वारा रुक-रुक कर किया गया था। नगर पालिका परिषद के पास द्वार-द्वार संग्रहण के तहत इन फर्मों द्वारा आच्छादित किये गये घरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी। अग्रेतर, फर्मों ने ₹22.19 लाख[12] उपयोक्ता प्रभार संग्रह किया था। नगर पालिका परिषद ने बताया (फरवरी 2022) कि उपयोक्ता प्रभार सभी घरों से संग्रह नहीं किये गये थे, लेकिन नगर पालिका परिषद को बकायेदारों की संख्या के बारे में पता नहीं था। तथापि, 2021-22 के दौरान सभी 34 वार्डों को द्वार-द्वार संग्रहण के तहत आच्छादित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी 34 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि फर्म द्वारा घरों से उपयोक्ता प्रभार संग्रह किये गये थे और नगर पालिका परिषद के खातों में जमा किये गये थे जिसे फर्म को द्वार-द्वार संग्रहण और सूचना शिक्षा एवं संचार कार्य में व्यय के लिए लौटा दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषद रायबरेली ने 2016-21 के दौरान द्वार-द्वार संग्रहण के तहत सभी घरों का आच्छादन सुनिश्चित नहीं किया। नगर पालिका परिषद ने द्वार-द्वार संग्रहण सेवा के लिए लगी निजी फर्मों द्वारा द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली

---

[10] आच्छादित किये गये वार्डों: 2016-17 में 31 वार्डों में से 15 (48 प्रतिशत), 2017-18 में 31 वार्डों में से 14 (45 प्रतिशत), 2020-21 में 31 वार्डों में से 20 (65 प्रतिशत) और 2021-22 में 34 वार्डों में से 34 (100 प्रतिशत)।

[11] मैसर्स एकॉर्ड हाइड्रो एयर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इंटेंस सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रकृति पर्यावरण संरक्षण संस्थान।

[12] 2017-18 में ₹ 14.12 लाख, 2020-21 में ₹ 4.85 लाख और 2021-22 में ₹ 3.22 लाख।

का अनुश्रवण भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, नगर पालिका परिषद को इन फर्मों द्वारा उपयोक्ता प्रभार की वास्तविक वसूली और बकायेदार घरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी जिनसे बकाया उपयोक्ता प्रभार की वसूली नहीं की जा सकी।

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016 से 2020 की अवधि के दौरान नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के 50 वार्डों में से किसी भी वार्ड में अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण नहीं किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए, नगर पालिका परिषद और ठेकेदार के बीच द्वार-द्वार संग्रहण और शहर क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से सड़क की सफाई के लिए एक अनुबंध (मार्च 2020) निष्पादित किया गया था| अनुबंध के अनुसार, द्वार-द्वार संग्रहण के लिए वाहन नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे और ठेकेदार को वाणिज्यिक दुकानों/प्रतिष्ठानों से उपयोक्ता प्रभार संग्रह करना था। तथापि, ठेकेदार ने वर्ष 2020-21 में मात्र आंशिक रूप से काम किया क्योंकि नगर पालिका परिषद द्वारा मात्र तीन वाहन प्रदान किये गये थे और ठेकेदार द्वारा कोई उपयोक्ता प्रभार भी वसूल नहीं किया गया था। ठेकेदार ने मार्च 2021 से काम बंद कर दिया था।

इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद और शहर के 10 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं के लिए एक अन्य ठेकेदार के बीच एक अनुबंध (जून 2020) निष्पादित किया गया था। ठेकेदार ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में इन वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण का कार्य किया। इस प्रकार, शहर में कोई भी वार्ड 2016-20 में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा के तहत आच्छादित नहीं किया गया था और 2020-22 के दौरान 50 वार्डों में से मात्र 10 वार्डों के घरों को द्वार-द्वार संग्रहण से आच्छादित किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर ने 2022-23 में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए एक निविदा जेम पोर्टल पर प्रकाशित किया था। तथापि, किसी भी फर्म ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।

तथ्य यह है कि इन प्रयासों के बावजूद, 2016-22 की अवधि के दौरान शहर के सभी वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा प्रदान नहीं की गयी थी।

नगर पालिका परिषद हाथरस

नगर पालिका परिषद हाथरस के नगरपालिका बोर्ड ने शहर के सभी 27 वार्डों में अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति (फरवरी 2019) प्रदान की। इसके बाद, नगर पालिका परिषद और मेसर्स अरवा एसोसिएट्स झांसी के बीच 27 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए एक अनुबंध (फरवरी 2020) निष्पादित किया गया था। तथापि, नगर पालिका परिषद ने 17 वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए फर्म को कार्यादेश निर्गत (अगस्त 2020) किया। परिणामस्वरूप, शहर के 10 वार्ड द्वार-द्वार संग्रहण सेवा से अनाच्छादित रहे। नगर पालिका परिषद ने द्वार-द्वार संग्रहण के अंतर्गत शेष वार्डों को शामिल न करने का कारण नहीं बताया।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि फर्म ने अक्टूबर 2020 से मार्च 2022 के दौरान मासिक बिल प्रस्तुत किया, जिसमें अलग-अलग संख्या में 16,950 से 19,483 घरों तथा 4,399 से 5,056 वाणिज्यिक संपत्तियों को आच्छादित करने का दावा किया गया। नगर पालिका परिषद ने मासिक बिलों में प्रस्तुत दावों के अनुसार फर्म को भुगतान किया। तथापि, नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (मार्च 2022) के अनुसार, 2020-21 के दौरान इन 17 वार्डों में 15,716 घर और 2,503 वाणिज्यिक संपत्तियां तथा 2021-22 में 15802 घर और 2571 वाणिज्यिक संपत्तियां थीं। इसके परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 30.22 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.4(ए)*** में वर्णित है।

अग्रेतर, अनुबन्ध के अनुसार फर्म को प्रथम वर्ष में सेवा प्रदान किये गये घरों से कम से कम 40 प्रतिशत उपयोक्ता प्रभार संग्रह करना था और बाद के दूसरे वर्ष से इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जानी थी। आगे, नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत बिलों के आधार पर फर्म को भुगतान करना था, जिसमें बिलों में दावा किये गये 60 प्रतिशत प्रभार और फर्म द्वारा संग्रह और जमा किये गये वास्तविक उपयोक्ता प्रभार शामिल थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 75.44 लाख के अनिवार्य न्यूनतम उपयोक्ता प्रभार के सापेक्ष फर्म ने सितंबर 2020 से मार्च 2022 तक मात्र ₹ 12.34 लाख (16 प्रतिशत) का संग्रह किया। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि फर्म को भुगतान प्रथम वर्ष में अनुबंध के अनुसार किया गया था। तथापि, दूसरे वर्ष के दौरान, नगर पालिका परिषद ने फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों में से अपेक्षित 50 प्रतिशत की कटौती के स्थान पर मात्र

40 प्रतिशत की कटौती की। जिसके कारण सितंबर 2021 और मार्च 2022 के मध्य ₹ 7.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.4(बी)*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि फर्म द्वारा सफाई निरीक्षक/सफाई नायक की पर्यवेक्षण में आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों का सत्यापन किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये घरों /वाणिज्यिक संपत्तियों के विवरण के सापेक्ष, घरों /वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की अधिक संख्या के लिए भुगतान किया गया था। अग्रेतर, दूसरे वर्ष का भुगतान उपयोक्ता प्रभार के अधिक अनिवार्य संग्रहण के समायोजन हेतु आवश्यक कटौती किये बिना ही किया गया था।

4.2.3.2 नगर पालिका परिषद लोनी में द्वार-द्वार संग्रहण के हेतु वाहनों और सफाईकर्मियों का अधिक प्रावधान किये जाने के कारण ₹ 3.68 करोड़ परिहार्य भुगतान

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.5, तालिका 2.3 में प्रावधान है कि हल्के वाणिज्यिक वाहन से एक वाहन चालक और दो हेल्पर के साथ 1,000 घरों (500 से 700 किलोग्राम क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक वाहन के प्रकरण में) या 1,500 से 2,000 घरों (700 किलोग्राम से अधिक क्षमता वाले हल्के वाणिज्यिक वाहन के प्रकरण में) को आच्छादित किया जा सकता है। इस मानक के आधार पर, राज्य सरकार ने भी यह उल्लेख किया था (अगस्त 2019) कि हल्के वाणिज्यिक वाहनों द्वारा औसतन 1,200 से 1,500 घरों को आच्छादित किया जा सकता है।

नगर पालिका परिषद लोनी ने फर्म मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेज, लखनऊ के साथ सभी वार्डों में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए ₹1.54 करोड़ मासिक भुगतान की सहमति के साथ एक अनुबंध (अगस्त 2018) किया। फर्म के स्वीकृत प्रस्ताव[13] के अनुसार, 33,000 घरों को 55 टाटा एस टिपर से आच्छादित किया जाना था, जिसमें प्रत्येक टिपर के साथ एक वाहन चालक और तीन सफाई कर्मी लगाये जाने थे। टिपर, वाहन चालक

[13] 55 टाटा एस टिपर x 3 सफाई कर्मी =165 सफाई कर्मी x 200 घर = 33,000 घर; 110 ई-रिक्शा ट्रॉली x 2 सफाई कर्मी = 220 सफाई कर्मी x 200 घर = 44,000 घर; 13 ट्रैक्टर ट्रॉली x 10 सफाई कर्मी = 130 सफाई कर्मी x 200 घर = 26,000 घर (कुल 1,03,000 घर)

और सफाई कर्मी के लिए भुगतान दरें क्रमशः ₹ 18,000, ₹ 12,762 और ₹ 9,162 प्रति माह थीं।

फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 में उपरोक्त निर्धारित मानकों के विपरीत था क्योंकि एक हल्के वाणिज्यिक वाहन द्वारा न्यूनतम 1,200 घरों को एक वाहन चालक और दो हेल्पर के साथ आच्छादित करने के मानक के विरुद्ध मात्र 600 घरों को एक वाहन चालक और तीन सफाई कर्मियों के साथ आच्छादित करने का प्रस्ताव दिया गया था । तथापि, नगर पालिका परिषद ने बाह्य सेवाप्रदाता फर्म के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहन और जनशक्ति के इस अधिक अनुमान पर विचार नहीं किया। फलस्वरूप, नगर पालिका परिषद प्रति टिपर 600 अतिरिक्त घरों को आच्छादित करने के अवसर से वंचित रहा और प्रत्येक टिपर के लिए एक अतिरिक्त सफाई कर्मी का प्रावधान किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 33,000 घरों के अनुमानित आच्छादन के लिए 55 टिपर, 55 वाहन चालक और 165 सफाई कर्मी की आवश्यकता थी, जबकि इसे मात्र 28 टिपर, 28 वाहन चालक और 56 सफाई कर्मी के साथ आच्छादित[14] किया जा सकता था। 33,000 घरों को आच्छादित करने के लिए 27 टिपर, 27 वाहन चालक और 109 सफाई कर्मी के अधिक प्रावधान के कारण नगर पालिका परिषद द्वारा नवंबर 2018 और नवंबर 2020 के मध्य द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं के लिए फर्म को ₹ 3.68 करोड़[15] का परिहार्य भुगतान किया गया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 4.5(ए)*** और ***(बी)*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद लोनी का उत्तर प्रतीक्षित था।

[14] टिपर्स की आवश्यक संख्या = (घरों की संख्या/प्रत्येक टिपर के साथ आच्छादित किये गये घर) = 33000/1200 =28; ड्राइवर = 28 एवं सफाई कर्मी = 28 x 2 सफाई कर्मी प्रति टिपर = 56.

[15] टिपर्स को किराये पर लेने पर ₹ 98.46 लाख के अधिक भुगतान और अतिरिक्त तैनात जनशक्ति पर ₹ 269.23 लाख के अधिक भुगतान की धनराशि का योग।

4.2.4 सामुदायिक/भण्डारण कूड़ेदानो के क्रय में अनियमिततायें

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट के संग्रहण और अपशिष्ट के द्वितीयक भण्डारण के लिए कूड़ेदानो का क्रय किये जिनमें निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयीं:

4.2.4.1 नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं में ट्विन बिन के क्रय पर अलाभकारी व्यय

राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) ने स्टैंड के साथ 250 हरे और नीले रंग के ट्विन बिन कूड़ेदान क्रय हेतु स्वीकृति (अक्टूबर 2018) प्रदान की एवं नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं को ₹ 13.13 लाख अवमुक्त किये। इन कूड़ेदान का उद्देश्य घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गीले और सूखे अपशिष्ट के पृथक संग्रहण के लिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं ने जेम पोर्टल के माध्यम से मैसर्स कैपिटल रिसेलर कासगंज को 250 कूड़ेदानो के लिए आपूर्ति आदेश (जनवरी 2020) दिया था। 188 कूड़ेदानो की आपूर्ति मार्च 2020 में प्राप्त हुई थी। नगर पालिका परिषद ने अवर अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग बदायूं और जलकल अभियंता, नगर पालिका परिषद बदायूं द्वारा आपूर्ति को संतोषजनक प्रमाणित करने के बाद फर्म को ₹ 12.78 लाख का भुगतान अवमुक्त (अप्रैल 2020) किया। तथापि, नगर पालिका परिषद में अधोमानक कूड़ेदानो की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत (मई 2020) के बाद जिलाधिकारी बदायूं के निर्देश पर की गयी जांच (जनवरी 2021) में आपूर्ति किये गये कूड़ेदान अधोमानक गुणवत्ता के पाये गये। इसके बाद, जिलाधिकारी बदायूं के निर्देशों (जनवरी 2021) के संदर्भ में, नगर पालिका परिषद दातागंज के अधिशाषी अधिकारी ने उत्तरदायी अधिकारियों और फर्म को अधोमानक कूड़ेदानो की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका परिषद के बैंक खाते में ₹ 12.78 लाख[16] जमा करने के लिए नोटिस

[16] मैसर्स कैपिटल रिसेलर: ₹ 6,39,200 अवर अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग बदायूं ₹ 4,79,400 और जलकल अभियंता, नगर पालिका परिषद बदायूं ₹ 1,59,800.

निर्गत किये (जनवरी और मई 2021)। तथापि, जून 2023 तक, धनराशि जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि क्रय किये गये कूड़ेदानो का उपयोग नहीं किया गया था और इन्हें कार्यालय की छत पर एक खुले क्षेत्र में भंडारित कर दिया गया था, जिससे उसमें ह्रास हो रहा था एवं उसमें जंग लग गयी थी जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

चित्र 4.2

नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं के कार्यालय की छत पर पड़े कूड़ेदान

इस प्रकार, नगर पालिका परिषद दातागंज, बदायूं में ट्विन बिन कूड़ेदानों के क्रय पर ₹ 12.78 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

राज्य सरकार और नगर पालिका परिषद ने उत्तर में स्वीकार (जून 2023) किया कि अब तक 170 कूड़ेदानो का उपयोग नहीं किया गया था और अधोमानक कूड़ेदानो के क्रय के लिए वसूली लंबित थी।

4.2.4.2 भण्डारण कूड़ेदानो का अवांछित क्रय

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12 में नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर विभिन्न उपकरणों और वाहनों के नियोजन के लिए सांकेतिक मॉडल की रूपरेखा दी गयी है, जैसा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की तालिका 2.4 और 2.5 में वर्णित है। इन तालिकाओं के अनुसार, 1,00,000 तक की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकाय को अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण के लिए तीन से चार घन मीटर क्षमता के पात्र क्रय करने चाहिए। इन पात्रों को चार प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र या प्रति 5,000 जनसंख्या पर एक की दर से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया, नगर पंचायत रेवती बलिया और नगर पालिका परिषद हाथरस ने द्वितीयक संग्रहण के लिए भण्डारण कूड़ेदानों के क्रय के लिए उपर्युक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.97 लाख का परिहार्य व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है।

- नगर पंचायत चितबडागांव बलिया ने 4.5 घन मीटर की क्षमता वाले 15 धातु के कूड़ेदानों का क्रय (मई 2020) किया, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12 में दिए गये मानकों के अनुसार आवश्यक पांच कूड़ेदानों से अधिक थे। इसी तरह, नगर पंचायत रेवती बलिया ने (दिसंबर 2019 और अप्रैल 2020) आवश्यक छ: कूड़ेदानों के सापेक्ष 18 कूड़ेदानों का क्रय किया। परिणामस्वरूप, कूड़ेदानों के अधिक क्रय पर ₹ 24.52 लाख का परिहार्य व्यय हुआ, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.6*** में वर्णित है। अग्रेतर, नगर पंचायत रेवती बलिया के पास इन कूड़ेदानों को उठाने के लिए मोटर चालित वाहन नहीं थे, जिससे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए इसके उपयोग पर प्रश्न चिन्ह उठता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत रेवती बलिया को भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 में दिए मानकों के सापेक्ष अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण के लिए अतिरिक्त द्वितीयक कूड़ेदानों की आवश्यकता थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अपशिष्ट का उत्पादन जनसंख्या पर निर्भर करता है और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 में शहर की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये द्वितीयक कूड़ेदानों की संख्या के लिए मानक दिये गये हैं।

- वर्ष 2021 में नगर पालिका परिषद हाथरस की अनुमानित जनसंख्या 1.58 लाख थी। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12 में उल्लिखित मानकों के अनुसार, वर्तमान अनुमानित जनसँख्या द्वारा उत्पन्न अनुमानित अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 3-4 घन मीटर क्षमता के 32[17] कूड़ेदानों की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने 2019-21 के दौरान 1.1 घन मीटर की क्षमता वाले 170[18] धातु के कूड़ेदानों का क्रय किया था। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद में भण्डारण कूड़ेदानों की कुल उपलब्ध क्षमता

[17] आवश्यक कूड़ेदान = 158461/5000 = 32 नग

[18] 2019-20 में 120 कूड़ेदान तथा 2020-21 में 50 कूड़ेदान क्रय किये गये

84.15 मीट्रिक टन[19] थी, जो 2020-21 के दौरान प्रतिदिन नगर पालिका परिषद में उत्पन्न होने वाले 32.25 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का 261 प्रतिशत और 2021-22 के दौरान प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 74 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का 114 प्रतिशत था। इसके बावजूद, नगर पालिका परिषद ने ₹ 21.45 लाख (मार्च 2022) की लागत से 4.5 घन मीटर की क्षमता वाले अतिरिक्त 25 धातु के कूड़ेदानों का क्रय किया, जिससे बचा जा सकता था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि परिसीमन के कारण 2021 में नगर पालिका परिषद की जनसंख्या में वृद्धि हुयी, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुयी और अतिरिक्त कूड़ेदानों की आवश्यकता हुई। राज्य सरकार ने अग्रेतर कहा कि नगर पालिका परिषद हाथरस द्वारा नियमों की जानकारी की कमी के कारण 4.5 घन मीटर क्षमता के कूड़ेदानों का क्रय किया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बचा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर पालिका परिषद हाथरस का परिसीमन राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022[20] में अधिसूचित किया गया था, जबकि अतिरिक्त द्वितीयक भंडारण कूड़ेदानों का क्रय मार्च 2022 में किया गया था। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद हाथरस का उत्तर बाद का विचार था।

4.3 परिवहन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में अपशिष्ट का परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय परिस्थितियों और भूमि भरण स्थल के स्थान के आधार पर, शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, जैसे ठेला गाडी, ऑटो टिपर, ट्रैक्टर, टिपर ट्रक और कॉम्पैक्टर।

4.3.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिये बिना विभाजन के वाहन/खुले वाहनों का उपयोग

स्रोत पृथक्करण को तभी सफल माना जाता है जब पृथक्कृत अपशिष्ट सम्पूर्ण परिवहन प्रक्रिया के दौरान पृथक रहे, चाहे परिवहन के दौरान उसे

[19] कुल उपलब्ध क्षमता = 170 x 1.1 घनमीटर =187 घन मीटर = 187 x 0.450 मीट्रिक टन /घनमीटर=84.15 मीट्रिक टन (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का घनत्व 450 किलोग्राम /घनमीटर मानते हुये)।

[20] शहरी विकास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या /9-1-2022-56 परि./22 दिनांक 04 नवंबर 2022.

सीधे प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधा पर या अंतरण स्थल के माध्यम से परिवहन किया जाय। इसके अतिरिक्त, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.2 निर्दिष्ट करती है कि अपशिष्ट को जनमानस की दृष्टि से बचाने एवं फैलने से रोकने के उपायों से युक्त अपशिष्ट परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को ढका जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले 1,659 टिपर में से मात्र 1,118 टिपर (67 प्रतिशत) में पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहण के लिए विभाजन था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.7*** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, इन शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन के लिए 362 ट्रैक्टर्स का उपयोग किया, जिनमें से 324 ट्रैक्टर में विभाजन नहीं था और 334 ट्रैक्टर खुले थे। मिश्रित अपशिष्ट को खुले वाहनों द्वारा ले जाया जा रहा था जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अपशिष्ट पृथक्करण के सम्पूर्ण अभ्यास और अपेक्षित उद्देश्य विफल हो गया ।

चित्र: 4.3

नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट

नगर निगम गाज़ियाबाद

4.3.2 प्राधिकार के बिना परिवहन वाहनों का उपयोग

मोटर वाहन अधिनियम के नियम 39, 56 और 146 में निर्दिष्ट किया गया है कि सभी मोटर वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र और उनके संचालन के लिए वैध बीमा होना चाहिए।

मार्च 2022 तक 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ***(परिशिष्ट 4.8)*** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से पता चला है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों में निम्नलिखित कमियाँ थी:

(i) **क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त फिटनेस प्रमाण-पत्र** - 2350 वाहनों में से 1620 वाहन (69%) बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र के थे; और

(ii) **क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत वाहन** - 529 (23 प्रतिशत) वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत नहीं थे; और

(iii) **वाहनों के लिए वैध बीमा** - 1441 (61%) वाहन बिना वैध बीमा के थे।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों में फिटनेस प्रमाण पत्र (69 प्रतिशत), पंजीकरण (23 प्रतिशत) और बीमा (61 प्रतिशत) के बिना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए वाहनों का उपयोग करते हुए पाये गये, जो नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की ओर से आंतरिक नियंत्रण की सामान्य कमी को दर्शाता है। ये कमियां विभाग के भीतर आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं।

4.3.3 परिवहन वाहनों का अनुश्रवण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 के अनुसार संचार प्रौद्योगिकियों, जैसे कि वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अनुश्रवण में एकीकृत किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से स्पष्ट हुआ कि 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 2350 परिवहन वाहनों में से 12 शहरी स्थानीय निकायों (27 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकाय) के 1677 वाहन (71 प्रतिशत) वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरणों से युक्त थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.9*** में वर्णित है। नगर निगम कानपुर के मामले में, सभी 178 वाहन वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली से युक्त थे। तथापि, नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ को छोड़कर नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने वाहनों पर स्थापित वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली के प्रभावी अनुश्रवण के समर्थन में लेखापरीक्षा को अभिलेखीय साक्ष्य जैसे अनुश्रवण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराये।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि नगर पालिका परिषद एटा द्वारा, ₹ 4.14 लाख की लागत से 50 वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरण क्रय (जुलाई 2020) किये गये थे, लेकिन ये उपकरण परिवहन वाहनों में स्थापित नहीं किये गये थे एवं स्टोर में पड़े थे। फलस्वरूप, नगर पालिका परिषद द्वारा अपशिष्ट परिवहन वाहनों की निगरानी वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरणों के बावजूद नहीं की जा रही थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद एटा में वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि नगर निगम लखनऊ, नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर और नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर में वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली युक्त वाहन थे जिनका अनुश्रवण किया जा रहा था।

राज्य सरकार के उत्तर के उपरांत भी, तथ्य यह है कि वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली उपकरण केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों के वाहनों में स्थापित किये गये थे, दो शहरी स्थानीय निकायों के वाहनों में आंशिक रूप से स्थापित किये गये थे और 18 शहरी स्थानीय निकायों के किसी भी वाहन में स्थापित नहीं किये गये थे, जबकि शेष 14 शहरी स्थानीय निकायों ने वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली युक्त वाहनों की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी। इस प्रकार, अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय परिवहन और संग्रहण दक्षता में सुधार करने के लिए अपशिष्ट परिवहन वाहनों के आवागमन का पता लगाने के लिए संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहे थे।

4.3.4 वाहनों के आंकलन के लिए त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण

4.3.4.1 राज्य मिशन निदेशक स्तर पर प्राथमिक परिवहन के लिए वाहनों का त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 2.3.12, तालिका 2.5 निर्दिष्ट करती है कि द्वार-द्वार संग्रहण का 75 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन का उपयोग करके किया जाना चाहिए और शेष

25 प्रतिशत निर्दिष्ट मानदंडों[21] के आधार पर तिपहिया साईकिल का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य मिशन निदेशक ने वर्तमान वाहन आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय में परिवहन वाहनों का गैप विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 45 में से सात शहरी स्थानीय निकायों में तिपहिया साईकिल और हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए गैप विश्लेषण त्रुटिपूर्ण था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.10*** में वर्णित है, क्योंकि इन शहरी स्थानीय निकायों में 2018-19 के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे को गैप विश्लेषण के लिए ध्यान में नहीं रखा गया था। परिणामस्वरुप, राज्य मिशन निदेशक ने तिपहिया साईकिल और हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत से 252 प्रतिशत और 55 प्रतिशत से 182 प्रतिशत तक अधिक प्रावधान किया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया कि इन सात शहरी स्थानीय निकायों में से छः शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2022 तक हल्के वाणिज्यिक वाहन की संख्या 87 प्रतिशत से 173 प्रतिशत तक अधिक थी और दो शहरी स्थानीय निकायों में तिपहिया साईकिल की संख्या 82 प्रतिशत से 117 प्रतिशत तक अधिक थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.11*** में दर्शाया गया है। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई में क्रय (मार्च 2020) किये गये 15 हल्के वाणिज्यिक वाहन में से दो का उपयोग नहीं किया जा रहा था और उन्हें नगर पालिका परिषद परिसर में निरर्थक रखा गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रिक्शा द्वारा संग्रहीत किये गये अपशिष्ट को प्रसंस्करण स्थल तक ले जाने के लिए अतिरिक्त टिपर्स का उपयोग किया जा रहा था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि कुछ शहरी स्थानीय निकायों को उनकी मांग पर अतिरिक्त रिक्शा के लिए वित्त पोषित किया गया था क्योंकि उनके पास औसत से अधिक संकरी गलियां थीं। तथापि, उत्तर शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की मौजूदा संख्या को ध्यान में रखे बिना त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता है ।

[21] नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.5, तालिका 2.3 में अनुमानित जनसंख्या प्रदान की गयी है जिसे विभिन्न प्रकार के द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों का उपयोग करके सेवा प्रदान की जायेगी।

4.3.4.2 द्वितीयक परिवहन के लिए वाहनों के आकलन के लिए त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 2.3.12, तालिका 2.4 और तालिका 2.5 के अनुसार, एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के द्वितीयक परिवहन के लिए एक रिफ्यूज कॉम्पैक्टर का उपयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से एक लाख से कम आबादी वाले तीन[22] निकायों में, राज्य मिशन निदेशक ने 2019-20 के दौरान प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में प्रति कॉम्पैक्टर ₹ 30 लाख की दर से निधि अवमुक्त किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.12*** में वर्णित है। इनमें से दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई और नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस) ने क्रमशः मार्च 2020 और जनवरी 2021 में ₹ 59.76 लाख की लागत से कॉम्पैक्टर क्रय किये गए। अग्रेतर, लेखापरीक्षा[23] के दौरान संयुक्त भौतिक सत्यापन में, दोनों कॉम्पैक्टर क्रय किये जाने के बाद से अप्रयुक्त पड़े थे जो राज्य मिशन निदेशक द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण गैप विश्लेषण को दर्शाते हैं।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि दोनों कॉम्पैक्टर शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किये जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों शहरी स्थानीय निकायों ने स्वीकार किया था कि कॉम्पैक्टर उपयोग में नहीं थे। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए कॉम्पैक्टर की स्वीकृति और क्रय के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी में उठाये गये विषय पर उत्तर नहीं दिया।

संक्षेप में : घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, भूमि भरण या क्षेपण स्थल पर किये जाने से जिससे अपशिष्ट पृथक्करण के सम्पूर्ण उद्देश्य एवं प्रयास विफल हो गये। सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। शहरी स्थानीय निकायों

[22] नगर पालिका परिषद् शाहाबाद (हरदोई) नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव (हाथरस) एवं नगर पालिका परिषद उतरौला (बलरामपुर)।

[23] नगर पालिका परिषद शाहाबाद (हरदोई) में मई 2022 तथा नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव (हाथरस) में मार्च 2022।

द्वारा क्रय किये गये वाहन पृथक्कृत अपशिष्ट का दक्षतापूर्वक संग्रहण और परिवहन करने के लिए उपयुक्त रूप से डिजाईन नहीं किये गए थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों से द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा का अपर्याप्त आच्छादन पाया गया।

***अनुशंसा 7**: राज्य सरकार को अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं और संग्रहकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करके अपशिष्ट के पृथक्करण को प्रोत्साहित करना चाहिये और सख्त अनुश्रवण और कार्यान्वयन व्यवस्था के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक्कीकृत अपशिष्ट को मिश्रित होने से रोकना चाहिये।*

***अनुशंसा 8:** सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का उपयोग समुचित क्रियाशीलता एवं धर्मकाँटा सुविधाओं के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*

***अनुशंसा 9:** राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण की उचित व्यवस्था हो और शहरी स्थानीय निकायों में सभी घर द्वार-द्वार संग्रहण सेवाओं से आच्छादित हों।*

अध्याय- V

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निस्तारण

अध्याय V: ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निस्तारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अपशिष्ट के प्रसंस्करण को किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण या नए उत्पादों में परिवर्तन के उद्देश्य से पृथक ठोस अपशिष्ट को निस्तारित किया जाता है। भारतीय कानून और नियम स्वास्थ्यकर भरण स्थल में कार्बनिक पदार्थों को निस्तारित करने की अनुमति नहीं देता है और अधिदेश है कि प्रसंस्करण एवं सड़क सफाई आदि से प्राप्त अस्वीकृत निष्क्रिय अपशिष्ट को भूमि भरण स्थल में निस्तारित किया जा सकता है। इस अध्याय में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन, भूमि भरण स्थलों और पुराने अपशिष्ट की स्थिति को आच्छादित किया गया है।

अध्याय का सारांश:

- वर्ष 2016-22 के मध्य एकत्र किए गए कुल अपशिष्ट के सापेक्ष राज्य स्तर पर 26 से 71 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शून्य से 63 प्रतिशत अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2005-15 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन स्कीम और राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से मात्र 20 संयंत्र स्थापित किए गए थे जिसमे से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के सापेक्ष 19 संयंत्रों का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था, तथापि, इन संयंत्रों को क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि मशीनरी क्रय नहीं की गयी थी |
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में कमी पायी गई थी।
- नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 42 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई थी। तथापि, 36 शहरी स्थानीय निकायों में मानकों की तुलना में आवंटित भूमि अपर्याप्त थी।

- शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के उचित निस्तारण की कमी के कारण पुराने अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई थी। 72 शहरी स्थानीय निकायों में अनुमानित पुराने अपशिष्ट की मात्रा 84.58 लाख मीट्रिक टन थी। शेष शहरी स्थानीय निकायों में सर्वेक्षण नहीं किये जाने के कारण पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया जा सका।

5.1 ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण की स्थिति

वर्ष 2016-22 की अवधि के दौरान राज्य और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में संग्रहीत और प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट की स्थिति ***परिशिष्ट 5.1(ए)*** एवं ***5.1(बी)*** में वर्णित है और **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: राज्य एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर संग्रहीत ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्करण की स्थिति

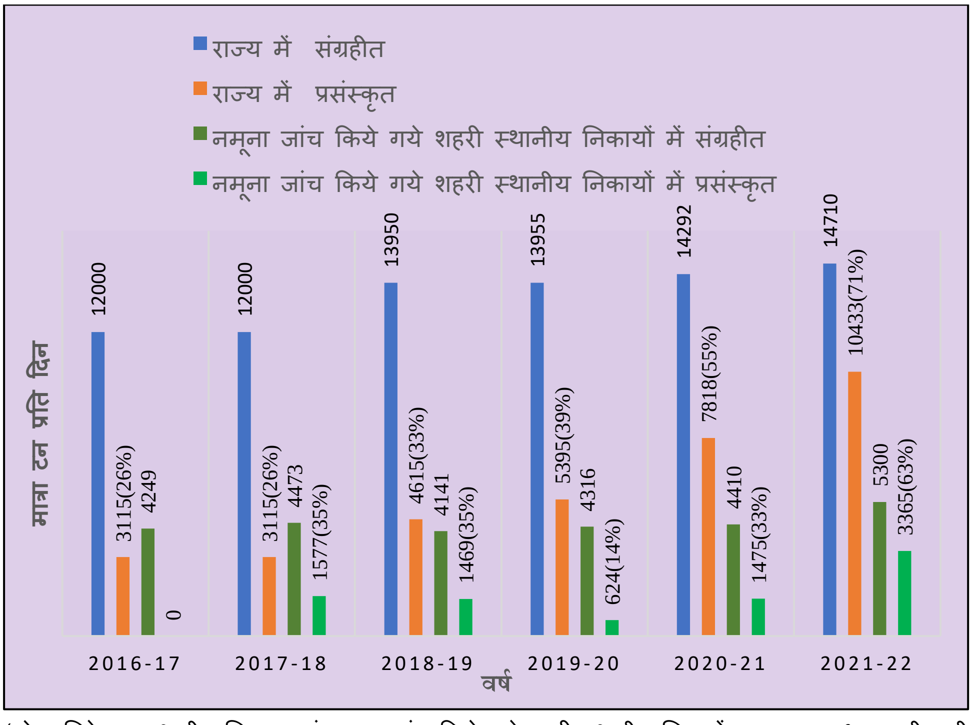

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

जैसा कि **चार्ट 5.1** में वर्णित है, वित्तीय वर्ष 2016-22 के दौरान, राज्य स्तर पर संग्रहीत अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट 26 से 71 प्रतिशत के मध्य था और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर, यह क्रमशः शून्य से 63 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार, राज्य स्तर पर अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थिति विगत कुछ वर्षों में 26 प्रतिशत (2016-17) से बढ़कर 71 प्रतिशत (2021-22) हो गयी।

अग्रेतर, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1 (ए)*** में वर्णित है, वर्ष 2016-22 के दौरान, राज्य स्तर पर उत्पन्न अपशिष्ट के सापेक्ष प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट 20 और 71 प्रतिशत के मध्य था और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर, यह शून्य और 60 प्रतिशत के मध्य था।

5.2 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(V) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और सम्बद्ध बुनियादी ढाँचा के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं। इन सुविधाओं को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के अधिकतम उपयोग और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के उद्देश्य से विकसित किया जा सकता है। स्थानीय प्राधिकारियों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण विधियों[1] को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार, एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले सभी स्थानीय निकायों को दो वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करना आवश्यक है।

2004-2015 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं[2] के अंतर्गत 8,550 टन प्रतिदिन की संचयी क्षमता वाले 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों[3] को स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-22 की अवधि में, राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों हेतु स्वच्छ भारत मिशन

---

[1] जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट के जैव-स्थिरीकरण हेतु जैविक मिथेनीकरण, कम्पोसटीकरण, कृमि कम्पोस्ट बनाना, अवाबुजीवी उपचारण या कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण।

[2] जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनान्तर्गत 27 संयंत्र, एयर फील्ड टाउन योजनान्तर्गत दो संयंत्र और शेष तीन संयंत्र राज्य सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत किये गए थे।

[3] 2004-05 (एक संयंत्र), 2005-06 (एक संयंत्र), 2006-07 (16 संयंत्र), 2007-08 (11 संयंत्र), 2011-12 (एक संयंत्र) और 2014-15 (दो संयंत्र)।

(शहरी) योजना के अंतर्गत 4,305 टन प्रतिदिन की संचयी क्षमता वाले 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को स्वीकृत दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नगर निगम गाजियाबाद में तीन संयंत्र और नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में एक स्क्रीनिंग/प्रोसेसिंग मशीन स्थापित की जानी थी, जिसे केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया था।

5.2.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

2005-15 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया था। तथापि, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मात्र 20 संयंत्र स्थापित किये गये थे, जिनमें से मात्र 15 संयंत्र संचालित थे और पांच संयंत्र असंचालित थे। शेष 12 संयंत्र स्थापित नहीं किये गये थे। इन संयंत्रों की स्थिति ***परिशिष्ट 5.2*** में दी गई है तथा **तालिका 5.1** में संक्षेप में दी गयी है।

तालिका 5.1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की मार्च 2022 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	संयंत्र की संख्या	स्वीकृत धनराशि
स्थापित संयंत्र		
संचालित संयंत्र	15	325.75
असंचालित संयंत्र [4]	5	41.55
योग	**20**	**367.30**

4 स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर पालिका परिषद बाराबंकी, मैनपुरी और रायबरेली में संयंत्र संचालित न होने का कारण नहीं बताया। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार: (i) नगर निगम बरेली में संयंत्र के लगभग एक वर्ष तक संचालन के बाद, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की आपत्ति के कारण संयंत्र बंद कर दिया गया और (ii) नगर पालिका परिषद फतेहपुर के प्रकरण में, प्रचालक के साथ विवाद के कारण संयंत्र का संचालन बंद हो गया।

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति	संयंत्र की संख्या	स्वीकृत धनराशि
अस्थापित संयंत्र		
निर्माण कार्य पूर्ण परन्तु मशीनरी आधिष्ठापित नहीं	1	11.81
निर्माणाधीन	6	58.27
भूमि अनुपलब्ध	2	23.13
भूमि विवाद	3	54.89
योग	**12**[5]	**148.10**
महायोग	**32**	**515.40**

(स्रोत: कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम और स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को कुल धनराशि ₹ 421.68 करोड़ निर्गत की गयी थी। इस धनराशि में से ₹ 361.95 करोड़ का उपभोग किया गया था, जबकि विभिन्न कारणों[6] से कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम के पास ₹ 59.73 करोड़ अप्रयुक्त रही। जुलाई 2023 तक, अवशेष धनराशि पर ₹ 29.97 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ। परिणामस्वरूप, कार्यदायी संस्था स्तर पर कुल धनराशि ₹ 89.70 करोड़ अवरुद्ध थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में विस्तृत रूप से वर्णित है ।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि संयंत्रों के रुकने या असंचालित होने के प्रकरणों को 2019 और 2022 के मध्य समाधान किया गया था। राज्य सरकार ने आगे बताया कि 10 संयंत्रों का निर्माण किया गया था और दो अन्य संयंत्रों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद रायबरेली में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए नयी निविदा निकाली गयी है।

राज्य सरकार द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान (जुलाई 2023) की गयी इन प्रसंस्करण संयंत्रों की आगे की स्थिति में निर्दिष्ट किया गया है कि 12 संयंत्र अभी

---

5 स्थानीय निकाय निदेशालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि 12 संयंत्रों को पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2024 है ।

6 भूमि विवाद, भूमि अनुपलब्ध, निर्माणाधीन संयंत्र, निर्गत धनराशि से कम में संयंत्र को पूर्ण करना।

तक स्थापित नहीं किये जा सके और पांच संयंत्र स्थापना के बावजूद असंचालित रहे। इसके अतिरिक्त, उत्तर में कार्यदायी संस्था स्तर पर धनराशि अवरुद्ध रखने के प्रकरण को इंगित नहीं किया गया। इन प्रसंस्करण संयंत्रों के प्रकरण में कमियों की चर्चा प्रस्तर 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 और 5.3.4 में की गयी है |

5.2.2 स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत राज्य के 36 शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने हेतु कार्यदायी संस्था थी। स्वीकृत लागत ₹ 370.41 करोड़[7] में से कुल ₹ 323.38 करोड़ निर्माण कार्यों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किये गये थे[8] और ₹ 278.01 करोड़ व्यय किये गये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में विस्तृत रूप में वर्णित है और **तालिका 5.2** में संक्षेप में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण कार्य की स्थिति

संयंत्र की स्थिति	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	संयंत्र की क्षमता (टन प्रतिदिन में)	(₹ करोड़ में)		
			स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित	14	1370	119.87	118.75	110.55
निर्माण कार्य पूर्ण	5	395	43.56	42.38	37.05
निर्माण कार्य प्रगति पर	14	2390	188.97	153.24	129.96
निर्माण कार्य अनारंभ	2	100	10.59	5.30	0
विवाद के कारण निर्माण कार्य बंद	1	50	7.42	3.71	0.45
योग	**36**	**4305**	**370.41**	**323.38**	**278.01**

(स्रोत: स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गयी सूचना)

---

7 अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 के दौरान विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

8 यह धनराशि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को किस्तों में माह नवंबर 2021, दिसंबर 2021, मई 2022, अगस्त 2022, अक्टूबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023 और जून 2023 में निर्गत की गयी थी।

जैसा कि **तालिका 5.2** से स्पष्ट है कि 17 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण किया जाना था। इसके अतिरिक्त, शेष 19 संयंत्र जहां कार्य पूर्ण हो गया था, इन्हें जून 2023 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि इन संयंत्रों के लिए मशीनरी क्रय नहीं की गयी थी।

छः[9] शहरी स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां प्रसंस्करण संयंत्र 200 टन प्रतिदिन क्षमता से अधिक का था, संयंत्रों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी सिद्धांत के आधार पर संचालित किया जाना था और मशीनरी शहरी स्थानीय निकायों/रियायतग्राही द्वारा क्रय की जानी थी। तथापि, इन छः प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए मशीनरी अभी तक (जुलाई 2023) क्रय नहीं गयी थी। शेष 30 शहरी स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार द्वारा मशीनरी क्रय करने के लिए निधियाँ प्रदान की जानी थीं। तथापि, राज्य सरकार को अभी भी शहरी स्थानीय निकाय को धनराशि निर्गत किया जाना शेष था (जुलाई 2023)|

इसके अतिरिक्त, टांडा अम्बेडकर नगर के एक संयंत्र के प्रकरण में, संयंत्र के निर्माण कार्य पर धनराशि ₹ 45.32 लाख व्यय की गयी थी। तथापि, भूमि विवाद के कारण कार्य रोक (अप्रैल 2022) दिया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि 14 संयंत्र जून 2023 से क्रियाशील हो जाएंगे और अतिरिक्त 22 संयंत्र दिसंबर 2023 तक क्रियाशील हो जाएंगे। तथापि, उपलब्ध कराया गया उत्तर आधारहीन है क्योंकि 17 संयंत्रों का सिविल कार्य अभी भी अधूरा था और जुलाई 2023 तक किसी भी संयंत्र में मशीनरी की स्थापना के लिए कोई निधि निर्गत नहीं की गई थी। अग्रेतर, टांडा अंबेडकर नगर संयंत्र के लिए वैकल्पिक स्थल कार्यदायी संस्था को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया था (अगस्त 2023)।

5.2.3 केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत वित्त पोषित प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

5.2.3.1 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर अलाभकारी व्यय

प्रताप विहार, गाजियाबाद में ₹ 4.61 करोड़ की अनुमानित लागत में 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला शोधन और निस्तारण संयंत्र

[9] नगर निगम बरेली, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर निगम गोरखपुर, नगर निगम झांसी, नगर निगम सहारनपुर, नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद।

(सितम्बर 2014) स्वीकृत किया गया था । कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को निधियाँ अवमुक्त[10] की गयी थी। संयंत्र का निर्माण मार्च 2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम ने ₹ 4.61 करोड़ की लागत में कार्य पूर्ण होने की सूचना दी (मई 2017)। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत इन्वेंट्री के दृष्टिगत, संयंत्र की कार्यक्षमता और भौतिक स्थिति का आँकलन करने के लिए नगर निगम और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन मई 2017 में किया गया था। समिति की रिपोर्ट में उपकरण और मशीनरी की कमियों[11] और संयंत्र की असंचालित स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण संयंत्र के अधिग्रहण को रोक दिया। तथापि, निर्माण एजेंसी ने संयंत्र को क्रियाशील करने के लिए कोई पहल नहीं की। दिसंबर 2021 में, नगर आयुक्त ने कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने और मूल प्रस्ताव के अनुसार परियोजना को नगर निगम को सौंपने का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा दल और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2022) में यह पुष्टि की गयी थी कि संयंत्र अक्रियाशील था और स्थल पर ट्रॉमेल[12] जीर्णशीर्ण स्थिति में था। तथापि, जनवरी 2023 तक, संयंत्र संचालित नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, प्रताप विहार क्षेपण स्थल पर पुराने अपशिष्ट की पर्याप्त मात्रा, लगभग पांच लाख मीट्रिक टन एकत्रित हो गयी और पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए दिसंबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान ₹ 15.40 करोड़ व्यय किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर निगम ने कार्यदायी संस्था से संयंत्र को क्रियाशील बनाने और इसे नगर निगम को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।

---

[10] मार्च, 2013 में रु 2.30 करोड़ और नवम्बर, 2014 में रु 2.30 करोड़ की दूसरी किस्त।

[11] सीवर पंप की स्थापना नहीं की , एक जेसीबी (लागत 27 लाख रुपये) और दो ट्रैक्टर (लागत 12 लाख रुपये) क्रय नहीं किये गये, बिजली आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त।

[12] ट्रॉमेल स्क्रीन एक घूमने वाला गोलाकार जालीदार ड्रम है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों को उनके आकार के आधार पर छांटता है।

5.2.3.2 नगर निगम गाजियाबाद में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना स्थापित करने में असामान्य विलम्ब

उत्तर प्रदेश सरकार ने[13] अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादित करने वाले संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया और नवंबर 2018 में जीसी इंटरनेशनल नीदरलैंड (डेवलपर) को सहमति पत्र निर्गत किया गया था। डेवलपर और नगर निगम गाजियाबाद के मध्य संयंत्र स्थापित करने के लिए अक्टूबर 2019 में एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। नगर निगम ने 1,21,082 वर्गमीटर भूमि डेवलपर को 30 वर्ष की अवधि के लिये, अनुमानित वार्षिक किराया ₹ 1.21 लाख पर पट्टे पर दी। संयंत्र में लगभग 2,300 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट की दैनिक क्षमता का अनुमान लगाया गया था, जिससे उत्पन्न होने वाले 50 से 60 मेगावाट विद्युत का निर्यात ग्रिड को सार्वजनिक-निजी भागेदारी सिद्धांत पर विद्युत खरीद समझौते के अंतर्गत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को 39.29 एकड़ भूमि हस्तांतरित की, और नगर निगम ने ₹ 14.28 करोड़ का व्यय करके किसानों से अतिरिक्त 4.96 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। नगर निगम द्वारा अनवरत पत्राचार के बावजूद, डेवलपर ने उत्तर नहीं दिया और कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2020 में, नगर निगम ने प्रकरण को उत्तर प्रदेश सरकार को डेवलपर को कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश देने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए संदर्भित किया । इसके अतिरिक्त, नगर निगम ने परियोजना[14] की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में चिंता जतायी (फरवरी 2021), अर्थात, प्रस्ताव की स्वीकृति, पट्टा विलेख के निष्पादन और किसानों से भूमि अधिग्रहण पर ₹ 14.28 करोड़ का व्यय करने के पश्चात।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि इस प्रकरण को संबोधित किए बिना मात्र नगर निगम गाजियाबाद के उत्तर को उद्धृत करते हुए कहा कि डेवलपर फर्म ने निर्दिष्ट भूमि पर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र

---

[13] जिला हापुड़ के गलंद में।

[14] ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए डेवलपर द्वारा प्रस्तुत (जुलाई 2019) प्रस्ताव में उद्धृत दरें ₹ 1,711.00 प्रति मीट्रिक टन थीं। नगर निगम के अनुसार, प्रस्तावित दरें बहुत अधिक होने के कारण, नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न 1,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्वयं के स्रोतों से प्रति वर्ष ₹ 93.68 करोड़ का अनुमानित व्यय वहन करने में असमर्थ था।

स्थापित करने के लिए कार्य प्रारम्भ नहीं किया था और डेवलपर को निर्देश निर्गत करने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

इस प्रकार, चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने और भूमि अधिग्रहण पर ₹ 14.28 करोड़ व्यय होने के बावजूद नगर निगम गाजियाबाद में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

5.2.3.3 नगर निगम गाजियाबाद में विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना पर ₹ 13.02 करोड़ का अविवेकपूर्ण व्यय

नगर निगम ने सितंबर 2020 में सार्वजनिक-निजी भागेदारी सिद्धांत के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसे गार्बेज फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। मैसर्स जेरोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्ष की रियायत अवधि के लिए परियोजना को निष्पादित करने के लिए रियायतग्राही के रूप में चयन किया गया था।

अनुबंध (अक्टूबर 2020) के अनुसार, नगर निगम को पूर्ण सिविल कार्य[15] बुनियादी ढांचे और कुछ वाहनों[16] के साथ रियायतग्राही को भूमि उपलब्ध करानी थी, जबकि रियायतग्राही अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए अपनी लागत पर आवश्यक मशीनरी[17] स्थापित करेगा। प्रारंभ में, परियोजना को दो स्थानों, सिहानी और रेत की मंडी/हिंडन विहार में 700 टन[18] प्रति दिन की संयुक्त क्षमता के साथ संचालित करने की योजना बनायी गयी थी, जिसे दो अतिरिक्त स्थानों के साथ 1,500 टन प्रति दिन तक बढ़ाया जा सकता है। नगर निगम ने दोनों स्थानों पर प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण पर ₹ 13.02 करोड़[19] व्यय किया (जनवरी 2023)।

---

[15] चहारदीवारी, प्रसंस्करण शेड, कंक्रीट फर्श, मशीन फाउंडेशन, भंडारण कक्ष, पूरी तरह से संचालित कार्यालय के साथ प्रशासनिक ब्लॉक, सभागार कक्ष, शौचालय, धर्मकाँटा कक्ष, श्रमिक कैंटीन और शौचालय, बागवानी और हरित क्षेत्र, फायर टैंक और उच्च दबाव अग्नि हाइड्रेंट प्रणाली, बोरवेल, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग।

[16] जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर।

[17] आकार और घनत्व पृथक्करण प्राप्त करने के लिए यंत्रीकृत पृथक्करण मशीनरी, विद्युत पैनल, डिजिटल धर्मकाँटा, आईटी सॉफ्टवेयर प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, जहां भी आवश्यक हो आईओटी सेंसर।

[18] सिहानी: 200 टन प्रतिदिन और रेत की मंडी/हिंडन विहार: 500 टन प्रतिदिन

[19] व्यय- सिहानी: ₹ 3.65 करोड़ और रेत की मंडी/हिंडन विहार: 14वें वित्त अनुदान से ₹ 9.37 करोड़।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि दोनों स्थानों पर स्थापित गार्बेज फैक्ट्री को अपशिष्ट प्रसंस्करण के उद्देश्य से क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही ने मशीनरी को गाजियाबाद में गार्बेज फैक्ट्री स्थल से मोर्टा स्थल पर विस्थापित कर दिया और अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रारम्भ (जुलाई 2022) कर दिया। जबकि, नगर निगम गार्बेज फैक्ट्री (सिहानी) के भाग का उपयोग सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के रूप में किया जा रहा था और रेत की मंडी में स्थापित गार्बेज फैक्ट्री का उपयोग अपशिष्ट बीनने वालों द्वारा पुनर्चक्रण योग्य समाग्री की छँटायी के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार, ₹ 13.02 करोड़ व्यय के बावजूद नगर निगम विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालन करने में असफल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर निगम ने जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट के प्रसंस्करण के उद्देश्य से गार्बेज फैक्ट्री का निर्माण यह मानते हुए प्रारम्भ किया कि सुविधा पर प्रसंस्करण के लिए घरों और अन्य प्रतिष्ठानों से पृथक्कृत अपशिष्ट प्राप्त होगा। तथापि, पृथक्कृत अपशिष्ट गार्बेज फैक्ट्री में नहीं प्राप्त हो रहा था। परिणामस्वरुप, नगर निगम ने सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के रूप में गार्बेज फैक्ट्री का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया।

तथ्य यह है कि परियोजना पर ₹ 13.02 करोड़ व्यय होने के बावजूद गार्बेज फैक्ट्री का उपयोग विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण के वांछित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था।

5.2.3.4 नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट स्क्रीनिंग मशीन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु 15वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर में ₹ 26.84 लाख की लागत से 10 टन प्रतिदिन प्रसंस्करण करने में सक्षम कन्वेयर के साथ एक स्क्रीनिंग मशीन[20] क्रय (मार्च 2021) की गयी। तथापि, इसे बिना उचित शेड वाले क्षेत्र में अधिष्ठापित किया गया था और संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2023) के दौरान मशीन असंचालित एवं निष्क्रिय पायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, मशीन को संचालित करने के लिए विद्युत संयोजन नहीं था, यद्दपि शहरी स्थानीय निकाय ने विद्युत

[20] अपशिष्ट से परिवर्तित खाद की स्क्रीनिंग के लिए।

संयोजन के लिए आवेदन किया था, जो मशीन के संचालन के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय की शिथिलिता को प्रदर्शित करता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर ने लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया।

5.3 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का संचालन और रखरखाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में छः[21] संयंत्र संचालित किये गये थे, जिनमें से वर्तमान में मात्र दो[22] संयंत्र ही संचालित थे और शेष चार[23] संयंत्र बंद पाए गये, जैसा कि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

5.3.1 लखनऊ में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थिति

लखनऊ शहर में दो प्रसंस्करण संयंत्र हैं: पहला एशिया बायोएनर्जी इंडिया लिमिटेड संयंत्र है जो बारावां खुर्द, लखनऊ (लखनऊ-हरदोई रोड) में स्थित है और दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र जो शिवरी, लखनऊ में स्थित है। तथापि, एशिया बायोएनर्जी इंडिया लिमिटेड संयंत्र को फरवरी 2004 में बंद कर दिया गया था और तब से यह बंद[24] है। दूसरी ओर, शिवरी, लखनऊ का ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र वर्तमान में संचालित है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

5.3.1.1 लखनऊ शहर के शिवरी में स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र

फर्म मेसर्स ज्योति एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अपशिष्ट के परिवहन और शिवरी, लखनऊ में स्थित 1,200 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए 30 वर्षों की अवधि के लिए चयन किया गया था। नगर निगम लखनऊ, कंस्ट्रक्शन

[21] दो संयंत्र लखनऊ में, एक संयंत्र कानपुर में, एक संयंत्र रायबरेली में, एक संयंत्र मुजफ्फरनगर में और एक संयंत्र रेवती बलिया में। यह संयंत्र (एबीआईएल संयंत्र लखनऊ और रेवती बलिया के अतिरिक्त) स्वीकृत 32 संयंत्रों में सम्मिलित थे जो प्रस्तर 5.2.1 में उल्लिखित हैं।

[22] एक संयंत्र लखनऊ में (शिवरी संयंत्र) और एक संयंत्र कानपुर में।

[23] एक संयंत्र (एबीआईएल) लखनऊ में, एक संयंत्र रायबरेली में, एक संयंत्र मुजफ्फरनगर में और एक संयंत्र रेवती बलिया में।

[24] संयंत्र की स्थापना 20 वर्ष पहले 300 टन प्रतिदिन पृथक्कृत जैव-अपशिष्ट की आवश्यकता के साथ की गयी थी। फर्म ने नगर निगम द्वारा आपूर्ति किये जा रहे अपशिष्ट में जैविक सामग्री की कमी का दावा किया और इसलिए, संयंत्र को बंद कर दिया।

एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम और मैसर्स ज्योति एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय रियायतग्राही अनुबंध निष्पादित (अक्टूबर, 2010) किया गया था। तथापि, अनुबंध के उल्लंघन के कारण फर्म की सेवाएं समाप्त (मार्च 2017) कर दी गयीं। इसके बाद, एक अन्य फर्म, इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उसी उद्देश्य के लिए चुना गया था, और नगर निगम लखनऊ, मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित (मार्च 2017) किया गया था। अनुबंध के अनुसार, नगर निगम को मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 1,604 प्रति मीट्रिक टन की दर से बख्शीश फीस का भुगतान करना था।

संयंत्र में पायी गयी कमियों पर आगामी प्रस्तरों के साथ-साथ ***परिशिष्ट 5.5*** में भी चर्चा की गयी है और संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर इसकी स्थिति **परिशिष्ट 5.6** में दर्शायी गयी है।

रियायतग्राही द्वारा बिल तैयार करना और नगर निगम द्वारा उसका भुगतान करना

अनुबंध के अनुच्छेद 10.2(सी) के अनुसार, रियायतग्राही के मासिक बिल अपशिष्ट के वजन के सत्यापन के लिए उत्तरदायी स्थानीय नगर निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि और स्वतंत्र अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित दैनिक वजन विवरण की मूल प्रति द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2017 से शहर में अपशिष्ट परिवहन और प्रसंस्करण कार्य प्रारम्भ किया, उसी अवधि से बख्शीश फीस बिलों का प्रस्तुतीकरण प्रारंभ हुआ। तथापि, संयंत्र में परिवहन और प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा के अनुश्रवण के लिए एक स्वतंत्र अभियंता [25] या किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की अनुपस्थिति के कारण अपशिष्ट प्रभंदन की वास्तविक मात्रा को सत्यापित करना असंभव था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनवरी 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों (धनराशि ₹ 215.89 करोड़) और पर्यावरण अभियंता के द्वारा सत्यापन के बाद भुगतान किये गये बिलों

[25] परियोजना के संचालन और रखरखाव की समीक्षा/निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र अभियंता को नियुक्त किया जाना था।

(धनराशि ₹ 169.21 करोड़) के मध्य काफी अंतर था, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.7*** में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस प्रकार, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से यह स्पष्ट था कि बिलों में उल्लिखित ठोस अपशिष्ट की मात्रा मनमाने तरीके से अंकित की गयी थी। अग्रेतर, प्रसंस्कृत अपशिष्ट की प्रामाणिकता के बारे में संशय था और बख्शीश फीस के रूप में भुगतान किया गया बख्शीश फीस ₹ 169.21 करोड़ को अनुबंध के अनुच्छेद 10.2(सी) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया था।

नगर निगम ने स्वीकार (जून 2023) किया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल शहरी स्थानीय निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि और स्वतंत्र अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दैनिक तौल विवरण द्वारा समर्थित नहीं थे। तथापि, शहरी स्थानीय निकाय ने बताया कि कमांड कंट्रोल केंद्र द्वारा अनुश्रवण किये गये संयंत्र के धर्मकांटा अभिलेख के आधार पर भुगतान किया गया था। राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर प्रेषित (जून 2023) नहीं किया।

अपशिष्ट के संदिग्ध प्रसंस्करण के लिए ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विभिन्न तिथियों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संपादित निरीक्षणों[26] के दौरान शिवरी लखनऊ में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र असंचालित पाया गया था। इसलिए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सितंबर 2019 और अक्टूबर 2020 के मध्य कुल 409 दिनों तक संयंत्र के असंचालन के लिए फर्म पर ₹ 14.41 करोड़[27] और ₹ 25.33 करोड़[28] की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती अधिरोपित की । तथापि, फर्म ने इस अवधि के लिए प्रसंस्करण शुल्क के बिल प्रस्तुत किये और नगर निगम ने सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान 3.20 लाख

---

[26] संयंत्र निरीक्षण तिथियां: 03.09.2019, 23.11.2019, 01.12.2019, 02.06.2020, 04.07.2020, 14.07.2020 और 28.10.2020।

[27] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फर्म पर 107 दिनों (03.09.2019 से 18.12.2019 तक) के डिफॉल्ट पर ₹14.41 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जुलाई 2020) अधिरोपित किया था।

[28] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 302 दिनों (01.01.2020 से 28.10.2020) के डिफाल्ट के लिए ₹ 25.33 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के लिए फर्म के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस (नवंबर 2020) निर्गत किया था। तथापि, फर्म से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होने के बाद, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उस अवधि के डिफॉल्ट पर ₹ 25.33 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जनवरी 2023) अधिरोपित की थी । क्षतिपूर्ति अभी तक जमा नहीं की गयी थी (फरवरी 2023)।

मीट्रिक टन अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए रियायतग्राही को कुल ₹ 5.28 करोड़ का भुगतान किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.8*** में विस्तृत रूप से वर्णित है । इस प्रकार, नगर निगम ने उस अवधि के लिए भी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बिल का भुगतान किया जब संयंत्र संचालित नहीं था।

नगर निगम लखनऊ के प्रतिनिधि के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 14 जनवरी, 2022 को संपादित किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि संयंत्र असंचालित था और कई महीनों से उपयोग में नहीं था, यद्यपि संयंत्र के कर्मचारियों ने सूचित किया कि सयंत्र लगभग एक महीने से असंचालित था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पर्यावरणीय प्रभाव[29] वाले अपशिष्ट/पुराने अपशिष्ट का काफी संग्रहण पाया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि अभिलेख के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमित अनुश्रवण के लिए 28 अक्टूबर 2020 को शिवरी संयंत्र का दौरा किया और पाया कि संयंत्र संचालन स्थिति में नहीं था। संयंत्र 3 नवंबर 2020 को फिर से संचालित हुआ। राज्य सरकार ने आगे उल्लेख किया कि नगर निगम लखनऊ द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2020 की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था। यदि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के असंचालन अवधि के लिए कोई भुगतान किया गया था, तो नगर निगम लखनऊ रियायतग्राही के आगामी बिलों से धनराशि की कटौती कर लेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाया था कि संयंत्र का सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 के मध्य संचालन नहीं हुआ था और तदनुसार 3 सितंबर 2019 से 28 अक्टूबर 2020 की अवधि के लिए कुल ₹ 39.74 करोड़ की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। अग्रेतर, नगर निगम लखनऊ ने भी लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में कहा कि जिस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी उस अवधि के दौरान संयंत्र का संचालन नहीं

[29] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण (जुलाई 2020) के समय, संयंत्र परिसर में जमा निक्षालक से नमूना एकत्र किया गया था और विश्लेषण रिपोर्ट में विभिन्न घटकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण (अगस्त 2022) से आगे पता चला कि ढेर या टीले के रूप में अनियमित और अलग-अलग ठोस अपशिष्ट जमा हो गया था। इस प्रकार, संयंत्र में प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था।

किया गया था। इसके अतिरिक्त, फर्म को नवंबर 2020 के लिए ₹ 41.81 लाख का प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया गया था। अत: राज्य सरकार को उस अवधि के दौरान, जब संयंत्र संचालित नहीं था, अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए फर्म को किये गये ₹ 5.28 करोड़ के भुगतान के लिए दोषी अधिकारियों की जांच करनी चाहिए और उनका उत्तदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

5.3.2 कानपुर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनान्तर्गत फरवरी 2011 में पनकी भवसिंह में 1,500 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए नगर निगम कानपुर, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम और ए2जेड इंफ्रा लिमिटेड गुड़गांव के मध्य एक त्रिपक्षीय रियायतग्राही अनुबंध पर अक्टूबर 2010 में हस्ताक्षर किये गये थे। तथापि, ए2जेड इंफ्रा लिमिटेड ने अप्रैल 2014 में पूर्णरूपेण संचालन बंद कर दिया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2016 में एक नये कन्सेसनायर, मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नियुक्त किया। मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के तकनीकी प्रबंधन के अंतर्गत एक स्पेशल परपज वेहिकल था। यह नियुक्ति ए2जेड के स्थान पर 30 वर्ष की अवधि के लिए वैध थी। उत्तर प्रदेश सरकार, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाईन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम कानपुर, मैसर्स अर्थ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मध्य एक परियोजना कार्यान्वयन अनुबंध पर दिसंबर 2016 में हस्ताक्षर किये गये थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पेशल परपज वेहिकल, मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अस्तित्व में नहीं आया। मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के सितंबर 2017 में अनुरोध के उत्तर में नगर निगम कानपुर ने मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड को पनकी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन की अनुमति दी। तथापि, मैसर्स आईएल एंड एफएस एनवायरनमेंटल

इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज से अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण अक्टूबर 2019 में संयंत्र के संचालन और रखरखाव को भी बंद कर दिया। इसके बाद संयंत्र का संचालन नगर निगम कानपुर द्वारा किया जा रहा था।

अनुबंध के अनुसार, रियायतग्राही (मैसर्स अर्थ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को परियोजना कार्यान्वयन अनुबंध के 83 सप्ताह में अपशिष्ट-से-ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित करना था, जिसे दिसंबर 2016 में निष्पादित किया गया था । तथापि, अपशिष्ट-से-ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था (जनवरी 2022)। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2014 से जून 2019 तक संयंत्र का विद्युत् संयोजन काट दिया गया था और नगर निगम ने लेखापरीक्षा को सूचित (जनवरी 2022) किया कि फर्म अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए अपने स्वयं के जनरेटर का उपयोग कर रही थी। वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त नहीं की गई थी और जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम कानपुर को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती[30] जमा करने की शर्त के साथ संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) निर्गत की गयी थी। इसके अतिरिक्त, संयंत्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2022) के दौरान देखी गयीं महत्वपूर्ण कमियों को ***परिशिष्ट 5.9*** में दर्शाया गया है।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिये एक नया अनुबंध किया गया है जिसके अंतर्गत 14.50 लाख मीट्रिक टन में से लगभग 6.60 लाख मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का पहले ही उपचार किया जा चुका था और यह प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्रतिदिन आने वाले नवीन अपशिष्ट को प्रसंस्कृत किया गया था। तथापि, राज्य सरकार ने संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयीं कमियों और अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्र स्थापित न किये जाने का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

[30] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ₹ 19.73 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए कारण बताओ नोटिस (जनवरी 2020) निर्गत किया गया था, परन्तु नोटिस का पालन न करने और बाद में अनुस्मारक निर्गत करने के कारण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ₹ 19.73 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित (जुलाई 2023) किया।

5.3.3 रायबरेली में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम जैतपुर, रायबरेली में कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एण्ड डिज़ाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 70 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित (अक्टूबर 2008) किया गया था। संयंत्र के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ शहर के अपशिष्ट निस्तारण के लिए, 30 वर्ष की अवधि हेतु, नगर पालिका परिषद रायबरेली और मैसर्स एकॉर्ड हाइड्रो एयर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ (फर्म) के मध्य नवंबर 2011 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे। फर्म ने नवंबर 2011 में संयंत्र का संचालन शुरू किया।

10 फरवरी, 2022 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि संयंत्र पूरी तरह से बंद था। संयंत्र की स्थिति से पता चलता है कि यह कई वर्षों से संचालित नहीं था। संयंत्र के नजदीक कई घर थे। स्थापित मशीनरी और वाहन खराब स्थिति में थे। इसके अतिरिक्त, संयंत्र के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर 76,000 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का क्षेपण किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि संयंत्र 2021 के मध्य तक संचालित था। तथापि, 2021 के बाद, जब संयंत्र का परिचालन बंद कर दिया, तो फर्म को कई पत्र भेजे गए जिसमें स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया और उनमें संयंत्र की कार्य क्षमता को पुर्नस्थापित करने का आग्रह किया गया। दुर्भाग्यवश, फर्म से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। परिणामस्वरूप, नगर पालिका परिषद ने फर्म को जुलाई 2022 में एक निष्कासन पत्र निर्गत किया। इसके अतिरिक्त, मध्यवर्ती परिक्षेत्र की स्थापना के संबंध में रायबरेली विकास प्राधिकरण के साथ लिखित और मौखिक संचार के बावजूद आवासों का निर्माण होता रहा।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 2021 के मध्य तक संयंत्र के संचालन का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं था। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद रायबरेली द्वारा प्रदान (अगस्त 2023) की गयी सूचना के अनुसार, नगर पालिका परिषद ने अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण और परिवहन के लिए मार्च 2016 तक फर्म को भुगतान किया था जोकि यह दर्शाता है कि फर्म ने उसके बाद नगर पालिका परिषद में सेवा प्रदान नहीं की थी।

5.3.4 मुजफ्फरनगर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

मुजफ्फरनगर के किदवई नगर में 120 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक संयंत्र अक्टूबर 2011 में स्थापित किया गया था। इसका संचालन मैसर्स ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। तथापि, संयंत्र को नवंबर 2018 में बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक बंद रहने के परिणामस्वरूप, संयंत्र की मशीनरी काफी खराब हो गयी।

संयंत्र का संचालन पुन: प्रारम्भ करने के लिए मशीनरी की मरम्मत करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, मैसर्स रोल्ज़ मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद की ₹ 39.50 लाख की निविदा स्वीकृत की गई थी। संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए अक्टूबर 2020 में शहरी स्थानीय निकाय और फर्म के बीच एक अनुबंध संपादित[31] किया गया था।

5 जुलाई, 2022 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान संयंत्र बंद पाया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि संयंत्र निचले इलाके में था, इसलिए अंदर जल जमाव होने के कारण यह पहुँच योग्य नहीं था | इसके अतिरिक्त, संयंत्र स्थल पर मिश्रित/ पुराने अपशिष्ट की काफी मात्रा का क्षेपण किया गया था, जिसकी वास्तविक मात्रा की गणना करना मुश्किल था।

चित्र 5.1

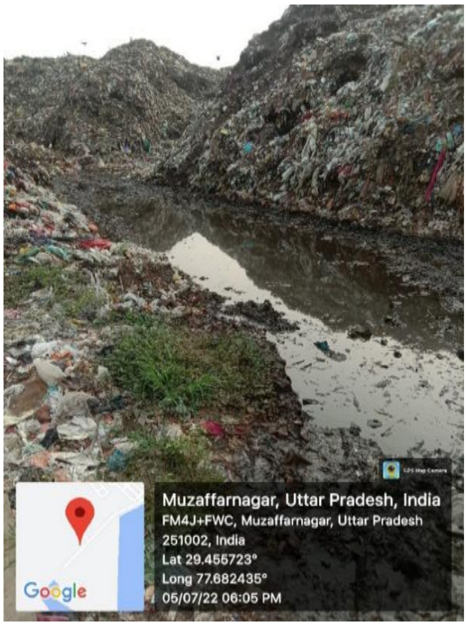

किदवई नगर, **मुजफ्फरनगर** (नगर पालिका परिषद **मुजफ्फरनगर**) **में** असंचालित **संयंत्र**

---

[31] अनुबंध के अनुसार, फर्म को ₹ 297 प्रति मीट्रिक टन की दर से प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान किया जाना था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र ठीक से संचालित है। तथापि, उत्तर में इस प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया कि संयंत्र जुलाई 2022 तक असंचालित क्यों था और क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट के संबंध में कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी थी।

5.3.5 रेवती बलिया में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थिति

नगर पंचायत ने 10 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली एकीकृत ठोस अपशिष्ट सुविधा के विकास और संचालन के लिए जुलाई 2020 में निविदायें आमंत्रित कीं। मशीनरी और उपकरणों की स्थापना का ठेका मैसर्स एएफसी इंडिया को ₹ 49.99 लाख[32] की एकमुश्त लागत पर दिया गया था। ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बख्शीश फीस ₹ 297.00 प्रति टन अनुमोदित किया गया था। फर्म को अगस्त 2020 में कार्यादेश निर्गत किया गया था और संयंत्र जनवरी 2021 में संचालित हो गया। नगर पंचायत ने प्रसंस्करण संयंत्र के निर्माण पर ₹ 165.88 लाख[33] का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपशिष्ट प्रसंस्करण कार्य उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां प्राप्त किए बिना प्रारम्भ किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 19(3) के अनुसार स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति सहित ये अनापत्तियां आवश्यक थी। फर्म ने जनवरी 2021 में अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रारंभ किया और मात्र 564 मीट्रिक टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया, जिसके लिए जनवरी और फरवरी 2021 में फर्म को ₹ 1.68 लाख बख्शीश फीस का भुगतान किया गया था। तथापि, मार्च 2021 में अपशिष्ट प्रसंस्करण रोक दिया गया था और संयंत्र परिसर में जलभराव के कारण जून 2022 तक कार्य अवरुद्ध रहा, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन में बताया गया है।

जून 2022 में किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि मशीनरी संयंत्र स्थल पर स्थापित की गयी थी, परन्तु यह

---

[32] नगर पंचायत ने फर्म को ₹ 19.03 लाख का भुगतान किया (अगस्त 2020) और ₹ 30.96 लाख प्रारम्भ में फर्म द्वारा निवेश किया गया था जिसे नगर पंचायत द्वारा फर्म को ब्याज के साथ वापस किया जाना था।

[33] निर्माण कार्य: ₹115.89 लाख, मशीनरी की क्रय पर व्यय: ₹ 19.03 लाख (नगर पंचायत) और ₹ 30.96 लाख (फर्म)।

संचालित नहीं थी और परिसर के अंदर जलभराव के कारण अपशिष्ट का प्रसंस्करण बाधित हो गया था। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे नाली, वयुपंक्ति चबूतरा और निक्षालक टंकी का निर्माण नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन किया गया था, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया गया था और अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र ही निर्गत हो जायेगी।

5.4 अपशिष्ट का निस्तारण

सभी अपशिष्ट जिन्हें पुन: उपयोग, पुर्नचक्रण या आगे प्रसंस्कृत नहीं किया जा सकता है, अंततः भूमि भरण स्थल विलीन हो जाता है, जो ठोस अपशिष्ट के लिए अंतिम गंतव्य के रूप में काम करता है। भूमि भरण स्थल को उचित नियंत्रण के माध्यम से अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

5.4.1 भूमि भरण की स्थिति

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नियम, 2016 के नियम 15 (डब्ल्यू) और 22 में कहा गया कि शहरी स्थानीय निकाय को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के अंदर स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से स्वास्थ्यकर भरण स्थल और संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र पाँच[34] शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के उद्देश्य से प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये गये थे। तथापि, इन पाँच संयंत्रों में से मात्र दो[35] ही संचालित पाये गये। उल्लेखनीय है कि जिन शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए थे वहाँ स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शेष शहरी स्थानीय निकायों में कोई स्वास्थ्यकर भरण स्थल नहीं था।

---

[34] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पंचायत रेवती बलिया।

[35] नगर निगम कानपुर और नगर निगम लखनऊ।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि स्वास्थ्यकर भरण स्थल को राज्य में स्थापित किये जा रहे प्रत्येक नगरीय ठोस अपशिष्ट की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का हिस्सा बनाया गया है| इसके लिए भूमि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जानी है।

5.4.1.1 भूमि भरण स्थलों को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने में विफलता

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11(एफ) और 12(ए) में उल्लिखित प्रावधानों में कहा गया है कि राज्य और जिला प्रशासन स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हींकरण और आवंटन की सुविधा के लिए उत्तरदायी हैं। यह प्रक्रिया नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूर्ण की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 592 शहरी स्थानीय निकायों ने प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से भूमि का चिन्हींकरण और आवंटन किया है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से तीन[36] निकायों ने मार्च 2022 तक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए अभी तक भूमि चिन्हित नहीं की थी।

इन शहरी स्थानीय निकायों ने, जिनके पास निर्दिष्ट भूमि भरण स्थलों की कमी थी, अनुचित अपशिष्ट निस्तारण पद्धतियों को अपनाया जैसे कि सड़कों के किनारे, तालाबों, नदियों और वार्डों के भीतर खुले क्षेत्रों के पास अपशिष्ट क्षेपित करना। शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि मिश्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का अनधिकृत और अस्वास्थ्यकर क्षेपण किया जाना प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सभी शहरी स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों को 2016 में उनकी जनसँख्या के अनुसार भूमि चिन्हित करने और अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया था जिसे 2019 में पुनः निर्देशित किया गया था।

[36] नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत, नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया और नगर पंचायत बकेवर इटावा।

तथ्य यह है कि मार्च 2022 तक 59 शहरी स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई थी।

5.4.1.2 जिला प्राधिकारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपर्याप्त भूमि के आवंटन के प्रकरण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12 (ए) के अनुसार, स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चिन्हींकरण और आवंटन में सहायता प्रदान करना राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व है। अग्रेतर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के राज्य मिशन निदेशक ने विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश (जून 2016) निर्गत किये और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। आदेश में शहरी स्थानीय निकाय के लिए भूमि आवश्यकताओं के मानकों को भी रेखांकित किया गया है, जो **तालिका 5.3** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

तालिका 5.3: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि के आवंटन के मानक

जनसँख्या	प्रसंस्करण संयंत्र हेतु भूमि	10 वर्ष के लिए स्वास्थ्यकर भरण स्थल के लिए भूमि
1 लाख तक	1 हेक्टेयर	4 हेक्टेयर
1 लाख से 5 लाख	प्रति लाख जनसंख्या पर 1 हेक्टेयर	2.5 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या
5 लाख से अधिक आबादी	प्रति लाख जनसंख्या पर 1 हेक्टेयर	1.5 हेक्टेयर प्रति लाख जनसंख्या

(स्रोत: राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन शहरी)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नमूना जांच किये गए 45 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 42 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए जिलाधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। तथापि, 36 शहरी स्थानीय निकायों (18 नगर पालिका परिषद और 18 नगर पंचायत) में आवंटित भूमि **तालिका 5.3** में उल्लिखित मानकों की तुलना में अपर्याप्त पायी गयी थी। आवश्यकता की तुलना में भूमि की कमी नगर पालिका परिषदों के लिए छः से 98 प्रतिशत और नगर पंचायतों के लिए 47 से 96 प्रतिशत के मध्य थी. जैसा कि ***परिशिष्ट 5.10*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन को सौंपा गया है। ***परिशिष्ट 5.10*** में उल्लिखित भूमि जो कि मानक से बहुत कम है, अन्य परियोजनाओं (सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, गड्ढा कम्पोस्टीकरण, इत्यादि) के लिए चिन्हित की गयी थी और स्वास्थ्यकर भरण स्थल के लिये भूमि अभी भी क्रय किये जाने की प्रक्रिया में थी।

5.4.1.3 भूमि भरण /प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त न किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (वाई) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को निस्तारण सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है यदि उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा प्रति दिन पांच मीट्रिक टन से अधिक है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि राज्य में 17 संचालित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में से मात्र तीन[37] ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से 36 शहरी स्थानीय निकाय प्रतिदिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे थे। तथापि, मात्र पाँच[38] शहरी स्थानीय निकायों ने प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की थीं और उनमें से मात्र दो[39] ही क्रियाशील पाये गये । अग्रेतर, मुजफ्फरनगर और रायबरेली में संयंत्र, जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में क्रियाशील बताया गया था, लेखापरीक्षा के दौरान अक्रियाशील पाये गये थे। इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय[40] ने प्रसंस्करण सुविधाओं या भूमि भरण स्थलों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया था।

---

[37] मैनपुरी, इटावा और प्रयागराज।

[38] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पंचायत रेवती बलिया।

[39] नगर निगम कानपुर और नगर निगम लखनऊ।

[40] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और नगर पंचायत रेवती बलिया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के प्रकरण में प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन था और नगर पालिका परिषद रायबरेली में प्रसंस्करण सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया जायेगा।

5.4.1.4 मध्यवर्ती परिक्षेत्र अधिसूचित न होना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 11(एल) में उल्लेखित है कि शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव, प्रति दिन पाँच टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के लिए मध्यवर्ती परिक्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 14(एच) में उल्लेखित है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मध्यवर्ती परिक्षेत्र बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करना चाहिए, जो प्रति दिन पाँच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का हथालन करने वाले विभिन्न आवासीय, वाणिज्यिक या अन्य निर्माण गतिविधियों को अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की बाहरी सीमा के बाहर प्रतिबंधित करते है।

अग्रेतर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अप्रैल 2017 में मध्यवर्ती परिक्षेत्र बनाये रखने के लिए दिशानिर्देश निर्गत किये थे, तत्पश्चात अप्रैल 2019 में स्पष्टीकरण जारी किये गये। स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रसंस्करण इकाई की सीमा से 200-500 मीटर तक भूमि क्षेत्र को सुविधा स्थापना से बाहर रखा जाना चाहिए, और इसे 30 वर्षों के लिए "विकास रहित क्षेत्र" के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिये। तथापि, इस भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 36 शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिदिन पाँच मीट्रिक टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते पाया गया, जिसका विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 5.11*** में दिया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 35 शहरी स्थानीय निकाय (बिलसंडा पीलीभीत के अतिरिक्त) को भूमि आबंटित की गई थी। तथापि, निदेशक स्थानीय निकाय ने सूचित (नवंबर 2021) किया कि वर्तमान में मध्यवर्ती परिक्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया गया है और मध्यवर्ती परिक्षेत्र घोषित करने के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके बाद, राज्य सरकार ने सूचित (जून 2023) किया कि नगर निगम

लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली और नगर पंचायत रेवती बलिया में मध्यवर्ती परिक्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार, 33 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अभी भी मध्यवर्ती परिक्षेत्र अधिसूचित करना शेष था।

5.4.1.5 भूमि भरण स्थलों के चयन/संचालन में अनियमितताएं

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची I(ए)(VII) भूमि भरण के लिए स्थल चयन हेतु मानदंड निर्धारित करती है। इन मानदंडों के अनुसार, भूमि भरण स्थल नदियों से 100 मीटर दूर, तालाबों, राजमार्गों, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर दूर और विमानपत्तनों या हवाई अड्डों से 20 किमी दूर स्थित होनी चाहिये। तथापि, भूमि भरण स्थलों और खुले क्षेपण स्थलों के चयन और संचालन में अनेकों अनियमितताएं पायी गयीं, जो इस प्रकार हैं:

- नगर पंचायत जहांनाबाद, पीलीभीत के प्रकरण में, ग्राम जहांनाबाद में स्थित 0.54 हेक्टेयर भूमि (गाटा संख्या 830) को भूमि भरण स्थल के लिए आवंटित किया गया था। तथापि, यह भूमि विवादित थी और प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। दिसंबर 2019 में, नगर पंचायत ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अन्यत्र उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रकरण रखा। जनवरी 2023 तक, वैकल्पिक भूमि अभी तक आवंटित नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, अनुपयुक्त स्थल चयन के कारण, नगर पंचायत ने सड़कों के किनारे, जलाशयों के समीप और आवासीय क्षेत्रों के सन्निकट ठोस अपशिष्ट क्षेपित किया जा रहा था, जैसा कि नगर पंचायत जहांनाबाद के कर्मचारियों के साथ किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान स्पष्ट हुआ।

चित्र 5.2

नगर पंचायत जहांनाबाद, पीलीभीत

- नगर पंचायत कटरा, शाहजहांपुर ने फरवरी 2020 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्राम भमौरी, तहसील तिलहर में ₹ 19.09 लाख लागत में 0.740 हेक्टेयर भूमि क्रय की थी । स्थानीय किसानों के विरोध के कारण इस भूमि का उपयोग न तो सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए और न ही अपशिष्ट क्षेपित करने के लिए किया जा रहा था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में पता चला कि नगर पंचायत द्वारा सड़क के किनारे मिश्रित अपशिष्ट क्षेपित किया जा रहा था, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

चित्र 5.3

नगर पंचायत कटरा, शाहजहाँपुर

- नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती ने रुद्र नगर में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र का निर्माण (जून 2020) प्रारम्भ किया। इस स्थल हेतु कोई पहुंच मार्ग नहीं था। पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता के कारण परिवहन वाहन इस स्थल तक नहीं पहुँच सकते थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2022) में पता चला कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र निर्माणाधीन था और नगर पंचायत द्वारा सड़क के किनारे मिश्रित अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के प्रतिकूल था।

चित्र 5.4

नगर पंचायत रुधौली बाजार, बस्ती

- जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्यकर भरण स्थल विकसित करने के लिए नगर पालिका परिषद सिकंदराराव, हाथरस को ग्राम सभा सिकंदराराव देहात में एक हेक्टेयर भूमि आवंटित (नवंबर 2020) किया गया था परन्तु भूमि भरण स्थल तक पहुंचने के लिए पहुँच मार्ग नहीं था। इसलिए, नगर पालिका परिषद ने भूमि भरण स्थल पर अपशिष्ट के परिवहन के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध (मार्च 2022) किया, तथापि, अभी तक (नवंबर 2022) यह उपलब्ध नहीं कराया गया था।

- नगर पंचायत राजापुर, चित्रकूट को जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा ग्राम मझगवां, तहसील राजापुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी। आबंटित भूमि यमुना नदी के समीप स्थित थी और इस भूमि पर एकत्र ठोस अपशिष्ट बाढ़ के दौरान नदी में मिश्रित हो जाने की संभावना थी और बरसात के मौसम के दौरान रिसने वाला निक्षालक नदी के जल को प्रदूषित कर सकता था। भूमि की अनुपयुक्तता और मृदा की स्थिति के कारण, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चित्रकूट ने जिलाधिकारी चित्रकूट से अनुरोध किया कि या तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये मुफ्त भूमि आवंटित की जाय या नगर पंचायत को 15वें वित्त आयोग अनुदान के टाईड मद से भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा न तो उपयुक्त भूमि आबंटित की गयी और न ही नगर पंचायत को भूमि क्रय करने की अनुमति दी गयी और नगर पंचायत ने उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट का क्षेपण करना जारी रखा, जो उपयुक्त नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि नदी के निकट आवंटित स्थल पर अपशिष्ट का ढेर लगा हुआ था। यह पाया गया कि वर्षा के

दौरान नदी के पानी में ठोस अपशिष्ट के मिश्रण को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

चित्र 5.6

नगर पंचायत राजापुर, चित्रकूट, यमुना नदी के निकट क्षेपित किया गया ठोस अपशिष्ट

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए जिलाधिकारी द्वारा अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध करायी गयी है और ग्राम मझगवां, तहसील राजापुर की भूमि पर क्षेपित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर दिया गया है।

- दिसंबर 2020 में, नगर पंचायत जरवल, बहराइच को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा 0.500 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी। यह भूमि सरयू नदी के निकट स्थित थी। इस स्थल पर सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के निर्माण के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट का क्षेपण किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, आवंटित भूमि रेतीली थी और नदी के पानी के कारण बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा था। जून 2021 में, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत जरवल ने जिलाधिकारी, बहराइच को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दूसरी उपयुक्त भूमि के आवंटन का प्रस्ताव भेजा। मई 2022 तक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं की गयी थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2022) में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त भूमि की कमी के परिणामस्वरूप, नगर पंचायत द्वारा लखनऊ-बहराइच राज्य राजमार्ग पर सड़क किनारे और मिल रोड चौराहा में आवासीय क्षेत्रों के समीप अपशिष्ट क्षेपित किया जा रहा था।

चित्र 5.7

नगर पंचायत जरवल, बहराइच

नगर पंचायत जरवल, बहराइच

- जिलाधिकारी औरैया ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उद्देश्यों के लिए सौंधेमऊ गांव में 1.2 हेक्टेयर भूमि आवंटित (नवंबर 2019) किया। चूंकि आवंटित स्थल शहर से काफी दूर (15 किमी) था, इसलिए नगर पालिका परिषद द्वारा इस स्थान पर ठोस अपशिष्ट का परिवहन नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप नगर पालिका परिषद द्वारा गुरसहायगंज-जालौन मार्ग के किनारे तथा जालौन मुख्य मार्ग पर ग्राम सबा खानपुर में सड़क किनारे आवासीय क्षेत्रों के निकट ही अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, आवंटित स्थल का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा था।

5.4.1.6 भूमि भरण स्थलों/प्रसंस्करण संयंत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I में उन आवश्यक सुविधाओं की रुपरेखा दी गयी है जो भरण स्थलों या प्रसंस्करण संयंत्रों पर मौजूद होनी चाहिए। **चार्ट 5.2** नमूना जांच किये गये पाँच[41] शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित पाँच ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में इन सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति को दर्शाता है। अग्रेतर, शेष 40 शहरी स्थानीय निकायों में कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए उपयोग किए जा रहे भरण स्थलों पर कोई निर्धारित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

[41] नगर निगम कानपुर, नगर निगम लखनऊ, नगर पालिका परिषद रायबरेली, नगर पालिका परिषद मुजफ्फर नगर, नगर पंचायत रेवती बलिया।

चार्ट 5.2: भूमि भरण स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

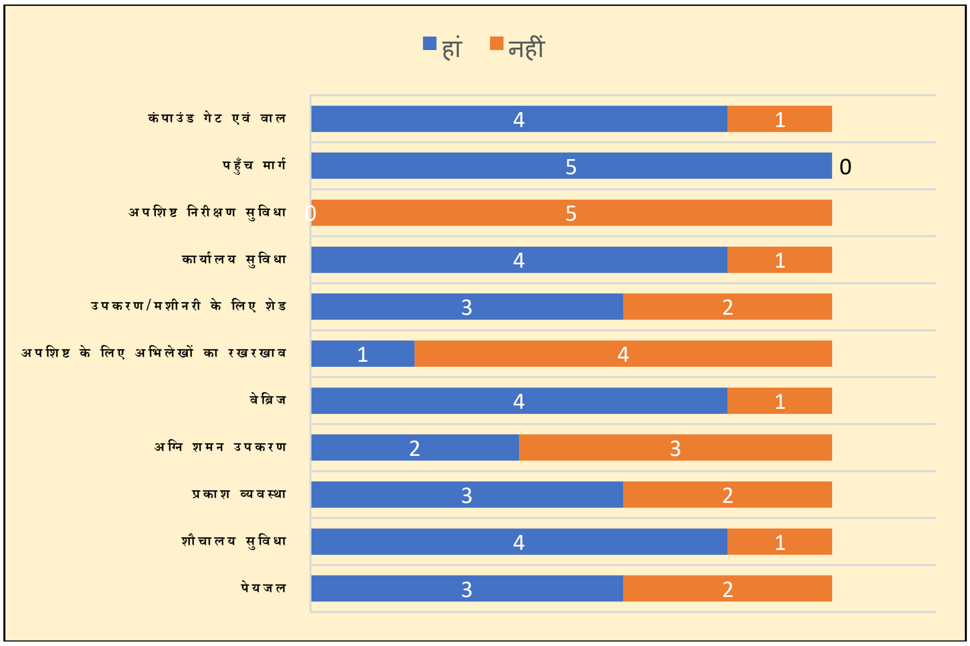

(स्रोत: नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत सूचना)

चार्ट 5.2 में यह स्पष्ट है कि नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में भूमि भरण स्थलों या प्रसंस्करण संयंत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्दिष्ट बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर (जून 2023) प्रस्तुत नहीं किया।

5.4.2 पुराने अपशिष्ट का निस्तारण

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची-I के खंड 'जे' में कहा गया है कि क्षेपित ठोस अपशिष्ट जो अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच गए हों या नवीन और उचित रूप से डिज़ाइन किये गये भूमि भरण स्थल की स्थापना के बाद अतिरिक्त अपशिष्ट प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और उनका नवीनीकरण[42] किया जाना चाहिए।

[42] पुनर्वास निम्नलिखित विकल्पों की जांच करके किया जाना है: (i) जैव खनन और अपशिष्ट प्रसंस्करण द्वारा अपशिष्ट को कम करना जिसके बाद नए भरण स्थलों या नीचे (ii) के अनुसार आच्छादन में अवशिष्टों को रखा जायेगा (ii) ग्रीनहाउस गैसों के संग्रहण और चमकाने /उपयोग में समर्थ बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट आवरण या जियोमेम्ब्रेन में संवर्धित ठोस अपशिष्ट आवरण से आच्छादित किया जाना (iii) ऊपर (ii) के अनुसार अतिरिक्त उपायों (जलोढ़ और अन्य खुरदरी दानेदार मिट्टियों में) जैसे संदूषित भूजल को निकालने और शोधित करने के लिए कट-ऑफ वॉल और निष्कर्षण कुओं में आच्छादन (iv) स्वीकार्य स्तर तक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त कोई अन्य पध्दति ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित सुविधाओं की स्थापना न होने और पुराने अपशिष्ट के उपचार और सुरक्षित निस्तारण में विफलता के कारण 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 650 पर ₹ 110.40 करोड़[43] की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती अधिरोपित करने के लिए नोटिस निर्गत किया। यह इंगित करता है कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया कि 651 शहरी स्थानीय निकायों में से 72 में पुराने अपशिष्ट का आँकलन पूर्ण हो चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि कुल 84,57,782 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का क्षेपण किया गया है ***(परिशिष्ट 5.12)***। तथापि, सर्वेक्षण न किए जाने के कारण शेष 579 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट की मात्रा का आँकलन नहीं किया जा सका। इस प्रकार, राज्य सरकार ने पुराने अपशिष्ट के निस्तारण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये।

इसके अतिरक्त, 20 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट स्थलों के जैव-उपचार (निस्तारण) और समाशोधन के लिए नवंबर 2021 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इनमें से 17 शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट का जैव-उपचार प्रगति पर था। तथापि, एक शहरी स्थानीय निकाय[44] में, फर्म के चयन के बावजूद, मशीनरी स्थापना के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण पुराने अपशिष्ट का जैव-उपचार प्रारम्भ नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, शेष दो शहरी स्थानीय निकायों[45] में, पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए फर्म का अभी तक चयन नहीं किया गया है *(**परिशिष्ट 5.13**)*। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार की स्थिति पर आगामी प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

[43] 15 नगर निगमों पर ₹ 14.55 करोड़ और 635 नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों पर ₹ 95.85 करोड़ ।

[44] नगर पालिका परिषद बलिया

[45] नगर पालिका परिषद बहराइच और नगर पालिका परिषद सीतापुर।

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में पुराने अपशिष्ट की स्थिति

- ***नॉर्थ रामपुरी, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर***

जुलाई 2022 में आयोजित संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि पूर्व में ठोस अपशिष्ट को शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में रुड़की रोड के किनारे क्षेपित किया जाता था। वर्तमान में, यह भूमि भरण स्थल शहर के मध्य में स्थित है, जो आवासीय क्षेत्रों के समीप होने के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। समय के साथ स्थल पर काफी मात्रा में पुराने अपशिष्ट जमा हो गया है, और इसके निस्तारण के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

चित्र 5.8

पुराना अपशिष्ट (नॉर्थ रामपुरी, रुड़की रोड, मुजफ्फरनगर)

- ***किदवईनगर, मुजफ्फरनगर***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 17 नवंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में पुराने अपशिष्ट के निस्तारण के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किया था। तदनुसार, पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए निविदा आमंत्रित (नवंबर 2021) की गयी और प्रेमपुरी निकट मछली तालाब किदवई नगर, मुजफ्फरनगर में 2.25 लाख मीट्रिक टन क्षेपित पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए धनराशि ₹ 986.24 लाख (₹ 439 प्रति मीट्रिक टन जीएसटी के अतिरिक्त) की मेसर्स एनवायर्नमेंटल टेक्नो, आगरा और मेसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली की निविदा स्वीकृत की गयी। उक्त फर्म द्वारा जैव-उपचार का कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 5 जनवरी 2022 और 4 सितंबर 2022 थी।

उक्त फर्म द्वारा 41,041.56 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का निस्तारण करने के बाद, मई 2022 में भुगतान के लिए नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर को धनराशि ₹ 2.02 करोड़ का बिल प्रस्तुत किया गया था। तथापि, जुलाई 2022 तक, नगर पालिका परिषद ने भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 5 जुलाई 2022 को संपादित संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि संयंत्र को बंद कर दिया गया था और, उचित निस्तारण के बजाय, कचरा व्युत्पन्न ईंधन, निष्क्रीय अपशिष्ट और मिट्टी को पृथक कर दिया गया और उसी स्थल पर क्षेपण कर दिया गया, जिससे पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के औचित्य के बारे में आशंका उत्पन्न हुयी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार के लिए संयंत्र वर्तमान में ठीक से काम कर रहा था और जुलाई 2022 तक कुल 58,341 मीट्रिक टन पुराने अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया था। तथापि, उत्तर से पुराने अपशिष्ट के जैव-उपचार की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं होती है|

संक्षेप में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन और राज्य सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से कार्यदायी संस्था द्वारा मात्र 20 संयंत्र स्थापित किये गये थे, जिनमें से पाँच संयंत्र असंचालित थे। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत 36 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के सापेक्ष 17 संयंत्रों का सिविल कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका और शेष 19 संयंत्र जहां सिविल कार्य पूर्ण हो गया था, उन्हें जून 2023 तक क्रियाशील नहीं किया जा सका क्योंकि इन संयंत्रों के लिए मशीनरी क्रय नहीं की गयी थी। नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में कमी पायी गयी थी। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के लिए चिन्हित भूमि की कमी थी और 36 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के प्रकरण में आबंटित भूमि अपर्याप्त पायी गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के उचित निस्तारण की कमी के कारण पुराने अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है जो बाद में पर्यावरण के प्रदूषित होने और परिवेश के मलिन होने का कारण बनता है।

अनुसंशा 10: *राज्य सरकार को नियमित रूप से उत्पादित ठोस अपशिष्ट और शहरी स्थानीय निकायों में क्षेपित किये गये पुराने अपशिष्ट का*

शीघ्रातिशीघ्र वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये।

अनुसंशा 11: *राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का संचालन सुनिश्चित करना चाहिये।*

अनुसंशा 12: *राज्य सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थलों पर शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त भूमि का आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।*

अध्याय- VI

विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन

अध्याय VI: विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन

इस अध्याय में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट), प्लास्टिक अपशिष्ट तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन सम्मिलित है।

अध्याय का सारांश:

- नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट का परिवहन किया जा रहा था एवं भूमि भरण अथवा संयत्र स्थल पर क्षेपित किया जा रहा था।
- नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के साथ संविदात्मक व्यवस्था स्थापित नहीं की थी।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 2016-17 से 2020-21 के मध्य राज्य में ई-अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और निस्तारण के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं था।
- नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट को एकत्रित कर अधिकृत विघटनकर्ताओं/ पुनर्चक्रणकर्ताओं तक भेजने के लिये कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, चार नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के परिसरों में ई-अपशिष्ट क्षेपित पाया गया।
- नमूना जांच किये गये 35 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 298.82 मीट्रिक टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गयी थी तथा ₹ 3.24 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया। तथापि, ज़ब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक में से मात्र 203.88 मीट्रिक टन का निस्तारण किया गया था, जबकि शेष 94.95 मीट्रिक टन मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार में था।
- नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था करने या अपशिष्ट पात्र उपलब्ध कराने में विफल रहे।

6 विशेष अपशिष्ट का प्रबंधन

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 7.1 के अनुसार, विशेष अपशिष्ट में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तथा प्लास्टिक अपशिष्ट सम्मिलित हैं। अग्रेतर, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण एवं विध्वंस के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली निर्माण सामग्रियां व छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े एवं मलबे सम्मिलित है जो निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 से आच्छादित होते हैं।

विशेष अपशिष्ट घरेलू स्तर पर भी उत्पन्न होते हैं जो अनुचित संग्रहण प्रणालियों या स्रोत पर पृथक्करण की कमी के कारण अक्सर मिश्रित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन धारा में विलीन हो जाते हैं। इन विशेष अपशिष्टों के प्रबंधन पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

6.1 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट के रूप में परिभाषित है, जो मानव या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या उनसे संबंधित अनुसंधान गतिविधियों से या जैविकीय उत्पादन या परीक्षण में स्वास्थ्य शिविरों में उत्पन्न होता है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (संशोधन) नियम, 2018 से शासित होता है। साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले परिसरों (अधिभोक्ता) से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का समय से संग्रहण करने तथा मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उसका परिवहन, हथालन, भंडारण, उपचार और निस्तारण करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए उत्तरदायी है।

6.1.1 घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का गैर-पृथक्करण

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूचीI के भाग 2(12) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों को घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को पृथक से एकत्रित करना चाहिए एवं अंतिम रूप से इसके निस्तारण हेतु इस अपशिष्ट का संग्रह साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा द्वारा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र से या सीधे घरों से करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में घरों से उत्पन्न जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर निगम गाजियाबाद को छोड़कर, शहरी स्थानीय निकायों ने साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के साथ संविदात्मक व्यवस्था नहीं की थी। फलस्वरूप, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट भूमि भरण या संयंत्र स्थलों पर परिवहन कर क्षेपित किया जा रहा था जो जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राविधानों के प्रतिकूल था।

राज्य सरकार ने जून 2024 तक लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया।

6.1.2 अनधिकृत अधिभोक्ता

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 10 के अनुसार, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन करने वाले प्रत्येक अधिभोक्ता या प्रचालक को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैलेंडर वर्ष 2017-21 के दौरान राज्य में 17 से 43 प्रतिशत अधिभोक्ता उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उचित प्राधिकार प्राप्त किये बिना संचालित हो रहे थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 6.1*** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सभी अनधिकृत अधिभोक्ताओं को नोटिस निर्गत किया तथा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

6.1.3 अपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम 2018 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी से दिसंबर तक की अवधि की एक वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (फॉर्म-IVA) में संकलित करके प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधूरे विवरण/सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार की, जिसके परिणामस्वरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणीवार मात्रा यथा पीला, लाल, सफेद एवं नीला तथा उपचार का विवरण और निस्तारण विधियों (जैसे-भस्मीकरण, आटोक्लेव आदि) के आवश्यक विवरण एवं आकड़ों की अनुपलब्धता थी। कैलेंडर वर्ष 2016-21 के दौरान जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण का विशिष्ट विवरण ***परिशिष्ट 6.2*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणीवार मात्रा का विवरण उपलब्ध कराने के लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिये गये थे। तथापि, निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट तैयार न करने के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में उठाए गये प्रकरण पर राज्य सरकार ने उत्तर नहीं दिया।

6.1.4 साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 की अनुसूची III के खंड 6(xi) के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के संपादन एवं सहयोग हेतु उत्तरदायी था।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 की उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, राज्य में 22 साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा संचालित थे। तथापि, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा में संपादित की गयी तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। परिणामस्वरूप, साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित नियमों का नियमित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निर्देश निर्गत (मई 2023) किया था।

6.2 इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट)

भारत सरकार द्वारा मार्च 2016 में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया गया था, जो 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी हो गया। इन नियमों के अंतर्गत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के उत्तरदायित्वों में ई-अपशिष्ट का सूचीकरण, विनिर्माताओं, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को प्राधिकार प्रदान करना और उनका नवीनीकरण करना तथा विनिर्माताओं, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं को प्रदान किये गये प्राधिकार के संबंध में ऑनलाइन सूचना का रख-रखाव करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ***(परिशिष्ट 6.3)*** के अनुसार, राज्य में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए निर्माता, नवीनीकरणकर्ता, संग्रहण केंद्र, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ताओं की संख्या वर्ष 2017 में 30 से बढ़कर वर्ष 2021 में 116 हो गई। वर्ष 2021 के दौरान सभी 116 इकाइयों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया गया था, यद्धपि 2017-20 की अवधि के दौरान अपंजीकृत प्रतिष्ठान 13 से 24 प्रतिशत के मध्य थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 2016-17 से 2020-21 तक के ई-अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण एवं निस्तारण से सम्बन्धित विवरण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास नहीं थे। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मार्च 2022 तक की प्रस्तुत (अक्टूबर 2022) की गयी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्योगों से मासिक औसत आधार पर उनकी मात्रा के साथ-साथ एकत्र किये गये श्रेणीवार अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से पुर्नप्राप्त सामग्री का विवरण और उपचार, भंडारण और निस्तारण सुविधा पर प्राप्त सीएफएल की सूचना प्राप्त नहीं हुयी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रारूप के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार और संकलित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संग्रहीत किये गये ई-अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से पुर्नप्राप्त सामग्री आदि के संबंध में अपेक्षित जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जैसा कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में परिकल्पित थी।

6.2.1 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन की स्थिति

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन की स्थिति नीचे चर्चा की गयी है:

6.2.1.1 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट का प्रतिधारण

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 में प्रावधानित है कि प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, थोक उपभोक्ता, संग्रह केंद्र, व्यापारी, नवीनीकरणकर्ता, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए ई-अपशिष्ट का भण्डारण कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया कि नमूना जांच किये गये चार[1] शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट को अपने परिसरों में कई वर्षों से क्षेपित किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

चित्र 6.1

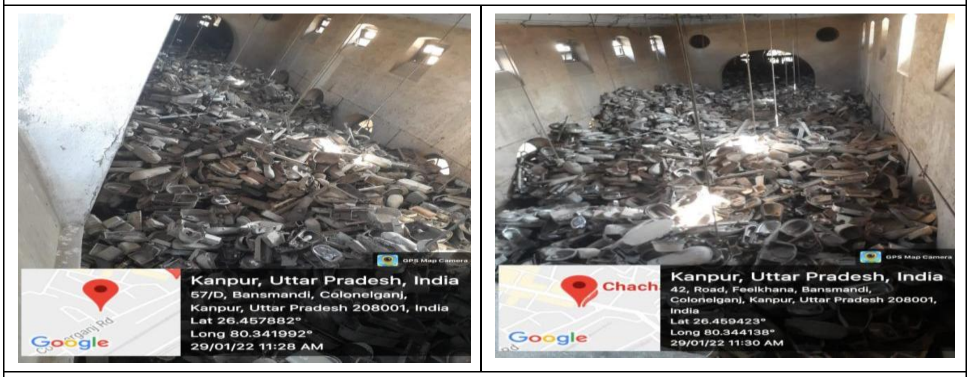

नगर निगम कानपुर (3 वर्ष से अधिक समय से क्षेपित ई-अपशिष्ट)

नगर निगम गाजियाबाद (लगभग 3 वर्षों से क्षेपित ई-अपशिष्ट)

[1] नगर निगम कानपुर, नगर निगम गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद औरैया तथा नगर पालिका परिषद उतरौला

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>नगर पालिका परिषद औरैया
(विगत कई वर्षों से क्षेपित ई- अपशिष्ट)</td>
<td>नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर
(विगत कई वर्षों से क्षेपित ई- अपशिष्ट)</td>
</tr>
</table>

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त नमूना जांच किये गये चार शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया तथा अधिकृत एजेंसियों को निस्तारण हेतु सौपने के बजाय अपने परिसरों में क्षेपित किया। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट का प्रतिधारण करना ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रतिकूल था।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने उत्पन्न, संग्रहीत और निस्तारित किये गये ई-अपशिष्ट की प्रकृति और मात्रा को इंगित करने वाले आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया। इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रभावी ढंग से न तो योजना बनाया और न ही निगरानी की।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि नगर निगम कानपुर में ई-अपशिष्ट के निस्तारण/नीलामी के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

6.2.1.2 शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची IV शहरी स्थानीय निकायों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व निर्धारित करती है:

(i) यह सुनिश्चित किया जाय कि ई-अपशिष्ट यदि नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया जाता है तो इसे उचित रूप से पृथक किया जाय, संग्रहीत किया जाय एवं पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं को सौंप दिया जाय।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाय कि लावारिस उत्पादों[2] से संबंधित ई-अपशिष्ट को एकत्र किया जाय तथा अधिकृत पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा जाये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में घरों द्वारा ई-अपशिष्ट अलग से सौंपा नहीं गया था, बल्कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित था। तथापि, नगर निगम गाजियाबाद[3] के अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट एकत्र करने और प्राधिकृत विघटनकर्ताओं/ पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजने के लिए कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के पास उत्पन्न ई-अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में कोई सूचना नहीं थी।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर प्रेषित नहीं किया (जून 2024)।

6.3 प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार द्वारा 18 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 6(1) में प्राविधानित है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए आधारभूत संरचना के विकास और स्थापना के लिए या तो स्वतंत्र रूप से या एजेंसियों या उत्पादकों को सम्मिलित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए मौजूदा निस्तारण क्षमता 722.50 टन प्रतिदिन थी, जबकि अनुमानित उत्पादन 1030 टन प्रतिदिन था (***परिशिष्ट 6.4***)। इस प्रकार, प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण हेतु राज्य में मौजूद आधारभूत संरचना अनुमानित उत्पादन की तुलना में अपर्याप्त थी।

---

[2] ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत लावारिस उत्पाद अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट गैर ब्रांड के या संयोजित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या किसी ऐसी कम्पनी द्वारा उत्पादित उपस्कर अभिप्रेत है जिसने अपना प्रचालन बंद कर दिया हो, के रूप में परिभाषित है।

[3] नगर निगम गाजियाबाद ने ई-अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और पुनर्चक्रण/ प्रसंस्करण/निस्तारण के लिए मैसर्स एटेरो रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगस्त 2022 से अनुबंध किया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उचित प्रबंधन प्रक्रियाओं को नहीं पाया। किसी भी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त)[4] में प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक नहीं किया जा रहा था। पृथक्करण की अनुपस्थिति में, सभी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय मिश्रित अपशिष्ट को एकत्रित कर भूमि भरण स्थल पर परिवहन कर रहे थे। इन शहरी स्थानीय निकायों ने पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट अंश पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौपना भी सुनिश्चित नहीं किया। नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय में सभी हितधारकों की उनके उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता संतोषजनक नहीं थी और नगर निगम गाजियाबाद को छोड़कर किसी भी नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के अभियान के संबंध में कोई साक्ष्य/अभिलेखीकरण नहीं पाया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को संसाधन पुनर्प्राप्ति हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करने के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र के सिविल निर्माण और मशीनरी के लिए धनराशि प्राप्ति हुयी है। इसके अतिरिक्त, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और आगरा में कुल 3,850 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकायों की विफलता के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणी पर विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

6.3.1 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जब्त प्रतिबंधित प्लास्टिक का निस्तारण

प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरण योग्य अपशिष्ट के उपयोग और निस्तारण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000 लागू (नवंबर 2000) किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य गैर-जैवनिम्नीकरण योग्य अपशिष्ट (विनियमन) अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचना (जुलाई 2018) निर्गत किया था। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा

[4] नगर निगम गाजियाबाद में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक किया जा रहा था।

एक बार उपयोग के बाद निस्तारण योग्य अभिप्रेत प्लास्टिक या थर्माकोल से बने कप, गिलास, प्लेट, चम्मच आदि के उपयोग, निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45 शहरी स्थानीय निकायों में से 36 में की गयी छापेमारी के दौरान कुल 298.82 मीट्रिक टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गयी और ₹ 3.24 करोड़ जुर्माना राशि वसूल की गयी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 6.5*** में दर्शाया गया है । तथापि, जब्त की गयी प्रतिबंधित प्लास्टिक में से मात्र 203.88 मीट्रिक टन का निस्तारण किया गया था, जबकि शेष 94.95 मीट्रिक टन नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार में था। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से नौ[5] ने कोई छापामारी नहीं की। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट क्षेपण स्थलों पर फेंका जा रहा था जो प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निष्प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि समस्त प्रतिबंधित और जब्त की गयी प्लास्टिक निस्तारण हेतु सीमेंट कारखानों में भेज दी गयी थी; साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सड़क निर्माण संगठनों को चारकोल के रूप में उपयोग के लिए प्रदान किया गया। तथापि, उत्तर नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनिस्तारित जब्त प्लास्टिक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के विपरीत है।

6.4 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

केंद्र सरकार द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को 29 मार्च, 2016 में अधिसूचित किया गया था। ये नियम व्यक्तियों, संगठनों या प्राधिकरणों द्वारा किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण, पुर्नरचना, अनुरक्षण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट पर लागू होते हैं। इसमें निर्माण सामग्री, मलबा और पत्थर के टुकड़े जैसे अपशिष्ट शामिल हैं।

5 नगर पालिका परिषद पीलीभीत, नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई, नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर, नगर पालिका परिषद शामली, नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर, नगर पंचायत बिठूर कानपुर, नगर पंचायत बल्देव मथुरा, नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर और नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर।

6.4.1 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण हेतु कोई योजना या उपविधि तैयार नहीं की है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास[6] निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का कोई सुव्यवस्थित आंकड़ा नहीं था। शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पर वार्षिक सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित नहीं कर रहे थे जैसा कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के तहत आवश्यक था। परिणामस्वरूप, राज्य और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से किसी भी निकाय (नगर निगम गाजियाबाद के अतिरिक्त) द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण से संबंधित अभिलेख या रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। परिणामस्वरूप, राज्य में उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा के निर्धारण के अभाव में इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नीति बनायी गयी है। राज्य सरकार ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) और स्वच्छता नियम, 2021 में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के सम्बन्ध में एक खंड सम्मिलित है। तथापि, लेखा परीक्षा में उठाए गए विशिष्ट प्रकरण जैसे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक सूचना प्रस्तुत न करने और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन/प्रसंस्करण हेतु अभिलेखों की अनुपलब्धता को राज्य सरकार के उत्तरों में संदर्भित नहीं किया गया था।

[6] निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उत्पादन, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, भूमि भरण आदि के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित आंकड़े प्रतिवर्ष फॉर्म III के माध्यम से राज्य पप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

6.4.2 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के लिए स्थल चिह्नित न किया जाना

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 8(2) के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को प्राधिकार देने के लिए उत्तरदायी है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध (दिसंबर 2021) करायी गयी सूचना के अनुसार, 2016-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्राधिकार हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करने या भंडारण हेतु पात्र उपलब्ध कराने में विफल रहे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि नगर पालिका परिषद् उतरौला में मलबा निस्तारण स्थल के अभाव में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को सड़क किनारे डाल दिया गया था और शहरी ठोस अपशिष्ट क्षेपण स्थल पर शहरी ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट क्षेपित किया जाना पाया गया, जैसा कि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:

चित्र 6.2

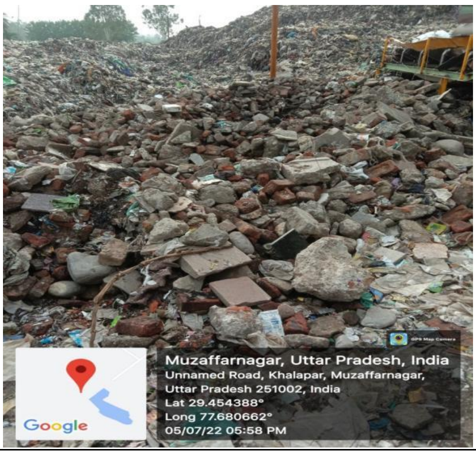

नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में संयंत्र स्तर पर क्षेपित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

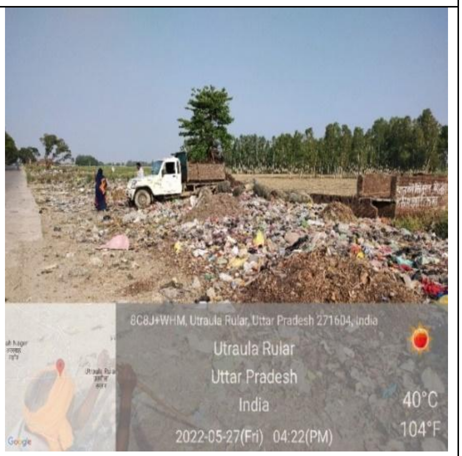

नगर पालिका परिषद उतरौला में सड़क किनारे पड़ा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राज्य स्तर पर या नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्राधिकार के लिये निर्देश निर्गत किया था। नगर विकास विभाग द्वारा सात मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा था। राज्य सरकार ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, नोएडा में 800 टन प्रतिदिन क्षमता की निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधायें संचालित हैं और गाजियाबाद[7] में 400 टन प्रतिदिन क्षमता की निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा आंशिक रूप से संचालित है।

6.4.3 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की स्थिति

राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्य के नौ शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए 720 मीट्रिक टन की संचयी क्षमता वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए ₹ 36.47 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन प्रदान किया (नवम्बर 2021) ***(परिशिष्ट 6.6)***। इन नौ प्रस्तावित संयंत्रों में से**,** मुरादाबाद, गोरखपुर और मथुरा (वृंदावन) में प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए निविदाएं की गयी थीं, जबकि छः शहरी स्थानीय निकायों में, जून 2023 तक निविदा प्रक्रियाधीन थी। इस प्रकार, नवंबर 2021 में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के बावजूद निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी पर उत्तर प्रेषित नहीं किया (जून 2024)।

---

[7] उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (दिसंबर 2021) कि गाजियाबाद और नोएडा में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को प्राधिकार की स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं प्राप्त हुये थे, तथापि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन संयंत्रों को सहमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये थे।

संक्षेप में, घरेलू जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट का परिवहन एवं क्षेपण भूमि भरण या संयंत्र स्थलों पर किया जा रहा था। राज्य में ई-अपशिष्ट के उत्पादन, संग्रहण और निस्तारण के विवरण का रखरखाव नहीं किया गया था। अग्रेतर, प्रतिबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट को क्षेपण स्थलों पर फेंका जा रहा था, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिबंध के अप्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है। नगर निगम गाजियाबाद और नगर निगम लखनऊ के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकाय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपयुक्त स्थलों को चिन्हित करने या भंडारण हेतु पात्र उपलब्ध कराने में विफल रहे।

अनुशंसा 13: *राज्य सरकार को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण/निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिये। उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिये।*

अध्याय- VII

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अनुश्रवण

अध्याय VII : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अनुश्रवण

इस अध्याय में राज्य स्तर और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुश्रवण हेतु किये गये प्रयासों की स्थिति के अतिरिक्त सेवा स्तर मानक के निर्धारित मानकों के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों की उपलब्धि को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय का सारांश:

- राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन जनवरी 2017 में किया गया था। तथापि, 2016-22 की अवधि के दौरान निर्धारित 10 में से मात्र छः बैठकें ही आयोजित की गयीं थीं।
- 34 जनपदों में से किसी में भी जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था, जिसमे 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय स्थित हैं।
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानक के संकेतकों के नियमित अनुश्रवण का अभाव था, जिससे शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की उपलब्धि का आँकलन करना कठिन था।
- नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में भूमि भरण स्थलों पर वायु और जल की गुणवत्ता का आँकलन करने के लिए कोई भी अनुश्रवण तंत्र नहीं पाया गया।

7.1 राज्य स्तर पर अनुश्रवण का अभाव

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 23 के अनुसार राज्य सरकार को एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन करना चाहिए, जिसे प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करनी चाहिये। इन बैठकों का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, राज्य नीति और रणनीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और नियमों के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपायों पर राज्य सरकार को सलाह प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन जनवरी 2017 में किया गया था। तथापि, 2017-22 की अवधि के दौरान

मात्र छः[1] बैठकें आयोजित की गयीं क्योंकि 2018-19 के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में मात्र एक बैठक आयोजित की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अनुश्रवण से संबंधित अभिलेख जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, स्वास्थ्यकर भूमि भरण/क्षेपण स्थलो के लिए भूमि की उपलब्धता और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना[2] के अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समितियों के गठन की स्थिति निदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित पर्यावरणीय प्रकरणों के अनुश्रवण के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया था। जिला स्तर पर लगभग 1,000 बैठकें आयोजित की गयी थीं और राज्य स्तर पर आंकड़ा संकलित किया गया है। परिचालन सुविधाओं के निष्पादन का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्ट के आधार पर शहरी स्थानीय निकायवार आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी गयी थी।

तथ्य यह था कि राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित नहीं की गयी थीं।

7.2 जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति

स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 12.4 के अनुसार परियोजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना चाहिये। इस समिति की अध्यक्षता संसद सदस्य द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति के गठन करने का निर्देश (मई 2016) दिया था।

---

[1] राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की बैठकों की तिथियां: 23.01.2018, 31.07.2018, 15.3.2019, 27.12.2019, 24.11.2020 और 28.7.2021।

[2] स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) दिशानिर्देशों के प्रस्तर 12.1 के अनुसार, राज्यों/संघो को लक्ष्य और उपलब्धियों के संबंध में भारत सरकार को निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति रिपोर्ट /त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी थी।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 34 जनपदों में से किसी में भी जिला स्तरीय समीक्षा और अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया था, जिसमे 45 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय स्थित हैं।

अनुस्मारक के बावजूद भी राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2024) था।

7.3 सेवा स्तर मानक के सापेक्ष उपलब्धियां

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सेवा स्तर मानकों की हस्तपुस्तिका, बुनियादी शहरी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तूफान जल निकासी के लिए निष्पादन मानक प्रदान करता है। 14वें और 15वें वित्त आयोग ने भी शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के लिए सेवा स्तर मानक के निष्पादन संकेतकों को प्रकाशित करने और प्राप्त करने की सिफारिश की है। सेवा स्तर मानक के सापेक्ष उपलब्धि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के स्तर को दर्शाता है।

नमूना जांच किये गये 45 शहरी स्थानीय निकायों में से, वर्ष 2016-17 के संबंध में 24 शहरी स्थानीय निकायों, वर्ष 2017-18 के संबंध में 23 शहरी स्थानीय निकायों, वर्ष 2018-19 के संबंध में 27 शहरी स्थानीय निकायों और वर्ष 2019-20 के संबंध में चार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सेवा स्तर मानक रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी थी। जबकि, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी 2020-22 के लिये सेवा स्तर मानक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी। यह इन शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानक संकेतकों के नियमित अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है, जिससे उन शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं की उपलब्धि का आँकलन करना कठिन था जिन्होंने सेवा स्तर मानक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

उपलब्ध सेवा स्तर मानक रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित मानक के सापेक्ष उपलब्धियों का आँकलन लेखापरीक्षा में किया गया था, जैसा कि **चार्ट 7.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 7.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में सेवा स्तर मानक के सापेक्ष नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों की उपलब्धियों का औसत

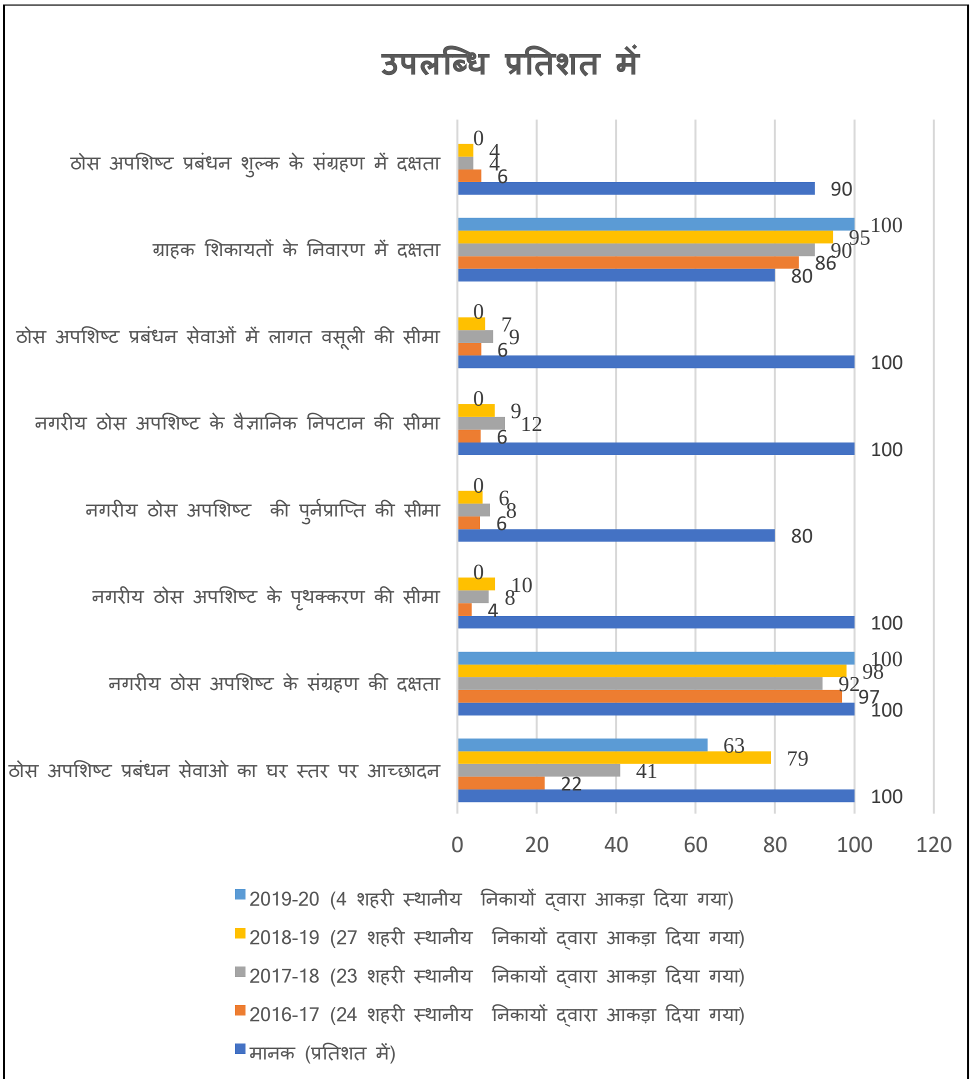

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनकी सेवा स्तर मानक रिपोर्ट में प्रदान की गयी सूचना)

चार्ट 7.1 से यह स्पष्ट है कि सेवा स्तर मानक रिपोर्ट के अनुसार, दो मानकों में उचित उपलब्धियां थीं, अर्थात, नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह की दक्षता और ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता। तथापि, छः अन्य निष्पादन संकेतकों की तुलना में उपलब्धि निर्धारित मानकों से काफी कम थी। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घोषित उपलब्धियों की सत्यता को लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका, क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था।

उत्तर (जून 2023) में, राज्य सरकार ने 30 शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में सेवा स्तर मानक रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति उपलब्ध करायी, जिसके

अनुसार 17 शहरी स्थानीय निकायों ने 2016-21 की अवधि के लिए सेवा स्तर मानक रिपोर्ट तैयार की और शेष 13 शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में विशिष्ट उत्तर प्रेषित नहीं किया गया। तथापि, राज्य सरकार ने अपने कथन के समर्थन में सेवा स्तर मानक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी। अग्रेतर, तथ्य यह है कि नमूना जांच किये गये सभी शहरी स्थानीय निकाय सेवा स्तर मानक रिपोर्ट तैयार नहीं कर रहे थे।

7.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण प्रक्रिया में प्रदूषण नियंत्रण मानक

ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानक, जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निर्दिष्ट है, ***परिशिष्ट 7.1*** में प्रदान किये गये हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने भूमि भरण संचालन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मानकों का पालन नहीं किया था। अग्रेतर, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से दो[3] में प्रसंस्करण संयंत्र क्रियाशील थे, परंतु उनमे निक्षालक संग्रह प्रणाली[4] का अभाव था। अवशेष 43 नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में, ठोस अपशिष्ट को उचित प्रसंस्करण के बिना खुले भरण स्थलों या नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा में एकत्र किया जा रहा था, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा हो रहा था। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने भूजल प्रदूषण पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भूमि भरण स्थलों के नियमित अनुश्रवण का अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया था। इसके अतिरिक्त, भूमि भरण स्थल पर वायु और जल की गुणवत्ता का आँकलन करने के लिये नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में कोई अनुश्रवण तंत्र नहीं पाया गया, जो अनुश्रवण की कमी पर प्रकाश डालता है।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि राज्य में 18 क्रियाशील

---

3 नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर।

4 भंडारण और उपचार के लिए भूमि भरण से निक्षालक को एकत्र करने के लिये भूमि भरण लाइनर के निचले क्षेत्रों में लगाये गये पाइपों या जियोटेक्सटाइल्स/जियोनेट्स का नेटवर्क।

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में से 17 संयंत्रों ने प्राधिकार प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मथुरा, मेरठ और नोएडा में क्रियाशील स्थलों पर अनुश्रवण किया था। तथापि, उत्तर में भूमि भरण स्थल पर प्रदूषण नियंत्रण मानक का पालन नहीं करने पर लेखापरीक्षा में उठाये गये विषयों को संदर्भित नहीं किया गया था।

7.5 खाद गुणवत्ता की विशिष्टियाँ

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची II में खाद का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खाद की गुणवत्ता की विशिष्टियाँ दी गयीं हैं। निर्दिष्ट गुणवत्ता से अधिक खाद का उपयोग खाद्य फसलों के लिये नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, इसका उपयोग खाद्य फसलों को उगाने के अतिरिक्त प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 की धारा 3.2.11 में प्रावधान है कि खाद सुविधा के संचालक द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले प्रत्येक बैच की खाद की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से दो[5] में क्रियाशील संयंत्र थे जहां खाद का उत्पादन किया गया था। तथापि, इन संयंत्रों में उत्पादित खाद की गुणवत्ता की जांच करने से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था और न ही निर्धारित मानकों के आधार पर खाद की सांद्रता की जांच का कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। दोनों शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (दिसंबर 2021) कि खाद की गुणवत्ता/संघटन के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई उत्तर उपलब्ध (जून 2023) नहीं कराया और मात्र यह कहा कि इस प्रस्तर का उत्तर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित नहीं है।

[5] नगर निगम लखनऊ और नगर निगम कानपुर।

संक्षेप में, राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की आवधिक अनुश्रवण बैठकें आयोजित नहीं की गयी थीं, जिसके कारण विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए अनुश्रवण की कमी थी। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत यथा प्रावधानित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलापों की समीक्षा के लिये जिला स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय नियमित रूप से सेवा स्तर मानक के सापेक्ष उपलब्धियों का अनुश्रवण नहीं कर रहे थे। नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में भूमि भरण स्थलों पर वायु और जल की गुणवत्ता का आँकलन करने के लिए कोई अनुश्रवण तंत्र नहीं पाया गया।

अनुशंसा 14: *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्धारित अनुश्रवण बैठकें आयोजित की जायें और राज्य/जिला स्तर की बैठकों में उठाये गये प्रकरणों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाये ।*

(राम हित)

प्रयागराज | प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

दिनांक 27 मार्च 2025 | उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक 02 APR 2025

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट 1.1

अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2)

क्र.सं.	अपशिष्ट का प्रकार	विनियामक ढांचा
1	ठोस अपशिष्ट	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 • अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 ।
2	प्लास्टिक अपशिष्ट	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
3	ई-अपशिष्ट	ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
4	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
5	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6	खतरनाक अपशिष्ट	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016

(स्रोत: भारत सरकार द्वारा जारी नियम और मैनुअल)

परिशिष्ट 1.2

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये चयनित शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 1.5.3)

क्रम संख्या	जिला	नगर निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
1	औरैया		औरैया	
2	आजमगढ़			जीयनपुर
3	बागपत			टिकरी
4	बहराइच			जरवल
5	बलरामपुर		उतरौला	
6	बलिया			चितबडागांव रेवती
7	बरेली		बहेड़ी	
8	बस्ती			रुधौली बाजार
9	बिजनौर			झालू सहसपुर
10	बदायूं		दातागंज	उसावां
11	बुलंदशहर		बुलंदशहर	खानपुर
12	चित्रकूट		चित्रकूटधाम कर्वी	राजापुर
13	देवरिया		देवरिया	
14	इटावा			बकेवर
15	एटा		एटा	
16	गौतमबुद्ध नगर			जेवर
17	गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	
18	गाजीपुर			सैदपुर
19	हरदोई		शाहाबाद	
20	हाथरस		सिकंदरा राव हाथरस	
21	कानपुर नगर	कानपुर		बिठूर
22	कुशीनगर			कप्तानगंज
23	लखनऊ	लखनऊ		
24	महाराजगंज			आनंदनगर
25	महोबा		महोबा	कुलपहाड़
26	मथुरा			बल्देव
27	मुजफ्फरनगर		मुजफ्फरनगर	
28	पीलीभीत		पीलीभीत	जहांनाबाद बिलसंडा
29	रायबरेली		रायबरेली	
30	सहारनपुर		देवबंद	
31	शामली		शामली	
32	शाहजहाँपुर			कटरा
33	सीतापुर		महमूदाबाद	
34	वाराणसी		रामनगर	
	कुल इकाइयाँ	**3**	**20**	**22**

परिशिष्ट 2.1

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अधिसूचित उपविधियाँ और उनके प्रावधानों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 2.5)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	उपविधियों का नाम	अधिसूचना की तिथि	उपनियमों के अंतर्गत प्रावधान
शहरी स्थानीय निकाय जिनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधियों को अधिसूचित किया गया				
1	नगर निगम गाज़ियाबाद	ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधि, 2016	19 जून 2017	अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए प्रोत्साहन और जुर्माना उपबंध, कूड़ा फैलाने के लिए जुर्माना , उपयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए प्रावधान।
2	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उप-विधि, 2020	22 सितम्बर 2021	अपशिष्ट को अलग करने, अपशिष्ट संग्रहण करने, अपशिष्ट फैलाने और जलाने के लिए जुर्माने का प्रावधान, उपयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए प्रावधान।
3	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पॉलीथीन निषेध के साथ केयरिंग चार्ज उप-विधि, 2019	09 मार्च 2019	अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य और शुल्क वसूली, प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने के लिए जुर्माना, खुले में अपशिष्ट फ़ैलाने/ जलाने हेतु जुर्माने का प्रावधान।
4	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उप-विधि, 2017	06 जनवरी 2020	अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य, ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण और परिवहन, अपशिष्ट पृथक्करण के लिए जुर्माने और प्रोत्साहन का उपबंध, अपशिष्ट को फ़ैलाने और जलाने के लिए जुर्माना,
5	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उप-विधि, 2020	29 दिसंबर 2020	जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट से कंपोस्टीकरण के लिए प्रोत्साहन उपबंध, ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण और संग्रहण के लिए प्रावधान, उपयोक्ता प्रभार की वसूली और अपशिष्ट को फ़ैलाने और जलाने के लिए जुर्माने का उपबंध|
शहरी स्थानीय निकाय जिनके द्वारा उपयोक्ता प्रभार और देखभाल/जुर्माना प्रभारों के लिये उप-विधि तैयार किया गया				
1	नगर निगम कानपुर	उपयोक्ता प्रभार उप-विधि, 2006	29 मार्च 2006	उपयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए प्रावधान।
2	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	उपयोक्ता प्रभार उप-विधि, 2018	04 अक्टूबर 2018	अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण हेतु उपयोक्ता प्रभार की वसूली और अपशिष्ट फैलाने और जलाने के लिए जुर्माने का प्रावधान।
3	नगर पालिका परिषद हाथरस	उपयोक्ता और केयरिंग चार्ज उप-विधि, 2018	06 जून 2019	अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण संयंत्र में क्षेपित करने के लिए प्रावधान, उपयोक्ता प्रभार की वसूली के लिए प्रावधान, अपशिष्ट जलाने/फेंकने के लिए जुर्माना और प्रोत्साहन उपबंध ।
4	नगर पालिका परिषद देवरिया	विविध शुल्क उप-विधि, 2018	27 फ़रवरी 2020	अपशिष्ट फैलाने, प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग के लिए जुर्माने का उपबंध और अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रहण के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	उपविधियों का नाम	अधिसूचना की तिथि	उपनियमों के अंतर्गत प्रावधान
5	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	विविध शुल्क उप-विधि, 2017	06 अक्टूबर 2017	अपशिष्ट फैलाने के लिए जुर्माना उपबंध, प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने के लिए जुर्माना और द्वार-द्वार संग्रहण करने के लिए उपयोक्ता प्रभार की वसूली।
6	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	केयरिंग चार्ज उप-विधि, 2017	13 फरवरी 2018	अपशिष्ट फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान।
7	नगर पालिका परिषद रायबरेली	केयरिंग चार्ज उप-विधि, 2019	02 जुलाई 2020	अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं पर कूड़ा फैलाने और जलाने के लिए जुर्माने का प्रावधान।

(स्रोतः नमूना जांच किये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 2.2

वर्ष 2016-22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6)

(मात्रा टन प्रतिदिन में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय नाम	अपशिष्ट उत्पादन					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	नगर निगम लखनऊ	865.21	944.60	1051.94	1110.69	1145.47	1634.84
2.	नगर निगम गाज़ियाबाद	852.95	886.03	880.27	1035.62	1035.62	1280.00
3.	नगर निगम कानपुर	1500.00	1595.00	1009.00	1370.00	1370.00	1370.00
4.	नगर पालिका परिषद रायबरेली	50.68	53.00	58.00	62.00	65.00	70.00
5.	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90
6.	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	5.66	5.66	5.66	9.19	9.19	9.19
7.	नगर पालिका परिषद औरैया	16.00	19.00	19.00	21.00	22.00	24.00
8.	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	8.06	8.25	8.44	8.64	8.86	9.06
9.	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	14.10	14.30	14.35	15.20	15.50	15.78
10.	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	150.00	153.00	153.00	160.00	160.00	170.00
11.	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	285.00	285.00	305.00	305.00	310.00	310.00
12.	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	14.00	15.00	16.00	16.50	17.00	19.87
13.	नगर पालिका परिषद हाथरस	45.26	47.64	50.16	50.16	32.25	74.00
14.	नगर पालिका परिषद एटा	44.28	44.88	45.00	48.12	48.12	49.77
15.	नगर पालिका परिषद महोबा	29.09	30.54	32.07	33.67	35.35	37.11
16.	नगर पालिका परिषद देवरिया	48.00	50.00	54.00	56.00	58.00	60.00
17.	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	18.08	18.44	18.82	19.21	19.60	20.00
18.	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	12.98	12.98	106.85	67.50	90.00	90.08
19.	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	88.76	88.76	88.76	64.95	64.95	47.74
20.	नगर पालिका परिषद शामली	30.00	32.00	33.00	35.00	36.00	36.00
21.	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	18.00	18.00	18.00	25.00	50.00	50.00
22.	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	15.00	16.00	16.50	17.35	22.57	26.10
23.	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	22.19	13.64	22.84	22.78	19.55	19.55
24.	नगर पंचायत झालू बिजनौर	4.26	4.26	4.26	5.34	5.34	5.34
25.	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	4.75	4.90	5.20	5.75	6.30	6.80

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय नाम	अपशिष्ट उत्पादन					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
26.	नगर पंचायत जरवल बहराइच	3.20	3.22	3.23	3.25	3.28	3.30
27.	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	3.50	3.80	4.00	4.00	7.78	7.78
28.	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	1.78	1.87	1.97	2.07	2.17	2.27
29.	नगर पंचायत उसावां बदायूं	2.85	3.32	3.80	4.27	4.75	5.22
30.	नगर पंचायत बकेवर इटावा	1.80	1.80	1.80	1.99	2.00	2.00
31.	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	3.00	3.20	3.80	4.00	4.20	3.90
32.	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	10.55	11.00	12.00	13.00	13.50	10.37
33.	नगर पंचायत टिकरी बागपत	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00
34.	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	5.50	6.00	6.30	6.60	6.90	7.20
35.	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2.08	2.12	2.17	2.21	2.25	2.30
36.	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	3.80	3.90	3.95	4.20	4.20	4.20
37.	नगर पंचायत रेवती बलिया	7.40	7.53	7.67	8.00	8.00	8.00
38.	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	8.20	8.31	8.42	9.17	9.29	9.42
39.	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	8.87	8.87	9.76	9.90	9.90	9.90
40.	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	3.97	4.10	4.73	3.60	5.30	5.30
41.	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	3.55	3.55	3.55	3.23	3.23	2.89
42.	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	4.10	4.10	7.66	3.32	6.44	6.77
43.	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	2.50	2.50	4.00	2.07	2.07	2.07
44.	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	0.20	3.00	3.00	2.18	2.18	2.25
45.	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	7.00	7.00	7.08	7.16	7.24	7.32
योग		**4253.06**	**4476.97**	**4143.91**	**4687.79**	**4780.25**	**5566.59**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 2.3

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का मार्च 2022 तक का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 2.9)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	क्षेत्रीय सफाई अधिकारी			मुख्य सफाई निरीक्षक			सफाई एवं खाद्य निरीक्षक			सफाई पर्यवेक्षक/सफाई नायक			सफाई कर्मचारी			
		स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पर	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित
1	नगर निगम लखनऊ	3	2	-1	6	4	-2	35	34	-1	95	48	-47	5196	2881	-2315	10258
2	नगर निगम कानपुर	5	3	-2	12	4	-8	42	30	-12	184	104	-80	8105	3375	-4730	2101
3	नगर निगम गाज़ियाबाद	1	0	-1	2	2	0	4	4	0	26	25	-1	1428	3701	2273	634
	योग (नगर निगम)	**9**	**5**	**-4**	**20**	**10**	**-10**	**81**	**68**	**-13**	**305**	**177**	**-128**	**14729**	**9957**	**-4772**	**12993**
1	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	432	153	-279	920
2	नगर पालिका परिषद रायबरेली	0	0	0	0	0	0	2	2	0	8	5	-3	433	374	-59	181
3	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	190	112	-78	101
4	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	76	17	-59	59
5	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	79	46	-33	37
6	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	-1	162	67	-95	137
7	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	0	0	0	1	1	0	3	0	-3	19	19	0	818	659	-159	252
8	नगर पालिका परिषद औरैया	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	3	-2	205	155	-50	145
9	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	0	0	0	0	0	0	2	2	0	15	3	-12	455	241	-214	308
10	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	0	0	0	0	0	0	2	2	0	18	11	-7	338	175	-163	250
11	नगर पालिका परिषद शामली	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	1	-5	330	174	-156	177
12	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	-1	228	109	-119	96

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	क्षेत्रीय सफाई अधिकारी			मुख्य सफाई निरीक्षक			सफाई एवं खाद्य निरीक्षक			सफाई पर्यवेक्षक/सफाई नायक			सफाई कर्मचारी			
		स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पर	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित
13	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	134	80	-54	46
14	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	6	0	202	137	-65	207
15	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	5	2	-3	111	66	-45	88
16	नगर पालिका परिषद हाथरस	0	0	0	0	0	0	3	3	0	10	8	-2	335	201	-134	523
17	नगर पालिका परिषद एटा	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	6	6	0	286	187	-99	120
18	नगर पालिका परिषद महोबा	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	3	3	0	160	121	-39	141
19	नगर पालिका परिषद देवरिया	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	8	-1	351	196	-155	203
20	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	-1	148	58	-90	80
	योग (नगर पालिका परिषद)	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**24**	**18**	**-6**	**132**	**92**	**-40**	**5473**	**3328**	**-2145**	**4071**
1	नगर पंचायत झालू बिजनौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	59	32	-27	27
2	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	37	-34	22
3	नगर पंचायत जरवल बहराइच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	49	12	-37	46
4	नगर पंचायत आनंदनगर महराजगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	-2	42	24	-18	51
5	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	45	12	-33	36
6	नगर पंचायत बकेवर इटावा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	40	28	-12	40
7	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	19	-19	80
8	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	40	21	-19	30
9	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	37	25	-12	10
10	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	32	24	-8	30

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	क्षेत्रीय सफाई अधिकारी			मुख्य सफाई निरीक्षक			सफाई एवं खाद्य निरीक्षक			सफाई पर्यवेक्षक/सफाई नायक			सफाई कर्मचारी			
		स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पर	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी	वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित
11	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	39	23	-16	25
12	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	24	-4	36
13	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	37	30	-7	40
14	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	15	11	-4	70
15	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	82	-1	59
16	नगर पंचायत टिकरी बागपत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	10	-34	38
17	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	25	-7	29
18	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	37	14	-23	35
19	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	63	39	-24	22
20	नगर पंचायत रेवती बलिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	67	54	-13	50
21	नगर पंचायत उसावां बदायूं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	45
22	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	कुल (नगर पंचायत)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**10**	**-6**	**916**	**564**	**-352**	**896**

(स्रोत:नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 2.4

नगर पालिका परिषद हाथरस में अधिक सफाई कर्मियों को नियोजित किये जाने के कारण परिहार्य व्यय की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 2.9.1)

वर्ष	माह	मानक के अनुसार आवश्यक सफाई कर्मचारियों की संख्या	उपलब्ध सफाई कर्मचारी (नियमित और संविदा)	वाह्य सेवा से नियोजित किये जाने के लिए आवश्यक सफाई कर्मचारियों की संख्या	वास्तव में वाह्य सेवा से नियोजित किये गये सफाई कर्मचारियों की संख्या	अधिक संख्या में नियोजित किये गये सफाई कर्मचारियों की संख्या	दिनों की संख्या जिसके लिए वाह्य सेवा से नियोजित किया गया और भुगतान किया गया	आवश्यक मानव दिवसों की संख्या	मानव दिवसों की संख्या जिनके लिए वास्तव में वाह्य सेवा से नियोजित किया गया (बिल के अनुसार)	मानव दिवसों की अधिक संख्या जिसके लिए सफाई कर्मचारियों को वाह्य सेवा से नियोजित किया गया और भुगतान किया गया	प्रति मानव दिवस भुगतान की दर (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (6)-(5)	(8)	(9) = (5)X(8)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)	(13) = (12)X(11)
2020-21	जून-20	440	203	237	286	49	26	6162	8161	1999	308	615692
	अगस्त-20	440	203	237	301	64	26	6162	7727	1565	308	482020
	अक्टूबर-20	440	203	237	301	64	24	5688	7224	1536	308	473088
	नवंबर-20	440	203	237	301	64	23	5451	7382	1931	308	594748
	दिसंबर -20	440	203	237	301	64	27	6399	7926	1527	308	470316
	जनवरी-21	440	203	237	301	64	26	6162	7735	1573	308	484484
	मार्च-21	440	203	237	412	175	27	6399	10896	4497	308	1385076
											उप-योग	**45,05,424**
2021-22	मई-21	444	201	243	436	193	26	6318	11124	4806	308	1480248
	जून-21	444	201	243	443	200	26	6318	11350	5032	308	1549856
	जुलाई-21	444	201	243	454	211	27	6561	12042	5481	308	1688148
	अगस्त-21	444	201	243	460	217	26	6318	11730	5412	308	1666896

वर्ष	माह	मानक के अनुसार आवश्यक सफाई कर्मचारियों की संख्या	उपलब्ध सफाई कर्मचारी (नियमित और संविदा)	वाह्य सेवा से नियोजित किये जाने के लिए आवश्यक सफाई कर्मचारियों की संख्या	वास्तव में वाह्य सेवा से नियोजित किये गये सफाई कर्मचारियों की संख्या	अधिक संख्या में नियोजित किये गये सफाई कर्मचारियों की संख्या	दिनों की संख्या जिसके लिए वाह्य सेवा से नियोजित किया गया और भुगतान किया गया	आवश्यक मानव दिवसों की संख्या	मानव दिवसों की संख्या जिनके लिए वास्तव में वाह्य सेवा से नियोजित किया गया (बिल के अनुसार)	मानव दिवसों की अधिक की संख्या जिसके लिए सफाई कर्मचारियों को वाह्य सेवा से नियोजित किया गया और भुगतान किया गया	प्रति मानव दिवस भुगतान की दर (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)	(7) = (6)-(5)	(8)	(9) = (5)X(8)	(10)	(11) = (10) - (9)	(12)	(13) = (12)X(11)
	सितम्बर-21	444	201	243	462	219	26	6318	11827	5509	308	1696772
	अक्टूबर-21	444	201	243	478	235	26	6318	12130	5812	336	1952832
	नवम्बर-21	444	201	243	458	215	26	6318	11724	5406	336	1816416
	दिसंबर-21	444	201	243	515	272	27	6561	13698	7137	336	2398032
	जनवरी-22	444	201	243	523	280	26	6318	13425	7107	336	2387952
	फरवरी-22	444	201	243	523	280	24	5832	12400	6568	336	2206848
											उप-योग	**1,88,44,000**
							महायोग					**2,33,49,424**

(स्रोत: नगर पालिका परिषद हाथरस)

परिशिष्ट 2.5

सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर उपयोग की गई और शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित की गयी निधियों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 2.10)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्त निधि	उपलब्ध निधि	शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित निधि	राज्य मिशन निदेशक स्तर पर व्यय	उपयोग /अंतरित की गई निधि	अंतिम अवशेष	शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित निधि का प्रतिशत
कालम (1)	कालम (2)	कालम (3)	कालम (4) = कालम (2+3)	कालम (5)	कालम (6)	कालम (7) = कालम (5+6)	कालम (8) = कालम (4-7)	कालम (9)
2016-17	7.49	0.00	7.49	1.50	0.18	1.68	5.81	20.03
2017-18	5.81	124.69	130.50	4.15	0.77	4.92	125.58	3.18
2018-19	125.58	0.00	125.58	77.58	11.66	89.24	36.34	61.78
2019-20	36.34	98.11	134.45	81.08	4.81	85.89	48.56	60.30
2020-21	48.56	26.59	75.15	10.72	1.48	12.20	62.95	14.26
2021-22	62.95	0.00	62.95	37.51	2.29	39.80	23.15	59.59
योग		**249.39**		**212.54**	**21.19**	**233.73**		

(स्रोत: निदेशक: स्थानीय निकाय निदेशालय)

परिशिष्ट 2.6

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में 2016-22 के दौरान सूचना, शिक्षा, संचार तथा जन जागरूकता गतिविधियों पर निधि के उपयोग की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 2.10)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	01.04.16 को प्रारंभिक अवशेष	प्राप्त निधि	योग	उपयोग की गई निधि	अंतिम अवशेष (31.03.2022 को अप्रयुक्त निधि)	अप्रयुक्त निधि (प्रतिशत में)
1	नगर निगम लखनऊ	31.45	1003.35	1034.80	964.11	70.69	7
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	18.40	500.93	519.33	503.94	15.39	3
3	नगर निगम कानपुर	28.00	873.67	901.67	830.02	71.65	8
4	नगर पालिका परिषद रायबरेली	0.00	81.74	81.74	38.45	43.29	53
5	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	0.00	40.92	40.92	40.17	0.75	2
6	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	0.29	24.36	24.65	17.54	7.11	29
7	नगर पालिका परिषद औरैया	0.00	42.84	42.84	33.45	9.39	22
8	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	0.00	28.17	28.17	9.42	18.75	67
9	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	0.00	30.85	30.85	9.71	21.14	69
10	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	4.39	104.66	109.05	96.83	12.22	11
11	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	0.00	131.33	131.33	47.00	84.33	64
12	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	0.64	28.87	29.51	22.81	6.70	23
13	नगर पालिका परिषद हाथरस	1.89	132.56	134.45	57.86	76.59	57
14	नगर पालिका परिषद एटा	1.32	55.56	56.88	40.15	16.73	29
15	नगर पालिका परिषद महोबा	1.06	40.54	41.60	8.44	33.16	80
16	नगर पालिका परिषद देवरिया	1.44	64.65	66.09	59.12	6.97	11
17	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	0.55	52.12	52.67	17.09	35.58	68
18	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	2.48	90.71	93.19	32.50	60.69	65
19	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	0.00	82.83	82.83	38.00	44.83	54
20	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	0.90	37.12	38.02	30.71	7.31	19
21	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	0.00	32.36	32.36	19.05	13.31	41
22	नगर पालिका परिषद शामली	1.20	52.09	53.29	28.38	24.91	47
23	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	0.00	30.53	30.53	30.09	0.44	1
24	नगर पंचायत उसावां बदायूं	0.15	12.82	12.97	12.30	0.67	5
25	नगर पंचायत झालू बिजनौर	0.23	13.56	13.79	6.49	7.30	53
26	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	0.27	15.58	15.85	12.69	3.16	20
27	नगर पंचायत बकेवर इटावा	0.17	13.00	13.17	11.62	1.55	12
28	नगर पंचायत जरवल बहराइच	0.22	14.58	14.80	8.11	6.69	45
29	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	0.11	15.30	15.41	10.12	5.29	34
30	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	0.15	12.20	12.35	4.48	7.87	64
31	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	0.00	13.64	13.64	12.14	1.50	11
32	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	0.36	19.05	19.41	15.58	3.83	20
33	नगर पंचायत टिकरी बागपत	0.16	13.53	13.69	5.52	8.17	60

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	01.04.16 को प्रारंभिक अवशेष	प्राप्त निधि	योग	उपयोग की गई निधि	अंतिम अवशेष (31.03.2022 को अप्रयुक्त निधि)	अप्रयुक्त निधि (प्रतिशत में)
34	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	0.22	14.72	14.94	10.79	4.15	28
35	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	0.00	13.38	13.38	12.18	1.20	9
36	नगर पंचायत रेवती बलिया	0.29	15.94	16.23	13.77	2.46	15
37	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	0.00	14.52	14.52	10.68	3.84	26
38	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	0.11	25.06	25.17	19.84	5.33	21
39	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	0.13	15.37	15.50	9.51	5.99	39
40	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	0.84	14.81	15.65	15.65	0.00	0
41	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	0.20	15.30	15.50	5.54	9.96	64
42	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	0.22	11.94	12.16	10.75	1.41	12
43	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	0.00	8.50	8.50	6.56	1.94	23
44	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	0.34	28.07	28.41	13.20	15.21	54
45	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	0.27	10.89	11.16	3.69	7.47	67
योग		**98.45**	**3894.52**	**3992.97**	**3206.05**	**786.92**	**20**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 2.7

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2016-22 के दौरान क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय की गयी निधि का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 2.11)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अवधि	प्राप्त निधि	व्यय	अवशेष
	प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शहरी स्थानीय निकायों का विवरण				
1	नगर निगम गाज़ियाबाद	2016-22	6.11	2.79	3.32
2	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	2016-22	12.21	11.74	0.47
3	नगर पालिका परिषद देवरिया	2016-22	12.12	9.89	2.23
4	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	2016-22	13.37	12.49	0.88
5	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	2016-22	13.37	11.48	1.89
6	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	2016-22	0.29	0.29	0.00
7	नगर पालिका परिषद शामली	2016-22	12.30	4.74	7.56
8	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	2016-22	0.07	0.00	0.07
9	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2016-22	122.00	115.76	6.24
10	नगर पंचायत रेवती बलिया	2016-22	0.10	0.10	0.01
11	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	2016-22	0.10	0.00	0.10
12	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	2016-22	0.00	0.00	0.00
	कुल		**192.04**	**169.28**	**22.77**
	प्रशिक्षण प्रदान न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों का विवरण				
1	नगर निगम लखनऊ	2016-22	10.46	9.86	0.60
2	नगर निगम कानपुर	2016-22	3.27	3.27	0.00
3	नगर पालिका परिषद रायबरेली	2016-22	13.24	11.86	1.38
4	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	2016-22	13.81	13.45	0.36
5	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	2016-22	0.19	0.19	0.00
6	नगर पालिका परिषद औरैया	2016-22	13.16	13.16	0.00
7	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	2016-22	0.12	0.06	0.06
8	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	2016-22	14.55	8.09	6.46
9	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	2016-22	0.48	0.48	0.00
10	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	2016-22	0.21	0.21	0.00
11	नगर पालिका परिषद हाथरस	2016-22	0.49	0.47	0.02
12	नगर पालिका परिषद एटा	2016-22	12.98	12.79	0.19
13	नगर पालिका परिषद महोबा	2016-22	26.01	25.74	0.27
14	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	2016-22	12.73	0.96	11.77
15	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	2016-22	0.00	0.00	0.00
16	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	2016-22	16.59	11.91	4.68
17	नगर पंचायत उसावां बदायूं	2016-22	0.06	0.05	0.01
18	नगर पंचायत झालू बिजनौर	2016-22	0.08	0.08	0.00
19	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	2016-22	0.08	0.08	0.00
20	नगर पंचायत बकेवर इटावा	2016-22	0.05	0.00	0.05
21	नगर पंचायत जरवल बहराइच	2016-22	0.07	0.07	0.00

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अवधि	प्राप्त निधि	व्यय	अवशेष
22	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	2016-22	0.10	0.00	0.10
23	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	2016-22	0.10	0.10	0.00
24	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	2016-22	0.12	0.00	0.12
25	नगर पंचायत टिकरी बागपत	2016-22	0.05	0.00	0.05
26	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	2016-22	0.08	0.00	0.08
27	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	2016-22	12.04	10.94	1.10
28	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	2016-22	0.12	0.12	0.00
29	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	2016-22	0.00	0.00	0.00
30	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	2016-22	0.00	0.00	0.00
31	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	2016-22	2.45	0.49	1.96
32	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	2016-22	0.00	0.00	0.00
33	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	2016-22	0.00	0.00	0.00
योग			**153.69**	**124.43**	**29.26**
महायोग			**345.73**	**293.71**	**52.03**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 3.1

राज्य मिशन निदेशक को केन्द्रांश के साथ राज्यांश अवमुक्त करने में हुए विलंब का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.1)

(₹ करोड़ में)

घटक		केन्द्रांश अवमुक्त करने का विवरण		राज्य सरकार द्वारा राज्य मिशन निदेशक को केन्द्रांश के साथ अवमुक्त राज्यांश का विवरण		निधि अवमुक्त करने में विलंब[1] (दिनों में)
	(1)	(2)		(3)		(4)
	क्र.सं.	धनराशि	दिनांक	धनराशि	दिनांक	
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1.	94.49	30.03.2018	269.97	04.07.2018	65
	2.	245.67	09.04.2018	510.02	04.07.2018	55
	3.	10.43	24.03.2020	10.43	13.10.2020	172
	4.	190.00	30.04.2020	190.00	13.10.2020	135
	5.	189.72	01.05.2020	189.72	13.10.2020	134
	6.	0	0	209.84*	23.01.2021	236
क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	7.	46.56	23.10.2017	46.56	16.12.2017	23
	8.	0	0	15.52**	25.11.2020	1098
	9.	19.94	23.12.2020	26.59	03.02.2021	11
कुल		**796.81**		**1468.65**		

(स्रोत: निदेशक स्थानीय निकाय)

* तालिका के क्रम संख्या 3, 4, और 5 में उल्लिखित केन्द्रांश ₹ 10.43 करोड़, ₹ 190.00 करोड़ और ₹ 189.72 करोड़ के सापेक्ष ₹ 209.84 करोड़ का राज्यांश अवमुक्त किया गया था।

** तालिका के क्रम संख्या 7 में उल्लिखित केन्द्रांश ₹ 46.56 करोड़ के सापेक्ष ₹ 15.52 करोड़ का राज्यांश अवमुक्त किया गया था।

[1] शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रांश अवमुक्त होने के 30 दिनों के अन्दर निधि अवमुक्त करना था।

परिशिष्ट 3.2

वाह्य सेवा प्रदाता फर्मों को वस्तु एवं सेवा कर के अनियमित भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 3.5)

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	ठेकेदार का नाम	बिल की कुल धनराशि	सफाई कर्मचारियों को भुगतान	ठेकेदार को भुगतान की गयी वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि
नगर पंचायत रुधौली, बाज़ार बस्ती	2/2019 से 3/2019	लक्ष्य फाउंडेशन बस्ती	29.99	12.41	2.23
	4/2019 से 03/2020	लक्ष्य फाउंडेशन बस्ती	212.43	90.59	19.29
	4/2020 से 3/2021	लक्ष्य फाउंडेशन बस्ती	224.19	112.31	20.59
नगर पंचायत - जेवर, गौतम बुद्ध नगर	7/2018 से 03/2019	एस के एसोसिएट्स एम एस गौतम बुद्ध नगर	57.02	37.29	6.05
	04/2019 से 05/2019	एस के एसोसिएट्स एम एस गौतम बुद्ध नगर	15.15	9.93	1.79
नगर पंचायत कुलपहाड़, महोबा	04/2019 से 03/2020	मेक्सोनो सिक्योरिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कुलपहाड़, महोबा	76.20	26.30	4.73
	04/2020 से 03/2021	मेक्सोनो सिक्योरिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कुलपहाड़, महोबा	89.66	28.11	5.06
	04/2021	मेक्सोनो सिक्योरिटीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कुलपहाड़, महोबा	7.33	1.95	0.35
कुल			**711.97**	**318.89**	**60.09**

(स्रोत: नमूना जांच किये गयें शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट- 3.3

नगर निगम लखनऊ में उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.1)

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	घरों के लिए		अन्य प्रतिष्ठानों के लिए		कुल वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार (कॉलम 3 + कॉलम 5)	वसूल किया गया उपयोक्ता प्रभार	वसूल न किया गया उपयोक्ता प्रभार (कॉलम 6 - कॉलम 7)
	द्वार-द्वार अपशिष्ट संग्रहण से आच्छादित आवासीय घरों की संख्या	न्यूनतम दर ₹ 40/- प्रति आवास प्रति माह के अनुसार वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार (कॉलम 2 X ₹40 X 12)	अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या	न्यूनतम दर ₹ 100/- प्रति प्रतिष्ठान प्रति माह के अनुसार वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार (कॉलम 4 X ₹100 X 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8
2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018)	231787	41721660	22924	10315800	52037460	50857101	1180359
2018-19	290499	83663712	28731	20686320	104350032	88945831	15404201
2019-20	342489	123296040	33873	30485700	153781740	63257194	90524546
2020-21	403950	145422000	39951	35955900	181377900	125793610	55584290
कुल		**394103412**		**97443720**	**491547132**	**328853736**	**162693396**

(स्रोत : नगर निगम लखनऊ)

नोट: (1) उपयोक्ता प्रभार की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 75 प्रतिशत क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए मासिक आधार पर बिल योग्य था| रियायतग्राही 1 जुलाई 2017 से न्यूनतम उपयोक्ता प्रभार के संग्रह के लिए उत्तरदायी था|

(2) वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार की गणना 2017-21 की अवधि के दौरान घरों (₹ 40/- प्रति घर प्रति माह) और अन्य प्रतिष्ठान (₹100/- प्रति अन्य प्रतिष्ठान प्रति माह) के लिए न्यूनतम दरों के आधार पर की गयी थी।

परिशिष्ट 3.4

नगर निगम गाजियाबाद में उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली

(संदर्भ: प्रस्तर 3.6.2)

(₹ लाख में)

वर्ष	आवासीय घरों की संख्या	₹ 30 प्रति माह की न्यूनतम दर के आधार पर वार्षिक वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार (कॉलम 2 X ₹30 X 12)	अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या	₹70 प्रति माह की न्यूनतम दर से वार्षिक वसूली योग्य उपयोक्ता प्रभार (कॉलम 4X ₹70 X 12)	कुल वसूली योग्य राशि (कॉलम 3 + कॉलम 5)	उपयोक्ता प्रभार की कुल वसूली	उपयोक्ता प्रभार की कम वसूली (कॉलम 6- कॉलम 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018-19	292868	1054.32	32541	273.34	1327.66	27.94	1299.72
2019-20	338474	1218.51	26220	220.25	1438.76	161.88	1276.88
2020-21	340969	1227.49	27427	230.39	1457.88	168.66	1289.22
2021-22	420230	1512.83	31314	263.04	1775.87	118.57	1657.30
कुल		**5013.15**		**987.02**	**6000.17**	**477.05**	**5523.12**

(स्रोत- नगर निगम गाजियाबाद)

परिशिष्ट 4.1

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 4.1.2)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	स्थानीय शहरी निकाय का नाम	सिविल कार्य के लिए निधि		मशीनरी के लिए निधि		राज्य सरकार के उत्तर (जून 23) के अनुसार स्थिति
		प्राप्त निधि	व्यय	प्राप्त निधि	व्यय	
भूमि उपलब्ध नहीं						
1	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2	नगर पालिका परिषद रायबरेली	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
3	नगर पंचायत जरवल बहराइच	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4	नगर पंचायत बकेवर इटावा	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
5	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
योग		**168.35**	**0**	**0**	**0**	
भूमि उपलब्ध लेकिन सिविल कार्य शुरू नहीं हुआ						
1	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
3	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
योग		**101.01**	**0**	**0**	**0**	
सिविल कार्य प्रगति पर						
1	नगर पालिका परिषद एटा	33.67	14.85	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2	नगर पालिका परिषद शामली	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
3	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	33.67	23.30	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	33.67	27.70	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
5	नगर पंचायत झालू बिजनौर	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
6	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	33.67	0	0	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।
7	नगर पंचायत रेवती बलिया	33.67	21.94	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी।

क्रम सं.	**स्थानीय शहरी निकाय का नाम**	**सिविल कार्य के लिए निधि**		**मशीनरी के लिए निधि**		**राज्य सरकार के उत्तर (जून 23) के अनुसार स्थिति**
		प्राप्त निधि	**व्यय**	**प्राप्त निधि**	**व्यय**	
8	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	33.67	5.40[2]	0	0	नए स्थल पर सिविल कार्य प्रगति पर था।
	योग	**269.36**	**93.19**	**33.96**	**0**	
	निर्माण कार्य प्रारंभ परंतु रोक दिया गया					
1	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	33.67	33.22	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
2	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	33.67	11.56	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
3	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	33.67	0	0	0	राज्य सरकार ने बताया कि चार सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के लिए मशीनरी का क्रय प्रगति पर था । तथापि, नगर पालिका परिषद (जुलाई 2024) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, सार्वजनिक विरोध के कारण सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का कार्य बंद हो गया।
	योग	**101.01**	**44.78**	**33.96**		
	सिविल कार्य पूर्ण परंतु मशीनरी क्रय नहीं की गयी					
1	नगर निगम गाज़ियाबाद[3]	33.67	31.43	0	0	वैशाली में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
2	नगर पालिका परिषद महोबा	33.67	34.06	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
3	नगर पालिका परिषद हाथरस	33.67	33.67	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
4	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	33.67	37.53	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
5	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	33.67	27.99	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
6	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	33.67	35.71	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी

[2] प्रारंभ में यमुना नदी के निकट एक अनुपयुक्त स्थल पर सिविल कार्य प्रारंभ किया गया था। बाद में स्थल को बदल दिया गया जिससे सिविल कार्य पर ₹5.40 लाख का व्यय निरर्थक हो गया। अब एक अन्य स्थल पर काम प्रारंभ किया गया है।

[3] नगर निगम ने सूचित किया (जनवरी 2023) कि वैशाली सेक्टर-1 गाजियाबाद में निर्मित सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र को जनता के विरोध के कारण क्रियाशील नहीं बनाया जा सका। तथापि, राज्य सरकार ने बताया (जून 2023) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र पांच अन्य स्थानों पर स्थापित किये गये थे।

क्रम सं.	स्थानीय शहरी निकाय का नाम	सिविल कार्य के लिए निधि		मशीनरी के लिए निधि		राज्य सरकार के उत्तर (जून 23) के अनुसार स्थिति
		प्राप्त निधि	व्यय	प्राप्त निधि	व्यय	
7	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	33.67	33.67	16.98	0	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का काम चल रहा था।
8	नगर पालिका परिषद औरैया	33.67	43.10	16.98	0	मशीनरी क्रय नहीं की गयी।
9	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	33.67	0[4]	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी
10	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	33.67	31.77	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी ।
11	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	33.67	34.95	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी ।
12	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	33.67	33.67	16.98	0	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी ।
योग		**404.04**	**377.55**	**203.76**		
सिविल कार्य पूर्ण और मशीनरी क्रय की गयी परंतु स्थापित नहीं की गयी						
1	नगर पालिका परिषद देवरिया	**33.67**	34.04	16.98	16.95	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी ।
2	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	33.67	39.23	16.98	16.97	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी ।
योग		**67.34**	**73.27**	**33.96**	**33.92**	
सिविल कार्य पूर्ण और मशीनें स्थापित परंतु सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील नहीं था						
1	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	33.67	33.67	16.98	16.97	वर्तमान में हाथ से संचालित विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यवाही जारी है।
2	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	33.67	54.20	16.98	16.97	स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी ।
3	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	33.67	33.28	16.98	0	वर्तमान में हाथ से संचालित ।
4	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	33.67	8.65	16.98	15.96	मशीनरी क्रय की गयी ।
5	नगर पंचायत टिकरी बागपत	33.67	33.67	16.98	16.98	राज्य सरकार ने बताया कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का सिविल कार्य पूर्ण हो गया है। नगर पालिका परिषद ने अग्रेतर सूचित किया (जुलाई 2024) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र हाथ से संचालित किया जा रहा था।

[4] नगर पंचायत सैदपुर (गाजीपुर) में स्वच्छ भारत मिशन अनुदान की धनराशि ₹50.65 लाख अवरुद्ध कर दी गयी थी, जबकि नमामि गंगे योजना से निधि का उपयोग करके एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का निर्माण किया गया था

क्रम सं.	**स्थानीय शहरी निकाय का नाम**	**सिविल कार्य के लिए निधि**		**मशीनरी के लिए निधि**		**राज्य सरकार के उत्तर (जून 23) के अनुसार स्थिति**
		प्राप्त निधि	**व्यय**	**प्राप्त निधि**	**व्यय**	
योग		**168.35**	**163.47**	**84.90**	**66.88**	
क्रियाशील						
1	नगर निगम लखनऊ	33.67	33.67	16.98	16.97	-
2	नगर निगम कानपुर	33.67	0[5]	16.98	0	विभिन्न स्थानों पर 10 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का निर्माण प्रगति पर था।
3	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	33.67	33.59	16.98	16.97	-
4	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	33.67	33.67	16.98	16.98	राज्य सरकार ने बताया कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का कार्य प्रगति पर था । नगर पालिका परिषद ने आगे बताया (जुलाई 2024) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील था।
5	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	33.67	33.67	16.98	16.98	राज्य सरकार ने बताया कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर पालिका परिषद ने अग्रेतर सूचित किया (जुलाई 2024) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील था।
6	नगर पंचायत उसावां बदायूं	33.67	33.67	16.98	16.98	राज्य सरकार ने बताया कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र के लिए मशीनरी क्रय की गयी थी। नगर पंचायत ने अग्रेतर सूचित किया (जुलाई 2024) कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील था।
7	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	33.67	33.15	16.98	16.50	राज्य सरकार ने बताया कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र का कार्य प्रगति पर है। नगर पालिका परिषद ने

[5] स्वच्छ भारत मिशन अनुदान से प्राप्त समग्र निधि नगर निगम कानपुर द्वारा निदेशालय को वापस कर दी गयी थी। तथापि, 15वें वित्त आयोग से निधि का उपयोग करते हुए संयंत्र क्षेत्र के दायरे में एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील था।

क्रम सं.	स्थानीय शहरी निकाय का नाम	सिविल कार्य के लिए निधि		मशीनरी के लिए निधि		राज्य सरकार के उत्तर (जून 23) के अनुसार स्थिति
		प्राप्त निधि	व्यय	प्राप्त निधि	व्यय	
						आगे सूचित किया (जुलाई 2024) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र क्रियाशील था।
योग		**235.69**	**167.75**	**118.86**	**101.38**	

(स्रोत: राज्य सरकार और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 4.2 (ए)

वर्ष 2016-22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट संग्रहण की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.1)

(मात्रा टन प्रतिदिन में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अपशिष्ट संग्रहण					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	नगर निगम लखनऊ	865.21	944.60	1051.94	1110.69	1145.74	1634.84
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	852.95	886.03	880.27	1035.62	1035.62	1280.00
3	नगर निगम कानपुर	1500.00	1595.00	1009.00	1000.00	1000.00	1104.00
4	नगर पालिका परिषद रायबरेली	50.68	53.00	58.00	62.00	65.00	70.00
5	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90
6	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	5.66	5.66	5.66	9.19	9.19	9.19
7	नगर पालिका परिषद औरैया	16.00	19.00	19.00	21.00	22.00	24.00
8	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	8.06	8.25	8.44	8.64	8.86	9.06
9	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	13.30	13.70	14.15	15.20	15.50	15.78
10	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	150.00	153.00	153.00	160.00	160.00	170.00
11	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	285.00	285.00	305.00	305.00	310.00	310.00
12	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	14.00	15.00	16.00	16.50	17.00	19.87
13	नगर पालिका परिषद हाथरस	45.26	47.64	48.50	48.50	32.25	74.00
14	नगर पालिका परिषद एटा	44.28	44.88	45.00	48.12	48.12	49.77
15	नगर पालिका परिषद महोबा	29.09	30.54	32.07	33.67	35.35	37.11
16	नगर पालिका परिषद देवरिया	48.00	50.00	54.00	56.00	58.00	60.00
17	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	18.08	18.44	18.82	19.21	19.60	20.00
18	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	12.98	12.98	106.85	67.50	90.00	90.00
19	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	88.76	88.76	88.76	64.95	64.95	47.74
20	नगर पालिका परिषद शामली	30.00	32.00	33.00	35.00	36.00	36.00
21	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	18.00	18.00	18.00	25.00	50.00	50.00
22	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	15.00	16.00	16.50	17.35	22.58	26.10
23	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	21.50	13.41	22.48	22.48	19.55	19.55
24	नगर पंचायत झालू बिजनौर	4.26	4.26	4.26	5.34	5.34	5.34
25	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	4.75	4.90	5.20	5.75	6.30	6.80
26	नगर पंचायत जरवल बहराइच	3.20	3.22	3.23	3.25	3.28	3.30
27	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	3.50	3.80	4.00	4.00	7.78	7.78
28	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	1.76	1.86	1.96	2.07	2.17	2.27
29	नगर पंचायत उसावां बदायूं	2.85	3.32	3.80	4.27	4.75	5.22
30	नगर पंचायत बकेवर इटावा	1.80	1.80	1.80	1.99	2.00	2.00
31	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	3.00	3.20	3.80	4.00	4.20	3.90
32	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	10.55	11.00	12.00	13.00	13.50	10.37
33	नगर पंचायत टिकरी बागपत	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00
34	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	5.50	6.00	6.30	6.60	6.90	7.20
35	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2.08	2.12	2.16	2.21	2.25	2.30
36	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	3.80	3.90	3.95	4.20	4.20	4.20
37	नगर पंचायत रेवती बलिया	7.40	7.53	7.67	8.00	8.00	8.00

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	अपशिष्ट संग्रहण					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
38	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	8.20	8.31	8.42	9.17	9.29	9.29
39	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	8.66	8.67	9.76	9.90	9.90	9.90
40	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	3.97	4.10	4.73	3.60	5.30	5.30
41	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	3.55	3.55	3.55	3.23	3.23	2.89
42	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	1.58	1.58	6.67	3.32	6.38	6.46
43	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	2.50	2.50	4.00	2.07	2.07	2.07
44	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	0.20	3.00	3.00	2.18	2.18	2.25
45	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	7.00	7.00	7.08	7.16	7.24	7.32
योग		**4248.82**	**4473.41**	**4140.68**	**4315.83**	**4410.47**	**5300.07**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 4.2 (बी)

राज्य और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न और संग्रहीत अपशिष्ट की मात्रा की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.1)

(मात्रा टन प्रतिदिन में)

वर्ष	राज्य				नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय			
	उत्पन्न	संग्रहीत	असंग्रहीत	असंग्रहीत का प्रतिशत	उत्पन्न	संग्रहीत	असंग्रहीत	असंग्रहीत का प्रतिशत
2016-17	15500	12000	3500	23	4253	4249	4	0.09
2017-18	15500	12000	3500	23	4477	4473	4	0.09
2018-19	15500	13950	1550	10	4144	4141	3	0.07
2019-20	14468	13955	513	4	4688	4316	372	8
2020-21	14710	14292	418	3	4780	4410	370	8
2021-22	14710	14710	0	0	5567	5300	267	5
योग	**90388**	**80907**	**9481**		**27909**	**26889**	**1020**	

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 4.3

लखनऊ शहर में द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा के अंतर्गत आच्छादित घरों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.1)

वर्ष	कुल घरों की संख्या	द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा के साथ आच्छादित कुल घरों की संख्या	द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा से अनाच्छादित कुल घरों की संख्या	द्वार-द्वार संग्रहण सुविधा से अनाच्छादित कुल घरों की संख्या का प्रतिशत
2017-18	538149	254711	283438	53
2018-19	553839	319230	234609	42
2019-20	558172	376362	181810	33
2020-21	566037	443901	122136	22
2021-22	571697	451984	119713	21

(स्रोत: नगर निगम लखनऊ)

परिशिष्ट 4.4 (ए)

नगर पालिका परिषद हाथरस में अधिक संख्या में घरों और वाणिज्यिक संपत्तियों के दावे के कारण फर्म को किये गये अधिक भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.1)

(धनराशि ₹ में)

माह	बिल में दावा की गयी संपत्तियों की संख्या		संपत्तियों की वास्तविक संख्या		अधिक भुगतान अनुबंध के आधार पर नगर पालिका परिषद द्वारा अनुमन्य निर्धारित दर (घर @ ₹ 50 प्रति माह और वाणिज्यिक @ ₹ 100 प्रति माह) के *60 प्रतिशत* की दर से गणना की गयी			बिल के अनुसार घरों का आच्छादन		नगर पालिका परिषद द्वारा बिल पर लगाया गया जुर्माना (% में)	जुर्माने की धनराशि	अधिक भुगतान
	घर	वाणिज्यिक	घर	वाणिज्यिक	घर = (बी-डी) x ₹50 x 60%	वाणिज्यिक (सी-ई)*₹100 x 60%	कुल (एफ+जी)	%	धनराशि (एच x आई%)		जे x के%	जे-एल
(ए)	(बी)	(सी	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)	(एम)
अक्टूबर-20	19483	5056	15716	2503	113010	153180	266190	85	226262	10	22626	203636
नवंबर-20	19483	5056	15716	2503	113010	153180	266190	87	231585	10	23159	208426
दिसम्बर-20	16950	4399	15716	2503	37020	113760	150780	100	150780	12	18094	132686
जनवरी-21	17145	4449	15716	2503	42870	116760	159630	100	159630	12	19156	140474
फरवरी-21	17535	4550	15716	2503	54570	122820	177390	100	177390	10	17739	159651
मार्च-21	18119	4702	15716	2503	72090	131940	204030	100	204030	5	10202	193828
अप्रैल-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501
मई-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501
जून-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501
जुलाई-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501
अगस्त-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501
सितम्बर-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501

माह	बिल में दावा की गयी संपत्तियों की संख्या		संपत्तियों की वास्तविक संख्या		अधिक भुगतान अनुबंध के आधार पर नगर पालिका परिषद द्वारा अनुमन्य निर्धारित दर (घर @ ₹ 50 प्रति माह और वाणिज्यिक @ ₹ 100 प्रति माह) के *60 प्रतिशत* की दर से गणना की गयी			बिल के अनुसार घरों का आच्छादन		नगर पालिका परिषद द्वारा बिल पर लगाया गया जुर्माना (% में)	जुर्माने की धनराशि	अधिक भुगतान
	घर	वाणिज्यिक	घर	वाणिज्यिक	घर = (बी-डी) x ₹50 x 60%	वाणिज्यिक (सी-ई)*₹100 x 60%	कुल (एफ+जी)	%	धनराशि (एच x आई%)		जे x के%	जे-एल
अक्टूबर-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	5	9869	187501
नवम्बर-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	40	78948	118422
दिसम्बर-21	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	40	78948	118422
जनवरी-22	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	40	78948	118422
फरवरी-22	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	20	39474	157896
मार्च-22	18119	4702	15802	2571	69510	127860	197370	100	197370	20	39474	157896
योग					**1266690**	**2325960**	**3592650**		**3518117**		**495851**	**3022266**

(स्रोत: नगर पालिका परिषद हाथरस)

परिशिष्ट 4.4 (बी)

आरएफपी की शर्तों के विपरीत फर्म के बिलों से 50 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत की कटौती के कारण फर्म को किये गये अधिक भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.1)

(धनराशि ₹ में)

माह	बिल की धनराशि	कटौती		अधिक भुगतान का प्रावधान	बिल पर लगाया जुर्माना (प्रतिशत में)	जुर्माने की धनराशि (₹ में)	फर्म को किया गया शुद्ध अधिक भुगतान
		बिलों में अनुमन्य (40 *प्रतिशत*)	आरएफपी के अनुसार देय (50 *प्रतिशत*)	(iv-iii)		(v) x (vi)/100	(v-vii)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
सितम्बर 2021	1376168	550467	688084	137617	5	6881	130736
अक्टूबर 2021	1376150	550460	688075	137615	5	6881	130734
नवम्बर 2021	1376160	550464	688080	137620	40	55048	82572
दिसम्बर2021	1376160	550464	688080	137620	40	55048	82572
जनवरी 2022	1376150	550460	688075	137615	40	55046	82569
फरवरी 2022	1376150	550460	688075	137615	20	27523	110092
मार्च 2022	1376150	550460	688075	137615	20	27523	110092
योग				**963317**		**233950**	**729367**

(स्रोत: नगर पालिका परिषद हाथरस)

परिशिष्ट 4.5 (ए)

नगर पालिका परिषद लोनी में द्वार-द्वार संग्रहण में लगे टिपर के लिए फर्म को किये गये परिहार्य भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.2)

(धनराशि ₹ में)

माह	टिपर की संख्या जिसके लिए भुगतान किया गया	टिपर की आवश्यक संख्या	अधिक टिपर की संख्या जिसके लिए भुगतान किया गया	टिपर के किराये पर अधिक भुगतान @ ₹ 18,000 प्रति टिपर प्रति माह
(ए)	(बी)	(सी)	(डी) = (बी) - (सी)	(ई) = (डी) * 18000
नवम्बर 2018	55	28	27	486000
दिसम्बर 2018	55	28	27	486000
जनवरी 2019	55	28	27	486000
फरवरी 2019	55	28	27	486000
मार्च 2019	55	28	27	486000
अप्रैल 2019	55	28	27	486000
मई 2019	55	28	27	486000
जून 2019	बिल उपलब्ध नहीं			
जुलाई 2019	55	28	27	486000
अगस्त 2019	55	28	27	486000
सितम्बर 2019	53	28	27	486000
अक्टूबर 2019	53	28	27	486000
नवम्बर 2019	55	28	27	486000
दिसम्बर 2019	55	28	27	486000
जनवरी 2020	53	28	25	450000
फरवरी 2020	51	28	23	414000
मार्च 2020	53	28	25	450000
अप्रैल 2020	54	28	26	468000
मई 2020	44	28	16	288000
जून 2020	45	28	17	306000
जुलाई 2020	44	28	16	288000
अगस्त 2020	44	28	16	288000
सितम्बर 2020	बिल उपलब्ध नहीं			
अक्टूबर 2020	44	28	16	288000
नवंबर 2020	44	28	16	288000
योग				**9846000**

(स्रोत: नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद)

परिशिष्ट 4.5 (बी)

नगर पालिका परिषद लोनी में द्वार-द्वार संग्रहण में लगे जनशक्ति के लिए फर्म को किये गये परिहार्य भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.3.2)

(धनराशि ₹ में)

माह	अधिक तैनात वाहन चालक और उन्हें किये गए भुगतान का विवरण						अधिक तैनात सफाई कर्मी और उन्हें किये गए भुगतान का विवरण						अधिक तैनात जनशक्ति पर कुल भुगतान
	आवश्यक वाहन चालकों की संख्या	वास्तव में तैनात किये गये वाहन चालकों की संख्या	अधिक तैनात वाहन चालक	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: वाहन चालकों की संख्या	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: धनराशि	अधिक तैनात वाहन चालकों के लिए अधिक भुगतान	आवश्यक सफाई कर्मी की संख्या	वास्तव में तैनात किये गये सफाई कर्मियों की संख्या	अधिक तैनात सफाई कर्मी	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: सफाई कर्मियों की संख्या	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: धनराशि	अधिक तैनात सफाई कर्मियों के लिए अधिक भुगतान	
(ए)	*(बी)*	*(सी)*	*(डी) = (सी-बी)*	*(ई)*	*(एफ)*	*(जी)= (एफ*डी)/ई*	*(एच)*	*(आई)*	*(जे) = (आई-एच)*	*(के)*	*(एल)*	*(एम)= (एल*जे)/के*	*(एन) = (जी+एम)*
नवम्बर 2018	28	55	27	60	749112	337100	56	165	109	956	8389644	956560	1293660
दिसम्बर 2018	28	55	27	60	707424	318341	56	165	109	993	8540511	937478	1255819
जनवरी 2019	28	55	27	62	788673	343454	56	165	109	943	8334366	963357	1306811
फरवरी 2019	28	55	27	62	711678	309924	56	165	109	932	7651492	894863	1204787
मार्च 2019	28	55	27	60	781016	351457	56	165	109	926	8333450	980935	1332392
अप्रैल 2019	28	55	27	61	762724	337599	56	165	109	945	8299245	957267	1294866
मई 2019	28	55	27	60	781442	351649	56	165	109	914	8233584	981904	1333553
जून 2019	बिल उपलब्ध नहीं												
जुलाई 2019	28	55	27	59	765277	350212	56	165	109	921	8371319	990742	1340954
अगस्त 2019	28	55	27	55	715506	351248	56	165	109	939	8521576	989193	1340441
सितम्बर 2019	28	53	27	57	717206	339729	56	159	109	944	8315737	960186	1299915
अक्टूबर 2019	28	53	27	57	729505	345555	56	159	109	944	8647222	998461	1344016
नवम्बर 2019	28	55	27	59	745708	341256	56	165	109	994	8578806	940734	1281990
दिसम्बर 2019	28	55	27	58	754641	351298	56	165	109	994	8825351	967770	1319068

माह	अधिक तैनात वाहन चालक और उन्हें किये गए भुगतान का विवरण						अधिक तैनात सफाई कर्मी और उन्हें किये गए भुगतान का विवरण						अधिक तैनात जनशक्ति पर कुल भुगतान
	आवश्यक वाहन चालकों की संख्या	वास्तव में तैनात किये गये वाहन चालकों की संख्या	अधिक तैनात वाहन चालक	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: वाहन चालकों की संख्या	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: धनराशि	अधिक तैनात वाहन चालकों के लिए अधिक भुगतान	आवश्यक सफाई कर्मी की संख्या	वास्तव में तैनात किये गये सफाई कर्मियों की संख्या	अधिक तैनात सफाई कर्मी	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: सफाई कर्मियों की संख्या	बिल के अनुसार भुगतान का विवरण: धनराशि	अधिक तैनात सफाई कर्मियों के लिए अधिक भुगतान	
(ए)	*(बी)*	*(सी)*	*(डी) = (सी-बी)*	*(ई)*	*(एफ)*	*(जी)= (एफ*डी)/ई*	*(एच)*	*(आई)*	*(जे) = (आई-एच)*	*(के)*	*(एल)*	*(एम)= (एल*जे)/के*	*(एन) = (जी+एम)*
जनवरी 2020	28	53	25	58	739328	318676	56	159	103	944	8584045	936607	1255283
फरवरी 2020	28	51	23	58	707849	280699	56	153	97	950	8212381	838527	1119226
मार्च 2020	28	53	25	59	771231	326793	56	159	103	950	8683280	941450	1268243
अप्रैल 2020	28	54	26	59	752940	331804	56	162	106	1050	9707670	980012	1311816
मई 2020	28	44	16	59	736775	199803	56	132	76	1050	8470635	613113	812916
जून 2020	28	45	17	58	658504	193010	56	135	79	1050	8099587	609397	802407
जुलाई 2020	28	44	16	59	733372	198881	56	132	76	1050	8964957	648892	847773
अगस्त 2020	28	44	16	58	732096	201958	56	132	76	1050	8820728	638453	840411
सितम्बर 2020	बिल उपलब्ध नहीं												
अक्टूबर 2020	28	44	16	58	749112	206652	56	132	76	1050	9189003	665109	871761
नवम्बर 2020	28	44	16	58	728693	201019	56	132	76	1050	8891610	643583	844602
योग						**6888117**						**20034593**	**26922710**

(स्रोत: नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद)

परिशिष्ट 4.6

नगर पंचायत चितबड़ागांव और नगर पंचायत रेवती में कूड़ेदानों के अधिक क्रय पर हुए व्यय का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.2.4.2)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या: 2011	अनुमानित जनसंख्या 2021	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल के अनुसार मानक	मानकों के अनुसार आवश्यक कूड़ेदानों की संख्या	क्रय किये गये कूड़ेदानों की संख्या	भुगतान की तिथि	क्रय किये गये अधिक कूड़ेदानों की संख्या	दर प्रति कूड़ेदान	अधिक व्यय
1	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	21879	24132	5000 जनसंख्या के लिए 1 **कूड़ेदान**	5	15	08.05.2020	10	1.18	11.80
2	नगर पंचायत रेवती बलिया	26359	30693		6	15	17.12.2019	9	1.00	9.00
						3	13.04.2020	3	1.24	3.72
योग										**24.52**

(स्रोत: नगर पंचायत चितबड़ागांव और नगर पंचायत रेवती बलिया)

परिशिष्ट 4.7

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले विभाजित/ढके हुए वाहनों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3.1)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टिपर			ट्रैक्टर			सरकार के उत्तर (जून 2023) के अनुसार वाहन की स्थिति
		वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	
1	नगर निगम लखनऊ	883	604	714	116	0	0	शहरी स्थानीय निकाय में द्वार-द्वार संग्रहण के लिए विभाजित वाहन थे और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के दौरान ढका जाता है। तथापि, उत्तर नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विपरीत था क्योकि 279 टिपर विभाजित नहीं थे |
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	232	138	232	28	0	0	नगर निगम गाज़ियाबाद अधिकांश विभाजित वाहन का उपयोग कर रहा है और तीन जोनों में विभाजित वाहन का उपयोग करके द्वार-द्वार संग्रहण वाह्य सेवा से किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मात्र आंशिक टिपर्स का विभाजन किया गया था और ट्रैक्टर्स को न तो ढका गया था और न ही विभाजन किया गया था।
3	नगर निगम कानपुर	123	0	0	0	0	0	जहां तक संभव है विभाजित वाहनों का उपयोग किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि किसी भी वाहन को विभाजित / ढका नहीं गया था।
4	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	25	25	25	33	0	0	कोई उत्तर नहीं।
5	नगर पालिका परिषद देवरिया	20	20	20	0	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया गया है और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन करते समय उचित रूप से ढका जाता है।
6	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	6	0	6	4	0	0	सभी विभाजित वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि किसी भी टिपर का विभाजन नहीं किया

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टिपर			ट्रैक्टर			सरकार के उत्तर (जून 2023) के अनुसार वाहन की स्थिति
		वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	
								गया था और ट्रैक्टर्स को न तो ढका गया था और न ही विभाजन किया गया था।
7	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	7	7	7	3	0	0	कोई उत्तर नहीं।
8	नगर पालिका परिषद हाथरस	30	27	27	18	0	0	27 टिपर्स के माध्यम से पृथक्कृत अपशिष्ट को संग्रहीत किया जा रहा है।
9	नगर पालिका परिषद एटा	30	30	30	3	0	0	25 टिपर विभाजित हैं। तथापि, उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रैक्टर को न तो विभाजित किया गया था और न ही ढका गया था।
10	नगर पालिका परिषद महोबा	7	7	7	6	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को अपशिष्ट के परिवहन के दौरान विभाजित और ढका जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कोई ट्रैक्टर विभाजित या ढका नहीं था
11	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	43	43	43	7	0	0	कोई उत्तर नहीं।
12	नगर पालिका परिषद शामली	3	0	0	8	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया जाता है और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन करते समय उचित रूप से ढका जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि न तो ट्रैक्टर और न ही टिपर को विभाजित और ढका गया था।
13	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	13	13	13	16	16	16	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया जाता है और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन करते समय उचित रूप से ढका जाता है।
14	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	3	3	3	3	0	0	बिना विभाजन के किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, उत्तर इस तथ्य के विपरीत है क्योंकि किसी भी ट्रैक्टर को या तो विभाजित या ढका नहीं गया था।

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टिपर			ट्रैक्टर			सरकार के उत्तर (जून 2023) के अनुसार वाहन की स्थिति
		वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	
15	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	28	28	24	7	7	0	कोई उत्तर नहीं।
16	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	17	17	17	7	0	0	कोई उत्तर नहीं।
17	नगर पालिका परिषद रायबरेली	36	36	36	6	6	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया जाता है और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन करते समय उचित रूप से ढका जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कोई ट्रैक्टर ढका नहीं था।
18	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	9	9	8	5	0	0	कोई उत्तर नहीं।
19	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	6	6	6	8	0	8	कोई उत्तर नहीं।
20	नगर पालिका परिषद औरैया	10	10	10	2	0	0	स्रोत पृथक्करण के लिए कोई विभाजित वाहन उपलब्ध नहीं है।
21	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	5	5	2	1	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण के लिए विभाजित वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मात्र कुछ टिपर को ढका गया था और ट्रैक्टर को न तो विभाजित किया गया था और न ही ढका गया था।
22	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	12	5	5	4	0	0	टिपर विभाजन के साथ हैं और अन्य वाहनों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन के दौरान ढका जाता है। तथापि, यह उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विरोधाभासी है।
23	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	40	40	40	18	0	0	विभाजित और ढके वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रैक्टर को न तो विभाजित किया गया था और न ही ढका गया था।

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टिपर			ट्रैक्टर			सरकार के उत्तर (जून 2023) के अनुसार वाहन की स्थिति
		वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	
24	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2	0	0	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
25	नगर पंचायत रेवती बलिया	7	0	0	2	0	0	स्रोत पृथक्करण के लिए सात विभाजित वाहन का उपयोग किया गया। तथापि, उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विरोधाभासी है।
26	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	6	2	2	3	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण के लिए विभाजित वाहनों का उपयोग किया जा रहा है और अपशिष्ट के परिवहन के दौरान ट्रैक्टर्स को ढका जा रहा है। तथापि, यह उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विरोधाभासी है।
27	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	2	2	2	1	0	0	पृथक्कृत अपशिष्ट का परिवहन किया जा रहा है। तथ्य यह है कि ट्रैक्टर को न तो विभाजित किया गया था और न ही ढका गया था।
28	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	6	6	6	4	0	0	कोई उत्तर नहीं।
29	नगर पंचायत टिकरी बागपत	3	3	3	3	0	0	कोई उत्तर नहीं।
30	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	6	2	2	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
31	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	2	2	2	3	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया जाता है और अन्य टिपिंग ट्रकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत परिवहन करते समय उचित रूप से ढका जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि किसी ट्रैक्टर को विभाजित/ढका नहीं गया था।
32	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	4	4	0	2	0	0	स्रोत पृथक्करण के लिए कोई विभाजित वाहन उपलब्ध नहीं है।
33	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	5	5	1	4	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया जाता है और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन करते

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टिपर			ट्रैक्टर			सरकार के उत्तर (जून 2023) के अनुसार वाहन की स्थिति
		वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	
								समय उचित रूप से ढका जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि पांच टिपर्स में से मात्र एक को ढका गया था और किसी ट्रैक्टर को विभाजित/ढका नहीं गया था।
34	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	2	2	0	3	0	0	बिना विभाजन के किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कोई टिपर ढका नहीं गया था और न ही किसी ट्रैक्टर को न तो विभाजित किया गया था और न ही ढका गया था।
35	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	2	0	0	1	0	0	नगर पंचायत बिठूर पृथक कूड़ेदान के साथ दो टिपर संचालित करता है। तथापि, उत्तर इस तथ्य के विपरीत है कि किसी भी वाहन को विभाजित या ढका नहीं गया था।
36	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	3	0	1	3	0	0	कोई उत्तर नहीं।
37	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	4	4	4	2	2	0	कोई उत्तर नहीं।
38	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	0	0	0	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
39	नगर पंचायत उसावां बदायूं	3	3	3	3	3	0	कोई उत्तर नहीं।
40	नगर पंचायत झालू बिजनौर	2	2	2	7	0	0	स्रोत पृथक्करण के लिए कोई विभाजित वाहन नहीं है।
41	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	3	3	3	4	4	4	स्रोत पृथक्करण के लिए वाहनों को विभाजित किया जाता है।
42	नगर पंचायत बकेवर इटावा	2	2	2	2	0	0	कोई विभाजित वाहन उपलब्ध नहीं है।
43	नगर पंचायत जरवल बहराइच	3	1	1	2	0	0	अपशिष्ट के पृथक संग्रहण के लिए मोटर चालित वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।
44	नगर पंचायत आनंदनगर महराजगंज	2	0	0	2	0	0	द्वार-द्वार संग्रहण वाहनों को विभाजित किया जाता है और अन्य टिपिंग ट्रकों को नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन करते

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	टिपर			ट्रैक्टर			सरकार के उत्तर (जून 2023) के अनुसार वाहन की स्थिति
		वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	वाहनों की कुल संख्या	विभाजित वाहनों की संख्या	ढके हुए वाहनों की संख्या	
								समय उचित रूप से ढका जाता है। तथापि, यह उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विरोधाभासी है।
45	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	2	2	2	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
योग		**1659**	**1118**	**1311**	**362**	**38**	**28**	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 4.8

मार्च 2022 तक नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्राधिकार के बिना उपयोग किये गये परिवहन वाहनों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3.2)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	बीमाकृत वाहनों की संख्या	फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन की संख्या	सरकार के उत्तर अनुसार वाहन की स्थिति (जून 2023)
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर					
1	नगर निगम लखनऊ	883	116	0	73	74	1146	931	324	108	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कई वाहन अपंजीकृत और बीमाकृत नहीं थे
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	232	28	20	12	26	318	318	110	318	कोई उत्तर नहीं।
3	नगर निगम कानपुर	123	0	0	35	20	178	177	177	177	जहां तक संभव था, नगर निगम फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था।
4	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	25	33	0	4	1	63	62	62	62	कोई उत्तर नहीं।
5	नगर पालिका परिषद देवरिया	20	0	0	0	3	23	23	3	0	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कई वाहनों का बीमा नहीं हुआ है।
6	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	6	4	1	0	0	11	2	3	0	वाहन पंजीकृत हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कई वाहन अपंजीकृत हैं।

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	बीमाकृत वाहनों की संख्या	फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन की संख्या	सरकार के उत्तर अनुसार वाहन की स्थिति (जून 2023)
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर					
7	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	7	3	0	0	1	11	2	7	0	कोई उत्तर नहीं।
8	नगर पालिका परिषद हाथरस	30	18	0	2	2	52	35	33	0	कोई उत्तर नहीं।
9	नगर पालिका परिषद एटा	30	3	0	1	3	37	34	37	0	समय पर वाहनों का बीमा किया जाता है और फिटनेस प्रमाणित किया जाता है। तथ्य यह है कि किसी भी वाहन फिटनेस प्रमाणित नहीं था।
10	नगर पालिका परिषद महोबा	7	6	2	0	1	16	9	7	7	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वाहन मात्र आंशिक रूप से पंजीकृत, बीमाकृत एवं फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त थे।
11	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	43	7	0	0	5	55	3	0	0	कोई उत्तर नहीं।
12	नगर पालिका परिषद शामली	3	8	0	0	0	11	0	0	0	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। तथापि, यह उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के विरोधाभासी है।
13	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	13	16	0	0	2	31	13	0	13	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मात्र कुछ वाहन

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	बीमाकृत वाहनों की संख्या	फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन की संख्या	सरकार के उत्तर अनुसार वाहन की स्थिति (जून 2023)
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर					
											पंजीकृत थे और किसी भी वाहन का बीमा नहीं किया गया था।
14	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	3	3	0	0	0	6	0	0	0	शेष वाहनों के पंजीकरण के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। तथ्य यह है कि कोई भी वाहन पंजीकृत, बीमाकृत और फिटनेस प्रमाणित नहीं था।
15	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	28	7	0	1	3	39	32	32	32	कोई उत्तर नहीं।
16	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	17	7	0	1	1	26	22	0	0	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि मात्र आंशिक वाहनों का पंजीकरण किया गया था और किसी भी वाहन का बीमा नहीं किया गया था।
17	नगर पालिका परिषद रायबरेली	36	6	0	5	3	50	25	50	0	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। तथ्य यह है कि मात्र कुछ वाहनों का पंजीकरण किया गया था।
18	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	9	5	0	1	0	15	8	11	0	कोई उत्तर नहीं।
19	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	6	8	0	1	0	15	14	0	0	कोई उत्तर नहीं।
20	नगर पालिका परिषद औरैया	10	2	0	2	1	15	0	1	0	कोई उत्तर नहीं।

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	बीमाकृत वाहनों की संख्या	फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन की संख्या	सरकार के उत्तर अनुसार वाहन की स्थिति (जून 2023)
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर					
21	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	5	1	0	0	0	6	3	6	3	चार वाहन पंजीकृत हैं और शेष वाहनों के लिए पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण-पत्र का कार्य प्रगति पर है।
22	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	12	4	0	0	2	18	9	11	0	कोई उत्तर नहीं।
23	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	40	18	0	6	2	66	42	17	0	पंजीकरण, बीमा और फिटनेस प्रमाणन कार्य प्रगति पर है
24	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2	2	0	0	0	4	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
25	नगर पंचायत रेवती बलिया	7	2	0	0	0	9	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
26	नगर पंचायत कुलपहाड़ महाबा	6	3	0	0	0	9	9	0	0	पंजीकरण, बीमा और फिटनेस प्रमाणन कार्य प्रगति पर है
27	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	2	1	1	1	0	5	5	0	0	बीमा और पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है ।
28	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	6	4	0	1	0	11	6	6	0	कोई उत्तर नहीं।
29	नगर पंचायत टिकरी बागपत	3	3	0	0	0	6	1	2	0	कोई उत्तर नहीं।
30	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	6	2	0	0	0	8	0	0	0	कोई उत्तर नहीं।
31	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	2	3	0	0	0	5	0	0	0	वाहनों का पंजीकरण और बीमा किया जाता है। उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गयी सूचना के विरोधाभासी है।

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	बीमाकृत वाहनों की संख्या	फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन की संख्या	सरकार के उत्तर अनुसार वाहन की स्थिति (जून 2023)
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर					
32	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	4	2	0	0	0	6	3	0	0	कोई उत्तर नहीं।
33	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	5	4	0	1	0	10	0	0	0	कोई उत्तर नहीं।
34	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	2	3	0	1	0	6	0	0	0	पंजीकरण और फिटनेस कार्य प्रक्रियाधीन है।
35	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	2	1	0	0	0	3	1	1	0	कोई उत्तर नहीं।
36	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	3	3	0	0	0	6	3	0	0	कोई उत्तर नहीं।
37	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	4	2	0	0	0	6	6	6	2	कोई उत्तर नहीं।
38	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	0	2	0	0	6	8	0	0	0	कोई उत्तर नहीं।
39	नगर पंचायत उसावां बदायूं	3	3	0	0	0	6	2	0	2	कोई उत्तर नहीं।
40	नगर पंचायत झालू बिजनौर	2	7	0	0	0	9	4	0	2	कोई उत्तर नहीं।
41	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	3	4	0	0	0	7	5	0	3	कोई उत्तर नहीं।
42	नगर पंचायत बकेवर इटावा	2	2	0	0	0	4	4	3	1	कोई उत्तर नहीं।
43	नगर पंचायत जरवल बहराइच	3	2	0	0	0	5	0	0	0	चार वाहन पंजीकृत हैं और एक वाहन का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। उत्तर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गयी सूचना के विरोधाभासी है।

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	पंजीकृत वाहनों की संख्या	बीमाकृत वाहनों की संख्या	फिटनेस प्रमाण पत्र युक्त वाहन की संख्या	सरकार के उत्तर अनुसार वाहन की स्थिति (जून 2023)
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर					
44	नगर पंचायत आनंदनगर महराजगंज	2	2	0	1	0	5	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
45	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	2	2	0	0	0	4	2	0	0	कोई उत्तर नहीं।
योग		**1659**	**362**	**24**	**149**	**156**	**2350**	**1821**	**909**	**730**	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 4.9

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट परिवहन वाहनों का वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से अनुश्रवण किये जाने का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3.3)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	जीपीएस युक्त वाहन
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर		
1	नगर निगम लखनऊ	883	116	0	73	74	1146	1056
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	232	28	20	12	26	318	300
3	नगर निगम कानपुर	123	0	0	35	20	178	178
4	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	25	33	0	4	1	63	0
5	नगर पालिका परिषद देवरिया	20	0	0	0	3	23	20
6	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	6	4	1	0	0	11	0
7	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	7	3	0	0	1	11	0
8	नगर पालिका परिषद हाथरस	30	18	0	2	2	52	0
9	नगर पालिका परिषद एटा	30	3	0	1	3	37	0
10	नगर पालिका परिषद महोबा	7	6	2	0	1	16	7
11	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	43	7	0	0	5	55	0
12	नगर पालिका परिषद शामली	3	8	0	0	0	11	0
13	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	13	16	0	0	2	31	0
14	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	3	3	0	0	0	6	0
15	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	28	7	0	1	3	39	0
16	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	17	7	0	1	1	26	17
17	नगर पालिका परिषद रायबरेली	36	6	0	5	3	50	0
18	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	9	5	0	1	0	15	10
19	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	6	8	0	1	0	15	0
20	नगर पालिका परिषद औरैया	10	2	0	2	1	15	0
21	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	5	1	0	0	0	6	5
22	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	12	4	0	0	2	18	14
23	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	40	18	0	6	2	66	61
24	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2	2	0	0	0	4	0

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वाहन का विवरण					वाहनों की कुल संख्या	जीपीएस युक्त वाहन
		टिपर	ट्रैक्टर	डंपर	डंपर प्लेसर	कॉम्पैक्टर		
25	नगर पंचायत रेवती बलिया	7	2	0	0	0	9	0
26	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	6	3	0	0	0	9	0
27	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	2	1	1	1	0	5	0
28	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	6	4	0	1	0	11	0
29	नगर पंचायत टिकरी बागपत	3	3	0	0	0	6	0
30	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	6	2	0	0	0	8	0
31	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	2	3	0	0	0	5	0
32	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	4	2	0	0	0	6	0
33	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	5	4	0	1	0	10	0
34	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	2	3	0	1	0	6	0
35	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	2	1	0	0	0	3	0
36	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	3	3	0	0	0	6	0
37	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	4	2	0	0	0	6	0
38	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	0	2	0	0	6	8	0
39	नगर पंचायत उसावां बदायूं	3	3	0	0	0	6	6
40	नगर पंचायत झालू बिजनौर	2	7	0	0	0	9	0
41	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	3	4	0	0	0	7	0
42	नगर पंचायत बकेवर इटावा	2	2	0	0	0	4	3
43	नगर पंचायत जरवल बहराइच	3	2	0	0	0	5	0
44	नगर पंचायत आनंदनगर महराजगंज	2	2	0	1	0	5	0
45	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	2	2	0	0	0	4	0
योग		**1659**	**362**	**24**	**149**	**156**	**2350**	**1677**

(स्रोत: नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 4.10

शहरी स्थानीय निकायों में आवश्यक वाहन और ठोस अपशिष्ट के लिए गैप विश्लेषण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3.4.1)

क्र.सं	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	2019[6] की जनसंख्या का पूर्वानुमान	मानकों[7] के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में अपेक्षित वाहनों की संख्या		2018-19 तक शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्ध वाहनों की संख्या		निदेशालय स्तर पर 2019-20 के गैप विश्लेषण के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों में आवश्यक वाहनों की संख्या		शहरी स्थानीय निकायों में गैप विश्लेषण के आधार पर वाहनों की संख्या सहित कुल वाहनों की संख्या		गैप विश्लेषण में वाहनों के अधिक प्रावधान का प्रतिशत	
									(6)+(8)	(7)+(9)	(10-4) *100/(4)	(11-5) *100/(5)
			तिपहिया साईकिल	हल्के वाणिज्यिक वाहन	तिपहिया साईकिल	हल्के वाणिज्यिक वाहन	तिपहिया साईकिल	हल्के वाणिज्यिक वाहन	तिपहिया साईकिल	हल्के वाणिज्यिक वाहन	तिपहिया साईकिल	हल्के वाणिज्यिक वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	262313	52	22	60	9	35	25	95	34	83	55
2	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	133353	27	11	80	2	15	22	95	24	252	118
3	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	90972	15	8	0	3	20	15	20	18	33	125
4	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	445883	89	38	0	26	100	75	100	101	12	166
5	नगर पालिका परिषद देवरिया	148717	30	13	0	5	25	20	25	25	लागू नहीं	92
6	नगर पालिका परिषद एटा	131003	26	11	0	6	30	25	30	31	15	182
7	नगर पालिका परिषद हाथरस	155570	31	13	50	8	25	22	75	30	142	131

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

[6] अनुमानित जनसंख्या परिशिष्ट 8 में दी गयी है |

[7] यदि शहर की आबादी एक लाख से अधिक है तो द्वार-द्वार संग्रहण का 75 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन/ छोटे टिपर के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत तिपहिया साईकिल के माध्यम से और यदि शहर की आबादी एक लाख से कम है तो द्वार-द्वार संग्रहण का 80 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन / छोटे टिपर के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत, तिपहिया साईकिल के माध्यम से आच्छादन पर विचार किया गया है (1,250 जनसंख्या पर 1 तिपहिया साईकिल और 8,750 जनसंख्या पर 1 हल्के वाणिज्यिक वाहन)।

परिशिष्ट 4.11

नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्राथमिक परिवहन के लिए वाहनों की उपलब्धता का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3.4.1)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	पूर्वानुमानित जनसंख्या 2021[8]	मानक[9] के अनुसार आवश्यक वाहनों की संख्या	2021-22 तक उपलब्ध वाहनों की संख्या	2021-22 तक अधिक वाहन (6)-(5)	वाहनों की अधिकता का प्रतिशत 7*100/(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अपशिष्ट के प्राथमिक परिवहन के लिए अधिक हल्के वाणिज्यिक वाहन /छोटे टिपर का विवरण							
1	नगर पालिका परिषद हाथरस	143339	158461	14	30	16	114
2	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	222519	273378	23	43	20	87
3	नगर पालिका परिषद देवरिया	129479	153467	13	25	12	92
4	नगर पालिका परिषद एटा	118517	133461	11	30	19	173
5	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	127988	133978	11	28	17	155
6	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	80305	93753	9	17	8	89
अपशिष्ट के प्राथमिक परिवहन के लिए अधिक तिपहिया साईकिल का विवरण							
1	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	392454	458489	92	200	108	117
2	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	222519	273378	55	100	45	82

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

8 अनुमानित जनसंख्या परिशिष्ट 8 में दी गई है |

9 यदि शहर की आबादी एक लाख से अधिक है तो द्वार-द्वार संग्रहण का 75 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन /छोटे टिपर के माध्यम से तथा 25 प्रतिशत तिपहिया साईकिल के माध्यम से और यदि शहर की आबादी एक लाख से कम है तो द्वार-द्वार संग्रहण का 80 प्रतिशत हल्के वाणिज्यिक वाहन / छोटे टिपर के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत, तिपहिया साईकिल के माध्यम से आच्छादन पर विचार किया गया है (1,250 जनसंख्या पर 1 तिपहिया साईकिल और 8,750 जनसंख्या पर 1 हल्के वाणिज्यिक वाहन)।

परिशिष्ट 4.12

रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स के क्रय के लिए शहरी स्थानीय निकायों को निर्गत निधियों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3.4.2)

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार	जनसंख्या (2019[10])	स्वीकृत कॉम्पैक्टर		किया गया व्यय
			संख्या	कुल धनराशि	
नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	32171	35091	1	30.00	0
नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	80305	90972	1	30.00	29.97
नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	46155	52706	1	30.00	29.79
योग			**3**	**90.00**	**59.76**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

10 अनुमानित जनसंख्या परिशिष्ट 8 में दी गई है

परिशिष्ट-5.1 (ए)

वर्ष 2016-22 के दौरान राज्य एवं नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्कृत अपशिष्ट की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.1)

(मात्रा टन प्रतिदिन में)

वर्ष	राज्य					नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय				
	उत्पादित	संग्रहित	प्रसंस्कृत	उत्पादन के सापेक्ष प्रसंस्करण का प्रतिशत	संग्रहण के सापेक्ष प्रसंस्करण का प्रतिशत	उत्पादित	संग्रहित	प्रसंस्कृत	उत्पादन के सापेक्ष प्रसंस्करण का प्रतिशत	संग्रहण के सापेक्ष प्रसंस्करण का प्रतिशत
2016-17	15500	12000	3115	20	26	4253	4249	0	0	0
2017-18	15500	12000	3115	20	26	4477	4473	1577	35	35
2018-19	15500	13950	4615	30	33	4144	4141	1469	35	35
2019-20	14468	13955	5395	37	39	4688	4316	624	13	14
2020-21	14710	14292	7818	53	55	4780	4410	1475	31	33
2021-22	14710	14710	10433	71	71	5567	5300	3365	60	63
योग	**90388**	**80907**	**34491**			**27909**	**26889**	**8510**		

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.1 (बी)

वर्ष 2016-22 के दौरान नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में प्रसंस्कृत अपशिष्ट की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.1)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रसंस्करण (टन प्रतिदिन में)					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	नगर निगम लखनऊ	0	937.00	627.00	622.00	1016.00	1020.85
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	0	0	0	0	0	1280
3	नगर निगम कानपुर	0	640.00	842.00	0	455.00	1062.00
4	नगर पलिका परिषद रायबरेली	0	0	0	0	0	0
5	नगर पलिका परिषद बहेड़ी बरेली	0	0	0	0	0	0
6	नगर पलिका परिषद दातागंज बदायूं	0	0	0	0	0	0
7	नगर पलिका परिषद औरैया	0	0	0	0	0	0
8	नगर पलिका परिषद उतरौला बलरामपुर	0	0	0	0	0	0
9	नगर पलिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	0	0	0	0	0	0
10	नगर पलिका परिषद मुजफ्फरनगर	0	0	0	0	0	0
11	नगर पलिका परिषद लोनी गाजियाबाद	0	0	0	0	0	0
12	नगर पलिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	0	0	0	0	0	0
13	नगर पलिका परिषद हाथरस	0	0	0	0	0	0
14	नगर पलिका परिषद एटा	0	0	0	0	0	0
15	नगर पलिका परिषद महोबा	0	0	0	0	0	0
16	नगर पलिका परिषद देवरिया	0	0	0	0	0	0
17	नगर पलिका परिषद रामनगर वाराणसी	0	0	0	0	0	0
18	नगर पलिका परिषद बुलंदशहर	0	0	0	0	0	0
19	नगर पलिका परिषद पीलीभीत	0	0	0	0	0	0
20	नगर पलिका परिषद शामली	0	0	0	0	0	0
21	नगर पलिका परिषद देवबंद सहारनपुर	0	0	0	0	0	0
22	नगर पलिका परिषद शाहाबाद हरदोई	0	0	0	0	0	0
23	नगर पलिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	0	0	0	0	0	0
24	नगर पंचायत झालू बिजनौर	0	0	0	0	0	0
25	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	0	0	0	0	0	0
26	नगर पंचायत जरवल बहराइच	0	0	0	0	0	0
27	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	0	0	0	0	0	0
28	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	0	0	0	0	0	0
29	नगर पंचायत उसावां बदायूं	0	0	0	0	0	0
30	नगर पंचायत बकेवर इटावा	0	0	0	1.99	2	2
31	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	0	0	0	0	0	0
32	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	0	0	0	0	0	0
33	नगर पंचायत टिकरी बागपत	0	0	0	0	0	0
34	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	0	0	0	0	0	0
35	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	0	0	0	0	0	0
36	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	0	0	0	0	0	0
37	नगर पंचायत रेवती बलिया	0	0	0	0	1.55	0
38	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	0	0	0	0	0	0

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	प्रसंस्करण (टन प्रतिदिन में)					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
39	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	0	0	0	0	0	0
40	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	0	0	0	0	0	0
41	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	0	0	0	0	0	0
42	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	0	0	0	0	0	0
43	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	0	0	0	0	0	0
44	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	0	0	0	0	0	0
45	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	0	0	0	0	0	0
योग		**0.00**	**1577.00**	**1469.00**	**623.99**	**1474.55**	**3364.85**

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.2

राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एयर फील्ड टाउन एवं राज्य सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.2.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिले का नाम	योजना का नाम	संयंत्र की क्षमता	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत लागत
			संचालित संयंत्र			
1	नगर निगम लखनऊ	लखनऊ	यूआई&जी[11]	1300	3.12.07	52.83
2	नगर निगम वाराणसी	वाराणसी	यूआई&जी	600	26.10.07	48.68
3	नगर निगम प्रयागराज	प्रयागराज	यूआई&जी	600	13.12.07	30.41
4	नगर निगम अलीगढ़	अलीगढ़	यूआईडीएसएसएमटी	220	8.9.06	16.07
5	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	यूआईडीएसएसएमटी	120	10.11.06	6.58
6	नगर पालिका परिषद इटावा	इटावा	यूआईडीएसएसएमटी	75	10.11.06	5.82
7	नगर पालिका परिषद कन्नौज	कन्नौज	यूआईडीएसएसएमटी	25	8.9.06	4.62
8	नगर पालिका परिषद पिलखुआ	हापुड़	यूआईडीएसएसएमटी	45	1.7.11	8.98
9	नगर निगम कानपुर	कानपुर नगर	यूआई&जी	1500	3.12.07	56.24
10	नगर निगम आगरा	आगरा	यूआई&जी	750	12.3.07	30.84
11	नगर पालिका परिषद जौनपुर	जौनपुर	यूआईडीएसएसएमटी	80	16.7.07	12.20
12	नगर निगम मथुरा	मथुरा	यूआई&जी	180	26.02.08	9.91
13	नगर निगम मुरादाबाद	मुरादाबाद	यूआईडीएसएसएमटी	280	10.11.06	13.16
14	नगर निगम मेरठ	मेरठ	यूआई&जी	600	23.1.07	22.59
15	नगर पालिका परिषद बलिया	बलिया	यूआईडीएसएसएमटी	40	9.8.06	6.82
					योग	**325.75**
			असंचालित संयंत्र			
16	नगर पालिका परिषद रायबरेली	रायबरेली	यूआईडीएसएसएमटी	70	10.11.06	8.78
17	नगर पालिका परिषद बाराबंकी	बाराबंकी	यूआईडीएसएसएमटी	30	16.7.07	5.25
18	नगर पालिका परिषद मैनपुरी	मैनपुरी	यूआईडीएसएसएमटी	30	10.11.06	4.28
19	नगर पलिका परिषद फतेहपुर	फतेहपुर	यूआईडीएसएसएमटी	55	16.7.07	9.38
20	नगर निगम बरेली	बरेली	एयर फील्ड टाउन	300	28.3.05	13.86
					योग	**41.55**
			निर्माण कार्य पूर्ण परन्तु मशीनरी अधिष्ठापित नहीं			
21	नगर पालिका परिषद लोनी	गाज़ियाबाद	यूआईडीएसएसएमटी	120	16.7.07	**11.81**
			निर्माणाधीन			
22	नगर निगम गोरखपुर	गोरखपुर	यूआईडीएसएसएमटी	280	10.11.06	15.63
23	नगर निगम झांसी	झांसी	यूआईडीएसएसएमटी	200	8.9.06	12.16
24	नगर निगम फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	यूआईडीएसएसएमटी	130	10.11.06	7.14

[11] यूआई एंड जी: शहरी बुनियादी ढांचा और शासन, यूआईडीएसएसएमटी: छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना, दोनों जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप घटक थे।

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिले का नाम	योजना का नाम	संयंत्र की क्षमता	स्वीकृति तिथि	स्वीकृत लागत
25	नगर पालिका परिषद संभल	संभल	यूआईडीएसएसएमटी	75	8.9.06	6.55
26	नगर पालिका परिषद बदायूं	बदायूं	यूआईडीएसएसएमटी	55	8.9.06	5.78
27	नगर पालिका परिषद मिर्जापुर	मिर्जापुर	यूआईडीएसएसएमटी	100	16.7.07	11.01
					योग	**58.27**
भूमि अनुपलब्ध						
28	नगर पालिका परिषद बस्ती	बस्ती	यूआईडीएसएसएमटी	40	8.9.06	5.86
29	नगर पालिका परिषद नजीबाबाद	बिजनौर	राज्य सेक्टर	60	सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया	17.27
					योग	**23.13**
भूमि विवाद						
30	नगर पालिका परिषद भदोही	भदोही	राज्य सेक्टर	40	21.11.14	17.35
31	नगर निगम गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	एयर फील्ड टाउन	300	27.9.05	13.52
32	नगर पालिका परिषद रामपुर	रामपुर	राज्य सेक्टर	150	17.11.14	24.02
					योग	**54.89**

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम)

परिशिष्ट 5.3

राज्य के 32 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्गत धनराशि के सापेक्ष अवरुद्ध धनराशि की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.2.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिले का नाम	योजना का नाम	संयंत्र की क्षमता	निर्गत धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज
1	नगर निगम लखनऊ	लखनऊ	यूआई एंड जी	1300	52.83	50.12	2.71	0.00
2	नगर निगम वाराणसी	वाराणसी	यूआई एंड जी	600	40.16	32.97	7.19	2.01
3	नगर निगम प्रयागराज	प्रयागराज	यूआई एंड जी	600	30.41	29.51	0.9	0.00
4	नगर निगम अलीगढ़	अलीगढ़	यूआईडीएसएसएमटी	220	16.06	15.98	0.08	0.28
5	नगर पालिका परिषद इटावा	इटावा	यूआईडीएसएसएमटी	75	5.78	5.42	0.36	0.19
6	नगर पालिका परिषद बाराबंकी	बाराबंकी	यूआईडीएसएसएमटी	30	5.25	5.25	0	0.01
7	नगर पालिका परिषद कन्नौज	कन्नौज	यूआईडीएसएसएमटी	25	4.61	4.56	0.05	0.00
8	नगर पालिका परिषद मैनपुरी	मैनपुर	यूआईडीएसएसएमटी	30	4.22	3.74	0.48	0.09
9	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	यूआईडीएसएसएमटी	120	6.58	5.80	0.78	0.09
10	नगर पालिका परिषद रायबरेली	रायबरेली	यूआईडीएसएसएमटी	70	8.14	7.38	0.76	0.00
11	नगर पालिका परिषद पिलखुआ	हापुड़	यूआईडीएसएसएमटी	45	8.98	8.78	0.2	0.00
12	नगर निगम कानपुर	कानपुर नगर	यूआई एंड जी	1500	56.24	56.02	0.22	3.80
13	नगर निगम आगरा	आगरा	यूआई एंड जी	750	30.84	22.01	8.83	8.08
14	नगर निगम मुरादाबाद	मुरादाबाद	यूआईडीएसएसएमटी	280	13.12	12.24	0.88	0.59
15	नगर पालिका परिषद फतेहपुर	फतेहपुर	यूआईडीएसएसएमटी	55	9.38	9.38	0	0.00
16	नगर निगम मथुरा	मथुरा	यूआई एंड जी	180	9.91	9.90	0.01	0.44
17	नगर निगम बरेली	बरेली	एयर फील्ड टाउन	300	13.86	13.84	0.02	0.03
18	नगर निगम मेरठ	मेरठ	यूआई एंड जी	600	15.36	9.01	6.35	2.38
19	नगर निगम गोरखपुर	गोरखपुर	यूआईडीएसएसएमटी	280	8.07	2.98	5.09	1.54
20	नगर निगम झांसी	झांसी	यूआईडीएसएसएमटी	200	10.79	5.95	4.84	2.60
21	नगर निगम फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	यूआईडीएसएसएमटी	250	3.05	1.53	1.52	0.56

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिले का नाम	योजना का नाम	संयंत्र की क्षमता	निर्गत धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज
22	नगर पालिका परिषद बस्ती	बस्ती	यूआईडीएसएसएमटी	40	2.93	0.51	2.42	0.97
23	नगर पालिका परिषद नजीबाबाद	बिजनौर	राज्य सेक्टर	40	6.90	6.90	0.00	0.00
24	नगर पालिका परिषद लोनी	गाज़ियाबाद	यूआईडीएसएसएमटी	120	5.91	5.91	0	2.64
25	नगर पालिका परिषद भदोही	भदोही	राज्य सेक्टर	40	0.51	0.12	0.39	0.08
26	नगर निगम गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	एयर फील्ड टाउन	300	6.76	6.76	0.00	0.35
27	नगर पालिका परिषद जौनपुर	जौनपुर	यूआईडीएसएसएमटी	80	12.04	10.89	1.15	0.00
28	नगर पालिका परिषद संभल	संभल	यूआईडीएसएसएमटी	75	4.15	3.26	0.89	1.15
29	नगर पालिका परिषद बदायूं	बदायूं	यूआईडीएसएसएमटी	55	5.78	4.51	1.27	0.58
30	नगर पालिका परिषद मिर्जापुर	मिर्जापुर	यूआईडीएसएसएमटी	100	6.98	6.46	0.52	0.47
31	नगर पालिका परिषद बलिया	बलिया	यूआईडीएसएसएमटी	40	6.48	4.26	2.22	1.04
32	नगर पालिका परिषद रामपुर	रामपुर	राज्य सेक्टर	150	9.60	0	9.60	0.00
योग				**8550**	**421.68**	**361.95**	**59.73**	**29.97**

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.4

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण कार्य की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.2.2)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	संयंत्र की क्षमता (टन प्रतिदिन में)	निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति		अवमुक्त किस्त			व्यय	भौतिक प्रगति (*प्रतिशत में*)
			तिथि	धनराशि	तिथि	धनराशि	योग		
	निर्माण कार्य अनारम्भ								
1	नगर पालिका परिषद कासगंज	50	22.10.2021	675.55	10.12.2021	337.78	337.78	00 .00	00
2	नगर पालिका परिषद शामली	50	18.10.2021	383.48	30.10.2021	191.74	191.74	00.00	00
योग		**100**		**1059.03**			**529.52**		
	विवाद के कारण निर्माण कार्य बंद								
1	नगर पालिका परिषद टांडा	50	24.11.2021	742.36	03.12.2021	371.18	371.18	45.32	12
	निर्माण कार्य प्रगति पर								
1	नगर निगम फिरोजाबाद	250	24.11.2021	1710.98	30.11.2021 06.10.2022 13.03.2023	427.75 427.75 427.75	1283.25	1080.00	70
2	नगर पालिका परिषद एटा	60	08.10.2021	558.68	30.10.2021 13.02.2023	279.34 279.34	558.68	363.73	90
3	नगर निगम अयोध्या	140	24.11.2021	1749.98	30.11.2021 25.08.2022 18.01.2023 27.06.2023	437.50 437.50 437.50 350.00	1662.50	1312.47	95
4	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन	130	01.12.2021	1407.24	10.12.2021 16.03.2023	351.81 351.81	703.62	351.81	63
5	नगर निगम बरेली	500	12.10.2021	2404.18	11.11.2021 10.03.2022 02.05.2022 13.03.2023	601.05 601.05 601.05 480.84	2283.99	2082.99	95
6	नगर पालिका परिषद बहराइच	75	24.11.2021	969.53	03.12.2021 27.02.2023	484.77 484.77	969.5	762.21	90
7	नगर निगम गोरखपुर	500	09.12.2021	2840.16	15.12.2021 25.02.2023	710.04 710.04	1420.08	1420.08	80

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	संयंत्र की क्षमता (टन प्रतिदिन में)	निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति		अवमुक्त किस्त			व्यय	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
			तिथि	धनराशि	तिथि	धनराशि	योग		
8	नगर पालिका परिषद कुशीनगर	55	12.10.2021	614.77	11.11.2021 25.02.2023	307.39 307.39	614.78	575.48	95
9	नगर पालिका परिषद लखीमपुर	65	12.10.2021	686.19	11.11.2021 14.11.2022	343.10 343.10	686.20	536.00	78
10	नगर पालिका परिषद भदोही	55	12.10.2021	566.59	03.11.2021	283.30	283.30	215.64	62
11	नगर पालिका परिषद कैराना	50	12.12.2021	473.97	30.10.2021 22.03.2023	236.99 236.99	473.98	412.15	95
12	नगर पालिका परिषद रामपुर	140	08.12.2021	1568.76	10.12.2021 18.01.2023 22.06.2023	392.19 392.19 392.19	1176.57	1170.26	81
13	नगर पालिका परिषद गाजीपुर	50	01.12.2021	583.52	10.12.2021 09.06.2023	291.76 291.76	583.52	291.76	70
14	नगर निगम झांसी	320	24.11.2021	2762.41	06.01.2022	1709.31 914.99	2624.30	2421.17	98
	योग	**2390**		**18896.96**			**15324.27**	**12995.75**	
	निर्माण कार्य पूर्ण								
1	नगर निगम शाहजहाँपुर	130	24.11.2021	1269.71	03.12.2021 02.05.2022 25.08.2022 15.02.2023	317.43 317.43 317.43 253.94	1206.23	932.11	100
2	नगर पालिका परिषद देवरिया	75	12.10.2021	748.02	11.11.2021 16.01.2023	374.01 374.01	748.02	650.45	100
3	नगर पालिका परिषद उरई	90	01.12.2021	1094.40	10.12.2021 15.02.2023 14.03.2023 06.06.2023	273.60 273.60 273.60 218.88	1039.68	1018.00	100
4	नगर पालिका परिषद गंगाघाट	50	12.10.2021	516.43	30.10.2021 06.10.2022	258.22 258.22	516.44	425.03	100
5	नगर पालिका परिषद चंदौसी	50	01.12.2021	727.73	10.12.2021 16.01.2023	363.87 363.87	727.74	679.32	100
	योग	**395**		**4356.29**			**4238.11**	**3704.91**	

	निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित								
1	नगर पालिका परिषद हाथरस	60	12.10.2021	577.06	12.10.2021 25.02.2023	288.53 288.53	577.06	527.00	100
2	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	60	12.10.2021	616.51	30.10.2021 23.08.2022	308.26 308.26	616.52	523.84	100
3	नगर पालिका परिषद बांदा	55	01.12.2021	727.71	10.12.2021 03.11.2022	363.86 363.86	727.72	616.59	100
4	नगर पालिका परिषद पडरौना	50	12.10.2021	504.17	30.10.2021 16.01.2023	252.09 252.09	504.18	504.17	100
5	नगर पालिका परिषद ललितपुर	75	12.10.2021	808.44	11.11.2021 03.11.2022	404.22 404.22	808.44	808.44	100
6	नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद	120	12.10.2021	1273.30	30.10.2021 02.05.2022 25.08.2022 03.11.2022 28.06.2023	318.33 318.33 318.33 254.66 63.67	1273.32	1209.65	100
7	नगर पालिका परिषद हरदोई	50	12.10.2021	511.50	30.10.2021 16.08.2022	255.75 255.75	511.50	511.50	100
8	नगर पालिका परिषद उन्नाव	65	12.10.2021	672.57	11.11.2021 18.01.2023	336.29 336.29	672.58	588.38	100
9	नगर पालिका परिषद खुर्जा	50	12.10.2021	524.86	30.10.2021 07.10.2022	262.43 262.43	524.86	402.43	100
10	नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद	50	12.10.2021	526.52	30.10.2021 16.01.2023	263.26 263.26	526.52	360.60	100
11	नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर	90	12.10.2021	783.82	30.10.2021 03.11.2022	391.91 391.91	783.82	695.95	100
12	नगर पालिका परिषद नगीना	50	12.10.2021	496.73	30.10.2021 25.08.2022	248.37 248.37	496.74	496.73	100
13	नगर निगम सहारनपुर	320	24.11.2021	2235.57	30.11.2021 02.05.2022 14.11.2022 25.02.2023	558.89 558.89 558.89 447.11	2123.78	2123.79	100
14	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	275	21.10.2020	1728.00	27.05.2021 21.09.2021 30.03.2022 21.07.2022	432.00 432.00 432.00 432.00	1728.00	1686.00	100
योग		**1370**		**11986.76**			**11875.04**	**11055.07**	
महायोग							**32338.12**	**27801.05**	

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.5

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी, लखनऊ में पायी गयीं कमियां

(संदर्भ: प्रस्तर 5.3.1.1)

क्रम संख्या	कमियों का शीर्षक	कमियों का विवरण
1	**प्रसंस्करण संयंत्र की कम क्षमता**	लखनऊ शहर के शिवरी में 1,200 एमटीडी क्षमता का ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र वर्ष 2009 से स्थापित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लखनऊ शहर की जनसंख्या 28.17 लाख थी और वर्ष 2021 में अनुमानित जनसंख्या 34.80 लाख थी, इसप्रकार, वर्ष 2011 से वर्ष 2021 तक जनसंख्या में 6.63 लाख की वृद्धि हुई । वर्ष 2021-22 के दौरान शहर में अपशिष्ट उत्पादन की अनुमानित मात्रा 1,635 टन प्रति दिन थी। तथापि, संयंत्र की मौजूदा क्षमता में वृद्धि नहीं की गई, जिसके कारण संयंत्र स्तर पर पुराने अपशिष्ट की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि पुराने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी थी और सी एंड डीएस बायोमाइनिंग गतिविधियों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की प्रक्रिया में था।
2	**रियायतग्राही द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र का रखरखाव न किया जाना**	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची II (ए) (सी) के अनुसार, संयंत्र के टूटने या रखरखाव के प्रकरण में, अपशिष्ट का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और अस्थायी प्रसंस्करण स्थल या अस्थायी भरण स्थलों पर अपशिष्ट के व्यवर्तन की व्यवस्था की जाएगी, जिसे संयंत्र के क्रम में होने पर पुन: प्रसंस्कृत किया जाएगा। रियायतग्राही अनुबंध के खंड 6.30.4 में यह निर्धारित किया गया है कि रियायतग्राही परियोजना सुविधाओं को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें परियोजना सुविधा के सभी दिन-प्रतिदिन के रखरखाव और मरम्मत और उपकरण/उपभोग्य सामग्रियों के प्रतिस्थापन सम्मिलित होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। संयंत्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि प्रसंस्करण संयंत्र की अधिकांश मशीनें जर्जर हालत में थीं, जो दर्शाता है कि फर्म संयंत्र के रखरखाव के प्रति उदासीन थी। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रियायतग्राही के विरुद्ध कई नोटिस निर्गत की गयीं थीं और उनके विरद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
3	**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के विपरीत संयंत्र का संचालन**	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के नियम 19 (5) में कहा गया है कि सुविधा का संचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर अद्यतन किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर मैनुअल के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि निक्षालन उपचार उप-संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था, जिसके कारण संयंत्र के अंदर जहरीला पानी फैल रहा था और पूरे संयंत्र और आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध फैल रही थी। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2023) कि रियायतग्राही के विरुद्ध कई नोटिस निर्गत किये गये और उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

क्रम संख्या	कमियों का शीर्षक	कमियों का विवरण
4	**बिना सत्यापन के नये वाहनों/उपकरणों का उपयोग किया जाना**	रियायतग्राही अनुबंध की धारा II (6.5 और 7.2) के अनुसार, किसी भी वाहन का उपयोग करने से पहले, यह स्वतन्त्र अभियंता द्वारा निरीक्षण के अधीन होगा और स्वतन्त्र अभियंता से "उपयोग के लिए उपयुक्त" प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही इसका उपयोग किया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी वाहन और उपकरण का उपयोग करने से पहले कोई निरीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि संयंत्र के लिए स्वतन्त्र अभियंता नियुक्त नहीं किया गया था।
5	**कचरा व्युत्पन्न ईधन और निष्क्रीय अपशिष्ट का निस्तारण न किया जाना**	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची II (ए) (डी) के अनुसार, प्री-प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस रिजेक्ट को नियमित आधार पर प्रसंस्करण सुविधा से हटा दिया जाएगा और स्थल पर ढेर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से भेजा जाएगा। गैर-पुनर्चक्रण योग्य उच्च कैलोरी अंशों को अलग किया जाएगा और अपशिष्ट से ऊर्जा या कचरा व्युत्पन्न ईधन उत्पादन, सीमेंट संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण या थर्मल पावर संयंत्रों में भेजा जाएगा। सभी प्रक्रियाओं से मात्र अस्वीकृत को ही सैनिटरी लैंडफिल साइट के लिए भेजा जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 7.71 लाख मीट्रिक टन कचरा व्युत्पन्न ईधन और 3.89 लाख मीट्रिक टन निष्क्रीय अपशिष्ट संयंत्र क्षेत्र में डंप किया गया था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि संयंत्र क्षेत्र में डंप किये जाने से पहले कचरा व्युत्पन्न ईधन और निष्क्रीय अपशिष्ट को संयंत्र में पृथक नहीं किया जा रहा था। न तो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था और न ही आरडीएफ को किसी सीमेंट संयंत्र आदि में ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त, इनर्ट के निस्तारण के लिए सैनिटरी लैंडफिल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फलस्वरूप कचरा व्युत्पन्न ईधन एवं निष्क्रीय अपशिष्ट का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है।

(स्रोत: नगर निगम लखनऊ)

परिशिष्ट 5.6

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी, लखनऊ के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

(संदर्भ: प्रस्तर 5.3.1.1)

- संयंत्र की ओर जाने वाली पहुँच मार्ग ठीक नहीं था ।
- प्रसंस्करण संयंत्र की आंतरिक सड़क क्षतिग्रस्त थी और मिट्टी दलदली थी जिसके कारण वाहनों की आवाजाही संभव नहीं थी।
- लंबे समय तक बंद रहने और रख-रखाव के अभाव के कारण संयंत्र में लगी सभी मशीनें दिनोंदिन खराब हो रही थीं और जंग खा रही थीं।
- संयंत्र में बिजली सप्लाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।
- सयंत्र चालू न होने के बावजूद अभिलेखों में अपशिष्ट का प्रसंस्करण दिखाया जा रहा था , जिससे अभिलेखों में डेटा की संदिग्धता स्पष्ट थी।
- निक्षालक शोधन संयंत्र नहीं लगाया गया था, जिसके कारण निक्षालक पूरे संयंत्र में फैल रहा था।
- संयंत्र के अंदर और बाहर दुर्गंध आ रही थी।
- सयंत्र से करीब 500 मीटर की दूरी पर भूमि भरण स्थल था, जहां शहर से इकट्ठा किये गये अपशिष्ट का क्षेपण किया जा रहा था।
- संयंत्र में निष्क्रीय अपशिष्ट और कचरा व्युत्पन्न ईंधन पृथक रूप में नहीं थे।
- संयंत्र में आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(स्रोत: नगर निगम लखनऊ)

परिशिष्ट 5.7

नगर निगम लखनऊ में फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल और भुगतान किये गये बिल के अंतर का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 5.3.1.1)

माह	फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार				नगर निगम लखनऊ द्वारा कटौती के बाद			
	अपशिष्ट के परिवहन और प्रसंस्करण के सापेक्ष प्रस्तुत बख्शीश फीस के बिलों का विवरण				अपशिष्ट के परिवहन और प्रसंस्करण के सापेक्ष भुगतान किये गये बख्शीश फीस के बिलों का विवरण			
	सभी क्षेत्रों से अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन शुल्क	अपशिष्ट का परिवहन और प्रसंस्करण	प्रसंस्करण शुल्क	बिल की धनराशि (₹ लाख में)	सभी क्षेत्रों से अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन शुल्क	अपशिष्ट का परिवहन और प्रसंस्करण	प्रसंस्करण शुल्क	भुगतान की गयी धनराशि (₹ लाख में)
जनवरी 2018	26047.58	0.00	0.00	417.80	15305.69	10741.69	0.00	332.16
फरवरी 2018	23738.22	0.00	110.16	381.65	12755.90	10982.32	110.16	293.39
मार्च 2018	23101.47	2476.47	1406.24	392.85	14122.60	11455.30	1406.24	321.27
अप्रैल 2018	18567.54	7957.51	1089.54	363.82	11563.20	14961.85	1089.54	307.98
मई 2018	21055.51	7018.50	13.11	394.37	11537.83	16536.18	7021.78	283.70
जून 2018	21584.48	7194.83	2076.74	407.69	10031.00	18748.31	7714.00	277.36
जुलाई 2018	25519.10	10936.76	380.52	498.19	15269.73	21186.12	9209.09	370.85
अगस्त 2018	25197.15	8399.05	9703.05	474.07	5957.33	26177.49	8386.91	267.52
सितम्बर 2018	20370.70	6790.23	4630.76	389.18	2240.04	24908.19	7944.75	205.16
अक्टूबर 2018	24628.48	8209.50	15.84	461.30	12686.81	20126.03	24621.51	352.34
नवंबर 2018	20929.06	6976.35	1741.78	394.86	9466.30	18439.11	22235.39	291.24
दिसंबर 2018	14589.56	0.00	12211.67	254.19	7876.58	6712.98	20100.92	189.60
जनवरी 2019	14857.28	0.00	13709.09	269.21	10728.38	4074.52	30160.79	230.32
फरवरी 2019	17345.64	0.00	18512.57	308.80	5950.28	11395.36	32272.39	212.03
मार्च 2019	16187.49	0.00	18859.00	290.96	7477.92	8709.57	31631.84	215.72
अप्रैल 2019	17213.69	0.00	15775.41	302.16	4767.50	12375.16	29625.89	196.93
मई 2019	18192.00	3958.21	13799.17	346.52	4656.92	17493.29	32354.49	232.68
जून 2019	17539.94	2973.04	15294.04	330.58	3284.40	17228.58	25064.91	199.20
जुलाई 2019	19056.89	2320.09	18790.62	355.43	8161.89	13575.09	4052.76	211.23
अगस्त 2019	19532.72	0.00	19927.70	346.22	9452.21	10080.51	3946.04	207.19
सितम्बर 2019	17989.37	0.00	19408.64	320.61	4177.60	13881.77	3739.60	154.89
अक्टूबर 2019	17215.04	0.00	15202.62	301.24	3985.98	13229.06	29175.39	190.42
नवंबर 2019	16788.68	0.00	14920.86	293.94	3724.08	13064.60	3170.96	142.64
दिसंबर 2019	12586.78	773.20	13099.13	229.77	3361.14	9998.84	13229.55	134.37
जनवरी 2020	15679.79	1216.36	13485.86	283.59	3044.94	13851.21	22786.51	170.32
फरवरी 2020	14192.30	1191.48	12909.86	258.58	4865.27	10518.51	25464.28	179.55
मार्च 2020	14495.14	4831.98	15043.44	296.35	11524.14	7803.76	34371.34	272.66
अप्रैल 2020	13978.40	4659.47	10107.03	278.50	11828.64	6809.23	10107.03	261.36
मई 2020	14914.69	4971.56	14668.75	303.57	12157.00	7690.69	14707.31	281.34
जून 2020	14977.63	4992.54	14981.83	305.27	13053.42	6916.75	14981.83	286.29
जुलाई 2020	16939.06	5646.35	14765.60	341.64	7750.00	14835.41	14765.60	272.02
अगस्त 2020	12753.22	4251.07	13980.71	261.95	8060.00	8944.29	25967.63	216.24

माह	फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल के अनुसार				नगर निगम लखनऊ द्वारा कटौती के बाद			
	अपशिष्ट के परिवहन और प्रसंस्करण के सापेक्ष प्रस्तुत बख्शीश फीस के बिलों का विवरण				अपशिष्ट के परिवहन और प्रसंस्करण के सापेक्ष भुगतान किये गये बख्शीश फीस के बिलों का विवरण			
	सभी क्षेत्रों से अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन शुल्क	अपशिष्ट का परिवहन और प्रसंस्करण	प्रसंस्करण शुल्क	बिल की धनराशि (₹ लाख में)	सभी क्षेत्रों से अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन शुल्क	अपशिष्ट का परिवहन और प्रसंस्करण	प्रसंस्करण शुल्क	भुगतान की गयी धनराशि (₹ लाख में)
सितंबर 2020	11400.27	9986.76	10906.97	281.45	9008.10	12378.93	26321.00	252.51
अक्टूबर 2020	12894.67	5526.29	0.00	251.41	9422.57	8998.38	0.00	193.30
नवंबर 2020	20500.86	0.00	13245.10	350.71	9938.28	10562.58	25309.47	252.57
दिसंबर 2020	27907.97	0.00	8045.03	460.93	17019.74	10888.23	30140.00	364.53
जनवरी 2021	28474.84	0.00	10821.16	474.61	22477.37	5678.79	11355.78	425.11
फरवरी 2021	27583.37	0.00	12362.75	463.03	21370.23	5711.03	39946.12	409.53
मार्च 2021	29911.16	0.00	19136.90	513.04	21746.69	6907.09	50048.06	439.88
अप्रैल 2021	28950.59	0.00	66146.09	573.63	19339.02	7781.70	95096.68	485.26
मई 2021	31732.25	0.00	64780.66	617.64	22192.34	7291.08	97513.00	527.16
जून 2021	33424.08	0.00	49950.00	563.45	29123.80	4289.08	49950.00	529.07
जुलाई 2021	36885.54	0.00	3999.00	596.77	31887.14	4998.40	15214.10	516.00
अगस्त 2021	36463.94	1982.24	36608.00	585.11	34008.14	2455.77	15405.00	530.52
सितम्बर 2021	39220.78	0.00	50958.00	648.56	33432.77	5788.39	50998.00	602.41
अक्टूबर 2021	42030.86	0.00	11472.85	693.13	36753.47	5277.25	53503.71	651.05
नवंबर 2021	38291.29	0.00	10820.15	632.06	34672.91	3618.36	0.00	522.10
दिसंबर 2021	40806.76	0.00	45963.10	730.46	34309.58	6497.19	0.00	535.34
जनवरी 2022	42427.95	0.00	7171.61	692.39	33200.38	9227.57	0.00	536.90
फरवरी 2022	49950.32	0.00	0.00	801.20	46487.68	3462.64	0.00	691.09
मार्च 2022	50440.75	0.00	47918.71	804.90	46758.67	3682.08	0.00	696.40
योग	**1217062.85**	**125239.84**	**810927.42**	**21589.34**	**783973.60**	**548946.31**	**1072217.35**	**16920.70**

(स्रोत: नगर निगम लखनऊ द्वारा भुगतान किये गये मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रसंस्करण बिल)

परिशिष्ट 5.8

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए फर्म को संदिग्ध भुगतान का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 5.3.1.1)

अवधि	अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	दर प्रति मीट्रिक टन (` में)	भुगतान (` में)
01.09.2019 से 30.09.2019	3739.601	165.18	617707.29
01.10.2019 से 31.10.2019	29175.394	165.18	4817274.17
01.11.2019 से 30.11.2019	3170.964	165.18	523779.83
01.12.2019 से 31.12.2019	13229.555	165.18	2185257.89
01.01.2020 से 31.01.2020	22786.508	165.18	3763875.39
01.02.2020 से 29.02.2020	25464.276	165.18	4206189.00
01.03.2020 से 31.03.2020	34371.34	165.18	5677457.94
01.04.2020 से 30.04.2020	28744.9	165.18	4748082.58
01.05.2020 से 31.05.2020	34555	165.18	5707794.90
01.06.2020 से 30.06.2020	34952	165.18	5773371.36
01.07.2020 से 31.07.2020	37351.01	165.18	6169639.83
01.08.2020 से 31.08.2020	25967.632	165.18	4289333.45
01.09.2020 से 30.09.2020	26321.895	165.18	4347851.00
योग	**319830.075**	**योग**	**52827614.63**

(स्रोत: नगर निगम लखनऊ)

परिशिष्ट 5.9

कानपुर में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयीं महत्वपूर्ण कमियाँ

(संदर्भ: प्रस्तर 5.3.2)

1.संयंत्र क्षेत्र में निक्षालक सोधन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था, जिसके कारण सम्पूर्ण संयंत्र क्षेत्र में निक्षालक फैल रहा था।

2. संयंत्र क्षेत्र के मात्र दो तरफ ही चहारदीवारी का निर्माण किया गया था, जिसके कारण आवारा पशु संयंत्र क्षेत्र में घूम रहे थे।

3. मिश्रित अपशिष्ट को संयंत्र स्तर पर क्षेपण किया जा रहा था।

4.कचरा व्युत्पन्न ईंधन को संयंत्र क्षेत्र में क्षेपण किया गया था लेकिन निस्तारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(स्रोत: नगर निगम कानपुर)

परिशिष्ट 5.10

आवश्यकता के सापेक्ष ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अपर्याप्त भूमि का आवंटन

(संदर्भ: प्रस्तर 5.4.1.2)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या[12]	भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर)			भूमि की उपलब्धता (हेक्टेयर)	आवश्यकता के सापेक्ष भूमि की कमी का प्रतिशत
			प्रसंस्करण संयंत्र	स्वास्थ्यकर भरण स्थल	योग		
नगर पालिका परिषदें							
1	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	222519	2.23	5.56	7.79	2.24	71
2	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	130428	1.3	3.26	4.3	4.06	6
3	नगर पालिका परिषद शामली	107233	1.07	3	4.07	1.62	60
4	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	97037	1	4	5	0.61	88
5	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	80305	1	4	5	0.86	83
6	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	50777	1	4	5	0.67	87
7	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	516082	5.16	7.74	13.16	8.29	37
8	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	46155	1	4	5	1.00	80
9	नगर पालिका परिषद हाथरस	143339	1.43	4	5.43	4.04	26
10	नगर पालिका परिषद एटा	118517	1.19	3	4.19	2.04	51
11	नगर पालिका परिषद महोबा	95454	1	4	5	1.72	65
12	नगर पालिका परिषद देवरिया	129479	1.29	3	4.29	1.59	63
13	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	49132	1	4	5	0.166	97
14	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	26279	1	4	5	0.822	84
15	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	32171	1	4	5	0.1250	98
16	नगर पालिका परिषद औरैया	87785	1	4	5	1.2000	76
17	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	89677	1	4	5	4.371	13
18	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	68413	1	4	5	1.007	80
नगर पंचायतें							

[12] जनसंख्या परिशिष्ट 8 में दिया गया है

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या[12]	भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर)			भूमि की उपलब्धता (हेक्टेयर)	आवश्यकता के सापेक्ष भूमि की कमी का प्रतिशत
			प्रसंस्करण संयंत्र	स्वास्थ्यकर भरण स्थल	योग		
1	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	11298	1	4	5	0.42	92
2	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	13559	1	4	5	2.53	49
3	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	17252	1	4	5	0.45	91
4	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	14328	1	4	5	0.54	89
5	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	32430	1	4	5	0.74	85
6	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	23526	1	4	5	1.74	65
7	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	24438	1	4	5	0.6	88
8	नगर पंचायत जेवर गौतम बुद्ध नगर	32269	1	4	5	1.486	70
9	नगर पंचायत टिकरी बागपत	14099	1	4	5	0.3	94
10	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	20108	1	4	5	1.00	80
11	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	11348	1	4	5	0.671	87
12	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	20165	1	4	5	0.253	95
13	नगर पंचायत उसावां बदायूं	13327	1	4	5	2.638	47
14	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	24511	1	4	5	0.506	90
15	नगर पंचायत झालू बिजनौर	21010	1	4	5	0.845	83
16	नगर पंचायत जरवल बहराइच	19942	1	4	5	0.500	90
17	नगर पंचायत आनंदनगर महराजगंज	10113	1	4	5	0.201	96
18	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	13439	1	4	5	1.000	80

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.11

पाँच टन प्रतिदिन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 5.4.1.4)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता (हां/नहीं)	प्रसंस्करण सुविधा की उपलब्धता (हां/नहीं)	वर्ष 2021-22 का अपशिष्ट उत्पादन (मात्रा टन प्रतिदिन में)
1	नगर निगम लखनऊ	लखनऊ	हाँ	हाँ	1634.84
2	नगर निगम गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	हाँ	हाँ	1280
3	नगर निगम कानपुर	कानपुर नगर	हाँ	हाँ	1370
4	नगर पालिका परिषद रायबरेली	रायबरेली	हाँ	हाँ	70
5	नगर पालिका परिषद बहेड़ी	बरेली	हाँ	नहीं	23.9
6	नगर पालिका परिषद दातागंज	बदायूं	हाँ	नहीं	9.19
7	नगर पालिका परिषद औरैया	औरैया	हाँ	नहीं	24
8	नगर पालिका परिषद उतरौला	बलरामपुर	हाँ	नहीं	9.06
9	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी	चित्रकूट	हाँ	नहीं	15.78
10	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	हाँ	हाँ	170
11	नगर पालिका परिषद लोनी	गाज़ियाबाद	हाँ	नहीं	310
12	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव	हाथरस	हाँ	नहीं	19.87
13	नगर पालिका परिषद हाथरस	हाथरस	हाँ	नहीं	74
14	नगर पालिका परिषद एटा	एटा	हाँ	नहीं	49.77
15	नगर पालिका परिषद महोबा	महोबा	हाँ	नहीं	37.11
16	नगर पालिका परिषद देवरिया	देवरिया	हाँ	नहीं	60
17	नगर पालिका परिषद रामनगर	वाराणसी	हाँ	नहीं	20

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता (हां/नहीं)	प्रसंस्करण सुविधा की उपलब्धता (हां/नहीं)	वर्ष 2021-22 का अपशिष्ट उत्पादन (मात्रा टन प्रतिदिन में)
18	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	बुलंदशहर	हाँ	नहीं	90
19	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	पीलीभीत	हाँ	नहीं	47.74
20	नगर पालिका परिषद शामली	शामली	हाँ	नहीं	36
21	नगर पालिका परिषद देवबंद	सहारनपुर	हाँ	नहीं	50
22	नगर पालिका परिषद शाहाबाद	हरदोई	हाँ	नहीं	26.1
23	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद,	सीतापुर	हाँ	नहीं	19.55
24	नगर पंचायत झालू	बिजनौर	हाँ	नहीं	5.34
25	नगर पंचायत सहसपुर	बिजनौर	हाँ	नहीं	6.8
26	नगर पंचायत आनंदनगर	महाराजगंज	हाँ	नहीं	7.78
27	नगर पंचायत उसावां	बदायूं	हाँ	नहीं	5.22
28	नगर पंचायत जेवर	गौतम बुद्ध नगर	हाँ	नहीं	10.37
29	नगर पंचायत टिकरी	बागपत	हाँ	नहीं	5
30	नगर पंचायत कुलपहाड़	महोबा	हाँ	नहीं	7.2
31	नगर पंचायत रेवती	बलिया	हाँ	हाँ	8
32	नगर पंचायत कटरा	शाहजहाँपुर	हाँ	नहीं	9.42
33	नगर पंचायत सैदपुर	गाजीपुर	हाँ	नहीं	9.9
34	नगर पंचायत खानपुर	बुलंदशहर	हाँ	नहीं	5.3
35	नगर पंचायत बिलसंडा	पीलीभीत	नहीं	नहीं	6.77
36	नगर पंचायत कप्तानगंज	कुशीनगर	हाँ	नहीं	7.32

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.12

राज्य के 72 शहरी स्थानीय निकायों की पुराने अपशिष्ट की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.4.2)

क्रम संख्या	मंडल का नाम	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	पुराने अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)
1	लखनऊ	लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	2817105	650000
2	कानपुर	कानपुर नगर	नगर निगम कानपुर	2765348	900000
3	मेरठ	गाज़ियाबाद	नगर निगम गाज़ियाबाद	1643000	400000
4	आगरा	आगरा	नगर निगम आगरा	1576138	600000
5	मेरठ	मेरठ	नगर निगम मेरठ	1305429	50000
6	वाराणसी	वाराणसी	नगर निगम वाराणसी	1201198	275000
7	प्रयागराज	प्रयागराज	नगर निगम प्रयागराज	1142718	500000
8	बरेली	बरेली	नगर निगम बरेली	938985	406975
9	मुरादाबाद	मुरादाबाद	नगर निगम मुरादाबाद	887267	280000
10	अलीगढ़	अलीगढ़	नगर निगम अलीगढ़	874408	131424
11	सहारनपुर	सहारनपुर	नगर निगम सहारनपुर	701401	200000
12	आगरा	फिरोजाबाद	नगर निगम फिरोजाबाद	603797	135000
13	मेरठ	गाज़ियाबाद	नगर पालिका परिषद लोनी	512296	72000
14	झांसी	झांसी	नगर निगम झांसी	505693	500000
15	आगरा	मथुरा	नगर निगम मथुरा वृंदावन	411570	180000
16	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	367133	220400
17	बरेली	शाहजहाँपुर	नगर निगम शाहजहाँपुर	344819	60000
18	मुरादाबाद	रामपुर	नगर पालिका परिषद रामपुर	320573	500000
19	आजमगढ़	मऊ	नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन	278745	5000
20	कानपुर	इटावा	नगर पालिका परिषद इटावा	256790	16000
21	मिर्जापुर	मिर्जापुर	नगर पालिका परिषद मिर्जापुर	234170	6705
22	मेरठ	बुलंदशहर	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	222519	10000
23	मुरादाबाद	संभल	नगर पालिका परिषद संभल	221364	95000
24	अयोध्या	अयोध्या	नगर निगम अयोध्या	221330	77760
25	मेरठ	हापुड़	नगर पालिका परिषद हापुड़	211983	72000
26	मुरादाबाद	अमरोहा	नगर पालिका परिषद अमरोहा	197135	150000
27	प्रयागराज	फतेहपुर	नगर पालिका परिषद फतेहपुर	193801	34000
28	लखनऊ	रायबरेली	नगर पालिका परिषद रायबरेली	191056	438000
29	देवीपाटन	बहराइच	नगर पालिका परिषद बहराइच	187188	35000

क्रम संख्या	मंडल का नाम	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	पुराने अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)
30	वाराणसी	जौनपुर	नगर पालिका परिषद जौनपुर	181009	31025
31	लखनऊ	उन्नाव	नगर पालिका परिषद उन्नाव	177658	160000
32	बरेली	बदायूं	नगर पालिका परिषद बदायूं	159221	245280
33	चित्रकूट	बांदा	नगर पालिका परिषद बांदा	154428	16425
34	झांसी	जालौन	नगर पालिका परिषद उरई	139318	10000
35	आगरा	मैनपुरी	नगर पालिका परिषद मैनपुरी	135284	10080
36	झांसी	ललितपुर	नगर पालिका परिषद ललितपुर	133041	90000
37	मेरठ	गाज़ियाबाद	नगर पालिका परिषद मोदीनगर	130325	10000
38	अलीगढ़	हाथरस	नगर पालिका परिषद हाथरस	126355	132300
39	अलीगढ़	एटा	नगर पालिका परिषद एटा	118517	34646
40	बस्ती	बस्ती	नगर पालिका परिषद बस्ती	114657	20000
41	मुरादाबाद	संभल	नगर पालिका परिषद चंदौसी	114254	4260
42	अयोध्या	अम्बेडकर नगर	नगर पालिका परिषद अकबरपुर	111594	9275
43	वाराणसी	गाजीपुर	नगर पालिका परिषद गाजीपुर	110698	4500
44	आजमगढ़	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद आजमगढ़	110000	25603
45	अयोध्या	सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर	107914	16650
46	आगरा	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद	107300	25850
47	सहारनपुर	शामली	नगर पालिका परिषद शामली	107233	22000
48	आजमगढ़	बलिया	नगर पालिका परिषद बलिया	104425	18883
49	मेरठ	बागपत	नगर पालिका परिषद बड़ौत	103764	12000
50	मेरठ	बुलंदशहर	नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद	97379	51935
51	चित्रकूट	महोबा	नगर पालिका परिषद महोबा	95454	10000
52	मेरठ	गाज़ियाबाद	नगर पालिका परिषद मुरादनगर	95074	10000
53	मेरठ	गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद दादरी	91189	175200
54	लखनऊ	हरदोई	नगर पालिका परिषद शाहाबाद	80226	7300
55	मेरठ	बुलंदशहर	नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद	59858	12000
56	मुरादाबाद	बागपत	नगर पालिका परिषद खेकड़ा	48753	14600
57	मेरठ	हापुड़	नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर	46059	33778
58	मुरादाबाद	मुरादाबाद	नगर पालिका परिषद ठाकुरद्वारा	44069	15703
59	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत बुढाहना	39867	25000

क्रम संख्या	मंडल का नाम	जिले का नाम	शहरी स्थानीय निकाय	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	पुराने अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)
60	मुरादाबाद	अमरोहा	नगर पालिका परिषद धनौरा	29971	38333
61	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत मिर्जापुर	29283	13000
62	मेरठ	बुलंदशहर	नगर पालिका परिषद अनूपशहर	29082	38220
63	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत पुरकाज़ी	27516	12000
64	लखनऊ	हरदोई	नगर पालिका परिषद सांडी	26112	13000
65	झांसी	झांसी	नगर पालिका परिषद बरुआसागर	25086	8322
66	आजमगढ़	बलिया	नगर पंचायत बेल्थरा रोड	20404	6500
67	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत भोकरहेड़ी	17829	14000
68	लखनऊ	हरदोई	नगर पंचायत कछौना पटसेनी	15647	20800
69	मेरठ	बुलंदशहर	नगर पंचायत बुगरासी	15008	8600
70	बस्ती	सिद्धार्थ नगर	नगर पंचायत बढ़नी बाजार	14492	7000
71	मेरठ	बागपत	नगर पंचायत टिकरी	13976	12500
72	मेरठ	गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत दनकौर	12999	10950
योग					**8457782**

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 5.13

20 शहरी स्थानीय निकायों में जैव-उपचार की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 5.4.2)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	पुराने अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा (मीट्रिक टन)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिए चयनित फर्म	कार्य प्रारंभ और पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि		भौतिक प्रगति (*प्रतिशत* में) (अगस्त 2022 तक)	भुगतान की गई धनराशि (₹ करोड़ में) (अगस्त 2022 तक)
						कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि		
1	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	224655	9.86	मैसर्स एनवायरनमेंटल टेक्नो, आगरा और मैसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली	5.1.22	4.9.22	30	00
2	नगर पालिका परिषद मैनपुरी	मैनपुरी	173343	8.06	मैसर्स एनवायरनमेंटल टेक्नो, आगरा और मैसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली	5.1.22	4.7.22	50	1.84
3	नगर पालिका परिषद उन्नाव	उन्नाव	42532	2.21	मेसर्स रेकार्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम एंड मैसर्स हिंद एग्रो एंड केमिकल्स कोल्हापुर	5.1.22	4.5.22	80	00
4	नगर पालिका परिषद हाथरस	हाथरस	77184	3.67	मैसर्स एनवायरनमेंटल टेक्नो, आगरा और मैसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली	1.1.22	1.6.22	55	00
5	नगर पालिका परिषद बलिया	बलिया	337715	15.20	मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड, पुणे	7.1.22	6.12.22	0	0
6	नगर पालिका परिषद ललितपुर	ललितपुर	51739	2.79	मेसर्स एसआर मैप टेक्नोलॉजीज ग्वालियर एंड मैसर्स समर्थ सॉफ्टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	5.1.22	4.7.22	25	0
7	नगर पालिका परिषद इटावा	इटावा	81314	4.68	मेसर्स एसआर मैप टेक्नोलॉजीज ग्वालियर एंड मैसर्स समर्थ सॉफ्टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	5.1.22	4.8.22	25	0
8	नगर पालिका परिषद रायबरेली	रायबरेली	62770	3.08	मेसर्स रेकार्ट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम एंड मैसर्स हिंद एग्रो एंड केमिकल्स कोल्हापुर	5.1.22	4.7.22	35	0

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	पुराने अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा (मीट्रिक टन)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिए चयनित फर्म	कार्य प्रारंभ और पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि		भौतिक प्रगति (*प्रतिशत* में) (अगस्त 2022 तक)	भुगतान की गई धनराशि (₹ करोड़ में) (अगस्त 2022 तक)
						कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि		
9	नगर पालिका परिषद फतेहपुर	फतेहपुर	41205	1.80	मेसर्स एकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नोएडा एंड मेसर्स ओम साई वेंचर्स बंगलौर	5.1.22	4.5.22	65	0
10	नगर पालिका परिषद एटा	एटा	88726	4.21	मैसर्स एनवायरनमेंटल टेक्नो, आगरा और मैसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली	5.1.22	4.7.22	35	1.38
11	नगर पालिका परिषद हापुड़	हापुड़	85171	3.37	मेसर्स एकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नोएडा एंड मेसर्स ओम साई वेंचर्स बंगलौर	5.1.22	4.8.22	45	00
12	नगर पालिका परिषद अमरोहा	अमरोहा	49061	1.67	मैसर्स एफआर इंजीमेक, अहमदाबाद एंड मैसर्स 3आर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	6.1.22	5.6.22	68	1.04
13	नगर पालिका परिषद संभल	संभल	49061	1.84	मैसर्स एफआर इंजीमेक, अहमदाबाद एंड मैसर्स 3आर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	5.1.22	4.8.22	5	0
14	नगर पालिका परिषद बदायूं	बदायूं	46247	1.93	मेसर्स सैप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे	28.3.22	27.7.22	10	0
15	नगर पालिका परिषद रामपुर	रामपुर	163823	8.03	मैसर्स एनवायरनमेंटल टेक्नो, आगरा एंड मैसर्स दया चरण एंड कंपनी, नई दिल्ली	17.3.22	16.9.22	42	0
16	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	पीलीभीत	38645	1.77	मेसर्स पूजा कंसल्टेशन कंपनी सोनीपत हरियाणा	27.3.22	26.7.22	76	00
17	नगर पालिका परिषद मिर्जापुर	मिर्जापुर	8804	0.28	मेसर्स एमजे ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड प्रतापगढ़ और मैसर्स एकोस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नोएडा	28.3.22	27.6.22	75	00
18	नगर पालिका परिषद कन्नोज	कन्नौज	33385	1.82.	इकाई द्वारा प्रदान नहीं किया गया	5.7.22	4.11.22	5	0
19	नगर पालिका परिषद बहराइच	बहराइच	30139	फर्म का चयन नहीं किया गया					

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जिला	पुराने अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा (मीट्रिक टन)	अनुबंध की लागत (₹ करोड़ में)	पुराने अपशिष्ट के उपचार के लिए चयनित फर्म	कार्य प्रारंभ और पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि		भौतिक प्रगति (*प्रतिशत* में) (अगस्त 2022 तक)	भुगतान की गई धनराशि (₹ करोड़ में) (अगस्त 2022 तक)
						कार्य आरम्भ होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की तिथि		
20	नगर पालिका परिषद सीतापुर	सीतापुर	20882	फर्म का चयन नहीं किया गया					

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय एवं कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम)

परिशिष्ट 6.1

वर्ष 2017-21 के दौरान राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अधिभोक्ता/प्रचालक का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 6.1.2)

वर्ष	अधिभोक्ताओं की कुल संख्या	साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा संयत्र के प्रचालकों की कुल संख्या	प्राधिकार हेतु आवेदन किये बिना या जिनके आवेदन निरस्त कर दिये गये, संचालन में रहने वाले अधिभोक्ताओं की कुल संख्या	अनधिकृत अधिभोक्ताओं का प्रतिशत
2017	12876	17	5232	41
2018	16075	18	6840	43
2019	25602	18	4950	19
2020	31474	21	5444	17
2021	37927	22	6772	18

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

परिशिष्ट 6.2

राज्य में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 6.1.3)

(मात्रा किग्रा/दिन)

कैलेंडर वर्ष	उत्पादन	निस्तारण	निस्तारण हेतु अवशेष
2016	37655	36422	1233
2017	43554	42603	951
2018	46401	46401	0
2019	52500	52500	0
2020	64038	64038	0
2021	71264	71264	0

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

परिशिष्ट 6.3

राज्य में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निर्माता, रिफरबिशर, संग्रहण केंद्रों, विघटनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 6.2)

वर्ष	राज्य में स्थापित कुल इकाइयों की संख्या	पंजीकृत इकाइयों की कुल संख्या	गैर पंजीकृत इकाइयों की कुल संख्या	पंजीकृत नहीं की गई इकाइयों का प्रतिशत
2017	30	24	06	20
2018	43	37	06	14
2019	59	45	14	24
2020	68	59	09	13
2021	116	116	0	0

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

परिशिष्ट 6.4

राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के अनुमानित उत्पादन और पुनर्चक्रण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 6.3)

वर्ष	प्रति वर्ष अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन (मीट्रिक टन में)	प्रति वर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण (मीट्रिक टन में)	प्रति दिन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन (मीट्रिक टन में)	उपलब्ध निस्तारण बुनियादी ढांचा की क्षमता (टन प्रतिदिन में)
2016-17	152492.64	शून्य	417.78	उपलब्ध नहीं
2017-18	206733.45	शून्य	566.39	उपलब्ध नहीं
2018-19	254401.80	शून्य	696.98	उपलब्ध नहीं
2019-20	161147.50	159600.00	441.50	693.00
2020-21	375950.00	263712.50	1030.00	722.50
योग	**1150725.40**	**423312.50**		

(स्रोत: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

परिशिष्ट 6.5

शहरी स्थानीय निकायों में जब्त किये गये प्रतिबंधित थर्मोकॉल/प्लास्टिक/कैरी बैग का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर 6.3.1)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	जब्त मात्रा (किलोग्राम में)	वसूल किया गया जुर्माना (₹ में)	निस्तारित मात्रा (किलोग्राम में)	निस्तारण की विधि	अनिस्तारित मात्रा (किलोग्राम में)
1	नगर निगम लखनऊ	2018-22	51210.00	9551310	51210	सड़क निर्माण/सीमेंट फैक्ट्री हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजा गया	शून्य
2	नगर निगम गाजियाबाद	2022 तक	142697.09	14195190	142697	सड़क निर्माण में उपयोग किया गया	0.09
3	नगर निगम कानपुर	2016-22	79914.09	4901800	0	कोई निस्तारण नहीं	79914.09
4	नगर पालिका परिषद रायबरेली	2018-22	187.00	89000	187	उपलब्ध नहीं कराया गया	शून्य
5	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	2019-22	133.70	170460	133.7	नगर निगम बरेली को स्थानांतरित	शून्य
6	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	2018-22	39.99	83200	0	निस्तारित नहीं	39.99
7	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	2019-20	12.00	12000	12	नगर निगम अयोध्या को स्थानांतरित	शून्य
8	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	2016-22	243.565	672450	243.565	नगर निगम गाजियाबाद को स्थानांतरित	शून्य
9	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	2016-22	326.30	269250	326.3	जला दिया	शून्य
10	नगर पालिका परिषद हाथरस	2016-22	749.50	67800	749.5	नगर निगम अलीगढ़ को स्थानांतरित	शून्य
11	नगर पालिका परिषद एटा	2016-22	4762.30	602000	0	निस्तारण नहीं	4762.3
12	नगर पालिका परिषद महोबा	2019-20	153.16	58000	153.16	सतना सीमेंट फैक्ट्री को स्थानांतरित	शून्य
13	नगर पालिका परिषद देवरिया	2022 तक	45.60	116800	0	निस्तारण नहीं	45.6

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	जब्त मात्रा (किलोग्राम में)	वसूल किया गया जुर्माना (₹ में)	निस्तारित मात्रा (किलोग्राम में)	निस्तारण की विधि	अनिस्तारित मात्रा (किलोग्राम में)
14	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	2016-22	8.95	66000	0	निस्तारण नहीं	8.95
15	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	2021-22	42.80	0	1.2	उपलब्ध नहीं कराया गया	41.6
16	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	2018-22	824.74	486500	0	निस्तारण नहीं	824.74
17	नगर पालिका परिषद औरैया	2018-19	15.69	107200	0	निस्तारण नहीं	15.69
18	नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी चित्रकूट	2018-19	0[13]	50000	0	दबाया गया	शून्य
19	नगर पंचायत झालू बिजनौर	2018-22	60.60	35000	60.6	नगर पालिका परिषद बिजनौर को स्थानांतरित	शून्य
20	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	2018-22	48.98	70760	48.98	नगर पालिका परिषद बिजनौर को स्थानांतरित	शून्य
21	नगर पंचायत जरवल बहराइच	2018-21	2.33	23250	0	निस्तारण नहीं	2.33
22	नगर पंचायत आनंद नगर महराजगंज	2018-22	41.32	98000	0	निस्तारण नहीं	41.32
23	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	2018-22	291.05	47900	291.05	नोडल नगर पालिका परिषद को स्थानांतरित	शून्य
24	नगर पंचायत उसावां बदायूं	2019-22	0.35	3500	0.35	नगर पालिका परिषद बदायूं को स्थानांतरित	शून्य
25	नगर पंचायत बकेवर इटावा	2018-19	5.00	15500	5	नगर पालिका परिषद इटावा को स्थानांतरित	शून्य
26	नगर पंचायत टिकरी बागपत	2016-22	5.60	5350	5.6	नगर पालिका परिषद बागपत को स्थानांतरित	शून्य
27	नगर पंचायत जेवर गौतमबुद्ध नगर	2016-22	3600.00	98500	3550	नगर पालिका परिषद दादरी को स्थानांतरित	50
28	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	2022 तक	31.37	121000	28.66	उपलब्ध नहीं कराया गया	2.71
29	नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती	2022 तक	145.02	157500	0	निस्तारण नहीं	145.02

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	जब्त मात्रा (किलोग्राम में)	वसूल किया गया जुर्माना (₹ में)	निस्तारित मात्रा (किलोग्राम में)	निस्तारण की विधि	अनिस्तारित मात्रा (किलोग्राम में)
30	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	2016-22	37.50	12000	0	निस्तारण नहीं	37.5
33	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	2016-22	4.50	3100	4.5	नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को स्थानांतरित	शून्य
32	नगर पंचायत रेवती बलिया	2016-22	14.90	15000	0	निस्तारण नहीं	14.9
33	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	2017-22	147.30	119200	147.3	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर को स्थानांतरित	शून्य
34	नगर पंचायत जहांनाबाद पीलीभीत	2021-22	1.20	0	1.2	नगर निगम बरेली को स्थानांतरित	शून्य
35	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	2019-22	9000.00	0	0	निस्तारण नहीं	9000
36	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	2019-22	4020.00	88000	4020	नगर पालिका परिषद गाजीपुर को स्थानांतरित	शून्य
योग			**298823.495**	**32412520**	**203876.67**		**94946.83**
							लगभग 94.95 मीट्रिक टन

(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 6.6

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर 6.4.3)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संयंत्र की क्षमता (मीट्रिक टन में)	अनुमोदित लागत (₹ करोड़ में)
1	नगर निगम अलीगढ़	100	5.51
2	नगर निगम मेरठ	100	5.51
3	नगर निगम मुरादाबाद	100	5.51
4	नगर निगम गोरखपुर	50	2.65
5	नगर निगम मथुरा	50	2.65
6	नगर निगम फिरोजाबाद	50	2.39
7	नगर निगम झांसी	50	2.39
8	नगर निगम अयोध्या	20	1.91
9	नगर निगम कानपुर	200	7.95
योग		**720**	**36.47**

(स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

परिशिष्ट 7.1

प्रदूषण नियंत्रण मानदंड

(संदर्भ: प्रस्तर 7.4)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची I (डी): प्रदूषण निवारण के मानदंड:

भूमि भरण संचालन में प्रदूषण समस्याओं को रोकने के क्रम में निम्नलिखित प्रावधान किये जाएंगे, अर्थात्: -

(i) तूफान जल नाले को इस तरीके से डिजाइन और निर्मित किया जाए कि सतही जल बहाव, भूमि भरण स्थल से व्यवर्तित हो जाए और ठोस अपशिष्ट स्थानों से निक्षालक, सतही जल बहाव में मिश्रित न हो। निक्षालक, उत्पत्ति को कम करने और सतही जल के प्रदूषण को रोकने तथा बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिये तूफान जल प्रवाह नालियों के व्यवर्तन का प्रावधान किया जायेगा।

(ii) अपशिष्ट निपटान क्षेत्र के आधार और दीवारों पर गैर-पारगम्य लाइनिंग प्रणाली का निर्माण। ऐसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अवशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्ट या खतरनाथ सामग्रियों (जैसे कि ऐरोसोल, ब्लीच, पालिश, बैटरी, अपशिष्ट तेल, पेंट उत्पाद और कीटनाशक) के संदूषण वाले अपशिष्ट को भरने के लिए प्रयुक्त होने वाले भूमि भरण स्थलों के लिए न्यूनतम लाइनर विनिर्देश, एक ऐसा मिश्र अवरोधक होगा जो 1.5 मिमी मोटी उच्च घनत्व वाली पालीईथाइलीन जियो-मेम्ब्रेन या जियो-सिंथेटिक लाइनर या उसके समतुल्य होगा तथा मिट्टी (चिकनी अथवा शोधित मिट्टी) के 90 सेमी के ऊपर होगी तथा इसका पारगम्यता गुणांक $1x10^{-7}$ सेमी/सेकंड से अधिक नहीं होगा। जल सारणी का अधिकतम स्तर, भूमि भरण स्थलों के निचले भाग पर उपलब्ध कराई गई चिकनी अथवा शोधित मिट्टी के अवरोधक परत के आधार से कम से कम दो मीटर नीचे होगा।

(iii) निक्षालक के संग्रहण और शोधन सहित इनके प्रबंधन के लिए प्रावधान किये जाएंगे। शोधित निक्षालक, अनुसूची-II में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के पश्चात् पुनर्चक्रित या उपयोग में लाए जाएंगे, अन्यथा इसे सीवरेज लाइन में विमुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी हाल में निक्षालक को खुले वातावरण में विमुक्त नहीं किया जाएगा।

(iv) भूमि भरण क्षेत्र से बहने वाले जल को किसी नाले, धारा, नदी, झील या तालाब में प्रवेश करने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी। जल बहाव के साथ निक्षालक या ठोस अपशिष्ट के मिश्रित होने के मामले में, समस्त मिश्रित जल को संबंधित प्राधिकरण द्वारा शोधित किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची I (ई): जल गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए मानदंड:

(i) किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व, क्षेत्र में भूमि जल गुणवत्ता के मूलाधार आंकड़े एकत्रित किये जाएंगे और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए रिकार्ड में रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर के अंदर भूमि जल गुणवत्ता को वर्ष में विभिन्न ऋतुओं अर्थात ग्रीष्म, मानसून और मानसून-पश्च अवधि के दौरान आवधिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि भू-जल, स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रदूषित न हो।

(ii) किसी भी प्रयोजन (पेय जल और सिंचाई सहित) के लिये भूमि भरण स्थलों में और उनके आस-पास भूमि जल के उपयोग पर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के बाद विचार किया जायेगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची I (ऍफ़): परिवेशी वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए मानदंड :
(i) भूमि भरण स्थल पर दुर्गंध को कम करने, गैसों को अपस्थलीय फैलने से रोकने, पुनर्वासित भूमि भरण स्थल सतह पर उगाई गई वनस्पति को बचाने के लिए गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की जाएगी। भूमि भरण गैस पुर्नप्राप्ति को बढ़ाने के लिए गैस संग्रहण कुओं के साथ आच्छादन प्रणालियों में जियो मेम्ब्रेन के प्रयोग पर विचार किया जाएगा।
(ii) भूमि भरण स्थल पर निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण, निम्न विस्फोटक सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
(iii) किसी भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधे तापीय अनुप्रयोगों या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा। अन्यथा, भूमि भरण गैस को जला (प्रदीप्त) दिया जाएगा और सीधे वायुमंडल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयोग या जलाना संभव न हो तो निष्क्रिय निकास की अनुमति दी जाएगी।
(iv) भूमि भरण स्थल पर और इसके आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

(स्रोत: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन *नियम 2016)*

परिशिष्ट 8

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल 2016 की धारा 1.4.5.1.2 के अनुसार वृद्धिशील वृद्धि पद्धति को अपनाते हुए नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों[13] में अनुमानित जनसंख्या

(संदर्भ: प्रस्तर 2.9.1, परिशिष्ट 4.10, परिशिष्ट 4.11, परिशिष्ट 4.12 और परिशिष्ट 5.10)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या				जनसंख्या में औसत वृद्धि (x)	जनसंख्या में वृद्धिशील वृद्धि (y)	अनुमानित जनसंख्या					
		1981	1991	2001	2011			2016 (2011 की जनसंख्या + 0.5∗x+0.5∗ (0.5+1)/ 2 ∗ y)	2017 (2011 की जनसंख्या + 0.6∗x+0.6∗(0.6+1)/ 2 ∗ y)	2018 (2011 की जनसंख्या + 0.7∗x+0.7∗(0.7+1)/ 2 ∗ y)	2019 (2011 की जनसंख्या + 0.8∗x+0.8∗(0.8+1)/ 2 ∗ y)	2020 (2011 की जनसंख्या + 0.9∗x+0.9∗(0.9+1)/ 2 ∗ y)	2021 (2011 की जनसंख्या + n∗x+n∗(n+1)/2∗y)
1	नगर निगम कानपुर	1486522	1879420	2551337	2765348	426275	-89444	2944944	2978180	3010521	3041968	3072521	3102179
2	नगर निगम लखनऊ	947990	1619115	2185927	2817105	623038	-19974	3121134	3181340	3241347	3301154	3360761	3420169
3	नगर निगम गाज़ियाबाद	275815	454156	968256	1648643	457609	251023	1971581	2043699	2118328	2195467	2275116	2357275
4	नगर पालिका परिषद लोनी गाजियाबाद	10259	36561	120945	516082	168608	184418	669543	705767	743836	783749	825507	869108
5	नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर	171816	247624	331668	392454	73546	-7511	426410	432976	439467	445883	452223	458489
6	नगर पालिका परिषद बुलंदशहर	103436	127201	176425	222519	39694	11165	246553	251695	256948	262313	267790	273378

[13] नगर पंचायत उसावां बदायूं, नगर पंचायत बकेवर इटावा, नगर पंचायत जहानाबाद पीलीभीत और नगर पंचायत रुधौली बाजार बस्ती नवगठित हुए थे, इसलिए इन शहरी स्थानीय निकायों को परिशिष्ट से बाहर रखा गया है।

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या				जनसंख्या में औसत वृद्धि (x)	जनसंख्या में वृद्धिशील वृद्धि (y)	अनुमानित जनसंख्या					
		1981	1991	2001	2011			2016 (2011 की जनसंख्या + 0.5*x+0.5* (0.5+1)/ 2 * y)	2017 (2011 की जनसंख्या + 0.6*x+0.6*(0.6+1)/ 2 * y)	2018 (2011 की जनसंख्या + 0.7*x+0.7*(0.7+1)/ 2 * y)	2019 (2011 की जनसंख्या + 0.8*x+0.8*(0.8+1)/ 2 * y)	2020 (2011 की जनसंख्या + 0.9*x+0.9*(0.9+1)/ 2 * y)	2021 (2011 की जनसंख्या + n*x+n*(n+1)/2*y)
7	नगर पालिका परिषद रायबरेली	89697	129904	169333	191316	33873	-9112	204836	207266	209605	211854	214011	216077
8	नगर पालिका परिषद हाथरस	92962	113285	126355	143339	16792	-1670	151109	152613	154100	155570	157024	158461
9	नगर पालिका परिषद देवरिया	55720	82168	104227	129479	24586	-598	141548	143944	146333	148717	151095	153467
10	नगर पालिका परिषद पीलीभीत	88548	106605	124245	127988	13147	-7157	131878	132441	132932	133353	133701	133978
11	नगर पालिका परिषद एटा	53784	78458	107110	118517	21578	-6634	126818	128279	129674	131003	132265	133461
12	नगर पालिका परिषद शामली	51850	70853	90055	107266	18472	-896	116166	117919	119663	121398	123125	124842
13	नगर पालिका परिषद देवबंद सहारनपुर	51270	66208	81641	97037	15256	229	104751	106301	107852	109407	110963	112522
14	नगर पालिका परिषद महोबा	39262	56247	78782	95454	18731	-157	104761	106617	108472	110326	112178	114028
15	नगर पालिका परिषद औरैया	35815	50772	64740	87877	17354	4090	98088	100253	102458	104705	106993	109321

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या				जनसंख्या में औसत वृद्धि (x)	जनसंख्या में वृद्धिशील वृद्धि (y)	अनुमानित जनसंख्या					
		1981	1991	2001	2011			2016 (2011 की जनसंख्या + 0.5*x+0.5*(0.5+1)/ 2 * y)	2017 (2011 की जनसंख्या + 0.6*x+0.6*(0.6+1)/ 2 * y)	2018 (2011 की जनसंख्या + 0.7*x+0.7*(0.7+1)/ 2 * y)	2019 (2011 की जनसंख्या + 0.8*x+0.8*(0.8+1)/ 2 * y)	2020 (2011 की जनसंख्या + 0.9*x+0.9*(0.9+1)/ 2 * y)	2021 (2011 की जनसंख्या + n*x+n*(n+1)/2*y)
16	नगर पालिका परिषद शाहाबाद हरदोई	43386	53657	67751	80305	12306	1142	86886	88237	89599	90972	92357	93753
17	नगर पालिका परिषद बहेड़ी बरेली	29680	46008	58492	68744	13021	-3038	74115	75098	76051	76973	77865	78727
18	नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी चित्रकूट	27465	37595	48892	57402	9979	-810	62088	63001	63905	64802	65691	66571
19	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सीतापुर	15945	32606	41920	50777	11611	-3902	55119	55871	56583	57256	57891	58486
20	नगर पालिका परिषद रामनगर वाराणसी	23297	30116	40619	49132	8612	847	53756	54706	55664	56631	57607	58591
21	नगर पालिका परिषद सिकंदरा राव हाथरस	21659	29823	37938	46155	8165	27	50248	51067	51887	52706	53527	54347
22	नगर पालिका परिषद उतरौला बलरामपुर	17593	24950	27502	32171	4859	-1344	34097	34441	34773	35091	35395	35686
23	नगर पालिका परिषद दातागंज बदायूं	11088	15402	21685	26279	5064	140	28864	29385	29907	30431	30956	31483

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या				जनसंख्या में औसत वृद्धि (x)	जनसंख्या में वृद्धिशील वृद्धि (y)	अनुमानित जनसंख्या					
		1981	1991	2001	2011			2016 (2011 की जनसंख्या + 0.5*x+0.5*(0.5+1)/ 2 * y)	2017 (2011 की जनसंख्या + 0.6*x+0.6*(0.6+1)/ 2 * y)	2018 (2011 की जनसंख्या + 0.7*x+0.7*(0.7+1)/ 2 * y)	2019 (2011 की जनसंख्या + 0.8*x+0.8*(0.8+1)/ 2 * y)	2020 (2011 की जनसंख्या + 0.9*x+0.9*(0.9+1)/ 2 * y)	2021 (2011 की जनसंख्या + n*x+n*(n+1)/2*y)
24	नगर पंचायत कटरा शाहजहाँपुर	14204	19187	26367	32430	6075	540	35670	36334	37004	37679	38359	39045
25	नगर पंचायत सैदपुर गाजीपुर	12937	18217	21568	24438	3834	-1205	25903	26160	26405	26638	26858	27067
26	नगर पंचायत कप्तानगंज कुशीनगर	7677	9525	11494	23526	5283	5092	28077	29140	30254	31419	32634	33901
27	नगर पंचायत खानपुर बुलंदशहर	8311	11093	12789	17252	2980	841	19057	19444	19838	20242	20653	21073
28	नगर पंचायत बिलसंडा पीलीभीत	7137	9141	13472	16047	2970	286	17639	17966	18296	18629	18965	19303
29	नगर पंचायत बल्देव मथुरा	6256	7709	9684	13559	2434	1211	15230	15601	15983	16378	16785	17204
30	नगर पंचायत बिठूर कानपुर नगर	5318	7444	9652	11298	1993	-240	12205	12379	12550	12720	12887	13051
31	नगर पंचायत टिकरी बागपत	11315	12784	13427	14099	928	-399	14413	14464	14511	14554	14593	14628
32	नगर पंचायत कुलपहाड़ महोबा	11515	13814	17442	20108	2864	184	21609	21915	22222	22532	22843	23156

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या				जनसंख्या में औसत वृद्धि (x)	जनसंख्या में वृद्धिशील वृद्धि (y)	अनुमानित जनसंख्या					
		1981	1991	2001	2011			2016 (2011 की जनसंख्या + 0.5*x+0.5*(0.5+1)/ 2 * y)	2017 (2011 की जनसंख्या + 0.6*x+0.6*(0.6+1)/ 2 * y)	2018 (2011 की जनसंख्या + 0.7*x+0.7*(0.7+1)/ 2 * y)	2019 (2011 की जनसंख्या + 0.8*x+0.8*(0.8+1)/ 2 * y)	2020 (2011 की जनसंख्या + 0.9*x+0.9*(0.9+1)/ 2 * y)	2021 (2011 की जनसंख्या + n*x+n*(n+1)/2*y)
33	नगर पंचायत जीयनपुर आजमगढ़	5246	7314	10305	11348	2034	-513	12173	12322	12467	12606	12740	12869
34	नगर पंचायत जेवर गौतमबुद्ध नगर	15275	21376	27016	32269	5665	-424	34943	35464	35982	36496	37005	37510
35	नगर पंचायत रेवती बलिया	14384	17978	22082	26359	3992	342	28483	28918	29357	29799	30244	30693
36	नगर पंचायत चितबड़ागांव बलिया	14885	16690	20229	21879	2331	-78	23015	23240	23464	23688	23910	24132
37	नगर पंचायत झालू बिजनौर	12461	14808	18704	21010	2850	-21	22427	22710	22993	23275	23557	23839
38	नगर पंचायत सहसपुर बिजनौर	14296	18198	22606	24511	3405	-999	25839	26074	26300	26516	26721	26917
39	नगर पंचायत जरवल बहराइच	8543	11741	15780	19942	3800	482	22023	22453	22889	23329	23774	24224
40	नगर पंचायत आनंदनगर महाराजगंज	5951	7798	10214	10113	1387	-974	10441	10478	10504	10521	10529	10526

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या				जनसंख्या में औसत वृद्धि (x)	जनसंख्या में वृद्धिशील वृद्धि (y)	अनुमानित जनसंख्या					
		1981	1991	2001	2011			2016 (2011 की जनसंख्या + 0.5*x+0.5*(0.5+1)/2 * y)	2017 (2011 की जनसंख्या + 0.6*x+0.6*(0.6+1)/2 * y)	2018 (2011 की जनसंख्या + 0.7*x+0.7*(0.7+1)/2 * y)	2019 (2011 की जनसंख्या + 0.8*x+0.8*(0.8+1)/2 * y)	2020 (2011 की जनसंख्या + 0.9*x+0.9*(0.9+1)/2 * y)	2021 (2011 की जनसंख्या + n*x+n*(n+1)/2*y)
41	नगर पंचायत राजापुर चित्रकूट	10258	9871	12752	13439	1060	537	14170	14333	22790	14674	14852	15036

(स्रोत: क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र की वेबसाईट पर उपलब्ध उत्तर प्रदेश के लिए शहरी आंकड़ों की कॉम्पोडियम, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh/hi